खण्ड–492, अंक–8
मंगलवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1936
(10 मार्च, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 492 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रश्नों के उत्तर आवास पर न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	7
प्रश्नोत्तर	7–43
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	43–46
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में क्षेत्र विधान मण्डल विकास निधि वर्ष 2013–14 व 2014–15 से ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	47
जनपद गाजियाबाद अन्तर्गत वार्ड संख्या–6 स्थित शिव मन्दिर तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	47
जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	47–48
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद वाराणसी के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के शिवपुरवा वार्ड में सीवर लाइन टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	48–49
विधान सभा क्षेत्र कानपुर छावनी के कतिपय ग्रामों में सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	49
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों पर जल भराव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	49
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में दिनांक 13–2–2015 को हुई आगजनी की घटना के पीड़ितों को सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	50
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	50
जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज में समस्त चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	51

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ऐरा शुगर मिल खमरिया द्वारा किये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत टाण्डा फाल मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	52
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में नहर की पटरियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	52
प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचालित विद्यालयों में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के कतिपय मार्गों के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	53
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा अण्डा में साधन सहकारी समिति का आफिस एवं गोदाम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	54
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	54–56
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	56
विधान सभा सदस्यों के फोन अधिकारियों द्वारा रिसीव न करने विषयक औचित्य का प्रश्न	56–58
नियम–51 के वक्तव्य का उत्तर न मिलने विषयक औचित्य का प्रश्न	58
जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के नगर पंचायत सेवरही में रोडवेज बस स्टेशन बनवाये जाने विषयक श्री पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)... ...	58
जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही में आई0टी0आई0 स्कूल खुलवाये जाने विषयक श्री सत्येन्द्र कुमार आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	59
जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की समस्याओं के निवारण कराये जाने विषयक श्री रमेश यादव आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	59
जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के गेंदासिंह गन्ना अनुसंधान एवं शोध केन्द्र में कृषि विश्वविद्यालय खुलवाये जाने विषयक श्री शहनवाज आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित	59

याचिका (उपस्थित की गयी)...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण/मरम्मतीकरण/पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री संदीप ठाकुर आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)...	59
जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड तमकुहीराज के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण/मरम्मतीकरण/पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक डा0 प्रभु गुप्ता आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	59
जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के विकास खण्ड दुदही के अन्तर्गत अमावा खास के कन्हीटोला, उलटवहा, गोबरहा होते हुए बरवा पट्टी थाने तक पिच सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री कौशल किशोर तिवारी आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)...	60
जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम मिश्रौली कुंवरपुरवा बन्धे से दुबारी मेन रोड तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री योगेन्द्र मिश्र आदि निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	60
जनपद मऊ के विकास खण्ड दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा कुरंगा में चरपुरवा के उत्तर तरफ नाले पर नये पुल का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री दीपक कुमार आदि निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)... ...	60
जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम दुबारी से नयी बस्ती बन्धे तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री सर्वे शंकर यादव आदि निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	60
जनपद लखनऊ स्थित कृष्णानगर के अन्तर्गत आशुतोषनगर कालोनी एवं दुर्गापल्ली चौराहे से (ईश्वर प्रसाद एवं राजेश मौर्या के घर से) अवस्थी जनरल स्टोर तक पक्की एवं गहरी नाली का नवनिर्माण	61

कराये जाने विषयक श्री ईश्वर प्रसाद आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद लखनऊ के ग्राम कलियाखेड़ा खसरा संख्या–674ख की भूमि रकबा लगभग 2000 वर्ग फीट पर बने गरीबों के मकानों की भूमि अर्जन की कार्रवाई धारा–6/16 से मुक्त कराये जाने विषयक श्री रमेश चन्द्र आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	61
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता के ग्राम पंचायत नागापुर की ग्राम सभा की भूमि पर उपमण्डी का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जगदीश पटेल आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	61
जनपद प्रतापगढ़ के मुख्यालय और रायबरेली–वाराणसी हाई–वे से जुड़ा कटरा मेदनीगंज वाया मान्धाता–कटरा गुलाब सिंह मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री विनोद वर्मा आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	61
जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 बाघनगर चौराहे से भाटपार होते हुए ग्राम पंचायत बूढ़ाननगर मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अब्दुल रऊफ आदि निवासीगण जनपद संतकबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	61–62
जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित सेमरियावां टेमारहमत मार्ग पर नाऊगांव से ग्राम पंचायत साफियाबाद, हड़हा, उचहरा होते हुए बूढ़ा नगर मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मो0 आलम आदि निवासीगण जनपद संतकबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	62
जनपद संत कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां टेमारहमत मार्ग पर चिउटना चौराहे से ग्राम पंचायत से सिसवातालिब तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अब्दुल रहमान आदि निवासीगण जनपद संतकबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)... ...	62
जनपद संत कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित सेमरियावां चौराहे टेमारहमत मार्ग तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री हमीदुद्दीन आदि निवासीगण जनपद संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	62
जनपद मेरठ के मेरठ महानगर में सूरजकुण्ड रोड (थाना सिविल लाइन)	62–63

स्थित बाल सुधार गृह को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने अथवा जिला कारागार मेरठ में स्थित बच्चा जेल में स्थानान्तरित किये जाने विषयक श्री मनोज गोस्वामी आदि निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद मेरठ के मेरठ में कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री अनुराग शर्मा आदि निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)... ...	63
जनपद मेरठ के ज्वैल सिटी हेतु प्रस्तावित भूमि पर ज्वैल सिटी स्थापित कराये जाने विषयक श्री राजकिशोर रस्तोगी आदि निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	63
कार्य–स्थगन की सूचनाएं	63–75
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित) ...	75–80
वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा	80–110
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	110–112
वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	112–135
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	136–138
जनपद चित्रकूट में भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं से किसानों की फसलों को हुई क्षति का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान सिंह पटेल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	138–139
जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय कालोनियों में पक्के नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	139
प्रदेश में मा0 उच्च न्यायालय की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	139
जनपद भदोही के औराई चीनी मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती मधुबाला द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)...	140
जनपद अलीगढ़ की तहसील खैर की ग्राम घरबरा में गाटा संख्या–1/20 के अतिरिक्त में अवैध बालू खनन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई	140

सूचना पर भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित) ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा एवं अयाह शाह में मौरंग एवं बालू के अवैध खनन एवं ट्रकों की ओवरलोडिंग से हो रही क्षतिग्रस्त सड़कों के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री का केवल वक्तव्य	140–141
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के दिनांक 26 फरवरी, 2015 को हुई भयंकर ओलावृष्टि से किसानों की रबी की फसल नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ...	141–142
जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन अन्तर्गत ग्राम निघासन के कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)	142
जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ अन्तर्गत जी0टी0 रोड से इकबालपुर माड़ी होते हुए ग्राम जिरौली तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	142

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 2015 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–299

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद़
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
10. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
11. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
12. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
13. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
14. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
15. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
16. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
17. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
18. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
19. अमित गौरव यादव, श्री एटा
20. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
21. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
22. अराधना मिश्रा 'मोना' श्रीमती प्रतापगढ़
23. अरूण कुमार, डा0 बरेली
24. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
25. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
26. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
27. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
28. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
29. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
30. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
31. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
32. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
33. आलमबदी, श्री आजमगढ़
34. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
35. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
36. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
37. आशीष यादव, श्री बदायूं
38. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
39. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
40. इकबाल, श्री बिजनौर
41. इकबाल महमूद, श्री संभल
42. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
43. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
44. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
45. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
46. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
47. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
48. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
49. उदयराज, श्री उन्नाव
50. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
51. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
52. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
53. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
54. ओमकार सिंह, श्री बदायूं

55. ओम कुमार, श्री बिजनौर
56. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
57. कमाल युसुफ मलिक, श्रीसिद्धार्थनगर
58. काली चरन सुमन, श्री आगरा
59. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
60. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
61. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
62. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
63. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
64. कैलाश, श्री गाजीपुर
65. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
66. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
67. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
68. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
69. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
70. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
71. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
72. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
73. गोमती यादव, श्री लखनऊ
74. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
75. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
76. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
77. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
78. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
79. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
80. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
81. जगपाल, श्री सहारनपुर
82. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
83. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
84. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
85. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
86. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
87. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
88. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
89. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
90. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
91. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
92. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
93. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
94. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
95. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
96. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
97. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
98. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
99. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
100. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
101. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
102. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
103. धर्मराज, श्री बाराबंकी
104. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
105. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
106. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
107. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
108. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
109. नवाजिश आलम खान, श्रीमुजफ्फरनगर
110. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
111. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
112. नारद राय, श्री बलिया
113. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
114. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
115. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
116. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
117. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
118. पीतमराम, श्री पीलीभीत
119. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा

120. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
121. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
122. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
123. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
124. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
125. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
126. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
127. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
128. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
129. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
130. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
131. बदलू खां, श्री उन्नाव
132. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
133. बाबू खां, श्री हरदोई
134. बाबूलाल, श्री गोण्डा
135. बावन सिंह, श्री गोण्डा
136. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
137. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
138. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
139. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
140. बैजनाथ, श्री मऊ
141. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
142. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
143. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
144. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
145. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
146. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
147. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
148. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
149. मनबोध, श्री देवरिया
150. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
151. मनीष रावत, श्री सीतापुर
152. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
153. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
154. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
155. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
156. महबूब अली, श्री अमरोहा
157. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
158. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
159. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
160. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
161. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
162. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
163. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
164. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
165. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
166. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
167. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
168. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
169. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
170. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
171. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
172. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
173. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
174. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
175. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
176. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
177. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
178. यासर शाह, श्री बहराइच
179. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
180. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
181. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
182. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
183. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
184. रणजीत सुमन, श्री एटा

185. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
186. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
187. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
188. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
189. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
190. रवि शर्मा, श्री झांसी
191. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
192. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
193. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
194. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
195. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
196. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
197. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
198. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
199. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
200. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
201. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
202. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
203. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
204. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
205. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
206. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
207. राधे श्याम, श्री अमेठी
208. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
209. राम करन आर्य, श्री बस्ती
210. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
211. राम गोविन्द, श्री बलिया
212. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
213. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
214. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
215. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
216. राम मगन, श्री बाराबंकी
217. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
218. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
219. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
220. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
221. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
222. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
223. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
224. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
225. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
226. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
227. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
228. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
229. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
230. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
231. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
232. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
233. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
234. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
235. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
236. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
237. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
238. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
239. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
240. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
241. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
242. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
243. विजय सिंह, श्री रामपुर
244. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
245. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
246. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
247. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
248. वीरपाल राठी, श्री बागपत
249. वीर सिंह, श्री चित्रकूट

250. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
251. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
252. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
253. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
254. शाकिर अली, श्री देवरिया
255. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
256. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
257. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
258. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
259. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
260. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
261. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
262. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
263. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
264. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
265. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
266. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
267. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
268. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
269. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबुद्ध नगर
270. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
271. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
272. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
273. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
274. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
275. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
276. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
277. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
278. सियाराम सागर, डा0 बरेली
279. सीमा, श्रीमती जौनपुर
280. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
281. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
282. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
283. सुधाकर, श्री मऊ
284. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
285. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
286. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
287. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
288. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
289. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
290. सुरेश राणा, श्री शामली
291. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
292. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
293. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
294. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
295. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
296. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
297. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
298. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
299. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :– पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00 बजे, प्रश्नों के उत्तर आवास पर न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल से संबंधित एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न लगा दिये गये लेकिन इनके जवाब अभी तक हम लोगों के कमरे तक नहीं पहुंचे और यह सिर्फ एक सदस्य का सवाल नहीं है, माननीय लोकेन्द्र जी का पहला प्रश्न है, आपके पास अभी तक जवाब नहीं है। मेरा दूसरा प्रश्न है और जवाब हम लोगों को यहां पटल कार्यालय से पौने ग्यारह बजे लेना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, यह बात बार–बार उठे, यह अच्छी नहीं लगती। यह गलती एक व्यक्ति के साथ हो सकती है लेकिन हर सदस्य के साथ यही गलती हो तो यह बात समझ में नहीं आती।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह शिकायत सही है कि प्रश्न घर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। डा0 अग्रवाल साहब जो कह रहे हैं, इसको थोड़ा आप दिखवा लें। पहले यह व्यवस्था थी, लेकिन इस समय यह व्यवस्था कुछ शिथिल हो गयी है, अब घर पर यह नहीं पहुंच रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, हम इसे दिखवा रहे हैं और यदि कोई त्रुटि होगी तो उसका सुधार करायेंगे।

ख11.02 बजे, प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश की समृद्धि का आधार गाय एवं गो–वंश की वृद्धि के लिए सरकार की कार्ययोजना

'01–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की समृद्धि का आधार गाय एवं गो–वंश की वृद्धि के लिए कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है एवं कब तक लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

जी हां।

विभाग अन्तर्गत गाय एवं गो–वंश की वृद्धि के लिये अनेक योजनायें संचालित की जा रही हैं जैसे–कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, गाय/भैंसों में बांझपन एवं अनुवर्रता निवारण, चारा बीज का वितरण आदि।

उक्त के अतिरिक्त जनपद बरेली के परगना चौमहला तहसील बहेड़ी के ग्राम मुडिया मुकरर्रमपुर में एक इंटीग्रेटेड एग्रो मिल्क प्रोजेक्ट एवं पशु उत्थान वर्ण संकर (हाईब्रिड) केन्द्र की स्थापना की कार्रवाई क्रमित है। जिसके लिये माह फरवरी, 2015 में

40 एकड़ भूमि उ0 प्र0 पशुधन विकास परिषद् को हस्तान्तरित की जा चुकी है एवं उक्त केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु अन्य अग्रिम कार्रवाई प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था कि क्या पशुधन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की समृद्धि का आधार गाय एवं गोवंश की वृद्धि के लिए कोई कार्य योजना है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर जो पहली आवश्यकता है वह यह है कि जो गाय का बैल का जो कटान हो रहा है उसे रोका जाए क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी न किसी जिले में बड़ी मात्रा में गाय और बैल न पकड़े जाते हों और कार्रवाई न होती हो। मेरा कहने का मतलब है कि अभी हमारे साथी भाई धर्मपाल सिंह जी हैं, इनके जिले से सम्बन्धित है कि अगर वहां कोई बवाल होता है कोई व्यक्ति अगर इसका विरोध करता है, रोकने की कोशिश करता है तो उल्टा जिला प्रशासन रोकने वाले पर कार्रवाई करता है और जो कटान के लिए पशु ले जाते हैं, गायें ले जाते हैं उनको छोड़ देता है तो क्या कोई कठोर कार्रवाई इस सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी करेंगे।

श्री राज किशोर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, इसका जवाब मैं दो तीन बार सदन में दे चुका हूं। अगर कार्रवाई न होती तो इतने लोग मुल्जिम कैसे होते, इतने पशु बचाये कैसे जाते। जो आपने किसी पर्टिकुलर स्थान या जिले की बात बताई है तो उसे आप पहली बार मेरे संज्ञान में लाये हैं इस तरह की कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं रही है। यदि यह बात आप संज्ञान में लाये हैं तो हम इसे दिखवायेंगे और अगर कहीं कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी तो हम कार्रवाई करेंगे।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मान्यवर, तीन घटनाएं मेरी विधान सभा में हुईं, मैंने उसे लिख करके दिया और उस पर कार्रवाई भी हुई लेकिन वह कार्रवाई पशु क्रूरता अधिनियम के तहत् हुई, गो–वंश अधिनियम के तहत कार्रवाई वहां की पुलिस ने नहीं की। मैं चाहता हूं कि ऐसे मामले में गो–वंश अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो और जो लोग ऐसे पकड़े जाते हैं क्या उनके ऊपर मा0 मंत्री जी रासुका और गैंगेस्टर लगायेंगे।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले भी इस सदन में जवाब में कहा था कि अगर इस तरह की कार्रवाई में कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ गुण्डा ऐक्ट गैंगेस्टर, एन0एस0ए0 जो भी जरूरत होगी वह सारी कार्रवाई की जायेगी।

श्री दलवीर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहले गायों के जो बछड़े पैदा होते हैं उनका कृषि में बहुत प्रयोग होता था। अब मशीनरी का युग आ गया है तो बैलों का तो प्रयोग कम हो गया है लेकिन प्रदेश में दूध की कमी की पूर्ति के लिए गायों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है इसलिए मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चक गंजरिया गौ संवर्धन केन्द्र को बन्द करके वहॉ की शाहीवाल गायों को बाराबंकी में स्थानान्तरित कर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न से इसका क्या मतलब है।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, प्रश्न यह है कि दूध कैसे बढ़े, गौ कैसे बढ़े। कट्टी–फट्टी से इसका कोई मतलब ही नहीं है। यह प्रश्न है कि गायों की प्रगति कैसे हो, दूध कैसे बढ़े। कट्टी का जो विषय है उसे वह बोलेंगे उन्हें बोलने दें लेकिन मेरा विषय यह है कि गायों का जो यहां सेंटर है उसे चेन्ज करके बाराबंकी स्थानान्तरित किया गया है। मैं चाहता हूं कि इसका केन्द्र यहां स्थापित हो और शाहीवाल नस्ल है या और भी जो नस्लें हैं उनकी अत्यन्त आवश्यकता दूध बढ़ाने के लिए है इसलिए इसका सेंटर लखनऊ में बनाया जाए यह मेरा सुझाव है। क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि वह इसे करेंगे, कब तक करेंगे, क्या कोई विचार सरकार का है।

श्री राज किशोर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, इस तरह का कोई विचार सरकार का नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा था कि यदि कोई व्यक्तिगत आपका हो तो उसे आप हमें दीजिए मैं उसे दिखवाऊंगा। लेकिन इन्होंने इस मामले को सदन में उठा दिया जो कि सम्भव ही नहीं है। चक गंजरिया जो आप देख रहे हैं वहां पर कैंसर हास्पिटल से लेकर तमाम चीजें बन रही हैं और हमारे पास बाराबंकी में निब्लेट की जो जमीन थी वहां पर हमने यहां की गौशाला को स्थानान्तरित कर दिया है। हमने इनसे कहा था कि आप धीरे से मुझे दीजिएगा हम उसे दिखवायेंगे कि क्या हो सकता है।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, दो–ढाई हजार बीघे जमीन है अलीगढ़ में वहां पर इसे शिफ्ट कर दीजिए।

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, गोवंश कृषि से आधारित विषय है। जब इस देश की गायें प्रभावित होती हैं गोवंश प्रभावित होता है तो खेती भी प्रभावित होती है और खेती प्रभावित होगी तो अन्न का टोटा हो जायेगा। मेरी विधान सभा क्षेत्र में 28 फरवरी को 200 गायें चोरी कर ली गयी और चोरी करके शाहाबाद थाना रामपुर ले जायी गयी।

श्री अध्यक्ष–

यह दूसरी घटना हो गयी, इससे इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष–

यह इससे सम्बन्धित नहीं है आप किसी दूसरे नियम में दीजिएगा।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि गो–सम्वर्धन के लिए सरकार कोई योजना बनाये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है जाहिर है कि ऐसे पशु जिन्हें नहीं काटना चाहिए, कानून इज़ाजत नहीं देता, वह नहीं काटे जाते हैं और अगर कोई इसकी कोशिश करता है तो कानून अपना काम करता है। प्रदेश में बहुत सी जगह यह देखने में आया है कि बहुत हालात खराब हो गये हैं जब खुद कुछ असामाजिक तत्व जो वो काम कर रहे हैं जो सरकार को और पुलिस को करना चाहिए। गाड़ियां रोककर पशु छीन लेना, मारपीट करना, गाड़ियों को आग लगा देना इस तरह के हादसे पेश आये हैं। बातों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया है लेकिन इस शिकायत को भी रुकना चाहिए। आपको अगर कोई सूचना मिलती है तो उसके लिए एक तंत्र है पुलिस को आप इत्तिला करें अगर पुलिस की जानकारी में नहीं है। पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस कार्रवाई करेगी लेकिन खुद उस काम को करना जो पुलिस को करना है मान्यवर, इसकी इजाजत नहीं दी जायेगी और इस तरह की जो शिकायत आ रही है कि जो लोग बेगुनाह हैं, बेगुनाह नहीं हैं वह असामाजिक तत्व हैं, लूटेरे हैं समाज को खराब करने वाले हैं वह सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, माहौल को खराब करने के लिए कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। आप सूचना दें, पकड़े जायेंगे, सख्त कार्रवाई होगी।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अनेकों बार अपनी विधान सभा के सहसपुर के विषय को उठाया। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया, आश्वस्त किया कि इस पर हम कार्रवाई करायेंगे। वह स्लाटर हाउस अवैध है। एक वर्ष से लगातार यह चल रहा है लेकिन यहां आश्वासन देने के बाद आपके संज्ञान में भी अध्यक्ष जी, यह विषय है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी उस दिन कहा था कि उसका नाम लिख कर दे दीजिए। इससे बड़ा तो कोई सदन नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप जो प्रश्न है उससे सम्बन्धित सवाल पूछिये।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

अब वहां मजबूरन धरना–प्रदर्शन किया जायेगा, जनता में उस चीज के लिए आक्रोश है। वहां की व्यवस्था अगर गड़बड़ाएगी..

श्री अध्यक्ष–

लोकेन्द्र सिंह जी, बैठिये यह प्रश्न नहीं बनता है। आपने लिखा है कि प्रदेश की समृद्धि का आधार गाय एवं गो–वंश की वृद्धि के लिए कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है एवं कब तक लागू की जायेगी ? आप स्लाटर हाउस की बात कर रहे हैं इससे तो उसका मतलब नहीं है। आप बैठिये।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। गो–संवर्धन का विषय महत्वपूर्ण है और गाय को पौराणिक काल से मां का दर्जा दिया गया है तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारण वैज्ञानिक भी हैं केवल धार्मिक आधार से जुड़ी हुई नहीं है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो गौ–मूत्र से समाप्त हो जाती हैं, चाहे जैविक खाद का मामला हो, चाहे और बहुत सारी दवाइयों का आविष्कार हो। हमारे क्षेत्र में गन्ने के लिए फेड़ान नाम के दवाई का इस्तेमाल किया जाता है वह बहुत घातक दवाई है, कीड़े के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है बाद में उसके नुकसानदेह परिणाम भी आते हैं लेकिन 01 लीटर गौ–मूत्र 100 लीटर पानी में मिलाकर धीरे–धीरे नाली के माध्यम से खेत में डाला जाए तो उससे बीमारी पास नहीं आती है तो ऐसे ही गौ–मूत्र से बहुत सारे इलाज चाहे वह दवाई के रूप में हो, चाहे वह मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है इसलिए गौ का सम्वर्द्धन बहुत जरूरी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या गो–सम्वर्द्धन के लिए चाहे जैविक खाद का मामला है, गायों के द्वारा बहुत उपयोगी जैविक खाद का निर्माण हो सकता है। किसान जैविक खाद का निर्माण करे उसके प्लाण्ट की स्थापना के लिए क्या कुछ सब्सिडी देने पर सरकार विचार कर रही है। दूसरे, ब्लाक स्तर पर क्या सरकार गौशालाओं का निर्माण करायेगी और उनके संवर्द्धन के लिए क्या कोई अनुदान की योजना सरकार की है ? ये मेरे दो छोटे–छोटे प्रश्न हैं।

श्री राजकिशोर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने जो सवाल किया है गो–संवर्धन पर सबसे पहले मैं इनको बताना चाहता हूं इन्होंने गो–मूत्र के बारे में कहा आप जानते हैं कि गौ की पूजा हर आदमी करता है हिन्दू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी जाति का आदमी हो हर आदमी गौ का सम्मान करता है और गौ–माता जो दूध देती है उसका सेवन सारे लोग करते हैं। दूसरी चीज आप संवर्धन के लिए कहे हैं अध्यक्ष जी जब से यह सरकार बनी है हमारे प्रदेश में लगभग 2014–15 में केवल हम जानते हैं कि तीन लाख 39 हजार आठ सौ कुछ पशु ऐसे थे जिन पशुओं को बांझपन या किसी कारण से गर्म नहीं होते थे ऐसे पशुओं का इलाज किया गया टीकाकरण कराया गया इनका बांझपन खत्म हुआ और यह गर्म हुए और इन्होंने गर्भधारण किया जिस कारण दुग्ध का संवर्धन हुआ और बड़े

पैमाने पर इसका प्रदेश में फायदा हो रहा है। गौओं की सेवा बड़े पैमाने पर हो रही है इसके साथ–साथ कामधेनु डेरी योजना हमने दिया है। एक लाख लीटर से ऊपर दुग्ध पर डे दुग्ध का उत्पादन हो रहा है इसके साथ–साथ बाहर से जो गायें हमारी आ रही हैं उन गायों की संख्या बढ़ रही है इनका संवर्धन आलरेडी उत्तर प्रदेश के अन्दर हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी आपने देखा होगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया है जिन लोगों ने सवाल लगाया उनसे पूछिए कि क्या पशु छीने जा रहे हैं भगवा अंगोछा पहनकर इस तरह के कपड़ों को पहनकर पशुओं को छीना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पशुओं का संवर्धन हो लेकिन बार्डर पर लोग पशुओं को छीन रहे हैं और गाड़ियों को आग लगा रहे हैं अगर उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं तो आप लोग धरना और प्रदर्शन करते हैं। यहां पर हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आई है लगातार बड़े पैमाने पर गौ–संवर्धन का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो वह सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार है आपको इसे धन्यवाद देना चाहिए।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब इस पर बहुत सवाल हो गए हैं। इस पर 15 मिनट हो गए हैं मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश के विभिन्न सरकारी/निजी एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं में कुपोषण के सम्बन्ध में स्वास्थ्य सम्बन्धी किये गये परीक्षण की जानकारी

'02–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी/निजी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं में कुपोषण के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कभी जांच कराई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

जी हां।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा ''राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम'' के अन्तर्गत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का वर्ष में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है, जिसके अन्तर्गत छात्र–छात्राओं के वजन एवं लम्बाई का रिकार्ड रखा जाता है, साथ ही उनका नेत्र परीक्षण कराया जाता है तथा आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां तथा क्रमिनाशक दवा दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में माह अक्टूबर, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक प्रदेश के कुल 112845 स्कूलों में अध्ययनरत 7602900 छात्र–छात्राओं का परीक्षण कराया गया तथा 7602900 छात्र–छात्राओं को आयरन एवं फोलिक एसिड तथा क्रमिनाशक दवा का वितरण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी आप स्वयं प्रश्न देख लीजिए और जवाब देख लीजिए। मेरा प्रश्न कुपोषण के सम्बन्ध में है और माननीय मंत्री जी इतने विज्ञ मंत्री हैं इन्हें भलीभांति इसका ज्ञान होगा कि कुपोषण का सम्बंध प्रोटीन से, फैट से और कैलोरी से होता है। जांच कराते हैं यह कुपोषण की और दवाएं देते हैं फोलिक एसिड और आयरन की यह सरकार की नीतियों को बताता है कि सरकार कुपोषण जैसी बीमारी को लेकर कितनी गम्भीर है। दर्द कहीं और है और दवा कहीं और है एक अजीबोगरीब स्थिति है। इसका अर्थ है कि सरकार को कुपोषण को लेकर तनिक भी गम्भीरता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अध्यक्ष महोदय लिखित जवाब आपके सामने है। अगर सरकार ने कुपोषण की जांच कराई है तो सरकार की जानकारी में होगा कि हमारे प्रदेश के बच्चों में कितनी कुपोषण की दर है किन कारणों से है और उन कारणों को दूर करने के लिए क्या व्यवस्था की जानी है। बजाय इसके माननीय मंत्री जी यह बता रहे हैं कि आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट बांटते हैं। तो यह तो एक नया अन्वेषण पूरी दुनियां के लिए है कि आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट से हम बच्चों का कुपोषण नियंत्रित कर लेंगे। इसका कोई वैज्ञानिक आधार होगा मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पहले वह वैज्ञानिक आधार बता देंगे। आप मुस्करा रहे हैं तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या मामला है दूसरी चीज अध्यक्ष जी अगर सरकार ने जांच कराई है तो सरकार इस सदन को बताए कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के बच्चों में कुपोषण की दर है कितनी और सरकार इस कुपोषण को नियंत्रित करने के लिये क्या क्या कदम उठा रही है ? क्योंकि यह तो कोई कदम ही नहीं हुआ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य डाक्टर हैं और कैसे डाक्टर हैं यह खुद अपने को जान लें। स्वास्थ्य विभाग साल में दो बार प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में जाकर जांच करता है। अब यह कौन सी पढ़ाई पढ़े हैं डाक्टर साहब, और बाकी डाक्टर कौन सी पढ़ाई पढ़े हैं ? जो स्वास्थ्य विभाग सुझाव देता है और जो दवा देता है वही दवा बच्चों को दी जाती है। उसमें शिक्षा विभाग का क्या दोष है डाक्टर साहब ? आप जो पर्ची लिखते हैं वही दवा खरीद कर मरीज को दी जाती है। तो आप अपने को देखिये ना पहले। बैठिये, बैठिये। ऐसे कहने से नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग में डाक्टर भी जांच करते हैं और वह आप जैसे ही डाक्टर होते हैं। यह भी बच्चों के डाक्टर हैं, टॉप ग्रेड के डाक्टर हैं बच्चों के। प्रदेश के माने जाने डाक्टर हैं बच्चों के, हम जानते हैं यह डाक्टरी पढ़ते थे तब से और प्रैक्टिस कर रहे थे तब से मैं इनको जानता हूं। बच्चों के बहुत बढ़िया डाक्टर हैं इसीलिये यह लगाये हैं यह सवाल। तो जैसे डाक्टर की सलाह वैसी दवा। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने पूछा कि कितने कुपोषित बच्चे। मान्यवर, सर्वे के अनुसार 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषित इस प्रदेश में पाये गये और इसीलिये कुपोषण मिशन का गठन भी उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में।

उसमें स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग, तीनों का समन्वय बना करके और कुपोषण को दूर करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। अब यकायक कुपोषण दूर नहीं होगा अब आप जैसे डाक्टरों की सलाह ले करके कुपोषण को दूर करने की व्यवस्था की गई है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, थोड़ा संरक्षण हम लोगों को भी मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी, हमारे जैसे डाक्टरों के बारे में कह रहे थे या अपने स्वास्थ्य मंत्रियों के बारे में टिप्पणी कर रहे थे, यह सदन इससे सीधे भिज्ञ हो गया। माननीय मंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की ओर ठेल दिया और इन्होंने कह दिया कि स्वास्थ्य मंत्री जिस प्रकार की व्यवस्था करते हैं शिक्षा विभाग उस व्यवस्था को चलाता है।

श्री अध्यक्ष–

यह कह रहे हैं कि डाक्टर जो राय देते हैं हम उसके अनुसार व्यवस्था करते हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, मुझे नहीं मालूम कि धरती का कोई भी डाक्टर, मंत्री जी का निर्देश होगा तो ठीक है। (माननीय मंत्री जी के खड़े होने पर) अब आप बैठिये, यह क्या बात है। यह दबाव बना रहे हैं, प्रश्न इसका नहीं है। यह हमारे दोस्त हैं, माननीय अध्यक्ष जी आप भी जानते हैं। दबाव तो हम लोग इनका सुनेंगे लेकिन अगर इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को इंगित कर दिया तो यह प्रश्न बहुत वैलिड हो गया। अगर 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के इन आंकड़ों के बावजूद कोई इलाज नहीं कर रहा है, इन्हें आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट दे रहा है तो कहीं न कहीं यह स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक गम्भीर लापरवाही और संवेदनहीनता का प्रकरण है और चूंकि सदन में खुद माननीय मंत्री जी इस बात को कह रहे हैं कि हमारे जो सरकारी डाक्टर हैं उनकी राय में जो उचित दवा देनी है वह दवा हम दे रहे हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, यह बहुत स्पष्ट है कि सरकार इस जवाब को ले करके तैयार नहीं है। अन्यथा इस प्रकार से एक विभाग दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी नहीं डालता। इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित करा दें और अगले सत्र में या किसी अन्य में हम पुनः इस पर बहस कर लेंगे। यह एक गम्भीर प्रश्न है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, चाहे जितना प्रश्न माननीय सदस्य को पूछना हो पूछें मैं उनका उत्तर दूंगा, प्रश्न स्थगित नहीं होगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिये मैं तैयार हूं। जहां तक इन्होंने सवाल उठाया कि क्या आप जानते हैं कि एक मास्टर डाक्टर है ? यह मास्टर हैं डाक्टर तो हैं नहीं ? आप ही कह रहे हैं तो जब स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री पर मैंने आरोप नहीं लगाया है। मैंने कहा कि आप जैसे डाक्टर, आप जैसे योग्य डाक्टर,

अगर इस तरह का सुझाव देते हैं, राय देते हैं तो आप पर तरस आता है, आपकी डाक्टरी पर तरस आता है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, यह सीधे–सीधे किसी की स्वास्थ्य की व्यवस्था को संचालित करने का दायित्व है किसी प्रैक्टिशनर का नहीं होता है। यह सरकार की व्यवस्था और सरकार के तंत्र का होता है।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी का जवाब सुन लीजिये फिर आप बोलियें। मा0 डाक्टर साहब, प्रश्न आपका यह था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी/निजी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं में कुपोषण के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कभी जांच कराई है ? उन्होंने कहा हां हमने जांच कराई है। जांच कराने के बाद आपने बताया कि कितने प्रतिशत कुपोषण है ? आपने बता दिया कि 42 प्रतिशत कुपोषण है। फिर उन्होंने बताया कि इसको ठीक करने के लिये सरकार उपाय कर रही है तो फिर अब इस प्रश्न में क्या बचा है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, सरकार लिखित रूप से कह रही है कि हम कुपोषण को आयरन और फोलिक एसिड देकर ठीक कर लेंगे। अगर सरकार की नीति यही है और सरकार अपनी इन नीतियों को तथाकथित डाक्टरों के हवाले छिपा लेना चाहती है तो यह सरकार की तरफ से गंभीर लापरवाही है। यह सरकार का काम है कि अपने सलाहकारों के रूप में सही डाक्टरों का चयन करे। अगर सरकार ने यह तय किया है कि हम अपने स्वास्थ्य मंत्रालय को सलाह देने के लिये अयोग्य चिकित्सकों की सलाह लेंगे, गलत चिकित्सकों की सलाह लेंगे और उन्हीं के आधार पर सरकार चलाने का काम करेंगे तो यह हम लोगों को इंगित करके अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। यह इनका दायित्व था कि जब यह अपनी सरकार में नियुक्तियां कर रहे थे जब स्वास्थ्य मंत्रालय में चिकित्सक लगाते थे तो यह बात न करते। मा0 अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

इसका पूरा जवाब आ गया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अभी इस सदन को बताया कि 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। क्या मा0 मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस टीम ने बच्चों में कुपोषण की वर्ष में दो बार जांच की, क्या उन्होंने बच्चों में कुपोषण का प्रकार बताया ? किस कारण से कुपोषण है यह बताया क्या और अगर यह बताया तो उसका निदान क्या बताया ? जैसाकि डा0 राधा मोहन

दास अग्रवाल जी ने कहा कि प्रोटीन की भी कमी होती है फैट की भी कमी होती है। उस बच्चे को अपना जीवनयापन और अध्ययन करने के लिये टोटल जितनी कैलोरी आवश्यक है यदि उतनी कैलोरी उसके शरीर में प्राप्त नहीं हो रही है तो उसको बढ़ाने के लिये क्या करना है ? कभी भी आयरन और फोलिक एसिड से कैलोरी नहीं बढ़ती। कैलोरी सिर्फ फैट और कार्बोहाइड्रेट से बढ़ती है। मेरा यह निवेदन है कि जो मा0 मंत्री जी ने जांच कराई है उस जांच में कुपोषण का कारण क्या बताया गया है ? पूरे स्कूल के बच्चों में कुपोषण का प्रकार एक ही हो ऐसा संभव नहीं है तो कारण क्या बताया, उसका निदान क्या बताया ? मैं मा0 मंत्री जी से केवल इतना कहना चाहता हूं कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें। यह सर्वोच्च सदन है। बच्चों से संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी द्वारा उठाया गया है, इस प्रश्न में से यदि कोई विषय निकल रहा है तो सरकार को इसकी जांच कराने को स्वीकार करना चाहिये, इसको हल्के में टालना नहीं चाहिये। मान्यवर, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि बाल विकास पुष्टाहार कार्यक्रम कितने दिनों से चल रहा है और जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ था तब कुपोषण का प्रतिशत कितना था और बाल विकास पुष्टाहार कार्यक्रम चलने के बाद कुपोषण का प्रतिशत 42 आया है। कहीं इस पर भी हमको झांकना पड़ेगा कि हम उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। विपक्ष को इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपका संरक्षण चाहिये। कुपोषण जो 42 प्रतिशत है उसके क्या प्रकार हैं और कुपोषण के प्रकार पर डाक्टरों के द्वारा क्या रिकमेन्डेशन हैं और अगर एक ही रिकमेन्डेशन है तो क्या सरकार ऐसे डाक्टरों पर कार्रवाई करने पर विचार करेगी ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, कुपोषण का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। कुपोषण दूर करने के लिये जैसा मा0 सदस्य बाजपेयी जी ने कहा बाल विकास योजना इस प्रदेश और देश में संचालित है और इसी के महत्व को देखते हुये वर्तमान सरकार ने कुपोषण मिशन का गठन किया है। एक दिन से तो यह मामला चल नहीं रहा है हमारे स्कूल में तो हम स्वास्थ्य का परीक्षण कराते हैं। हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण कराते हैं और साल में दो बार परीक्षण कराया जाता है और डाक्टर लोग अपने विवेक से जो दवा देते हैं, स्कूल में, जिसको मैंने आयरन और फोलिक एसिड बताया है, यह बांटा जाता है। कुपोषण ठीक करने के लिए यह सरकार पूर्णतः कटिबद्ध है, इसीलिए कुपोषण मिशन का गठन किया गया है और जो माननीय बाजपेयी जी ने प्रश्न पूछा है, 42 प्रतिशत, तो यह 42 प्रतिशत है। अगर बाजपेयी जी यह पूछेंगे कि जब से देश आजाद हुआ है, गरीबी क्यों है तो इस देश में गरीबी तो है। अध्यक्ष जी, कुपोषण दूर करने के लिए बाल विकास का गठन हुआ है, यह बात सही है लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। सरकार प्रयत्नशील है और आप लोगों के सहयोग से प्रयत्नशील है, मैं तो कई बार इस सदन में कह चुका हूं कि शिक्षण, स्वास्थ्य और कुपोषण यह किसी एक सरकार या किसी एक

पार्टी की बात नहीं है, केवल आलोचना करने से ही बाजपेयी जी, कोई बड़ा आदमी और छोटा आदमी नहीं हो जाता है, इस पर सदन को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मैं इस पर सहमत हूं, इस पर विचार होना चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप बैठिए, जल्दी–जल्दी खड़े मत होइए, सुनने की आदत बनाइये। तो कुपोषण दूर किया जा रहा है और निश्चित रूप से एक ऐसे आयोग का गठन हुआ है, जिसमें तीनों विभाग सम्मिलित हैं, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग और मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है, कार्य इस पर तेजी से चल रहा है, एक दिन में किसी समस्या का हल नहीं होता है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुपोषण के मामले में प्रदेश सरकार सक्रिय है और इसकी जो दर है, इसको घटायेगी, नीचे लायेगी, यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका कृपापूर्ण संरक्षण चाहिए। मंत्री जी का जो जवाब आया है, उसमें अधिकांश पुनरावृत्ति है। मान्यवर, अगर आप मा0 मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हों तो मैं भी सहमत हो जाऊंगा लेकिन अगर आप सहमत नहीं हैं, सदन में यह प्रश्न पक्ष और विपक्ष का नहीं है, प्रदेश के बच्चों का विषय है और राजनीति से ऊपर उठकर यह विषय है, यही मैंने पहले भी कहा था। मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है, मंत्री जी कृपा करके यह बता दें कि 42 परसेंट कुपोषण में चिकित्सकों ने उनके कारण क्या बताये, क्या सबका एक कारण बताया ? क्या पूरे स्कूल के बच्चे एक ही कारण से कुपोषित हैं ? आयरन और फोलिक एसिड देने से हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, अध्यक्ष जी, इससे कैलोरी नहीं बढ़ेगी। मेरा कहना है कि डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल ने जो यह विषय उठाया है, वह राजनीति से ऊपर उठ कर है, मा0 अध्यक्ष जी, इस पर आपका संरक्षण चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य, बाजपेयी जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं पहले ही अपने उत्तर में कह चुका था कि जो बाकी कुपोषण दूर करने के तरीके हैं, जैसे मिड–डे–मील की व्यवस्था की गई है, हमारा तो शिक्षा विभाग है, टोटल जिम्मेदारी तो स्वास्थ्य विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग और ग्राम्य विकास विभाग की है तो हमको जो दवा डाक्टर देता है, उसको हम देते हैं, बाकी कुपोषण दूर करने के लिए ही तो मिड–डे–मील की व्यवस्था की गई है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग मंत्री जी की बात सुनिए। मंत्री जी, डा0 बाजपेयी जी अपने ही सवाल पर अड़े हुए हैं कि डाक्टरों ने कुपोषण के क्या कारण बताये हैं, यही वह बार–बार पूछ

रहे हैं। डाक्टर ने कुछ कारण बताये होंगे, कुपोषण के बहुत से कारण होते हैं। अब आप लोग बैठिए। कुशवाहा जी आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक करने का अवसर दिया।

(कई सदस्य एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे)

(सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिए, आगे प्रश्न पर चलें। (प्रश्न संख्या तीन पुकारे जाने पर) क्या पूछेंगे। नीरज कुशवाहा जी।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक करने का अवसर दिया।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी सहित कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर की स्थिति उत्पन्न हो गयी)

श्री अध्यक्ष–

मा0 नीरज जी कुछ बोल रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आपका आगे भी प्रश्न है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 मंत्री जी इस प्रश्न का समापन कर लीजिए तब आगे चलिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आपने किसको अनुमति दी है।

श्री अध्यक्ष–

नीरज कुशवाहा को बोल लेने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, उसके बाद हम एक सवाल करेंगे।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक करने का अवसर दिया है। मान्यवर, कुपोषण हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है और सदन में कई बार इस पर चर्चा भी हुई है। पहले यह कहा गया कि कुपोषण के लिए सरकार गंभीर है। अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में कुपोषण मिशन का गठन किया गया। इस मिशन के तहत जैसा कि हमें

जानकारी मिली है, जिले के अंदर हमारे शाहजहांपुर में एक संवर्धन नाम की संस्था बनाई गई है, जिसकी पूरी तरह से देख–रेख जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हो रही है। मान्यवर, इस संस्था को सरकार के द्वारा कोई बजट नहीं दिया गया। तो क्या मा0 मंत्री जी इस बात से ही सहमत हो गए कि कुपोषण मिशन का गठन हो गया, जिलों में संवर्धन संस्था बना दी गई और इससे कुपोषण दूर हो जायेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जो कुपोषण हमारे प्रदेश में फैला हुआ है इसको दूर करने के लिए सरकार क्या अलग से किसी बजट की व्यवस्था करेगी जिससे कि जो संस्थाओं का गठन किया गया वह कुपोषण को दूर करने के लिए प्रोटीन आदि जो वितरण कराने की योजना बनाई गई है उसको जमीनी अमलीजामा पहनाया जा सके।

श्री अध्यक्ष–

देखिए मा0 मंत्री जी ने कह दिया कि एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें मुख्य मंत्री जी हैं और शिक्षा विभाग भी है। वह इसे करेंगे। प्रश्न का उत्तर आ गया। अब क्यों बार–बार उसी को कह रहे हैं। मा0 खन्ना साहब। अब आपका प्रश्न हो गया।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

अरे रुकिए और भी सवाल हैं बहुत, अब एक ही सवाल आप सब पूछेंगे। बैठिए। मा0 खन्ना साहब पूछ लीजिए। यह आखिरी सवाल है। अब नहीं। बहुत हो गया मा0 खन्ना जी का आखिरी सवाल है। आप मौर्या जी बैठ जाएं। वह लिख कर दे दीजिएगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, नीरज जी द्वारा प्रस्तुत जो प्रश्न है यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिले में कुपोषण दूर करने के लिए जो कमेटी गठित की गई, संवर्धन समिति बनाई गई जिलाधिकारी की देख–रेख में उसका संचालन किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

उसमें बजट नहीं मिला।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, बजट नहीं मिला वह अलग बात है। जिलाधिकारी द्वारा विधायकों से विधायक निधि से पैसा लिया जा रहा है। व्यक्तिगत चंदा लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आपने यह तो नहीं कहा कि विधायक निधि से लिया जा रहा है। यह इन्होंने नहीं कहा। आप कह रहे हैं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, चंदा लिया जा रहा है। मेरा कहना है यह कोई आरोप नहीं हैं। चंदा लेने की बात हो रही है मेरा कहना है मान्यवर, कि जो लोग समाजसेवी हैं, जो लोग सक्षम हैं, ठीक हैं वह लोग समाज से चंदा लें। इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन सरकार

की तरफ से, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम गंभीर हैं तो सरकार की तरफ से इसमें किसी बजट का प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है और अगर कह रहे हैं कि पूरे सदन की चिन्ता है तो मैंने जिलाधिकारी से कहा कि आप हमारी निधि से पैसा ले लो तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार कुपोषण को दूर करने के लिए अगर गंभीर है तो संवर्धन संस्था जो हमारे जिले में बनाई गई है, सब जिलों में बनाई गई होगी उसके लिए बजट की व्यवस्था कराएं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, पहले से ही इसमें बजट की व्यवस्था है और पूरा देश चिन्तित है कुपोषण से। परसों प्रधानमंत्री जी का इस पर भाषण आया था और बाल विकास पुष्टाहार विभाग में पैसा बढ़ाने की बात हो रही थी। पूरा देश चिन्तित है, केवल यह प्रदेश ही कुपोषण का शिकार नहीं है। कुपोषण से कैसे बच्चों को मुक्त किया जाए केन्द्र से लेकर हर प्रदेश की सरकार इस पर सचेत हैं और इस पर कार्रवाई हो रही है। मिशन मोड में पैसे की व्यवस्था है और जितना जल्दी हो सके कुपोषण के इंडेक्स को नीचे ले आया जाएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने अभी यह कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम तो खुद ही चाहते हैं माननीय बाजपेयी जी ने भी मांग की है और हमारे डा0 राधा मोहन जी भी कह रहे हैं। दो बातें मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। नम्बर एक, बाल विकास विभाग के पुष्टाहार खिलाते–खिलाते तो कुपोषण 42 प्रतिशत पर आ गया। यह तो उपलब्धि है तो आखिरकार इससे बचाव के लिए क्या कर रहे हैं। नम्बर दो, मान्यवर, नियम–49 पर इस पर चर्चा करा दीजिए मैं इस पर बल देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये, वह आपने बता दिया, बैठिये। अभी नहीं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जो चिंता आप व्यक्त कर रहे हैं इसीलिए तो पूरे देश में केन्द्र में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हर स्टेट में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में यह मिशन मोड का गठन किया गया है। मैं पहले ही आपसे कहा कि इस पर देश चिंतित है कि बच्चों को कुपोषण से कैसे मुक्ति दिलायी जा सके। इसीलिए मिशन मोड का गठन करके इस पर प्रभावी कार्रवाई करने का प्रयास चल रहा है और निश्चित रूप से मिशन मोड के गठन करने के बाद इसमें सुधार होगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपने कई प्रश्न कर लिये। अब अगला प्रश्न लेने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष–

अभी कैसे होगा। जब आप लिखकर देंगे तब इस पर विचार होगा कि चर्चा होना है कि नहीं।

वर्तमान में प्रदेश पर केन्द्र सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का कुल कर्जा तथा कितना ब्याज प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार द्वारा चुकाया जाता है, कर्ज से उबरने के उपाय की जानकारी

'03–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश पर केन्द्र सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का कुल कितना कर्जा है तथा इस पर कितना ब्याज प्रति वर्ष प्रदेश सरकार को चुकाना पड़ता है ? क्या सरकार बतायेगी कि कर्ज से उबरने के लिए प्रदेश सरकार की कोई अल्पकालीन या दीर्घकालीन योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

दिनांक 31 मार्च, 2015 को राज्य पर केन्द्र सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थानों का कुल रुपया 265770.78 करोड़ का कर्ज अनुमानित है।

वित्तीय वर्ष 2014–2015 में कर्ज पर देय ब्याज की अदायगी के लिये 18636.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी।

प्रदेश सरकार द्वारा ''उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 (यथा संशोधित)'' लागू किया गया है जिसके अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में उस वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक ऋण लिया जा सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक ही ऋण लिया जाता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए ऋण की अदायगी ऋण की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को लगाने के पीछे मेरा आशय यही था कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है, हम कहॉ पर खड़े हैं इस सम्पूर्ण सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को मान्यवर, मालूम होना चाहिए। मा0 मंत्री जी ने इसमें इस बात को स्वीकार किया है कि प्रदेश पर 265770.78 करोड़ रुपये का कर्जा है। जिस कर्जे को चुकाने के लिए वर्ष 2014–15 में 18636.80 करोड़ रुपये का ब्याज देना पड़ता है। पिछले वर्ष 17454 करोड़ रुपये का ब्याज अदा किया था। मैंने कल बजट भाषण में इस बात को इंगित भी किया था। आखिरकार यह पैसा जो जनता की गाढ़ी कमाई का है। यह किसी न किसी रूप में विकास कार्य में खर्च हो सकता था।

बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो सकता था, बायोमीट्रिक डिवाइस लग सकती थी। सिंचाई विभाग में नहर खुदाई हो सकती थी या किसी भी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल हो सकता था जो जनसेवा का प्राथमिकतापूर्ण काम हैं। अगर यह ब्याज न देना पड़ता। हमारा पूछने का आशय यह था कि आखिरकार सरकार ने शार्ट टर्म प्लानिंग और दीर्घ टर्म प्लानिंग के लिए क्या किया है ? उन्होने नियम तो बता दिया कि हिमालय पर्वत पर पहुंच जाओ वहां आकर देखो कि हम 03 प्रतिशत का कर्जा ले सकते हैं और मान्यवर जो उनकी शर्तें हैं उसी के आधार पर अदा करेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि अगर यह पैसा ब्याज के रूप में न चुकाया जाये तो यह जनता के विकास कार्य में खर्च हो सकता है। इस प्रश्न का आशय यही है कि सरकार के पास कोई शार्ट टर्म प्लानिंग या दीर्घ टर्म प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिससे सरकार कर्जे से मुक्त हो सके यह प्रदेश कर्जे से मुक्त हो सके। मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूं मान्यवर यह पूरे प्रदेश की जनता का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल तो पूछिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

सवाल सीधा–सीधा है मान्यवर, कि आखिरकार सरकार ने क्या प्लान किया है ? इस कर्ज से मुक्ति कब तक दिलायेंगे ? इस ब्याज से मुक्ति कब तक दिलायेंगे ? मैं आपके माध्यम से यह सरकार से पूछना चाहता हूं।

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राम मूर्ति वर्मा)–

प्रदेश सरकार जितना भी कर्ज भारत सरकार से या अन्य कहीं से प्राप्त करती है, उसका उपयोग हम प्रदेश के विकास कार्यो के लिए ही करते हैं। उसका उपयोग कहीं पर वेतन, भत्ता या पेंशन इत्यादि में नहीं खर्च किया जाता है और तीन वर्षों के अन्दर में प्रदेश में यह 2013–14 में 28.3 प्रतिशत था हमारे ऊपर और 2014–15 में 27.8 फीसदी हुआ और 2015–16 में यह 27.5 फीसदी होने का अनुमान है। लगातार इसमें कमी हो रही है और विकास कार्य के लिए प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कर्जा लिया जाना आवश्यक है और नियमों के तहत ही लिया जा रहा है। हम 41.9 फीसदी तक कर्ज ले सकते हैं सकल विभाग घरेलू उत्पाद का फिर भी हमने 27.5 प्रतिशत का ही प्राविधान किया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय यह एक अत्यन्त गम्भीर प्रश्न है। यह वस्तुतः ऐसा प्रश्न है जिसमें हमें दलीय सीमा से परे जाकर बात करनी चाहिए। 2004 में एक विधेयक आया था। उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है, जिसमें एफ0आर0बी0एम0 ऐक्ट को जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री हुआ करते थे 2003–04 में लागू किया था। उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है पूरे देश में जिसने 2006–07 में अपने राजस्व घाटे को समाप्त कर लिया था और हम रैवेन्यू सरप्लस हो गये थे। हमारी फिजिकल डेफिसिट 03 प्रतिशत से कम हो गयी थी। मेरा प्रश्न दूसरा है। केन्द्र सरकार को जब जरूरत होती है

केन्द्र सरकार इस एफ0आर0बी0एम0 ऐक्ट में लगातार परिवर्तन करती है। 2003–04 में ऐक्ट आया, 2008–09 में केन्द्र सरकार ने परिवर्तन कर दिया। 2011 में परिवर्तन कर दिया। 2012 में परिवर्तन कर दिया। केन्द्र सरकार जब इस एफ0आर0बी0एम0 ऐक्ट के प्राविधानों को अपने ऊपर लागू नहीं कर पाती है उसका रैनेन्यू डेफिसिट और उसका फिजिकल डेफिसिट इस ऐक्ट के प्राविधानों से अधिक हो जाता है तो केन्द्र सरकार परिवर्तन कर लेती है। जब हमारे प्रदेश सरकार का मुद्दा आता है तो हमे यह कहा जाता है कि हम फिजिकल डेफिसिट 03 प्रतिशत से ऊपर नहीं कर सकते और 03 प्रतिशत से अधिक ऋण नहीं ले सकते जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा। मेरा प्रश्न दूसरा है। अभी फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट आयी। जिन राज्यो ने फिजिकल डेफिसिट को नियंत्रित करने का काम किया है उसमें हम शामिल है, नम्बर 01 पर। उन राज्यों को तेरहवें वित्त आयोग में जब पैसा दिया जाता था तो साढ़े सत्रह प्रतिशत वेटेज दिया जाता था। आज जब हमें पैसा दिया जा रहा है तो चूंकि हमने फिजिकल डेफिसिट को नियंत्रित कर लिया है इसलिए वह साढ़े सत्रह प्रतिशत का वेटेज हटा लिया गया और हमें कम पैसा दिया जा रहा है। मेरा प्रश्न बहुत साफ है माननीय मंत्री जी से और यह सचमुच पार्टी का विषय नहीं है। केन्द्र सरकार जिस समय यह ऐक्ट लेकर आयी थी, भाजपा की सरकार नहीं थी केन्द्र में। इसलिए इसे पार्टी आधार पर बहस करने की जरूरत भी नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि हमें इस ऋण लेने की सीमा में बांध कर के हम जो देश के सबसे कम विकसित प्रान्त है, हमारे विकास को रोका जा रहा है और वह लोग जो इस एफ0आर0बी0एम ऐक्ट का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्रा, तमिलनाडू, वह उसका पालन न करते हुए जितना चाहते हैं, ऋण लेते हैं और उस ऋण का उपयोग अपने प्रदेश के विकास में करते हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे क्योंकि यह कोई आधार नहीं था। जो मूल आधार है वह रेनेन्यू डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है। यह जो जबरन घुसेड़ा गया है कि 03 प्रतिशत एस0जी0पी0जी0 से अधिक ऋण आप लोग नहीं ले सकते हैं। हम कहां कह रहे हैं कि हम कितना लेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हम इस ऋण का उपयोग करते है। अगर हम उस ऋण का उपयोग पेन्शन देने में करते हैं, बेरोजगारी भत्ता देने में करते हैं, तो अलग बात होती, हम ऐसा कर नहीं रहे हैं, हम इस ऋण का उपयोग विकास में कर रहे हैं, तो आखिर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी स्थिति भारत सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए कि हम इस ऐक्ट के प्राविधानों से सहमत नहीं हैं, यह तीन प्रतिशत की जो सीमा बनाई गई है, इसको शिथिल किया जाय, हम ऋण लेंगे और उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। क्या मा0 मंत्री जी इस पर विचार करने का कष्ट करेंगे ?

श्री राममूर्ति वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मा0 नेता जी ने 2004 में जो सीमा निर्धारित की थी, उसके पीछे उनका मकसद यह था कि उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा कर्ज न हो कि पूरा उत्तर प्रदेश कर्जे के मकड़जाल में फंस जाय और जितना हमारा पूरा घरेलू उत्पाद है

सारा पैसा ब्याज में न देना पड़े, इसलिए इसको लागू किया था और प्रदेश को जितने भी विकास की जरूरत है, हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं और हम यह समझते हैं कि जो इस समय का प्राविधान है, प्रदेश के विकास में कहीं से बाधक नहीं है, हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं केवल जानकारी के लिए, यह जो ऋण है जो 02 लाख 65 हजार 770 करोड़ रुपये, इसमें भारत सरकार का कितना है और अन्य वित्तीय संस्थानों का कितना है। दूसरा, इन दोनों पर कितने प्रतिशत ब्याज अदा करती है प्रदेश सरकार।

श्री अध्यक्ष–

ब्याज तो बता दिया है सबका जोड़ के सारे ऋणों का, आप दो जगहों का चाहते हैं, अन्य संस्थाओं का और भारत सरकार का, तो ऋण का ब्याज तो बता दिया 18636 है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

जो ब्याज दर है, कितने प्रतिशत देते हैं ब्याज ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, आपके पास इसकी सूचना है ?

श्री राममूर्ति वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, इसकी सूचना हम कलेक्ट कर के मा0 सदस्य तक पहुंचा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय, पाठ्य पुस्तकों की छपाई की गुणवत्ता तथा आपूर्ति में विलम्ब के कारणों की जांच करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

'04–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो उसे कब से कार्यान्वित किया गया है ? क्या यह सही है कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों की छपाई का ठेका निविदा के आधार पर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि पाठ्यपुस्तकों की छपाई में गुणवत्ता के मानक से कम की सामग्री का प्रयोग किया जाता है और उनकी आपूर्ति भी विलम्ब से की जाती है ? यदि हां, तो क्या दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

स्कूलों में छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की स्थाई व्यवस्था शैक्षिक सत्र, 2005–06 से कार्यान्वित है।

जी हां।

पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण/प्रकाशन हेतु निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर चयनित मुद्रकों/प्रकाशकों द्वारा पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण/प्रकाशन किया जाता है।

कतिपय प्रकरणों में सत्यापन/जांच में आंशिक रूप से अधोमानक सामग्री अथवा विलम्ब की स्थिति पायी गयी है। जी हां। गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर सम्बन्धित उत्तरदायी मुद्रक/प्रकाशक के भुगतान में से शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार कटौती की कार्रवाई की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण प्रश्न के माध्यम से मैंने मा0 मंत्री जी से जानना चाहा था कि बेसिक शिक्षा परिषद् के जितने स्कूल हैं उनमें निःशुक्ल पुस्तक छात्रों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। मा0 मंत्री जी ने कहा कि हां, मैंने पूछा था कि कब से तो बताया 2005–06 से, इसके बाद मैंने पूछा था कि इनकी पाठ्य पुस्तकों को छपवाने की प्रक्रिया क्या है, क्या ठेके पर है, उसको भी मा0 मंत्री जी ने स्वीकार किया कि हां ठेके पर है। उसका जब विवरण मैंने पूछा मा0 अध्यक्ष जी अब आपका संरक्षण मैं यहां से चाहता हूं कि जो उत्तर है मा0 मंत्री जी का कि पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण/प्रकाशन हेतु निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर चयनित मुद्रकों/प्रकाशकों द्वारा पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण/प्रकाशन किया जाता है। अब अगला यह भाग है इस प्रश्न का मान्यवर कि क्या यह सही है कि पाठ्य पुस्तकों की छपाई में गुणवत्ता के मानक से कम की सामग्री का प्रयोग किया जाता है और उसकी आपूर्ति में विलम्ब होता है, स्वीकार किया मा0 मंत्री जी ने कि अधोमानक किताबें छपीं और विलम्ब से प्राप्त हुयीं। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि मानक का शासनादेश क्या है और वर्ष 2005–06 से लेकर अब तक शैक्षिक सत्र के अनुसार किस–किस सत्र में कितने–कितने विलम्ब से पुस्तकें उपलब्ध हुईं छात्रों को और उस विलम्ब के काल में छात्रों ने अध्ययन किससे किया और उस विलम्ब का जिम्मेदार कौन है ? खाली शासनादेश के अनुसार अधोमानक किताब और विलम्ब पर आपने सम्बन्धित फर्म का आर्थिक दण्ड दे दिया लेकिन कितने–कितने महीने विलम्ब से पुस्तकें प्राप्त हो रही हैं और विलम्ब के कारण छात्रों का नुकसान हो रहा है। अधोमानक पुस्तकें एक सत्र में चलती नहीं हैं, फट जाती हैं तो इस सब पर सरकार ने गंभीरता से क्या निर्णय लिया और कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई ? दो प्रश्न हैं कि 2005 से 2006 तक कितनी फर्मों द्वारा अधोमानक पुस्तकें सप्लाई की गईं और क्या उनको दोबारा भी काम

दिया गया और दूसरा, ब्लैक लिस्ट करने के बाद भी दूसरी बात है कि कितने–कितने विलम्ब से प्राप्त हुईं और उस विलम्ब के कारण छात्रों के नुकसान के लिये आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, जो प्रकाशक टेण्डर देते हैं और जिनकी न्यूनतम दर होती है उसी को स्वीकार किया जाता है। टेक्निकल बिड खोली जाती है लेकिन इतना बड़ा प्रदेश और छात्रों की इतनी ज्यादा संख्या है कि अगर यह न्यूनतम दर प्रकाशक नहीं भी देता है, अगर न्यूनतम दर देने में वह सक्षम नहीं होता है तो और लोगों से भी इस बात को पूछा जाता है कि आप इस दर पर अगर सहमत हों तो आप भी किताब दो और किताब दी जाती है। जब उसकी गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो मूलतः 30 परसेण्ट कटौती का नियम है जिसमें 6 मानक बनाये गये हैं और हर में 5–5 प्रतिशत कटौती की जाती है। अभी तक जिस बात की आपने चर्चा की तो काली सूची में डाले जाने का कोई प्राविधान नहीं है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कटौती तो की ही जाती है, चेतावनी भी दी जाती है विलम्ब से आपूर्ति करने पर, मानक के अनुसार कागज न लगाने पर या मानक के अनुसार शब्द या स्याही न लगाने पर लेकिन अब इस साल से हम लोगों ने इस बात का निर्णय लिया है कि ऐसे प्रकाशक जो मानकों को पूरा नहीं करेगा उसको काली सूची में डाल दिया जायेगा और कभी उसको किताबों को छापने का आर्डर नहीं दिया जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि 2005 और 2006 से लेकर अब तक विलम्ब से किन–किन लोगों ने पुस्तकें छापकर दीं और उस विलम्ब में छात्रों की क्या–क्या परिस्थिति हुई लेकिन मा0 मंत्री जी ने इसको तो स्वीकार किया कि जिनकी हमने कटौती की है मानक के अनुरूप काम न करके देने के कारण, उनको काली सूची में डालेंगे। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि प्रश्न के एक भाग का उत्तर नहीं आया कि जिनके विरुद्ध मानक के अनुरूप काम न करने के कारण कटौती की गई तो क्या उनको बाद में भी काम दिया गया और जिनको काली सूची में डालेंगे तो क्या पूर्वगामी प्रभाव से इस काली सूची के आदेश को लागू करेंगे जिनसे पिछले वर्षों में कटौती की गयी तो क्या उनको भी काली सूची में डालेंगे। मैं इन दो प्रश्नों के उत्तर मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, अब पीछे से तो काली सूची में डालने का कोई प्राविधान नहीं रहता है लेकिन आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूंगा और पीछे से काली सूची में डालने का कोई प्राविधान नहीं है लेकिन आगे से जो हमारे मानक के अनुसार छपाई, कागज या शब्दों का या स्याही का प्रयोग नहीं करेगा, हम आगे से उसको काली सूची में डालेंगे और कभी उसको किताब छापने का आर्डर नहीं मिलेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मा0 अध्यक्ष जी, जो लोग पुस्तकें विलम्ब से देंगे तो क्या उनको भी काली सूची में डालेंगे जो लोग विलम्ब के आदी होंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, अगर कोई भी किसी भी प्रकार से मानक के विपरीत काम करेगा तो वह काली सूची में डाला जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मा0 अध्यक्ष जी, यह विलम्ब किस–किस सत्र में हुआ और कितने–कितने विलम्ब से ये पुस्तकें उपलब्ध हुईं ? मान्यवर, अगर मंत्री जी पिछला न बता सकें तो इसी सत्र का बता दें। फरवरी आ गई तो क्या पुस्तकें सभी जगह वितरित हो गईं हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2012 से जब से इस सरकार का गठन हुआ है, मैं तब से प्रयासरत रहा हूं कि स्कूलों में किताबों का वितरण टाइम से हो जाये, स्कूल खुलते ही और हुआ भी। दस दिन, पांच दिन भले लेट हो जाये लेकिन जुलाई सत्र में ही किताबों का वितरण हर जगह हुआ है। केवल दो सौ जगह विलम्ब हुआ है जो एडेड स्कूल हैं, इण्टर में जो आपके प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें पहले हम बेसिक में बंटवा देते हैं। प्राथमिक शिक्षा, जूनियर हाई स्कूल में, उसके बाद संस्कृत और ये उर्दू वालों को और अंत में बंटवाते हैं एडेड स्कूल में और सबसे अंत में जो इण्टर कालेज में होते हैं, आश्रम उसमें बंटवाते हैं। विलम्ब का कोई सवाल नहीं है। हम खुद चिन्तित हैं आप भी चिन्तित हैं और सब लोग चिन्तित हैं तो क्यों विलम्ब होगा। यदि विलम्ब होगा तो कठोर कार्रवाई की जायेगी, किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं की जायेगी।

(श्री पूरन प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो अधोमानक पुस्तकों की सप्लाई करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। एक तो जो किताबें हमारी छप कर आती हैं, उनको बच्चों को दिया जाता है और उसके बाद जब बच्चा क्लास में आगे बढ़ जाता है तो उन किताबों को अधिकतर रद्दी में बेच दिया जाता है और इससे हमारे पर्यावरण का भी बहुत नुकसान होता है, मैं आपके माध्यम से यह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे यह सुनिश्चित करायेंगे कि जो किताबें सप्लाई में दी जाएं, वह इतनी उच्चकोटि की हो कि उन बच्चों से एक शासनादेश करके कि वह अपने क्लास में फ्री में पुस्तक पा रहे हैं, उससे पढ़ाई कर लें और पढ़ाई करने के बाद उनको उसी

विद्यालय में जमा करा दें, जिससे अगले वर्ष जो बच्चे उस विद्यालय में आएंगे, उनको ये पुस्तकें दोबारा काम में आ सकें। दूसरी बात जो अभी पिछले सदन में माननीय मंत्री जी ने यहां अपने विभाग में चर्चा के दौरान, किसी प्रश्न के दौरान यह जवाब दिया था कि हमने सरकारी स्कूलों में वजीफा इसलिए बंद किया है, क्योंकि मैं उनको निशुल्क पुस्तकें दे रहा हूं, निशुल्क ड्रेस दे रहा हूं और उनको मिड–डे–मील दे रहा हूं, तो क्या जो वजीफा सरकारी स्कूलों में बंद किया गया है तथा यह जो वितरण हो रहा है, यह उन वित्त विहीन विद्यालयों को भी देंगे। जहां पर वजीफा उन छात्रों को भी नहीं मिल रहा है उनका भी बंद किया गया है, तो क्या यह पुस्तकें वहां भी वितरण कराएंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह सवाल नहीं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, पहला सवाल पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इनका पहला सवाल यह है कि जो किताबें आप फ्री देते हैं, उसको गुणवत्ता के आधार पर इस वर्ष बच्चों को दें फिर वह किताबें स्कूल में जमा करा लें और दूसरे साल जो नये बच्चे उस क्लास में आए उनको देने पर विचार करेंगे, यह इनका सवाल है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

हर साल हम नये किताब बच्चों को देते ही हैं। ये व्यवस्था जो मा0 सदस्य कह रहे हैं ये दुनिया के कई देशों में इस तरह की व्यवस्था है जैसे अमेरिका में है। धन को बचाने के लिए जो किताबें इस साल बंट गई, उनको सुरक्षित रख लिया जाता है, वही किताबें दूसरे साल बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती हैं। वह व्यवस्था यहां पर लागू नहीं हुई है, हम अधिकारियों से बात करेंगे, जैसा निर्णय होगा, वैसा किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2008 के प्राविधानों के तहत प्रदेश में स्कूली बच्चों का बोझ कम करने हेतु आयोग गठन करने विषयक सरकार का विचार

01–श्री देव नारायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्कूली बच्चों का बोझ कम करने के लिए सरकार आयोग का गठन करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां। शासनादेश संख्या–1089/79–5–2012–1(21)/12, दिनांक 18–07–2013 द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2008 के प्राविधानों के तहत प्रदेश में स्कूली बच्चों को बोझ कम करने के लिये बेसिक शिक्षा मंत्री, उ0 प्र0 की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार परिषद् गठित है।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

02–श्री दलवीर सिंह–

ख्1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

सरई मन्दिर एवं मेला विकास समिति लखनऊ के प्रबन्धक द्वारा की गयी वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने सम्बन्धित पत्र पर कार्रवाई

03–श्री रामशरन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरई मन्दिर एवं मेला विकास समिति लखनऊ (1–15–1100) के प्रबन्धक द्वारा की गयी वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20–10–2014, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उप निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने प्रकरण में जांचोपरान्त एवं उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् संस्था सरई मंदिर एवं मेला समिति, लखनऊ का पंजीयन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा–12 (डी) (1) (सी) के तहत निरस्त कर दिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

04–श्री रामशरन–

ख्1ले बुधवार के अता0प्र0सं0–185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद बहराइच में ग्राम विजौव्वापुर, विकास खण्ड तजवापुर, प्राथमिक विद्यालय के शौचालय से सटाकर हैण्डपम्प लगाये जाने के कारण अन्य जगह हैण्डपम्प की रि–बोरिंग/शिफ्टिंग का प्रकरण

05–श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विजौव्वापुर, विकास खण्ड तजवापुर, जनपद बहराइच में प्राथमिक विद्यालय के शौचालय से सटाकर मात्र 15 फिट के अन्तर पर हैण्डपम्प जल निगम द्वारा लगाये जाने से प्रदूषित जल आपूर्ति होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–घ–5/04265 दिनांकित 19–12–2014 खण्ड विकास अधिकारी, तजवापुर, जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप')–

जी नहीं। प्रश्न में उल्लिखित पत्र सं0–घ–5/04265 दिनांकित 19–12–2014 प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु पत्र सं0–घ–5/042165 दिनांकित 19–12–2014 प्राप्त हुआ है जो प्रश्न में उल्लिखित प्रकरण से ही सम्बन्धित है।

प्राथमिक विद्यालय, विजौव्वापुर, विकास खण्ड तजवापुर, बहराइच में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क–प्प हैण्डपम्प के जल के नमूने की जांच उ0 प्र0 जल निगम द्वारा कराई गयी। जल की गुणता मानक के अनुरूप पायी गयी। अतः हैण्डपम्प की रि–बोरिंग/शिफ्टिंग का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में पेयजल की भारी समस्या के निदान हेतु अनेकों ग्राम पंचायतों में पाइप लाइन स्कीम के अन्तर्गत पेयजल टंकी का निर्माण कराया जाना

06–श्री सूरज पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र 91, फतेहपुर सीकरी में पेयजल की भारी समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार औलेन्डा, मगोंली, डिठवार, दयौनारी, दुलारा, गूजपुर, नगला जन्नू, पतसाल आदि ग्राम पंचायतों में पाइप लाइन स्कीम के अन्तर्गत पेयजल टंकी बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं। औलेन्डा, मगोंली, डिठवार, दयौनारी, दुलारा, गूजपुरा, नगला जन्नू (जो ग्राम मई बुजुर्ग का एक मजरा है) एवं पतसाल की वर्ष 2011 की जनसंख्या क्रमशः 5937, 952, 2889, 1820, 1652, 1389, 300, 2762 है, जिसके सापेक्ष इन ग्रामों में क्रमशः 203, 20, 37, 14, 43, 13, 3 एवं 21 नग हैण्डपम्प तथा क्रमशः 39, 6, 12, 7, 9, 5, 3 एवं 5 टी0टी0एस0पी0 अधिष्ठापित हैं, जिनके द्वारा जनता को पेयजल आपूर्ति हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के सभी विकास खण्डों के ग्रामों में खराब इन्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्पों को ठीक कराया जाना

07–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के सभी विकास खण्डों के ग्रामों में खराब इन्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्पों की क्या सरकार मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत विकास खण्ड–तिलहर, निगोही, सिधौली एवं पुवायां में वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रति विकास खण्ड 100–100 इन्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्प की दर से कुल 400 लग हैण्डपम्पों के रि–बोर हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 283 हैण्डपम्पों का रि–बोर कार्य कराया जा चुका है। अवशेष हैण्डपम्पों का रि–बोर कार्य मार्च, 2015 के अन्त तक कराया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र कोरांव के ग्रामीण क्षेत्र में आने वाली बी0पी0एल0 सूची 2002 की पात्रता सूची के आधार पर आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराने विषयक सरकार की योजना की जानकारी

08–श्री राजबली जैसल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कोरांव, जनपद इलाहाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में आने वाली बी0पी0एल0 सूची 2002 की पात्रता सूची के आधार पर आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो पात्र लोगों को कब तक आवास उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवास विहीन परिवारों को स्थायी पात्रता सूची के पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरांव की स्थाई पात्रता सूची (गैर अनु0जाति) में कुल 2638 लाभार्थी शामिल थे। इनमें से कुल 2392 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जा चुका है। स्थायी पात्रता सूची अनुसूचित जाति में अब 6479 परिवारों का नाम शामिल है जिसमें अनुसूचित जाति के 1779 लाभार्थियों को अभी आवास से लाभान्वित कराया जाना शेष है। निर्धारित लक्ष्यानुसार अवशेष पात्रों को लाभान्वित कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में ग्राम पंचायत मझनपुर विकास खण्ड अमानीगंज तहसील मिल्कीपुर एवं रुदौली के भक्तनगर राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना के सम्बन्ध में पत्र पर कार्रवाई

09–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत मझनपुर विकास खण्ड अमानीगंज तहसील मिल्कीपुर एवं रुदौली के भक्तनगर जनपद फैजाबाद में राष्ट्रीयकृत

बैंक की स्थापना करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर उनके कार्यालय के कम्प्यूटर पर दर्ज पत्र संख्या एवं पी0जी0 10555120, पी0जी0–10555063, पत्र संख्या–सी0एम0/वि0 को0/एम/पी0जी0 10555063/2014, दि0 06–12–2014, प्रमुख सचिव, बैंकिंग उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां, जनपद फैजाबाद, रुदौली के भक्तनगर में राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना सम्बन्धी पत्र एवं उस पर अंकित मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर पर दर्ज पी0जी0–10555120 शासन में प्राप्त हुआ है, जबकि ग्राम पंचायत मझनपुर विकास खण्ड अमानीगंज तहसील मिल्कीपुर में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोले जाने सम्बन्धी मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम/ पी0जी010555063/2014, दि0 06–12–2014, प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि पत्र संख्या–सी0एम0/ वि0 को0/एम/पी0जी0 10555115/2014, दि0 06–12–2014, शासन में प्राप्त हुआ है।

शासन के पत्र दिनांक 05–01–2015 द्वारा निदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय को उक्त प्राप्त दोनों पत्रों में उल्लिखित स्थान पर राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा खोले जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन में महानिदेशक द्वारा महाप्रबन्धक बैंक आफ बड़ौदा, आंचलिक कार्यालय लखनऊ से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री योगेश्वर ऋषिकुल इण्टर कालेज, लखनऊ के प्रबन्धक द्वारा विद्यालय में बरती जा रही वित्तीय अनियमितता के संबंध में पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

10–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री योगेश्वर ऋषिकुल इण्टर कालेज, लखनऊ के प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय में बरती जा रही वित्तीय एवं प्रशासकीय अनियमितता के संबंध में उनके द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा इलाहाबाद को प्रेषित पत्रांक सं0–(1) द्वितीय/2162/2014–15, दि0 14–11–2014 के संबंध में अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री महबूब अली)–

प्रश्नगत पत्र दिनांक 14–11–2014 शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री योगेश्वर ऋषिकुल इण्टर कालेज, लखनऊ में तत्कालीन प्रबन्धक द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती सुपर्णा राय की सहायक अध्यापिका के पद पर अनियमित रूप से नियुक्त किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

11–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री योगेश्वर ऋषिकुल इण्टर कालेज, लखनऊ में तत्कालीन प्रबन्धक श्री सुव्रतो मजूमदार द्वारा अपनी पत्नी

श्रीमती सुपर्णा राय की सहायक अध्यापिका के पद पर अनियमित रूप से नियुक्त किये जाने के संबंध में उनके द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा इलाहाबाद को प्रेषित पत्रांक सं0–(1) द्वितीय/2150/2014–15, दि0 14–11–2014 के संबंध में अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

प्रबन्धक का प्रश्नगत पत्र दिनांक 14–11–2014 शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के 397 ग्रामों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

12–श्री पंकज गुप्ता–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कम्प्यूटर सं0 पी0जी0–10558772, सी0 एम0/वि0 को0/एम0/पी0 जी0– 10558772/2014 विधान सभा क्षेत्र सं0 165 जनपद उन्नाव के 397 ग्रामों में पेयजल की समस्या समाधान करने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र उन्नाव के अन्तर्गत तीन विकास खण्ड यथा–सिकन्दरपुर सिरोसी, सिकन्दरपुर कर्ण (आंशिक) तथा बिछिया (आंशिक) आते हैं। उक्त पत्र के साथ प्राप्त सूची में इंगित 79 ग्राम सभाओं में से 38 ग्राम सभाओं में पाइप पेयजल योजना पूर्व से निर्मित हैं, 11 ग्राम सभाओं में पाइप पेयजल योजना निर्माणाधीन है तथा शेष 30 ग्रामों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों में वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार फ्लोराइड की मात्रा मानक से अधिक नहीं है। विधान सभा क्षेत्र पाइप पेयजल योजना/हैण्डपम्प से आच्छादित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान समय में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी तथा पदों को भरे जाने की नीति की जानकारी

13–श्री नदीम जावेद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान समय में कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उन्हें भरे जाने की क्या नीति है तथा उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

वर्तमान में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है, ऐसी स्थिति में रिक्त पदों की वास्तविक संख्या उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष स्नातक एवं बी0टी0सी0 उपाधिधारक तथा टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आन लाइन आवेदन के माध्यम से तथा कार्यरत शिक्षा मित्रों के समायोजन के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया गतिमान है।

उक्तवत्।

14–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

ख्उसरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0–13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद उन्नाव में तैनात सोशल आडिट को–आर्डिनेटरों के प्रकरण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

15–श्री पंकज गुप्ता–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में तैनात सोशल आडिट को–आर्डिनेटरों के प्रकरण के संबंध में मुख्य मंत्री सचिवालय में कम्प्यूटर सं0–पी0जी0–10550122 में दर्ज प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10560122/2014 पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

शासनादेश दिनांक 21–07–2014 द्वारा जिला/ब्लाक सोशल आडिट को–आर्डिनेटरों की सेवायें सेवा प्रदाता के माध्यम से लिये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

जिला/ब्लाक सोशल आडिट को–आर्डिनेटरों की संविदा सेवायें दिनांक 31–03–2015 तक के लिये विस्तारित कर दी गयी है।

शासनादेश दिनांक 21–07–2014 के विरुद्ध जिला/ब्लाक सोशल आडिट को–आर्डिनेटरों द्वारा समूहों में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा लखनऊ खण्डपीठ में 22 रिट याचिकाएं योजित की गयी हैं। वर्तमान में प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रदान किये जाने विषयक प्रकरण

16–श्री नदीम जावेद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक का पद सीधी भर्ती का नहीं, अपितु पदोन्नति का है।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 (यथा संशोधित) में निहित प्राविधानानुसार प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति प्राथमिक

विद्यालयों में प्रधानाध्यापक अथवा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर की जाती है। इसी भांति प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर की जाती है।

इस प्रकार प्रधानाध्यापक पद की रिक्ति एवं सहायक अध्यापक पद की उपलब्धता के आधार पर प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में वर्ष 2013–14 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों को समय–सीमा में निर्मित किया जाना

17–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में वर्ष 2013–14 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कछौली मोड़ से बाबा बाजार, सैदपुर, संपर्क मार्ग तथा बाबा बाजार सैदपुर मार्ग से उसरहा संपर्क मार्गों के निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की समय सीमा सरकार ने निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या सरकार मार्गों के समय से न पूर्ण किये जाने के कारणों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में (न कि वर्ष 2013–14 में जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है) दुलापुर–उमापुर से सैदपुर मार्ग (जिसे प्रश्न में कछौली मोड़ से बाबा बाजार, सैदपुर सम्पर्क मार्ग के नाम से इंगित किया गया है) स्वीकृत किया गया है जिसकी कुल लम्बाई 11.84 कि0मी0 है। उक्त मार्ग योजनान्तर्गत फेज–10 में उच्चीकरण हेतु स्वीकृत है। अन्य मार्ग बाबा बाजार सैदपुर से उसरहा सम्पर्क मार्ग वर्ष 2011–12 में (न कि वर्ष 2013–14 में जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है) फेज–9 के अन्तर्गत नव निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत किया गया है, जिसकी कुल लम्बाई 2.70 कि0मी0 है। उक्त मार्गों को पूर्ण करने की तिथि अनुबन्ध के अनुसार क्रमशः दिनांक 15–04–2014 तथा दिनांक 31–10–2013 थी, परन्तु कतिपय प्राकृतिक आपदाओं (जैसे अतिवृष्टि के कारण पत्थर की निकासी बाधित होना, इलाहाबाद–फैजाबाद मुख्य मार्ग पर बने पुल का अतिक्षतिग्रस्त होना तथा फलस्वरूप निर्माण सामग्री की आपूर्ति बाधित होना) तथा अन्य अपरिहार्य कारणों (लोक सभा निर्वाचन के कारण कार्यों की प्रगति का प्रभावित होना, उच्चीकरण कार्यों की क्रस्ट की मोटाई के आगणन को पुनः सत्यापन कराये जाने में लगभग 02 माह का समय व्यतीत होना तथा भारत सरकार से अपेक्षित धनराशि प्राप्त न हो पाना) के कारण उक्त तिथियों पर मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण न होने के फलस्वरूप कार्य पूर्ण करने की समय–सीमा में क्रमशः दिनांक 26–12–2014 तथा 12–03–2015 तक वृद्धि की गयी है

परन्तु भारत सरकार से अपेक्षित धनराशि प्राप्त न हो सकने के कारण इन्हें पूर्ण नहीं किया जा सका है।

दुलापुर–उमापुर सम्पर्क मार्ग की स्वीकृत लागत रु0 494.95 लाख है जिसके सापेक्ष उक्त मार्ग पर अभी तक मात्र रु0 219.89 लाख ही व्यय किये जा सके हैं क्योंकि भारत सरकार से पर्याप्त धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी है। इसके अतिरिक्त बाबा बाजार सैदपुर से उसरहा सम्पर्क मार्ग की स्वीकृत लागत रु0 140.66 लाख है, जिसके सापेक्ष मात्र रु0 22.20 लाख ही व्यय किये जा सके हैं। चूंकि भारत सरकार से अपेक्षित धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी है, जिसके फलस्वरूप उक्त कार्यों को पूर्ण नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक एवं अपरिहार्य कारणों से भी कार्य की प्रगति पर पड़े प्रभाव के दृष्टिगत किसी अधिकारी का दोष निर्धारित किया जाना वांछित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद रूदौली सैदपुर मार्ग से बाबा का पुरवा से मोहन घाट मार्ग का आर्थिक विकास योजना में शामिल करने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

18–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय में प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर पर दर्ज संख्या पी0जी0–10571980, जो वि0 स0 क्षेत्र रूदौली जनपद फैजाबाद रूदौली सैदपुर मार्ग से बाबा का पुरवा ईटवा होते हुए गोमती नदी के मोहन घाट मार्ग को त्वरित आर्थिक विकास योजना में शामिल करने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

लोक निर्माण विभाग के अनुसार संदर्भित मार्ग के संरेखण में वन क्षेत्र स्थित होने के कारण स्वीकृति सम्बन्धी कार्रवाई विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जालौन जनपद में अन्ना पशु प्रथा होने के कारण कतिपय किसानों को हो रहे नुकसान को रोका जाना

19–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के जनपद जालौन में अन्ना पशु प्रथा होने के कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अन्ना पशु प्रथा को रोकने हेतु कोई ठोस कार्यक्रम बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जालौन जनपद में अन्ना पशु प्रथा होने के कारण कतिपय किसानों की फसलों को नुकसान होने की सूचना प्राप्त हुई है।

भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 से उ0 प्र0 पशुधन विकास परिषद् द्वारा प्रदेश के मात्र दो जनपदों चित्रकूट एवं झांसी में अन्ना प्रथा उन्मूलन योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित की जा रही है।

उपरोक्त जनपदों में संचालित योजना की सफलता के परिप्रेक्ष्य में ही बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्य जनपदों में इस योजना को संचालित किये जाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

नवजीवन बालिका विद्यालय मोहनलालगंज, लखनऊ में श्री शम्भू दयाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने से उनकी पत्नी को सेवायोजित तथा अन्य समस्त देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में

20–श्री दीपक पटेल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शम्भू दयाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नवजीवन बालिका विद्यालय मोहनलालगंज, लखनऊ की सेवाकाल में ही दिनांक 29–12–2013 को मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनके समस्त देयकों के भुगतान सहित उनकी मृतक आश्रित पत्नी श्रीमती चन्द्रावती की नियुक्ति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उनके समस्त देयकों को यथाशीघ्र भुगतान कराते हुए मृतक आश्रित की पत्नी की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी–

जी हां।

1–जी0पी0एफ0 का भुगतान किया जा चुका है।

2–पारिवारिक पेंशन प्रकरण अपर निदेशक, कोषागार पेंशन, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है।

3–मृतक आश्रित की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन है।

1–मृतक आश्रित की नियुक्ति हेतु श्रीमती चन्द्रावती द्वारा प्रस्तुत प्रथम आवेदन–पत्र में निरक्षर होना तथा द्वितीय आवेदन–पत्र में कक्षा–8 उत्तीर्ण की टी0सी0 प्रस्तुत करने के कारण संदिग्धता की स्थिति में प्रकरण में जांच कार्रवाई गतिमान है।

2–प्रबन्धतंत्र द्वारा पारिवारिक पेंशन प्रकरण में आपत्तियों का निराकरण विलम्ब से किया गया है।

3–पेंशन प्राधिकार–पत्र निर्गत होने के बाद सेवा पुस्तिका प्राप्त होने पर प्रकरण बीमा निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

अवशेष देयकों के भुगतान की कार्रवाई गतिमान है। मृतक आश्रित की नियुक्ति के सम्बन्ध में जांचोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में राजकीय इण्टर कालेज तथा डिग्री कालेज न होने से इस क्षेत्र में राजकीय महिला इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

21–श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता की आबादी लगभग 2 लाख 40 हजार है परन्तु उक्त क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज और डिग्री कालेज न होने के कारण छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में राजकीय महिला इण्टर कालेज स्थापित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

विकास खण्ड मान्धाता में राजकीय बालिका इण्टर कालेज खरवई एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरैला संचालित है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम अजीजपुर, विकास खण्ड बिचपुरी में टी0टी0एस0पी0 टंकी को ठीक कराकर चालू कराया जाना

22–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम अजीजपुर, विकास खण्ड बिचपुरी में टी0टी0एस0पी0 टंकी लगी हुई है, जो कि काफी समय से खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टी0टी0एस0पी0 टंकी को ठीक कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

अस्थाई रूप से खराब टी0टी0एस0पी0 को दिनांक 31–03–2015 तक ठीक कराया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम टपरा विकास खण्ड बिचपुरी के अन्तर्गत टी0टी0एस0पी0 की दोनों टंकियों को ठीक कराया जाना

23–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम टपरा विकास खण्ड बिचपुरी के अन्तर्गत टी0टी0एस0पी0 की दो टंकियां लगी हैं जोकि काफी समय से खराब है जिससे लोगों को

पीने के पानी की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब टी0टी0एस0पी0 की टंकियों को ठीक कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

अस्थाई रूप से खराब टी0टी0एस0पी0 को दिनांक 31–03–2015 तक ठीक कराया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश के राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 5 वर्षों से कार्यरत कम्प्यूटर शिक्षकों के समायोजित किये जाने विषयक पत्र कृत कार्रवाई की जानकारी

24–श्री पंकज गुप्ता–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री सचिवालय में कम्प्यूटर सं0–पी0जी010547412 पर दर्ज प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10547412/2014 जो प्रदेश के राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में निरन्तर 5 वर्षों से कार्यरत कम्प्यूटर शिक्षकों को समायोजन कराने के सम्बन्ध में है, पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

केन्द्र पुरोनिधानित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में चयनित 2500 माध्यमिक विद्यालयों में योजना संचालन हेतु चयनित एजेन्सियों के साथ निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार चयनित विद्यालयों में 1–1 कम्प्यूटर आपरेटर निर्धारित मानदेय पर चयनित एजेन्सियों द्वारा अपनी सेवा शर्तों पर अनुबन्ध तिथि से 5 वर्ष के लिये रखा गया। यह कम्प्यूटर अनुदेशक चयनित एजेन्सी के कर्मी हैं। इन्हें समायोजित नहीं किया जा सकता।

उपरोक्तानुसार।

पशु चिकित्साधिकारियों को निजी प्रैक्टिस की खुली छूट को समाप्त करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

25–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय मे दर्ज कम्प्यूटर संख्या पी0जी0–105766364, दिनांक 30–01–2015 जो पशु चिकित्साधिकारियों को निजी प्रैक्टिस की खुली छूट को समाप्त कराने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

मा0 सदस्य का पत्र जो मुख्य मंत्री कार्यालय में कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–105766364, दिनांक 30–01–2015 में दर्ज है, प्राप्त हुआ है।

कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रूदौली एवं मवई के सेवानिवृत्त बेसिक शिक्षकों की भविष्य निधि में जमा धनराशि ब्याज सहित जनपद बाराबंकी से जनपद फैजाबाद स्थानान्तरित करने विषयक पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

26–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या पी0जी0–10576130, दिनांक 30–01–2015 जो जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रूदौली एवं मवई के सेवानिवृत्त बेसिक शिक्षकों की भविष्य निधि में जमा धनराशि ब्याज सहित जनपद बाराबंकी से जनपद फैजाबाद को स्थानान्तरित करने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी–

जी हां।

जिलाधिकारी, फैजाबाद के पत्र दिनांक 12–2–2015 के माध्यम से प्राप्त संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, फैजाबाद को पत्र दिनांक 19–2–2015 प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, फैजाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 20–2–2015 के माध्यम से वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, बाराबंकी से भविष्य निधि धनराशि के स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया गया।

वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा बाराबंकी की आख्यानुसार विकास खण्ड रूदौली के अधिकांश शिक्षकों के भविष्य निधि की धनराशि पूर्व में जनपद फैजाबाद को प्रेषित कर दी गयी थी। शेष बचे हुए 03 शिक्षक तथा विकास खण्ड–मवई से सम्बन्धित 72 शिक्षकों के भविष्य निधि की धनराशि का मय ब्याज आंकलन का कार्य गतिमान है। इन शिक्षकों की भविष्य निधि की धनराशि जनपद फैजाबाद को शीघ्र ही स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर स्थित बिजनौर से नूरपुर होते हुए झिझलैट उमरी मार्ग एवं धामपुर नूरपुर मार्ग जो पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना में बनाये गये मार्ग के समय–सीमा के पूर्व क्षतिग्रस्त होने के कारण सम्बन्धित ठेकेदारों को काली सूची में डालते हुए मार्गों को मरम्मत कराया जाना

27–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर स्थित बिजनौर से नूरपुर होते हुए झिझलैट उमरी मार्ग एवं धामपुर नूरपुर मार्ग जो

पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना में बनाये गये थे, पांच वर्ष से पहले ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित ठेकेदारों को काली सूची में डालते हुए उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

प्रश्न में इंगित मार्ग बिजनौर से नूरपुर होते हुए झिझलैट उमरी मार्ग प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में उच्चीकरण हेतु स्वीकृत किया गया था। उक्त मार्ग की कुल लम्बाई 20.900 कि0मी0 है तथा मार्ग का निर्माण दिनांक 03–06–2008 से प्रारम्भ होकर दिनांक 15–09–2009 को पूर्ण हुआ था। निर्माण के उपरान्त अनुबन्ध के अनुसार पांच वर्षीय अनुरक्षण अवधि के दौरान ही भारी यातायात के कारण मार्ग के अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा उक्त मार्ग की समुचित अनुरक्षण हेतु प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र दिनांक 18–09–2012 के क्रम में लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु संस्तुति की गयी थी। उक्त के आधार पर लोक निर्माण विभाग के शासनादेश दिनांक 03–12–2013 के अनुपालन में प्रश्नगत मार्ग को आगे अनुरक्षण हेतु दिनांक 09–12–2013 को प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बिजनौर को हस्तान्तरित किया जा चुका है। उक्त तिथि से प्रश्नगत मार्ग का अनुरक्षण स्टेट खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं कराया जाना है।

चूंकि प्रश्नगत मार्ग अत्यधिक यातायात के कारण (न कि मार्ग की गुणवत्ता अद्योमानक होने के कारण) क्षतिग्रस्त हुआ है, अतः सम्बन्धित ठेकेदार को काली सूची में डालने का बिन्दु नहीं उठता है। मार्ग के हस्तान्तरण के पश्चात् उसकी मरम्मत स्टेट खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनिश्चित की जानी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण नहीं कराया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

मिड–डे–मील की व्यवस्था प्रधानाध्यापक के सरकारी दायित्वों को देखते हुए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था से कराये जाने का सरकार का विचार

28–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मिड–डे–मील की व्यवस्था से प्रधानाध्यापक को शासकीय दायित्व निभाने में व्यवधान होता है ? यदि हां, तो क्या प्रधान अध्यापक के शासकीय दायित्वों को देखते हुए मिड–डे–मिल की व्यवस्था के लिए कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानाध्यापक द्वारा केवल मिड–डे–मील वितरण सम्बन्धी कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। इससे प्रधानाध्यापक को शासकीय दायित्व निभाने में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता है।

राज्य कर्मचारियों द्वारा विभाग को अपना पारिवारिक विवरण देने के बाद भी यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में जिलाधिकारी द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र देने विषयक शासनादेश की जानकारी

29–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों द्वारा विभाग को अपना पारिवारिक विवरण देने के बाद भी यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो क्या जिलाधिकारी द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र विभाग को दिया जाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर नियुक्त किये गये अनुदेशकों के मानदेयों में वृद्धि का प्रकरण

30–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महंगाई के दृष्टिगत पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर नियुक्त किये गये अनुदेशकों को दिये जाने वाले मानदेय में वृद्धि करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–19 एवं 25 की अनुसूची के विषय ''विद्यालय के मान और मानक'' के अनुसार निर्गत शासनादेश दिनांक 31–1–2013 में दी गयी व्यवस्थानुसार अंशकालिक अनुदेशकों को संविदा पर वर्ष 2013–14 में रु0 7000/–प्रतिमाह की दर से नियत मानदेय पर तैनात किया गया है।

संविदा पर तैनात अंशकालिक अनुदेशकों के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में रु0 7000/– प्रतिमाह की दर से मानदेय हेतु बजट अनुमोदित किया गया है जिसके अनुसार ही उक्त अंशकालिक अनुदेशकों को मानदेय दिया जा रहा है।

प्रदेश के विद्यालयों में अधिष्ठापित जो इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प के खराब हो जाने से रि–बोर कराये जाने विषयक विभाग की नीति

31–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विद्यालयों में अधिष्ठापित जो इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प खराब पड़े हैं या रि–बोर होने हैं, को ठीक कराने के लिए विभाग की क्या नीति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में नवीन हैण्डपम्प अधिष्ठापित किया जाता है तथा रि–बोर कराने हेतु कोई वित्तीय प्राविधान नहीं है।

खराब हैण्डपम्प की लघु मरम्मत होने की आवश्यकता होने पर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ''मरम्मत एवं रख–रखाव मद'' से कमियां ठीक कराने के निर्देश हैं।

उक्तवत्।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ग्राम पंचायत करैली में मनरेगा योजनान्तर्गत करैली मेन सड़क से कदीर के खेत तक मात्र 12 मी0 खड़न्जा (ईंट) के कार्य हेतु भुगतान की गई धनराशि की जांच कराने विषयक

32–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र रुधौली, जनपद बस्ती के ग्राम पंचायत करैली में मनरेगा योजनान्तर्गत करैली मेन सड़क से कदीर के खेत तक वर्ष 2013–14 में मात्र 12 मी0 खड़न्जा (ईंट) कार्य के लिए बारह लाख एक हजार आठ सौ रुपये का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की जांच कराकर इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

33–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

ख्ाले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद लखनऊ में बरखुरदारपुर, परगना–महोना, तह0–बी0के0टी0 में पेयजल की समस्या के निवारण विषयक पत्र पर की गई कार्रवाई की जानकारी

34–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरखुरदारपुर, परगना–महोना, तह0–बी0के0टी0, जनपद लखनऊ में पेयजल की समस्या के निवारण विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक–657/ओ0एस0डी0सी0एम0/2012, दि0 08–05–2012 जो जिलाधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बी0के0टी0 के ग्राम बरखुरदारपुर में निर्धारित मानक 150 की आबादी पर 01 नग हैण्डपम्प के सापेक्ष 70 की आबादी पर 01 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। अतः मानकानुसार उक्त ग्राम हैण्डपम्पों से संतृप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी विधान सभा सदस्यों के प्रस्ताव पर उन्हें पांच–पांच लोहिया ग्राम प्रत्येक वर्ष सरकार चयनित कर विकास करने का अवसर प्रदान करने विषयक प्रकरण

35–श्री संजय कपूर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी विधान सभा सदस्यों के प्रस्ताव पर उन्हें पांच–पांच लोहिया ग्राम प्रत्येक वर्ष सरकार चयनित कर विकास करने का अवसर प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समग्र ग्राम्य विकास (राज्य मंत्री) श्री रामकरन आर्य–

जी नहीं। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन हेतु शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 2012 के प्रस्तर–2 (4) में आंशिक संशोधन करते हुए शासनादेश दिनांक 06 अगस्त, 2013 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि ''इस प्रकार प्राप्त तीन गुना संख्या के राजस्व ग्रामों की सूची जिलाधिकारी द्वारा जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी को ग्रामों के चयन हेतु उपलब्ध कराई जाय। इस सूची के आधार पर जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा जनपद के समस्त मा0 सदस्य, विधान सभा एवं मा0 सदस्य, विधान परिषद् से विचार–विमर्श करते हुए वर्षवार ग्रामों का चयन किया जाएगा।''

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के विधान सभा सदस्यों को बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए उनको दी जाने वाली क्षेत्रीय विकास निधि को बढ़ाया जाना

36–श्री संजय कपूर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विधान सभा सदस्यों को बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए उनको दी जाने वाली क्षेत्रीय विकास निधि को सरकार बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत विधान मण्डल के मा0 सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी कार्यों के लिये वर्ष 2007 से रु0 125.00 लाख की धनराशि प्रतिवर्ष अवमुक्त की जा रही थी।

विकास कार्यों से सम्बन्धित सामग्री, मजदूरी तथा मुद्रा स्फीति में वृद्धि होने के आधार पर शासनादेश दिनांक 29–11–2012 द्वारा उपरोक्त धनराशि में वृद्धि करते हुए रु0 150.00 लाख की धनराशि प्रति सदस्य, प्रतिवर्ष अनुमन्य की गयी है।

इस प्रकार बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए एवं सरकार के विकास हेतु प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि में बढ़ोत्तरी की जा चुकी है।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म दिये जाने की योजनान्तर्गत दिया गया ठेका संतोषजनक है अथवा नहीं की जांच करके कार्रवाई किये जाने विषयक

37–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म दिये जाने की योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो उसकी आपूर्ति का ठेका नियमानुसार दिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि आपूर्तिकर्ता की सेवाएं संतोषजनक एवं उपलब्ध करायी गयी सामग्री निर्धारित मानक के अनुरूप हैं ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

- निःशुल्क यूनीफार्म वितरण हेतु ठेका दिये जाने की व्यवस्था नहीं है। यूनीफार्म का वितरण विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा विद्यालयवार किया जाता है।
- निःशुल्क यूनीफार्म वितरण हेतु धनराशि विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति को हस्तान्तरित की जाती है।
- यूनीफार्म की आपूर्ति हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति चार सदस्यीय क्रय समिति गठित करती है।
- उक्त समिति वित्तीय नियमों के अनुसार रु0 20,000/– (बीस हजार) या उससे अधिक हेतु कोटेशन एवं रु0 1,00,000/–(एक लाख) या उससे अधिक की स्थिति में टेण्डर यथावश्यक प्राप्त कर यूनीफार्म की व्यवस्था करती है।
- निःशुल्क यूनीफार्म की गुणवत्ता संतोषजनक होने की स्थिति में विद्यालय प्रबन्ध समिति आपूर्तिकर्ता को भुगतान करती है।
- निःशुल्क यूनीफार्म के निर्धारित मानक के अनुसार होने तथा आपूर्तिकर्ता की सेवायें संतोषजनक होने के सम्बन्ध में राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 2–3–2015 द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों से सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

सूचना प्राप्त होने पर यथावश्यकता कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

निजी क्षेत्र में संचालित माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों में छात्र–छात्राओं से वसूली जाने वाली फीस की सीमा निर्धारित की व्यवस्था

38–श्री मनीष असीजा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी क्षेत्र में संचालित माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों में छात्र–छात्राओं से वसूली जाने वाली फीस की उच्चतम सीमा निर्धारित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री महबूब अली)–

शासनादेश संख्या–1719/15–7–09–10 (107)/2006, दिनांक 29 जून, 2009 द्वारा प्रदेश में स्थित संस्थाओं में फीस निर्धारण एवं नियमन की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम डगरवाहा में प्रा0वि0 एवं जूनियर हाई स्कूल की बाउण्ड्रीवाल का बनवाया जाना

39–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम डगरवाहा में प्रा0वि0 एवं जूनियर हाई स्कूल की बाउण्ड्रीवाल नहीं है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल कब तक बनवा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी की आख्यानुसार जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम डगरवाहा में प्रा0वि0 एवं जूनियर हाई स्कूल की बाउन्ड्रीवाल पूर्व से निर्मित है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद हापुड़ के विकास खण्ड–धौलाना, प्राइमरी पाठशाला, दौलतपुर ढीकरी के शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कराने एवं बकाया मानदेय भुगतान कराये जाने विषयक नेता विरोधी दल का पत्र कृत कार्रवाई की जानकारी

40–श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हापुड़ के विकास खण्ड–धौलाना, प्राइमरी पाठशाला, दौलतपुर ढीकरी के शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कराने एवं बकाया मानदेय भुगतान कराये जाने के संबंध में निदेशक, बेसिक शिक्षा को सम्बोधित, मा0 नेता, विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र संख्या–118/ने0वि0द0/2015, दिनांक 06–02–2015, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

प्रकरण के सम्बन्ध में राज्य परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान उ0 प्र0 कार्यालय के पत्र दिनांक 04–03–2015 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड़ से आख्या मांगी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल के ग्राम खर्दराई (राई खुर्द) में राम बेरी के मकान से पंचायत भवन तक खड़न्जा, नाली का निर्माण कराया जाना

41–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल के ग्राम खर्दराई (राई खुर्द) में क्या सरकार राम बेरी के मकान से पंचायत भवन तक कच्चे मार्ग, श्री बाबूराम के मंदिर से रज्जन की दुकान तक, श्रीराम गोपाल के घर से लालाराम के बाग तक कच्चा मार्ग श्री मेवाराम के मकान से सीताराम के मकान तक तथा श्री चेतराम के मकान से श्रीराम के मकान तक खड़न्जा, नाली का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

राम बेटी के मकान से पंचायत भवन तक कच्चा मार्ग कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत कराया जा रहा है जो शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा।

श्री बाबूराम के मन्दिर से रज्जन की दुकान तक कार्य कराया जा चुका है। श्री राम गोपाल के घर से लालाराम के बाग तक कच्चा मार्ग कार्य ग्राम पंचायत की वर्ष 2014–15 की कार्ययोजना में प्रस्तावित नहीं है। श्री मेवाराम के मकान में सीताराम के मकान तक खड़न्जा नाली निर्माण कार्य कराया जा चुका है। श्री चेतराम के मकान से श्री राम के मकान तक खड़न्जा नाली का निर्माण/मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायत की वर्ष 2014–15 की कार्ययोजना में प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों मे विगत 15 वर्षों से कार्यरत मानदेय प्राप्त अतिथि वक्ता/प्रशिक्षण मित्र के विनियमितीकरण की नीति की जानकारी

42–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों मे विगत 15 वर्षों से कार्यरत मानदेय प्राप्त अतिथि वक्ता/प्रशिक्षण मित्र के विनियमितीकरण की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अतिथि वक्ता/प्रशिक्षण मित्र को 14 वर्षों का अनुभव एवं अनुदेशक के समकक्ष योग्यता रखने के कारण विभागीय नियुक्तियों के समय इनको वरीयता दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक) सेवानियमावली, 2014 में अनुभव के आधार पर वरीयता देने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ख्12.05 बजे, नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

आज दिनांक 10–03–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 16 सूचनायें स्वीकार की गईं :–

1	श्री कमाल युसुफ मलिक	की	जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में क्षेत्रीय विधान मण्डल विकास निधि वर्ष 2013–14 व 2014–15 से ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री सुरेश बंसल	की	जनपद गाजियाबाद अन्तर्गत वार्ड सं0–6 स्थित शिव मंदिर तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री विजय बहादुर यादव	की	जनपद गोरखपुर अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री लोकेन्द्र सिंह	की	जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव	की	विधान सभा क्षेत्र वाराणसी कैंट के शिवपुरवा वार्ड में सीवर लाइन टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया	की	विधान सभा क्षेत्र कानपुर छावनी के कतिपय ग्रामों में सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य	की	जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद में मण्डी परिषद द्वारा निर्मित सड़कों पर जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8	श्री भीम प्रसाद सोनकर	की	जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में दिनांक 13–02–2015 को हुई आगजनी की घटना के पीड़ितों को सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री भगवती प्रसाद	की	जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में

			मण्डी परिषद द्वारा निर्मित कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री प्रदीप चौधरी	की	जनपद सहानपुर के अन्तर्गत शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज में समस्त चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री अवस्थी बाला प्रसाद	की	जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ऐरा शुगर मिल खमरिया द्वारा किये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
12	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द	की	जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत टाण्डा फाल मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत	की	जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में नहर पटरियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री दीपक पटेल	की	प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री ओम कुमार	की	जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में तथा
16	श्री सन्तराम कुशवाहा	की	जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ अन्तर्गत ग्राम सभा में अण्डा साधन सहकारी समिति का आफिस एवं गोदाम बनाये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :–

1–श्री सुरेश कुमार खन्ना,
2–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,
3–श्री इन्द्रजीत सरोज,
4–श्री ममतेश शाक्य,
5–श्री ठा0 दलवीर सिंह,
6–श्री पूरन प्रकाश,
7–श्री प्रदीप माथुर,
8–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा),
9–श्री उदयराज,
10–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

11–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया,

12–श्री रोशन लाल वर्मा,

13–श्री काली चरण सुमन तथा

14–श्री जय प्रकाश निषाद।

उपरोक्त सभी 16 सूचनायें सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में क्षेत्र विधान मण्डल विकास निधि वर्ष 2013–14 व 2014–15 से ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

ख्मान्यवर,

आपको अवगत कराना चाहता हूं कि डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मैंने विद्युतीकरण एवं गांवों में क्षमता विस्तारीकरण हेतु ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के लिये धनराशि वर्ष 2013–14 व 2014–15 में दिया था। विद्युत विभाग द्वारा अभी तक जिन–जिन गांवों के लिये धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सिद्धार्थनगर द्वारा परियोजनाओं को पूर्ण कराये जाने के लिये जारी किया था वह अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है इस कार्य के पूर्ण न होने से उन गांवों के लोगों में आक्रोश एवं क्षोभ व्याप्त है इसलिये उपरोक्त प्रकरण पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई कराई जाय।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ताकि कार्य पूर्ण हो सके।,

जनपद गाजियाबाद अन्तर्गत वार्ड संख्या–6 स्थित शिव मन्दिर तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल–

ख्मान्यवर,

मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत वार्ड नं0–6 अकबरपुर–बहरामपुर में विनोद चौधरी के मकान से सौदान फौजी के मकान से शिव मन्दिर होती हुई एक मुख्य सड़क जो हरि सिंह के मकान तक जाती है। जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त है जगह–जगह गड्ढ़े हो गये हैं। हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन रहता है जिससे सड़क अत्यन्त जर्जर हो गई है।

अतः जनहित में जर्जर हालत में जिस सड़क पर चलना भी दूभर हो रहा है, की मरम्मत/ नवनिर्माण का अनुरोध करता हूं।

मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय व लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर पाल–

ख्महोदय,

विधान सभा क्षेत्र गोरखपुर ग्रामीण के अन्तर्गत डोमवा ढाले से लेकर आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, रामपुर गांव होते हुए भगत चौराहे तक तथा रानीबाग चौराहे से कजाकपुर चौराहा होते हुए पुष्पांजलि मैरेज हाऊस (कजाकपुर) तक का निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में आवश्यक है। यह सभी महत्वपूर्ण मार्ग हैं जो कि वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। उक्त मार्गों के निर्माण हेतु काफी प्रयास किया गया परन्तु विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न किये जाने से जनमानस में आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावी कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

ख्महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र नूरपुर, जनपद बिजनौर में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत मार्गों का निर्माण कराया गया था जो अत्यन्त निम्न गुणवत्ता का है। नियमानुसार पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों के रख–रखाव का जिम्मा 5 वर्ष तक सम्बन्धित ठेकेदार का होता है जिसके द्वारा मार्ग का निर्माण कराया जाता है। परन्तु नूरपुर विधान सभा क्षेत्र के मार्गों की स्थिति 3 वर्ष में ही अत्यन्त जर्जर हो गई है। सहसपुर मेवाजट, मकसूदपुर होते हुए कुमखियां तक, मोरना पुल से दरियापुर होते हुए ताजपुर, ताजपुर बिजलीघर के सामने से जमालपुर मार्ग तथा ताजपुर से सिडियावली होते हुए रवाना शिकारपुर मार्ग लगभग 10 माह के अन्दर ही क्षतिग्रस्त हो गये हैं। न इंटरलॉकिंग लगाई गई, साइडो में मिट्टी का काम भी ठीक प्रकार से नहीं किया गया। गांवों में जो नालियां बनाई गई हैं वह भी अपूर्ण हैं। गांवों के अन्दर सी0सी0 रोड भी टूटने लगी हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा भारी अनियमितता की गई है। जिला प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी आज तक दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मानक के विपरीत कार्य करने वाले ठेकेदारों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने तथा क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद वाराणसी के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के शिवपुरवा वार्ड में सीवर लाइन टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती त्योत्सना श्रीवास्तव–

ख्मान्यवर,

वाराणसी कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के शिवपुरवा वार्ड में एक मैदान है जिसमें करीब 60–70 साल से बुनकर लोग सूत कातते हैं। ये बुनकर दैनिक मजदूर हैं जो सूत व्यवसायियों से सूत लाकर दैनिक मजदूरी पर दिनभर सूत कातते हैं। पानी बरसने पर मैदान में पानी भर जाता है और पम्प करके पानी निकाला जाता है। लेकिन इस वर्ष बरसात में क्रमशः तीन बार उनके मैदान में पानी भर गया पानी निकाला जाता था और पुनः भर जाता था और लोगों की रोजी रोटी महीनों बन्द रही। वहां के निवासियों का विश्वास है कि किनारे स्थित सड़क के सीवर लाइन से किसी कारण सीवर का पानी मैदान में भर रहा है। हो सकता है सीवर लाइन टूट गया हो तथा सड़क उस पार का पानी मैदान में भर रहा हो मैदान ही नहीं आस–पास के घरों में सीवर व बरसाती पानी भरा रहा। अब पुनः बरसात आ रही है और लोग घबड़ा रहे हैं जरूरत है मैदान में सीवर व बरसाती पानी निरन्तर क्यों आ रहा था ? यह पता लगाया जाय।

इस अति संवेदनशील व लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर मांग करती हूं कि इस समय सूखे में सीवर लाइन ठीक किया जाय मैदान में पानी न भरे यह सुनिश्चित किया जाये जिससे पहले की भांति बुनकर अपने कार्य को सम्पन्न कर सकें और अपनी जीविका चला सके।,

विधान सभा क्षेत्र कानपुर छावनी के कतिपय ग्रामों में सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

ख्महोदय,

कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जिसमें खासकर देहलीसुजानपुर, सिंहाटटिया, भल्लाटटिया, भगवन टटिया, गज्जूपुरवा, चन्द्र नगर, खलवा, चाणक्यपुरी, पोखरपुरवा, न्यूरागांव, चिस्तीनगर, गदियाना, अशरफाबाद, बगाही, बाबूपुरवा, खटिकाना आदि गांवों में सीवर लाइन नहीं है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। आवागमन हेतु सड़क नहीं है, विद्युतीकरण नहीं है। शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद भी यह गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शहरी क्षेत्र के उक्त गांवों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र के निवासियों में रोष एवं असंतोष व्याप्त है। व्यापक जनहित में उक्त गांवों में मूलभूत सुविधायें उपलब्धा कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों पर जल भराव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद के अन्तर्गत ग्राम करनापुर व मुडियाखुर्द में मण्डी परिषद्, उ0प्र0 द्वारा सम्पर्क मार्ग कई वर्षों पूर्व में बनाया गया था। उपर्युक्त दोनों मार्गों पर हमेशा जलभराव बना रहता है जिसके कारण ग्राम व क्षेत्रवासियों एवं किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम करनापुर व मुडियाखुर्द में मण्डी परिषद्, उ0प्र0 द्वारा बनाई गई सम्पर्क मार्ग पर मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में दिनांक 13–2–2015 को हुई आगजनी की घटना के पीड़ितों को सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

ख्मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र आलापुर, जनपद अम्बेडकर नगर अन्तर्गत ग्राम माझा कम्हरिया, पोस्ट कम्हरियाघाट, थाना राजेसुल्तानपुर, तहसील आलापुर में दिनांक 13–2–2015 को दिन में 11 बजे भयंकर आगजनी में निम्नलिखित व्यक्तियों के घर जल कर राख हो गये हैं जो निम्नवत् हैं :–राधेश्याम पुत्र राम हरख यादव, वीरेन्द्र पुत्र बाढू यादव, मंगल यादव पुत्र पराग यादव, रामशब्द यादव पुत्र हन्सू यादव, रामजीत यादव पुत्र हन्सू यादव, हरिशंकर यादव पुत्र पूजन यादव, बनवारी यादव पुत्र राम सुमेर यादव, मोहन यादव पुत्र सुमेर यादव, बचन यादव पुत्र रामशब्द यादव, छोटे लाल यादव पुत्र सुमेर यादव, जय प्रकाश पुत्र रामधनी (पनई), राम अजागिर पुत्र रामधनी (पनई) राम प्रवेश यादव पुत्र रामधनी (पनई), संजय यादव पुत्र वीरेन्द्र यादव, कुबेर पुत्र केवल यादव, कन्हैया पुत्र केवल, रमाकान्त पुत्र बनवारी, रामसुमेर पुत्र केवल, राजू पुत्र वीरेन्द्र, अवधेश पुत्र राम उजागिर, उमाकान्त पुत्र मोहन यादव, सतीराम यादव पुत्र राम सुमेर यादव, दिनेश पुत्र विभूति, रामधनी पुत्र केवल यादव एवं चन्द्रेश पुत्र राम दुलार आदि लोगों के घर जल कर राख हो गये हैं। लोगों के पास रहने के लिये कोई स्थान नहीं बचा है। लोगों में काफी

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

निराशा एवं असंतोष व्याप्त है। तत्काल सरकार द्वारा सहायता दिया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः लोकमहत्व के इस गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से तत्काल सहायता राशि दिये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद–

ख्मान्यवर, जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर में निम्न सड़कें जो मण्डी परिषद् द्वारा कई वर्ष पूर्व निर्माण कराया गया था। जो कि इस समय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। उक्त सड़क की पुनः निर्माण जनहित में कराया जाना अति आवश्यक है।

1–गौमत नौझील मार्ग से बिशायतीगढ़ी तक, ल0–1.5 कि0मी0 (लगभग)।

2–गौमत नौझील मार्ग पर सिवाला गांव से अहरौला तक, ल0–1.5 कि0मी0 (लगभग)।

3–गौमत नौझील मार्ग से नेवसानी गांव तक, ल0–1.5 कि0मी0 (लगभग)।

4–चौदाहा ग्राम से बलीपुर गांव तक, ल0–1.25 कि0मी0 (लगभग)।

5–मादक से सलमापुर सौरोला गांव तक, ल0–1.00 कि0मी0 (लगभग)।

अतः मैं चाहूंगा कि इस सड़क की मरम्मत/निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज में समस्त चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज का उद्घाटन हुए लगभग डेढ़ वर्ष से ऊपर हो गया है। परन्तु आज तक भी सिवाय ओ0पी0डी0 के अन्य सेवायें नहीं दी जा रही हैं एवं ओ0पी0डी0 में भी समस्त रोगों के विशेषज्ञ नहीं हैं। केवल खानापूर्ति की जा रही है और अब तक मेडिकल कालेज में छात्रों का प्रवेश भी नहीं हुये हैं। जनपद सहारनपुर व आस–पास के जनपदों के मरीजों को इलाज के लिये लम्बी दूरी तय करते हुए दिल्ली, चण्डीगढ़ आदि जिलों में जाना पड़ रहा है जिससे मरीजों की जान का खतरा बना रहता है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ऐरा शुगर मिल खमरिया द्वारा किये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड–ईसानगर के अन्तर्गत ऐरा शुगर मिल खमरिया स्थित है। उक्त ऐरा शुगर मिल से निकलने वाले जहरीले पानी एवं जहरीले धुएं से क्षेत्रीय वातावरण अत्याधिक प्रदूषित हो गया है। क्षेत्र का पानी प्रदूषित हो गया है, क्षेत्रीय जनता के पशुओं द्वारा दूषित पानी पीने के कारण कई जानवरों की मृत्यु हो गयी है। ऐरा शुगर मिल के परिक्षेत्र में पेयजल पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गया है। पेयजल एवं वातावरण दूषित हो जाने से क्षेत्रीय जनता में कई प्रकार की गम्भीर बीमारी हो गयी है। दूषित पानी के उपयोग से क्षेत्रीय जनता में कई प्रकार के गम्भीर रोग उत्पन्न हो गये हैं। ऐरा शुगर मिल के परिक्षेत्र में बसे लोगों को सबसे ज्यादा मस्तिष्क ज्वर स्वाइन फ्लू रोग से पीड़ित होना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा ऐरा शुगर मिल द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोके जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से एवं शासन से अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक शासन द्वारा प्रदूषण रोके जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं किये जाने, क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से जनहित में ऐरा शुगर मिल द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोके जाने की मांग करता हूं तथा यह भी निर्देश दिये जायं कि भविष्य में क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।,

जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत टाण्डा फाल मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 रमेश चन्द्र बिन्द–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला–मिर्जापुर के अन्तर्गत टाण्डाफाल (टाड़) सड़क से टाण्डाफाल वन विभाग, गेस्ट हाउस तक (ल0 लगभग 2.0 कि0मी0) की सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त सड़क का काफी समय से निर्माण नहीं हो रहा है। वर्षा के समय पर सड़क जगह–जगह पर तालाब का रूप ले लेती है। वर्षा के कारण सड़क कई जगह पर बह गयी है सड़क में बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं। उक्त सड़क पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

गयी है राहगीरों के साथ आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। क्षेत्रीय जनता का आवागमन लगभग पूर्णतः बन्द हो गया है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का यथाशीघ्र निर्माण करने हेतु कई बार अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से जनहित में टाण्डाफाल (टाड़) सड़क से टाण्डाफाल गेस्ट हाउस तक की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में नहर की पटरियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र–222, बबीना (झांसी) में नहर पटरियों पर ईसागढ़ से रनगुवां, बल्लमपुर से रक्सा रोड सीपरी बाजार तक, सुकुवां–ढुकवां बांध से गनेशपुरा हाई–वे तक, डायमण्ड फैक्टरी रोड से भूपनगर, दोन–दुनारा होते हुए बड़ागांव थाने के पास तक, पारीछा रेलवे क्रासिंग से रमैयापुरा नहर पुलिया से रमैयापुरा होते हुए बझेरा–पंचार तक सम्पर्क मार्ग बनवाये गये थे जो वर्तमान में कागजों पर उपयोगी बताये गये हैं जबकि वास्तविकता में यह सम्पर्क मार्ग मरम्मत के अभाव में अत्यन्त जर्जर हो गये हैं एवं इन पर गिट्टी का नामोनिशान तक नहीं है और रोड मिट्टी के गड्ढों में तब्दील हो चुकी है जिससे आम जनता को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें ठीक न होने की इस समस्या को लेकर क्षेत्रीय जनता में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार से वक्तव्य के साथ ही साथ इन नहर पटरियों पर सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने एवं मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचालित विद्यालयों में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक पटेल–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचालित विद्यालयों के वेतन में बड़े पैमाने पर विसंगतियां व्याप्त हैं। इस क्रम में छठे वेतन के उपरान्त शासनादेश सं0–वे0आ0–2–1318/दस–59 (एम)/2008 के प्रस्तर–11 एवं 6 में क्रमशः पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों एवं सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में अन्तर कर दिया गया है जो वेतन निर्धारण के मूल नियम–22 बी का समान कार्य हेतु समान वेतन के संवैधानिक सिद्धान्त का तथा संविधान के अनुच्छेद–14 का उल्लंघन है ? परिषदीय अध्यापकों से लेखा कार्यालय द्वारा विकल्प नहीं भराया गया था, जिसमें सुधार

हेतु उक्त शासनादेश के आधार पर 09 जून, 2014 के आदेश संख्या–2173/79/5–2014–5/2010 जारी कर पुनः विकल्प का मौका दिया गया। 08 दिसम्बर, 2008 के शासनादेश से इतर 09 जून, 2014 के आदेश में 02 दिसम्बर की समय–सीमा निर्धारित कर दी गई जो दोहरा मापदण्ड है ?

अतः 08 दिसम्बर, 2008 के शासनादेश से सीधी भर्ती व पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण प्रक्रिया में अन्तर को समाप्त करने तथा 09 जून, 2014 के आदेश से 02 दिसम्बर, 2008 की समय–सीमा हटाने की कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण पर जांच कराये जाने हेतु कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के कतिपय मार्गों के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम कुमार–

ख्महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बिजनौर में 21, नहटौर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड–नहटौर में स्वीकृत सड़कें ग्राम आकू चौराहा से जसमोरा तक, सराय काजीयान से नहटौर अमीनाबाद तक, मिलक अमराबाद से पप्सरा तक, पैजनिया मार्ग से जमालपुर शेख से नरायण खेड़ी तक, फुलसन्दा से अलीनगर तक, पैजनिया से जलालपुर तुर्क तक, इब्राहिमपुर साधों से अलीनगर तक, मुस्सेपुर प्राइमरी स्कूल से पली प्राइमरी स्कूल तक, शादीपुर मार्ग से मिलाड़ा होते हुए सीकरी खुर्द तक ब्लाक नहटौर से बिलासपुर तक, फुलसन्दा से ताहरपुर टप्पा तक, नहटौर से शादीपुर मार्ग तक एवं विकास खण्ड–हल्दौर में हल्दौर से कुम्हारपुरा तक, हल्दौर से लाडनपुर तक, हल्दौर से बिलई तक सड़कें स्वीकृत हो जाने एवं समाचार–पत्रों में प्रकाशित होने के बाद भी निर्माण नहीं कराया गया है जिसके कारण आवागमन हेतु क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस लोकमहत्व के विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त विकास खण्डों की स्वीकृत सड़कों का निर्माण यथाशीघ्र कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा अण्डा में साधन सहकारी समिति का आफिस एवं गोदाम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्तराम कुशवाहा–

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के ग्राम सभा अण्डा में साधन सहकारी समिति है। जो किसानों को उर्वरक एवं बीज वितरण का कार्य करती है। यह जनपद की ऐसी सोसाइटी है कि इसमें कभी किसान बकायेदार नहीं रहते लेकिन समिति के पास अपना आफिस व गोदाम नहीं है। ग्राम प्रधान द्वारा आफिस बनाने के लिये जमीन का प्रस्ताव पारित कर दिया है। आफिस और गोदाम न होने के कारण किसानों को बरसात का भीगा उर्वरक व बीज खरीदना पड़ता है। जिससे किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे सरकार के प्रति किसानों में रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व अविलम्बनीय एवं तत्कालीन विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ग्राम सभा में समिति का आफिस एवं गोदाम का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

ख12.07 बजे, प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारा अतारांकित प्रश्न संख्या–37 है। मान्यवर, यह सरकार से संबंधित नीतिगत प्रश्न है। मेरी अपेक्षा थी कि यह तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकार हो जाता और उसमें सरकार की नीति की जानकारी सदन को हो जाती। मान्यवर, मेरा प्रश्न 11 फरवरी, 2015 का है और 2–3–2015 को इसका जवाब आ रहा है कि 75 जनपदों से सूचना मांगी जा रही है। मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म दिये जाने की योजना प्रचलित है। मान्यवर, इसका जवाब आया है कि निःशुल्क यूनीफार्म वितरण हेतु ठेका दिये जाने की व्यवस्था नहीं है। यूनीफार्म का वितरण विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालयवार किया जाता है। मान्यवर, प्रश्न में जो दूसरा भाग है कि क्या सरकार बतायेगी कि आपूर्तिकर्ता की सेवायें संतोषजनक एवं उपलब्ध करायी गयी सामग्री निर्धारित मानक के अनुरूप है। मान्यवर, यह सवाल मैंने पूछा ही नहीं था। इसके बाद के उत्तर में आया है कि निःशुल्क यूनीफार्म के निर्धारित मानक के अनुसार होने तथा आपूर्तिकर्ता की सेवायें संतोषजनक होने के संबंध में राज्य परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 2–3–2015 द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों से सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

मान्यवर, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं जो वर्दी बच्चों को मिलती है ड्रेस उसके अधोमानक होने के बारे में पूछा 11 फरवरी, 2015 को 2 मार्च को उत्तर प्रदेश के सर्वशिक्षा अभियान के निदेशक पत्र भेजते हैं समस्त जिलो को और जानकारी मांगते हैं इसका मतलब यह है कि अतारांकित इसको इसलिए कराया विभाग ने कि उसके पास इसका उत्तर देने के लिए सामग्री नहीं थी और इतनी तत्परता और गम्भीरता है विधान

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

सभा के बारे में उन लोगों की कि 11 फरवरी का प्रश्न जो 15 फरवरी तक उनको पहुंच गया होगा, 2 मार्च को वह पत्र लिखकर जानकारी मांग रहे हैं मैं आपका विनम्रतापूर्वक, कृपापूर्वक संरक्षण चाहता हूं व्यवस्था चाहता हूं कि कृपा करके इस प्रश्न को दोबारा तारांकित करके लगवा दें ताकि प्रदेश की जनता के सामने जानकारी आ सके मैं इस विषय पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मान्यवर, प्रश्न तारांकित रहेगा, अल्पसूचित रहेगा, अतारांकित रहेगा यह आपका अधिकार है प्रश्न विभाग का अधिकार है। विभाग का कोई मतलब नही है। विभाग से केवल अल्पसूचित में पूछा जाता है कि आप समय से उत्तर देने के लिए तैयार हैं कि नहीं। तारांकित और अतारांकित में नहीं पूंछा जाता है। एक तो आपका यह आरोप निराधार है कि विभाग ने अतारांकित कराया है। इसको आप संशोधित कीजिए, कर लिया।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, इसका क्या जवाब है माननीय मंत्री जी कि 11 फरवरी, 2015 के प्रश्न पर 2 मार्च, 2015 को आपका निदेशक पत्र भेजकर जानकारी मांग रहा है और बजाय जानकारी देने के केवल उल्लेख कर रहा है इस बात का कि हमने इस गेंद को जिलों में फेक दिया वापस आयेगा तब बात करेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, अब तो यह आ ही गया इसमें आपने ठेका शब्द लिखा है इसमें ठेका नहीं हो रहा है यह जनपद में प्रबन्ध समिति के माध्यम से .....

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यह क्या कोई नई व्यवस्था है इसमें अनुपूरक प्रश्न किये जा रहे हैं और जवाब दिये जा रहे हैं। इसमें मान्यवर, यह नियम बता दीजिए तो हम लोग भी आगे से ऐसे ही किया करें। आप तो हम लोगों को बता देते हैं कि 163 में करना है ।

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि हमारा प्रश्न 11–2–2015 का था वह नीति विषयक था इसको इन्होंने अतारांकित करा दिया यह इनका प्रश्न था लेकिन यह नीति विषयक नहीं था क्योंकि इसमें ठेकेदारी की बात की गयी थी इसलिए नीति विषयक था नहीं इसलिए यह अतारांकित हो गया।

श्री अनुग्रह नारायाण सिंह–

मान्यवर, 14 फरवरी को दो प्रश्न बेसिक शिक्षा विभाग के लिए लगाये गये एक तारांकित हो गया, प्रतिदिन एक ही तारांकित प्रश्न लगाये जा सकते हैं यह आपकी कृपा से लगते हैं बाकी प्रश्न अपने आप अतारांकित हो जाते हैं अगर इसी विषय पर है।

मान्यवर, अगर यह नई परम्परा अगर कायम हो रही है तो बता दीजिए क्योंकि हम लोगों के बहुत प्रश्न के ऐसे उत्तर आये हैं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं–नहीं, कोई नई परम्परा नहीं कायम होगी उन्होंने व्यवस्था में उठाया मैने बता दिया नीति विषयक नहीं था।

ख12.14 बजे, औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब नियम–300 ले रहा हूं।

पहली सूचना श्री सतीश महाना की सुनी नहीं जायेगी, सरकार द्वारा जारी शासनादेशों के बावजूद भी माननीय सदस्यों के प्रति अधिकारियों द्वारा शिष्ट व्यवहार न किये जाने तथा माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में दिये गये पत्रों पर हुई कार्रवाई की प्रगति की जानकारी सदस्यों को प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह 300 का प्रश्न नहीं है। दूसरी सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की दिनांक 18–11–2014 को नियम–51 में माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना पर उत्तर प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में इसमें मैं बता दूं कि दिनांक 26–11–14 के लिए वक्तव्य निर्धारित था किन्तु दिनांक 25–11–14 को सदन अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया इसलिए सत्रावसान हो गया फलस्वरूप इसका जवाब नहीं मिला । तीसरी सूचना श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत की जनपद झांसी में स्थित परीक्षा थर्मल पावर कारपोरेशन में भूमि अधिग्रहीत कृषकों के वारिसों को अभी तक नियुक्तियां न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में यह कोई 300 में नहीं आता है ।

(श्री मुकुट बिहारी वर्मा और श्री सतीश महाना के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष–

अब आपके कहने से हम मान लें कि आ रहा है हम भी पढ़ते हैं ऐसा नहीं है यह थर्मल पावर में भूमि अधिग्रहीत करने का मामला 300 में नहीं आता है।

विधान सभा सदस्यों के फोन अधिकारियों द्वारा रिसीव न करने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आपने जो लिखा है कि शिष्ट व्यवहार नहीं करते यह शिष्ट व्यवहार करना या न करना यह 300 में नहीं आता है। (व्यवधान)

अब एक सज्जन तो नहीं हैं अब आप दूसरे बन रहे हैं चाहे जो विषय हो उसको घेरकर ले आओ ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, ऐसा नहीं है अगर आप किसी सज्जन से किसी को कम्पेयर कर रहे हैं हमारे से तो हम भी थोड़ा बहुत पढ़ लिखकर आते हैं अगर आप किसी सज्जन से कम्पेयर कर रहे हैं हमारे को यदि आप अयोग्य कहना चाहते हैं तो हमारे यहां बोलने का

कोई औचित्य नहीं है। मेरा निवेदन सुन लीजिए अगर किसी के कम्परीजन के साथ किसी को अयोग्य साबित करना चाहते हैं आप तो मान्यवर, मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

महाना जी, कृपया शांत रहें। आप किसी भी तरह से घेरकर इस मामले को नियम–300 में लाना चाहते हैं। कृपया आप नियमावली पढ़ लीजिये कि नियम–300 के अन्तर्गत यह कैसे आयेगा ? आपने यहां पर माननीय सदस्यों के साथ शिष्ट व्यवहार से संबंधित मामला उठाया है, फिर यह नियम–300 में किस प्रकार आयेगा ?

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया आप मेरी बात सुन लें, मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। यही तो आप चाहते हैं, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिये।

'श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कृपापूर्वक मुझे अपनी बात को कहने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, यह केवल इधर के सदस्यों का विषय नहीं है। हम जिस समय जनता के काम के लिए किसी अधिकारी को फोन करते हैं और हम कभी अपने व्यक्तिगत काम के लिए फोन नहीं करते हैं तो उस समय यह समस्या आती है। मान्यवर, जब कोई गंभीर समस्या को लेकर हमारे पास आता है, तो हम उसकी बात पहुंचाने में अक्षम सिद्व होते हैं। मान्यवर, विधान सभा सदस्य होने के नाते और जनता के द्वारा चुने हुये प्रतिनिधि होने के नाते से हमारा महत्व है, व्यक्तिगत रूप से हो सकता है कि हमारी आईडेन्टिटी हो या ना हो उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। कई ऐसे अधिकारी हैं, मैं आपको उनकी सूचना दे दूंगा, क्योंकि यहां उनका नाम लेकर मैं उनका महत्व नहीं बढ़ाना चाहता। यह अधिकारी सदस्यों की काल रिसीव ही नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने हमारा फोन नम्बर काल रिजेक्ट पर लगा रखा है। मान्यवर, रिजेक्ट का मतलब होता है कि जब हम उनको फोन करते हैं, तो हमारा फोन कट जाता है और वह उनके पास नहीं पहुंचता है। उनके पास हमारा नम्बर पहुंच जाता है, पर वह काल बैक करते नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है। जब हम आपको चिठ्ठी देते हैं तो आपके आदेश पर कृपापूर्वक जवाब आ गया, पर जब हम अपनी चिट्ठी मंत्री को देते हैं, मुख्य मंत्री को देते हैं, तो हमारे पास उसका कम्प्यूटर नम्बर आता है और उस कम्प्यूटर नम्बर का साल भर बाद वही स्ट्रेटस रहता है, जो शुरू में आता है। इस प्रकार केवल औपचारिकता रहती है कि आपको जवाब दे दिया गया। मान्यवर, इस पर हमको आपका संरक्षण चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

यह प्रोटोकाल का मामला है, यह नियम–300 में कहां आता है। प्रोटोकाल में है कि आप जायेंगे तो आपके साथ शिष्ट व्यवहार होगा। आपने अपनी बात कह ली। अब कृपया आप बैठ जायें।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, हम जिसके साथ शिष्टाचार से बात करेंगे, उसको भी हमारे साथ शिष्टाचार से बात करनी पड़ेगी। हमको इसकी चिंता नहीं है, हमको चिंता केवल इतनी है कि जनता के काम के लिए जिस समय हम लिखा–पढ़ी करते हैं, तो उसका हमको सही तरीके से जवाब मिले। इस प्रकार यह विधान सभा से संबंधित है और तात्कालिक प्रकृति का है। हम यहां पर औपचारिकता करने के लिए नहीं आये हैं। कह दिया जाता है कि लिख गया, तो मान्यवर हम यहां लिखवाने के लिए, पढ़वाने के लिए, दिखवाने के लिए नहीं आते हैं, हम यहां पर समस्या के समाधान के लिए आते हैं। मान्यवर, सरकार सही तरीके से जवाब दे दे कम से कम इतना तो निर्देश जारी कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। यह नियम–300 में आता ही नहीं है। अब आपकी पूरी बात आ गई है, आपको अपनी बात संबंधित नियम के अंतर्गत उठानी चाहिये, अब इसे अग्राह्य किया जाता है।

नियम–51 के वक्तव्य का उत्तर न मिलने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रकरण नियम–300 के अन्तर्गत आता है। हमने नियम–51 के अंतर्गत दिनांक 18–11–2014 को सूचना दी थी। आपने कृपापूर्वक इसको स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद आपने वक्तव्य के लिए निर्धारित किया। इसके बाद इसका उत्तर हमको मिलना चाहिये था, लेकिन इसका उत्तर हमें नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, आप नियम से हटकर बात क्यों कर रहे हैं। आपकी सूचना वक्तव्य हेतु दिनांक 26–11–2014 को निर्धारित हुई थी, किन्तु दिनांक 25–11–2014 को सत्रावसान हो गया था, तो आपको उत्तर कहां से मिलेगा।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं वही तो बता रहा हूं। यह सूचना दिनांक 18–11–2014 को स्वीकार हुई थी, दूसरी सूचना दिनांक 19–11–2014 को स्वीकार हुई थी, किन्तु दिनांक 19–11–2014 वाले का उत्तर आया है कि आपको दिनांक 8–1–2015 को उत्तर भेज दिया गया, किन्तु अभी तक 18–11–2014 वाले का उत्तर नहीं आया और इसे व्यपगत लिख दिया गया, जबकि दोनों का सेम है। दिनांक 18 का प्रकरण 19 से पहले का है।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, आप हमको लिखकर दे दीजिये। हम इसकी छानबीन करा लेंगे कि क्या है ? अब बैठिये। श्री अजय कुमार 'लल्लू', कृपया आप अपनी याचिका रखे।

ख12.17 बजे, जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के नगर पंचायत सेवरही में रोडवेज बस स्टेशन बनवाये जाने विषयक श्री पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के नगर पंचायत सेवरही में रोडवेज बस स्टेशन बनवाये जाने विषयक श्री पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय व श्री अजय गुप्ता निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही में आई0टी0आई0 स्कूल खुलवाये जाने विषयक श्री सत्येन्द्र कुमार आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही में आई0टी0आई0 स्कूल खुलवाये जाने विषयक श्री सत्येन्द्र कुमार व श्री अनवर निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की समस्याओं के निवारण कराये जाने विषयक श्री रमेश यादव आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की समस्याओं के निवारण कराये जाने विषयक श्री रमेश यादव व श्री विजय कुमार जायसवाल निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के गेंदासिंह गन्ना अनुसंधान एवं शोध केन्द्र में कृषि विश्वविद्यालय खुलवाये जाने विषयक श्री शहनवाज आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अजय कुमार लल्लू–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के गेंदासिंह गन्ना अनुसंधान एवं शोध केन्द्र में कृषि विश्वविद्यालय खुलवाये जाने विषयक श्री शहनवाज व श्री बबलू सिंह निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण/मरम्मतीकरण/पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री संदीप ठाकुर आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण/मरम्मतीकरण/पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री संदीप ठाकुर व श्री वीरेन्द्र सिंह पटेल निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड तमकुहीराज के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण/ मरम्मतीकरण/पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक डा0 प्रभु गुप्ता आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड तमकुहीराज के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण/मरम्मतीकरण/पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक डा0 प्रभु गुप्ता व श्री संदीप सिंह, निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के विकास खण्ड दुदही के अन्तर्गत अमावा खास के कन्हीटोला, उलटवहा, गोबरहा होते हुए बरवा पट्टी थाने तक पिच सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री कौशल किशोर तिवारी आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड दुदही के अन्तर्गत अमावा खास के कन्हीटोला, उलटवहा, गोबरहा होते हुये बरवा पट्टी थाने तक पिच सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री कौशल किशोर तिवारी व श्री राजन तिवारी निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम मिश्रौली कुंवरपुरवा बन्धे से दुबारी मेन रोड तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री योगेन्द्र मिश्र आदि निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री उमेश पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मंडाव के अन्तर्गत ग्राम मिश्रौली कुंवरपुरवा बन्धे से दुबारी मेन रोड तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री योगेन्द्र मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मऊ के विकास खण्ड दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा कुरंगा में चरपुरवा के उत्तर तरफ नाले पर नये पुल का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री दीपक कुमार आदि निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री उमेश पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के विकास खण्ड दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा कुरंगा में चरपुरवा के उत्तर तरफ नाले पर नये पुल का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री दीपक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम दुबारी से नयी बस्ती बन्धे तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री सर्वे शंकर यादव आदि निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री उमेश पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मंडाव के अन्तर्गत ग्राम दुबारी से नयी बस्ती बन्धे तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री सर्वे शंकर यादव व अन्य निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद लखनऊ स्थित कृष्णानगर के अन्तर्गत आशुतोषनगर कालोनी एवं दुर्गापल्ली चौराहे से (ईश्वर प्रसाद एवं राजेश मौर्या के घर से) अवस्थी जनरल स्टोर तक पक्की एवं गहरी नाली का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री ईश्वर प्रसाद आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री सुधीर कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से लखनऊ स्थित कृष्णानगर के अन्तर्गत आशुतोषनगर कालोनी एवं दुर्गापल्ली चौराहे से (ईश्वर प्रसाद एवं राजेश मौर्या के घर से) अवस्थी जनरल स्टोर तक पक्की एवं गहरी नाली का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री ईश्वर प्रसाद व श्री शंकर राम निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद लखनऊ के ग्राम कलियाखेड़ा खसरा संख्या–674ख की भूमि रकबा लगभग 2000 वर्ग फीट पर बने गरीबों के मकानों की भूमि अर्जन की कार्रवाई धारा–6/16 से मुक्त कराये जाने विषयक श्री रमेश चन्द्र आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री सुधीर कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के ग्राम कलियाखेड़ा खसरा संख्या–674 ख की भूमि रकबा लगभग 2000 वर्ग फीट पर बने गरीबों के मकानों की भूमि अर्जन की कार्रवाई धारा–6/16 से मुक्त कराये जाने विषयक श्री रमेश चन्द्र व श्री नील कमल निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता के ग्राम पंचायत नागापुर की ग्राम सभा की भूमि पर उपमण्डी का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जगदीश पटेल आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 आर0 के0 वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता के ग्राम पंचायत नागापुर की ग्राम सभा की जमीन पर उपमण्डी का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जगदीश पटेल व श्री मतेन्द्र कीर्ति निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद प्रतापगढ़ के मुख्यालय और रायबरेली–वाराणसी हाई–वे से जुड़ा कटरा मेदनीगंज वाया मान्धाता– कटरा गुलाब सिंह मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री विनोद वर्मा आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 आर0 के0 वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के मुख्यालय और रायबरेली–वाराणसी हाई–वे से जुड़ा कटरा मेदनीगंज वाया मान्धाता–कटरा गुलाब सिंह मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री विनोद वर्मा व श्री कमलेश कुमार अग्रहरि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 बाघनगर चौराहे से भाटपार होते हुए ग्राम पंचायत बूढ़ानगर मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अब्दुल रऊफ आदि निवासीगण जनपद संतकबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद संतकबीरनगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 बाघनगर चौराहे से भाटपार होते हुये ग्राम पंचायत बूढ़ाननगर मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अब्दुल रऊफ व श्री मो0 शाहिद निवासीगण जनपद संतकबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित सेमरियावां टेमारहमत मार्ग पर नाऊगांव से ग्राम पंचायत साफियाबाद, हड़हा, उचहरा होते हुए बूढ़ानगर मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मो0 आलम आदि निवासीगण जनपद संतकबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित सेमरियावां टेमारहमत मार्ग पर नाऊगांव से ग्राम पंचायत साफियाबाद, हड़हा, उचहरा होते हुये बूढ़ाननगर मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मो0 आलम व श्री मुसीर अहमद निवासीगण जनपद संतकबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां टेमा रहमत मार्ग पर चिउटना चौराहे से ग्राम पंचायत से सिसवातालिब तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अब्दुल रहमान आदि निवासीगण जनपद संतकबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मो0 अय्यूब–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्तकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित सेमरियावां टेमा रहमत मार्ग पर चिउटना चौराहे से ग्राम पंचायत से सिसवातालिब तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अब्दुल रहमान व श्री नासिर हुसैन निवासीगण जनपद सन्तकबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित सेमरियावां चौराहे टेमा रहमत मार्ग तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री हमीदुद्दीन आदि निवासीगण जनपद सन्तकबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मो0 अय्यूब–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्तकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित सेमरियावां चौराहे से टेमा रहमत मार्ग तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री हमीदुद्दीन व श्री मुम्ताज अहमद निवासीगण जनपद सन्तकबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मेरठ के मेरठ महानगर में सूरजकुण्ड रोड (थाना सिविल लाइन) स्थित बाल सुधार गृह को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने अथवा जिला कारागार मेरठ में स्थित बच्चा जेल में स्थानान्तरित किये जाने विषयक श्री मनोज गोस्वामी आदि निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के मेरठ महानगर में सूरजकुण्ड रोड (थाना सिविल लाइन) स्थित बाल सुधार गृह को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने अथवा जिला कारागार मेरठ में स्थित बच्चा जेल में स्थानान्तरित किये जाने विषयक श्री मनोज गोस्वामी व श्री नितिन गोस्वामी निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मेरठ के मेरठ शहर में कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री अनुराग शर्मा आदि निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के मेरठ शहर में कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री अनुराग शर्मा व श्री सुरेश अग्रवाल निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मेरठ के ज्वैल सिटी हेतु प्रस्तावित भूमि पर ज्वैल सिटी स्थापित कराये जाने विषयक श्री राज किशोर रस्तोगी आदि निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ में ज्वैल सिटी हेतु प्रस्तावित भूमि पर ज्वैल सिटी स्थापित कराये जाने विषयक श्री राज किशोर रस्तोगी व श्री विवेक रस्तोगी निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

ख्12.26 बजे, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–9, 10 एवं 11 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–12 लेता हूं। आज दिनांक 10–03–2015 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं। प्रथम तीन सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना (1) श्री प्रदीप माथुर, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री गजराज सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री दलजीत सिंह, कुं0 कौशल सिंह, श्री गयादीन अनुरागी, श्रीमती उमाकान्ती, श्री संजय प्रताप जयसवाल, श्री राधेश्याम, श्रीमती अराधना मिश्रा ''मोना'', श्री अजय कुमार ''लल्लू'' (2) डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश में गन्ना किसानों के निर्धारित समर्थन मूल्य रु0 280/– प्रति क्विंटल के भुगतान में रु0 40/– प्रति क्विंटल का भुगतान न किये जाने एवं गन्ना समर्थन मूल्य रु0 350/– प्रति क्विंटल की मांग पूरा न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की प्रदेश के 44000 शिक्षकों (प्राथमिक शिक्षक) के स्थानान्तरण के दौरान उनके साथ हुए अन्याय को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर में दिनांक 28–02–2015 को कोतवाली बड़हलगंज के अन्तर्गत स्थानीय व्यापारियों की सूचना के बावजूद राम निवास यादव की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के गांव बलिपुर थाना नगला खंगर के निवासी इन्द्रेश चक की नाबालिग बच्चियों के साथ दिनांक 02–03–2015 की रात्रि अगवा कर सामूहिक बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :–

1. श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री धर्मपाल सिंह,
2. श्री सतीश महाना,
3. श्री लोकेन्द्र सिंह,
4. श्री अगयश राम सरन वर्मा,
5. श्री अनीसुर्रहमान,
6. श्री दलवीर सिंह, श्री भगवती प्रसाद,
7. श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,
8. श्री रोशनलाल वर्मा,
9. श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
10. श्री जय प्रकाश निषाद।

आप लोग कृपया संक्षेप में ग्राह्यता पर बोलें, इस पर ज्यादा चर्चा न करायें।

'श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार का ध्यान इस बात की ओर ग्राह्यता के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बड़ा पुरसाहाल है। प्रदेश सरकार और चीनी मिल मालिकों की मिलीभगत से आज पूरे प्रदेश का किसान त्राहिमाम–त्राहिमाम कर रहा है। किसानों का 31 सौ करोड़ रुपया मिल मालिकों पर बकाया है, प्रदेश सरकार उन पर इतना दबाव नहीं बना पा रही है कि गन्ना किसानों को उनकी लागत मूल्य का जो 31 सौ करोड़ रुपया है वह उनको मिल पाये। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल 23 हैं, शुगर कारपोरेशन की 1 है और निजी क्षेत्र की टोटल शुगर मिल 94 हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 118 शुगर मिलें हैं। चीनी मिल समूह ने किसानों की बहुत बड़ी रकम दबा रखी है। निजी चीनी मिल समूह में मोदी, यदु, बजाज, सिम्भावली, मवाना, उत्तम, राणा एवं वेब समूह ने किसानों का बहुत कम मूल्य अदा किया है। आज स्थिति यह है गन्ने का लागत मूल्य भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। यदि आप शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान के आंकलन पर जाएं तो किसानों का उत्पादन मूल्य 220 से 230 रुपये प्रति क्विंटल आता है और प्रदेश सरकार ने 280 से 290 रुपये प्रति क्विंटल किसानों का गन्ना मूल्य रखा है जो कि उत्पादन लागत से थोड़ा सा ही ज्यादा है। आज स्थिति यह हो गयी है कि गन्ना मिलें बीमार पड़ी हैं या जो निजी समूह की फैक्ट्रियां हैं वह अपने तानाशाही तरीके से इन किसानों का शोषण कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की बात करती है तो क्यों नहीं वह गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ाती है। बीच के बिचौलिये जबरदस्त तरीके से सक्रिय हैं वह किसानों से गन्ना खरीदते हैं उनको पैसा चाहिए होता है और वह गन्ना मिल

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

मालिकों से सांठ–गांठ करके उसे बेचते हैं। पश्चिम से लेकर पूरब तक आप यदि देखें तो सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, फैजाबाद, देवीपाटन तथा पूर्वान्चल के कई मण्डलों में गोरखधंधा चल रहा है। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि किसानों को उनकी लागत का 350 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाना चाहिए। आज स्थिति यह हो गयी है कि किसान अपनी बेटियों के विवाह के ऋण का पेमेण्ट करने के लिए तरस गये हैं पैसे के लिए। सरकार को उन मिल मालिकों पर दबाव डलवा कर उनका भुगतान किया जाना चाहिए। मान्यवर, प्रदेश के गन्ना किसानों का चीनी मिलों द्वारा गन्ने के बकाये का भुगतान समय पर न किये जाने के सापेक्ष में 350 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया जाना, प्रदेश की बन्द चीनी मिलों को शुरू किया जाना तथा मिलों पर भ्रष्टाचार और घटतौली के कारण भारी रोष व्याप्त है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त प्रदेश में ऐसी तमाम मिलें बन्द पड़ी हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वस्त कर चुके हैं आगरा और अलीगढ़ मण्डल में छाता चीनी मिल बन्द पड़ी है। लालफीताशाही के चलते हुए वह शुगर मिल आज भी चालू नहीं हो पायी है।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब केवल गन्ना मूल्य तक अपने को सीमित रखिये।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, वहां गन्ना किसानों ने गन्ना बोना बन्द कर दिया है। प्रदेश की स्थिति बहुत गंभीर है इसलिए सारे कार्य रोककर चर्चा करायी जाए और गन्ना किसानों के हित में काम किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब, ग्राह्यता पर बोला जाता है, चर्चा थोड़े ही की जाती है आप तो पढ़ रहे थे।

(श्री पंकज मलिक के खड़े होने पर)

श्री प्रदीप माथुर–

अध्यक्ष जी, पंकज मलिक जी को अवसर दे दीजिए।

'श्री पंकज कुमार मलिक–

माननीय अध्यक्ष जी, एक गम्भीर मामला है, किसान आंदोलित है, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आपकी पार्टी के नेता बोल चुके हैं, पचास लोग लिख करके दे देते हैं तो क्या सभी बोलेंगे ?

श्री पंकज कुमार मलिक–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में गन्ना किसान आंदोलित हैं, किसानों ने मुझे चुनकर भेजा है और आपकी कृपा हो जायेगी तो उनकी आवाज को यहां उठा पाऊंगा।

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा क्षेत्र शामली और जनपद मुजफ्फरनगर के किसानों का एक शुगर मिल है जिस मिल पर गन्ना किसानों का गन्ना लगता है वह है तितावी शुगर मिल। वहां पर धरना चल रहा था, मैं बधाई देना चाहूंगा सरकार को कि सरकार ने इन्स्ट्रेस्ट लिया और अपने अधिकारियों को कहकर किसानों से बात करायी, वहां समझौता हुआ परन्तु प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों का हुआ मिल से नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है आज भी तितावी शुगर मिल पर किसानों का लगभग 250 करोड़ रुपया बकाया है। पिछले वर्ष का समझौता होने के बाद 92 करोड़ रुपया बकाया है लोग 25 दिन धरने पर बैठे रहे, सरकार ने सुना और गम्भीर बात तो यह है कि सरकार की जागरूकता के बाद भी उसका भुगतान आज तक नहीं हो पाया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इस पर कड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता है। एक सुझाव भी देना चाहूंगा गन्ना किसान लुट रहा है, पिट रहा है, बर्बादी के कगार पर है अगर शुगर मिल को नुकसान होगा, चीनी को नुकसान होगा तो गन्ना किसान मरेगा। मान्यवर, किसान तो मर ही रहा है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार द्वारा अगर कोई सब्सिड़ी दी जाती है चीनी मिलों को और चीनी के लिए दी जाती हो तो उसका ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो सब्सिड़ी प्रदेश सरकार द्वारा दी जाए वह राशि किसान के खाते में जाए जिससे उसका भुगतान भी हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष–

जो विषय है उस पर अपनी बात रखिये।

श्री पंकज कुमार मलिक–

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि चीनी का बुरा हाल है महाराष्ट्र और कर्नाटक से आने वाली चीनी पर रोक लगायी जायेगी तो यहां की चीनी बिकेगी यहां की चीनी बिकेगी तो किसान का लाभ होगा उसका भुगतान देने में मजबूती के साथ सरकार विचार करेगी। अध्यक्ष जी आपने हमारी बात को सुना किसानों के दर्द को सुना इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नहीं है आपके दस्तखत भी नहीं हैं आप बैठ जाएं। मैंने लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी को बुला लिया है।

श्री दलवीर सिंह–

केवल एक मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष–

आप जब चाहें खड़े हो जायं यह नहीं होगा आप जब चाहते हैं बोलने लगते हैं। आपकी सूचना नहीं है। आपका इन्टरेस्ट था तो आप भी लिखकर दिए होते। अब किसी ने प्रश्न उठा दिया तो अपना भी बोलने लगे। यह नहीं लिखा जाएगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर जो गन्ना किसानों से सम्बंधित है, की ग्राह्यता पर मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। बड़ी विकट समस्या गन्ना किसानों के सामने है। उत्तर प्रदेश के लगभग 32 जिलों में गन्ना किसान है और गन्ना किसानों को 650 करोड़ रुपया पिछले सत्र का बकाया है। इस बार गन्ना किसान ने 11 हजार करोड़ से ऊपर का गन्ना बेचा है। 4,634 करोड़ का कुल गन्ना भुगतान हुआ है। लगभग 6,390 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान इस वर्ष का बकाया है। पिछली बार जो 280 रुपए गन्ना किसानों का रेट तय हुआ था वह रेट कम था सरकार ने अगर वायदे के मुताबिक कृषि मूल्य आयोग का गठन कर दिया होता और उसके अनुसार लागत निर्धारित की होती तो 280 रुपए का रेट तय न होता इस 280 रुपये में से भी 40 रुपए का भुगतान अभी तक मिल मालिकों ने नहीं किया है। 240 का भुगतान हुआ है। 40 रुपए का जो भुगतान रोक रखा है 9,434.37 करोड़ का किसान का बकाया है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि 40 रुपए रोककर भी भुगतान पूरा नहीं हुआ है 6390 करोड़ रुपया इस सत्र का बकाया है और 650 करोड़ पिछले सत्र का बकाया है। आप भी यदि कोई व्यवसाय करते हैं चाहे किसान हों या व्यापारी हों और अगर अंधी पीसे कुकरी खाय अगर हम चक्की चलाते रहें और पीछे कुकरी चाट रही हो तो हमें क्या मिलेगा। अगर किसान का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होगा तो किसान की जो परिस्थिति है उसका आंकलन कम से कम सदन को तो करना चाहिए। यह सदन सभी का प्रतिनिधित्व करता है चाहे पक्ष हो या विपक्ष सभी को किसानों के पास जाना है और गांवों में जाना है। बकाया वसूली के बारे में हाई कोर्ट ने भी कई बार आर्डर किए सरकार ने प्रयास किया लेकिन किसी मिल मालिक को बन्द नहीं किया। सेठ को बन्द कर दो सेठानी 24 घंटे में पेमेंट करा देगी। मैनेजर के बन्द करने पर पेमेंट नहीं होगा। मालिक मैनेजर की जमानत कराकर ले आएगा। मालिक जब जेल में जाएगा और बैरक में जब मच्छर खाएंगे तो सेठानी कहीं से भी पैसा लाकर उसकी जमानत करा लेगी। सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए सदन में आम धारणा बनाकर गन्ना किसानों का हित साधना चाहिए। हमारे साथ बैठी विधायिका बिमला सोलंकी जी बुलन्दशहर में चीनी मिल है जिसकी 600 करोड़ कीमत की जमीन है 29 करोड़ में एक व्यक्ति ने इसको खरीदा है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें यह सवाल कहां से आ गया ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, उसने मिल बन्द कर दी 600 करोड़ की जमीन को हाउसिंग को बेचने जा रहा है। किसान का गन्ना मारा गया वह मिल बन्द करके भाग गया आपने कृपा करके मुझे ग्राह्यता पर सुना मेरा निवेदन है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करके

गन्ना किसान के महत्वपूर्ण प्रश्न पर अगर आप सुन लेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और इस सदन की आम राय बनेगी न सत्ता पक्ष की राय में कोई अन्तर होगा न विपक्ष की राय में कोई अन्तर होगा गन्ना किसानों के पक्ष में एक राय होकर जब हम इस विषय को सदन में रखेंगे तो निश्चित तौर पर मालिक डर के मारे पेमेंट करेगा। मैं फिर कह रहा हूं सेठ को बन्द कर दो सेठानी भुगतान करवा देंगी ।

(श्री दलबीर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

दलबीर सिंह जी आपने नियम–56 में इसकी सूचना नहीं दी जब चर्चा होती तो चर्चा में आप भाग ले सकते थे। ग्राह्यता में आपको बोलने का कोई हक नहीं बनता नियमों में आप थोड़ी हमारी भी बात मानिए यह कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री दलवीर सिंह–

सरकार ने अपनी चीनी मिलों का भुगतान कर दिया है उससे हम सहमत हैं।

अभी बाजपेयी जी कह रहे थे, सेठ सेठानी की बात कह रहे थे कि सेठ को बन्द कर दो, वसूली हो जायेगी। आपका पुलिस का एक सब इन्स्पेक्टर चला जायेगा तो निश्चित रूप से वसूली हो जायेगी। प्राइवेट मिलों से वसूली करने के लिये सरकार कोई ठोस नीति बनाये और सख्ती से काम करे तो निश्चित रूप से वसूली हो जायेगी, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, आपको कुछ कहना है ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, बहुत बड़ी रकम अदा कराई गई है। कुछ कारखाने ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा है, उसका परीक्षण करा रहे हैं। जल्द से जल्द इसका निस्तारण करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय सदस्यों को सुना और संसदीय कार्य मंत्री को सुना, यह नियम–56 में नहीं आता इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं। अगला राधा मोहन जी का है।

(कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा अपने–अपने स्थान से एक साथ बोलने पर शोर)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने गन्ने के बकाये के भुगतान के लिये कहा था। आपका संरक्षण चाहिए। प्रदेश के गन्ना किसानों को आपका संरक्षण चाहिए मान्यवर।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, गन्ना किसानों का भुगतान होना चाहिए। इस पर माननीय मंत्री जी का कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं है इसलिये हम और हमारा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

श्री पंकज कुमार मलिक–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बकाये का ब्याज सहित भुगतान होना चाहिए।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान करने में सरकार विफल रही है, भुगतान की कोई चिन्ता नहीं कर रही है, सरकार के इस रवैये के विरोध में हम और हमारा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(इसी मध्य श्री प्रदीप माथुर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा श्री दलवीर सिंह, राष्ट्रीय लोक दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर साहब आपका है, आप बोलिये। अब आप जाने दीजिये खन्ना साहब को।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी,..

श्री अध्यक्ष–

नियम यह है कि जब पूरा दल करता है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मैंने अनुमति ले लिया है उनसे अध्यक्ष जी। मैं बिना अनुमति के यहां नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, बोलिये।

'डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रदेश के 44 हजार शिक्षकों के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाने की अनुमति दी। माननीय मंत्री जी हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं गारन्टी ले सकता हूं। छात्र जीवन से हम लोगों ने एक साथ अध्ययन भी किया है, बहुत ईमानदार भी हैं।

श्री अध्यक्ष–

लड़ते तो बहुत हैं आप।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अब यह एक मंच है, जिस पर हमको अपने दायित्व का निर्वहन करना था, कोई निजी बात तो थी नहीं। और अध्यक्ष जी, यह भी एक उदाहरण

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

है कि 44 हजार शिक्षकों के स्थानान्तरण हुए हैं किसी एक भी व्यक्ति ने किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है, यह एक सत्य है। (मेजें थपथपाई गईं) ऑन लाइन आवेदन मांगे गये हैं। ऑन लाइन लोगों ने आवेदन दिये हैं और पूरे पारदर्शी तरीके से यह स्थानान्तरण किये गये हैं। मैं इस विषय पर जा ही नहीं रहा हूं। मेरा विषय दूसरा है। यह जो स्थानान्तरण किये गये हैं वह जो नियमावली है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 उसके नियम–22 के अन्तर्गत किये गये हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर खुले मन से विचार करें। यह नियमावली यह कहती है कि किसी अध्यापक की, जैसे नियम–21 के उपबन्धों के अनुरूप एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो। ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानान्तरण का आदेश जारी किये जाने के दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है संबंधित स्थानीय वर्ग तथा श्रेणी में अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जायेगा। इसने विसंगति पैदा की। पूरे प्रदेश में माननीय अध्यक्ष जी स्थानान्तरण होते हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां हम एक जनपद से दूसरे जनपद में कम से कम क और ख में स्थानान्तरण नहीं करते हैं और किसी भी विभाग में स्थानान्तरण करते समय किसी भी प्रकार की ज्येष्ठता सूची नहीं बनाई जाती है। जो स्थानान्तरित होने वाले व्यक्ति की मौलिक ज्येष्ठता सूची होती है, दूसरे जिले में जा करके वह उसी ज्येष्ठता सूची के अनुरूप काम करता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को कहेंगें कि सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची जनपद आधार पर बनती है। लेकिन दूसरा तथ्य यह भी है कि जब हमने 44 हजार, इतनी बड़ी संख्या में। 44 हजार कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। जब हमने इतनी बड़ी संख्या में हमने स्थानान्तरण करने का निर्णय ले लिया, तो जिसे हम जनपदीय कैडर कह रहे हैं, मूलतः हमने सिद्धान्त से हट कर करने का काम किया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

और हमें यह देखना चाहिए कि जो शिक्षक पहले से इस प्रदेश में अपनी सेवा दे रहे हैं उनकी वरिष्ठता प्रभावित न हो पाए। इसका फल क्या हुआ अध्यक्ष महोदय, फल यह है कि विशिष्ट बी0टी0सी0 की जो नियुक्तियां, आपको बताना आवश्यक नहीं है, आप सभी जानते हैं 2009 में तीन चार महीनों में लगातार जिन लोगों ने ज्वाइन किया था जिनकी 2012 और 2013 में नियुक्तियां हुई थीं जब आपने उन्हें स्थानान्तरित किया है तो जिन जनपदों में वह गए हैं वहां वह बेसिक शिक्षा अधिकारी की मर्सी पर हो गए हैं। दो मुद्दों को लेकर मान्यवर, मैं आपके सामने आया हूं उनकी सीनियारिटी कहां रखी गई और दूसरा जब प्रमोशन आया तो क्या प्रमोशन का अधिकार निर्धारित करते समय उनकी मूल नियुक्ति को आधार बनाया गया या जिस जनपद में वह स्थानान्तरित होकर गए थे उस जनपद में उस सीनियारिटी को उसका आधार बनाया गया। जो शिकायतें मिली हैं अर्न्तजनपदीय शिक्षकों की मिली हैं आपकी भी जानकारी में होगा, मेरी भी जानकारी में है, माननीय मंत्री जी से भी वह लोग मिले थे। जो शिकायतें मिली हैं उसमें 2009 के बैच के शिक्षकों को 2009 के बैच के स्थानान्तरित जनपदों की सूची में न रखके उस जनपद

में जो 2013 के शिक्षक थे उनकी भी सूची के नीचे रख दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस नियमावली पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए। यह नियमावली नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है और हमें इस नियमावली में परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर नियमावली में परिवर्तन बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं कर सकता है। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर जो नियमावली कहती है उसका भी अनुपालन न करके उनकी वरिष्ठता को 2009 के बैच के शिक्षकों की वरिष्ठता के आधार पर रखने की जगह पर 2013 बैच के शिक्षकों के नीचे डाल दिया गया है। यह मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं आपके पास भी ऐसी शिकायतें आई होंगी। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय जब यह शिक्षक प्रमोट होते हैं तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि प्रमोशन के समय उनकी सीनियारिटी कैसे दी जाए। एक जो आधार बना दिया गया कि अगर हम गोरखपुर से देवरिया चले गए देवरिया की सूची में हमारा नाम सबसे नीचे आ गया तो हमारे प्रमोशन होते समय सबसे नीचे वाले नाम को हम सबसे बाद में ले रहे हैं और इस नाते अगर हमने पांच साल की सेवा पूरी कर ली है जो आपकी शर्त है प्रमोशन की, तो भी हमें कन्सीडर प्रमोशन के लिए नहीं किया जा रहा है और यह संख्या थोड़ी नहीं है जो गोरखपुर जनपद से मुझे आंकड़े दिए गए हैं वह 777 ऐसे लोग हैं जिनका प्रमोशन इस प्रकार से प्रभावित हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं बहुत विनम्र निवेदन करूंगा इस नियमावली पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए अगर आपको विवेक सम्मत लगे तो ? दूसरा जिस संवर्ग में वह स्थानान्तरित होकर गए हैं उन्हें कम से कम उस संवर्ग की सूची में सबसे नीचे रखना चाहिए। तीसरा आपकी जानकारी में है मा0 उच्च न्यायालय के लखनऊ कोर्ट में 2014 में और पुनः जनवरी 2015 में दो बार यह आदेश दिए हैं कि आप उनका नाम सीनियारिटी में जनपद में नीचे रख सकते हैं। मैं इसकी अवहेलना नहीं कर रहा हूं क्योंकि नियमावली यही कहती है। लेकिन जब प्रमोशन करेंगे तो शिक्षक की मूल नियुक्ति को आधार लेना चाहिए नये जनपद में तैनाती को आधार नहीं लेना चाहिए। यह मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ का आदेश भी है और न्याय की दृष्टि से भी यह उचित लगता है। मैं इसी विषय को लेकर आपके बीच में आया हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि सदन की कार्रवाई स्थगित कराकर इस पर चर्चा करायें।

'बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोविन्द चौधरी)–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने अच्छा प्रश्न उठाया है यह जिला कैडर है और इसके नियुक्ति अधिकारी जिला बेसिक अधिकारी हैं। जो बेरोजगारी की समस्या है जब विज्ञप्ति निकलती है मा0 अध्यक्ष जी, तो एक ही अभ्यर्थी कई जनपदों में एप्लाई कर देता है। बल्कि पूरे प्रदेश में एक अभ्यर्थी एप्लाई कर देता है कि जहां हमारी मेरिट मिल जाए वहां हमारी नियुक्ति हो जाए तो नियुक्ति लेने के लिए तो अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में आवेदन करते हैं नियुक्ति भी पा जाते हैं और बाद में प्रेशर पड़ता है कि हम बहुत दूर हो

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

गए हैं हमको अपने जिले में भेजा जाए। यह शर्त इनको बता दी जाती है और एफीडेविट भी इन्होंने भरा होता है कि जिस जनपद में यह जाएंगे वहां सबसे नीचे हम सीनियारिटी में रहेगें। यह उनको बता दिया जाता है। स्थानान्तरण के बाद भी बहुत से अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किए कि जब हमारा प्रमोशन हो जाएगा तब ज्वाइन करेंगे। लेकिन आपकी बात भी गम्भीर है। हम भी इस पर विचार कर रहे हैं और पांच वर्ष की बजाय हमनें तीन वर्ष कर दिया है कि तीन वर्ष जो टीचर पढ़ा ले वह प्रमोशन की दृष्टि से पात्र हो जाए। इसका हम प्रावधान बना रहे हैं और जल्द ही इसका भी प्रावधान आ जायेगा। इसलिये यह नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आता है इसको समाप्त किया जाये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, 2009 के जूनियर मोस्ट स्थान पर रखने की जगह पर 2013 की सूची के भी नीचे रख दिया जा रहा है। यह तो नियमतः भी गलत है और आप इसको मानेंगे। कृपया इसको दिखवा लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 श्री राधामोहनदास अग्रवाल जी को सुना, मा0 मंत्री जी को सुना। यह नियम–56 में नहीं आता है इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से नियम–56 के तहत मैं सरकार का ध्यान गोरखपुर जनपद के अपनी विधान सभा क्षेत्र के एक गम्भीर विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। एक घटना को लेकर तीन एफ0आई0आर0 दर्ज हुयी हैं उन तीनों का मैं जिक्र करना चाहूंगा और आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी और सरकार के अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि 28 फरवरी को गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के एक व्यापारी ने पुलिस को फोन किया कि चार संदिग्ध लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं और इनकी हरकतें बहुत अजीब लग रही हैं, लगता है कि कोई बड़ी वारदात या कोई बड़ा हादसा हो जायेगा। आप लोग कुछ करिये। 20–25 मिनट के अन्दर वहां पर एक दरोगा मय पिस्टल के और दो रायफलधारी सिपाही पहुंचते हैं। उनको देखते ही दो मोटरसाइकिल पर एक–एक अपराधी निकल गये और दो व्यक्ति अपने असलहों के साथ पैदल निकल गये। एक किलोमीटर तक उन अपराधियों के पुलिस पैदल पीछा करती रही। इस एक किलोमीटर के दौरान दरोगा ने किसी से बात की किसी से मदद मांगी, सिपाही ने किसी से बात की अपराधी ने किसी से बात की। एक किलोमीटर दोनों चलते रहे उसके बाद जब स्टेट हाईवे आया तो वहां पर पहुंचते ही उस अपराधी ने राह चलते एक व्यक्ति राम निवास यादव जो एक पैर से विकलांग था वह पीछे बैठा था और राम भुवाल यादव जो उसका भतीजा था वह गाड़ी चला रहा था। दोनों अपराधियों ने उसको रोका और गाड़ी छीनने का प्रयास किया। जब यह घटना घट रही थी तो बीस मीटर दूरी पर वह दरोगा और सिपाही खड़े थे। उन दोनों ने कहा कि मैं अपनी गाड़ी क्यों दूं, इस पर अपराधियों ने उन पर रिवॉल्वर तान दी

तो वह विकलांग व्यक्ति और उसका भतीजा उन असलहाधारी अपराधियों से जूझ पड़े। पुलिस वहां तमाशबीन बनी खड़ी रही। उन अपराधियों ने विकलांग राम निवास यादव को पांच गोलियां मारीं जिससे वह वहीं गिर पड़ा और एक गोली उन्होंने राम भुवाल यादव को मारी वह भी वहीं गिर पड़ा। इस बीच वह दरोगा अपना असलहा निकाल चुका था और असलहा निकालते हुए वह कांप रहा था। पब्लिक चिल्ला रही थी कि अपराधियों को जल्दी मारो–जल्दी मारो, हवाई फायर करो, कुछ करो। पुलिस के लोग मूकदर्शक खड़े रहे। पुलिस के सामने छह गोलियॉ चलीं जिससे वह विकलांक व्यक्ति राम निवास यादव तत्काल मौके पर ही मर गया और राम भुवाल को आनन–फानन में गोरखपुर भेजा गया। यह सही है कि गोरखपुर में एस0एस0पी0 और जिलाधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम उन पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन लेंगे जो वारदात के समय मौके पर मौजूद थे। उनको कम से कम हवाई फायर तो करना चाहिये था कुछ तो करना चाहिये था। उन्होंने तत्काल एक लाख रुपये मृतक को देने की बात कही और पचास हजार रुपये घायल को इलाज कराने के लिये देने की बात कही और यह कहकर निकल गये। वारदात में घायल लड़का गोरखपुर से पांचवे दिन मेडिकल कालेज लखनऊ रेफर कर दिया गया और छठवें दिन उसकी मौत हो गई। जब 28 फरवरी को राम निवास की मौत हो गई तो ग्रामीण जिसमें गुस्से में शव लेकर चक्का जाम करने के लिये निकले। वहां लोगों ने समझाया कि यह उचित नहीं है। पुलिस ने भी कहा कि हमें अपराधियों तक पहुंचने का मौका दीजिये। आपस में उलझने से अपराधी भाग जायेंगे। उन लोगों ने मान लिया और आन्दोलन नहीं किया और शवदाह कर दिया। इस बीच उस परिवार से जिलाधिकारी द्वारा जो आर्थिक मदद देने को कहा गया था वह भी मदद नहीं पहुंची। चूंकि पुलिस के सामने पुलिस का काम करते हुए निहत्थे लोग अपराधियों से जूझते हुए मारे गये थे इस नाते उनके प्रति सहानुभूति भी थी और पुलिस प्रशासन के प्रति गुस्सा भी।

अध्यक्ष जी, जब राम भुआल की मौत की घटना हो गयी और जिलाधिकारी द्वारा भी कोई मदद नहीं पहुंची तो पूरा का पूरा क्षेत्र आक्रोशित हुआ, वह लोग राम भुआल की लाश लेकर आए और नेशनल हाई वे पर जहां से शव दाह की ओर जाया जाता है, वहां लोग बैठ गए। उसमें बैठने वालों में समाजवादी पार्टी के भी लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे, बी0एस0पी0 के भी लोग थे, उसमें सारे दल के लोग थे क्योंकि यह भी सही है कि उस आन्दोलन के दौरान न तो सरकार विरोधी कोई नारे लगे, न तो कोई अपशब्द किसी ने कहा, बस यह मांग थी कि जिलाधिकारी महोदय आ जायें, यह बता दे कि आश्वासन दिया था, सहयोग का वह क्यों नहीं हुआ और पुलिस के सामने, पुलिस के चलते जो व्यक्ति मारा गया, उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ और परिवारीजनों को क्या आर्थिक लाभ दिया गया ? लेकिन यह कुछ भी नहीं हुआ, बाद में जिलाधिकारी महोदय आए, उन्होंने आश्वासन दिया और वहां जनता की जो मांग थी और हम भी आपके माध्यम से उसे सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, वह विकलांग होते हुए, निहत्था, बहादुर की तरह से अपराधियों से लड़ा है, उसने सरकार का काम किया है,

पुलिस का काम किया है, सरकार और पुलिस की मदद की है, निश्चित रूप से उसका वीरता पुरस्कार पाने का हक बनता है, उसे वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए और उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, ग्रामीणों ने 20–20 लाख रुपये की मांग की है, मैं भी मांग करता हूं अब सरकार उसके परिवार की कितनी मदद करती है। वह परिवार इसलिए दुखी है क्योंकि जिलाधिकारी की घोषणा के बाद भी कोई मदद नहीं मिली, घर वाले कहते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि डेढ़ लाख रूपया अभी दे रहा हूं, अगर जिलाधिकारी ने उसे दे दिया होता तो शायद उसका इलाज हम प्राइवेट अस्पताल में कराकर उसे बचा सकते थे। उनको लगता है कि पुलिस की वजह से एक की जान गई और जिलाधिकारी की वजह से दूसरे की जान गई। इस गुस्से में वह लोग सड़क पर आन्दोलन करने के लिए बैठ गए। लड़के का बाप बार–बार कहता रहा कि जिलाधिकारी साहब को बुला दीजिए, मैं पूछ लूं कि वह पैसा कहां है जो आप सहयोग देना चाहते थे, मेरे बेटे के इलाज के लिए, मैं उठ जाऊंगा। हम लोग समझाये कि जाम न करो, समाजवादी पार्टी के जिला सहकारी बैंक के जो चेयरमैन हैं, वह भी समझाये की जाम न करो लेकिन वह और उस पूरे गांव के लोग जिद पर अड़े रहे, मजबूरन हम लोगों को भी वहां रूकना पड़ा, इसलिए रूकना पड़ा क्योंकि एक कलंक पुलिस के माथे पर लग चुका है, वह कायर की तरह भाग गयी और वह लड़का मारा गया, इस तरह से तो इन पर मुकदमा हो जायेगा, अगर हम इनके साथ खड़े नहीं हैं। हम लोगों ने जिलाधिकारी से कहा कि आप आ जाइये, इनकी बात सुन लीजिए, वह आए मगर तीन घण्टे बाद बात सुनी और आश्वासन दिया कि मैं उन पुलिस वालों पर कार्यवाई करूंगा, मैं 20–20 लाख रुपये के लिए शासन को लिखूंगा। इनको वीरता पुरस्कार दिया जाए, इसमें हमारा काम किया है, सरकार का काम किया है, पुलिस का काम किया है। वहां एस0एस0पी0 भी आए। इसके बाद वह लोग चले गए। रात में मुकदमा दर्ज हुआ, मैं जानता था कि ऐसा होगा, मुझे पता है, यह गलत है, एनएच पर जाम नहीं होना चाहिए तो मुकदमा होना ही था। लेकिन किसी की हमदर्दी में यह गुनाह हुआ है तो उसकी सजा के लिए सब लोग मानसिक रूप से तैयार भी थे, मगर मैं दूसरी बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, रात के 9.00 बजे जिस जीडी पर जितने लोगों के नाम मुकदमें में दर्ज किए गए थे वे नाम दूसरे दिन अखबारों में छप भी गए, समाजवादी पार्टी के जिला चेयरमैन और जिलाधिकारी का फोटो छप गया, उनका नाम भी एफआईआर में था, सुबह जीडी बदल दी गयी और पता लगा कि केवल राजेश त्रिपाठी और उनके लोगों के नाम हैं, बाकी सारे नाम निकल गए। मुझे इसकी शिकायत नहीं है, वह निकलना चाहते हैं, निकलें लेकिन जो व्यक्ति पुलिस का काम करते हुए मरा है, उसे वीरता पुरस्कार सरकार दे, उसके परिवार को 20 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाए या जो आप कर सकते हैं और जो पुलिस के दरोगा और सिपाही जिस तरीके से 10–20 कदम पर घटना हो रही थी, कुछ नहीं कर पाए, उन पर एक्शन लिया जाए और जिलाधिकारी जैसा जिम्मेदार व्यक्ति जिनको पता था कि 04 घण्टे बाद जाम होगा, यदि पहले ही पहुंच कर उस परिवार को सांत्वना दे दी होती

मदद की होती तो यह नौबत न आती न उन्होंने हमदर्दी दिखायी, न जिम्मेदारी निभायी, न बहादुरी दिखायी, न ईमानदारी दिखायी। इसलिए मैं इस मुद्दे पर काम रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय सदस्य काफी संजीदा सदस्य है और आम तौर पर यह देखा गया है कि आपने कोई बात भी सदन में ऐसी नहीं कही है जो हल्की हो या तथ्यों से परे हो। इसे बहुत गंभीरता से लिया जायेगा और किस स्टेज पर नाम निकाले गए और क्यों पक्षपात हुआ, यह भी देखा जायेगा और जहां तक वीरता पुरस्कार की बात है, उसका एक मानक है, उसकी एक प्रक्रिया है, वह देख ली जायेगी और जहां तक इसमें दिल का और बुजदिली का सवाल है, मान्यवर, बुजदिल को बहादुर तो बनाया नहीं जा सकता, बहादुर, बुजदिल जरूर हो जाता है। बहरहाल यह पूरा प्रकरण बहुत संजीदा है।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मान्यवर, अगर परिवार की आर्थिक मदद हो जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं नेता सदन से इस बारे में अलग से बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैंने त्रिपाठी जी को सुना और मा0 संसदीय कार्यमंत्री को सुना। नियम–56 में नहीं आता है। मैं इसे अग्राह्य करता हूं। देखिए असीजा जी मैंने आप पर ध्यान आकृष्ट कर लिया है। तो आप क्या बोलेंगे जब हम आपका पूरा पढ़ दे रहे हैं। आप बहुत घुमा कर नहीं दो मिनट में कह लीजिए।

'श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, मैं बिल्कुल घुमा कर नहीं बोलूंगा। मैं अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देता हूं, नियम–56 के अंतर्गत आपने एक अत्यन्त गंभीर घटना के ऊपर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 2 मार्च की रात को थाना नगला खंजर में एक अनुसूचित जाति के मजदूर का निवास है। इन्द्रेश चक नाम के उस गरीब मजदूर की दो नाबालिग, एक बेटी और एक भतीजी हैं। 14 साल की उनकी बेटी और 12 साल की उनकी भतीजी है। गांव के ही दबंग एक नागेन्द्र नाम के व्यक्ति ने अपने दो साथी अनुपम और नन्दू उर्फ छोटू के साथ रात को हथियारों के बल पर गांव बलीपुर में इन्द्रेश चक के निवास से उनकी दोनों बेटियों को अगवा कर लिया। रात को उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। सवेरे हाहाकार मचा उस आरोपी के घर से उन दोनों बच्चियों को बरामद किया गया। इन बच्चियों का पिता जो मजदूरी के काम से जयपुर गया हुआ था, तीन तारीख को लौट कर आने के पश्चात् उसने लिखित तहरीर थाना नगला खंजर को दी। पूरा तीन तारीख का दिन निकल गया न मेडिकल

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

हुआ न रिपोर्ट दर्ज हुई। चार तारीख को जब यहां सदन का अवकाश था मैं वापस जा रहा था, शाम को लगभग चार–पांच बजे उन पीड़ित बच्चियों के पिता का मेरे पास फोन आया। मैंने जिले के सम्बन्धित अधिकारियों को सूचना दी। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज हुई और मेडिकल की कार्रवाई हुई। महोदय बच्चियॉ सबकी होती हैं कोई जाति, धर्म, दल नहीं होता लेकिन अनुसूचित समाज की नाबालिग बच्चियों के साथ यह दुष्कर्म एक गंभीर घटना है लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह रही कि इसके बाद वह दबंग खुलेआम घूमते रहे और सम्बन्धित थाने की शह पर उनके ऊपर समझौते का दबाव बनाते रहे। हमारे जनपद थाने की महिला अध्यक्षा ने उन बच्चियों को बुरी तरह से डरा–धमका कर बयान बदलने के लिए दबाव बनाया। जब उन बच्चियों ने अपने परिवार को और परिवार के गांव के लोगों को बताया तो वह सब लोग इकट्ठे हुए फिर दबाव बना तो दोबारा उनके बयान दर्ज करने की बात आयी। इतने गंभीर अपराध में जहां बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ हो, दो दिन तक मेडिकल और रिपोर्ट दर्ज न हो मेरे द्वारा कहने के बाद भी यह दबाव बन रहा हो कि समझौता कर लें मैं समझता हूं मान्यवर यह ऐसी गंभीर घटना है जिसे शासन अत्यन्त गंभीरता से लेगा। इसमें जो दोषी हैं जिन्होंने लापरवाही की है ऐसे थाने के अधिकारी और जिस महिला थानाध्यक्षा ने उन बच्चियों पर दबाव बनाकर बयान बदलवाने का दबाव बनाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दोनों नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले जो अपराधी हैं वह समाज में खुलेआम घूमने के अधिकारी नहीं हैं। उनका इस तरह से घूमना किसी भी परिवार की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं यह कार्रवाई मांगता हूं कि सम्बन्धित लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इन अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करके उन पर कड़ी से कड़ी धारा पर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बैठिए। मा0 मंत्री जी इसको दिखवा लीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी मान्यवर, धाराएं तो इस पर वहीं है जो होती हैं आम तौर पर लेकिन दूसरी बात जो आपने कही है वह ज्यादा गंभीर है कि उनका बयान बदलवाने की कोशिश की गई इसका परीक्षण कराते हैं। ज़ाहिर है ऐसे मुजरिमों को आज़ाद घूमने का कोई हक नहीं है। उनकी गिरफ्तारी भी करवा देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैंने श्री मनीष असीजा जी को सुना, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, मैं इसे अग्राहय करता हूं।

ख1.02 बजे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)। माननीय अध्यक्ष जी, यह लोक सेवकों के लिए विवादों के निपटाने के लिए न्यायिक क्षेत्राधिकार प्राप्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) का गठन 1976 में हुआ था। मान्यवर, आज जो संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है वह जरा देख लें। मान्यवर, संशोधन का स्वरूप देख लें और उद्देश्य और कारण की मैं चाहता हूं कि पहले पैराग्राफ की नीचे से तीसरी लाइन देख लें। उपाध्यक्ष प्रशासकीय के पद पर नियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में प्रतिभावान और अधिक अनुभवी कुशल और पात्र अधिकारियों के यथोचित पूल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया है। पहले मान्यवर, इसमें जो योग्यता थी वह यह थी कि कम से कम दो वर्ष तक प्रशासकीय सदस्य का पदधारण न किया हो वह अर्ह नहीं होगा और दूसरी योग्यता यह थी कि उसने कम से कम दो वर्ष तक भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई पद धारण न किया हो जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम न हो और उसे राज्य सरकार की राय में न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव न हो। मान्यवर, एक तरफ उद्देश्य और कारण में तो यह बता रहे हैं कि ज्यादा कुशल हो ज्यादा प्रतिभावान हो और दूसरी तरफ मान्यवर, योग्यता कम कर रहे हैं। मान्यवर, यह एक ऐसा अधिकरण है जिसके समक्ष प्रमुख सचिव स्तर तक के अधिकारी उपस्थित होते हैं। उनके विवादों का निपटारा होता है। मान्यवर, यह अधिकरण न्यायिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो व्यक्ति विशेष के लिए योग्यता को कम करना, यह कौन सा औचित्य बनता है। मैं इसके उद्देश्य को समझ नहीं पाया। मान्यवर, पिन प्वाइंट करके केवल दो बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से इन अधिकरणों की गरिमा को और इनकी कार्रवाई को एक तरीके से डायल्यूट करने के उद्देश्य से यह लाया गया है। किसी व्यक्ति विशेष को उपाध्यक्ष बनाने के लिए यह लाया गया है। मान्यवर, यह इसकी महत्ता को कम करता है। और मैंने इसीलिए यह मांग की है कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। ताकि वह अपना प्रतिवेदन एक माह के बाद दे देंगे। मान्यवर, इसमें विशेष रूप से 1975 के जो सदस्य हैं वह तो मान्यवर, सदस्य रह जायेंगे और जिनको लाया जा रहा है वह इससे जूनियर हैं। वह 1977, 1978, 1979 के हैं। इसका प्रभाव यह होगा। इसलिए मान्यवर, मैं इस संशोधन पर बल देता हूं। और मैं विशेष रूप से सरकार से इस बात का आग्रह करता हूं कि इस प्रकार से जिनका न्यायिक क्षेत्राधिकार है इस प्रकार से उनकी महत्ता को कम करने का प्रयास न किया जाये। क्योंकि इसमें योग्यता को कम किया गया है। और यह एक गलत

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

मैसेज भी देता है। और व्यक्ति विशेष के लिए इस प्रकार का संशोधन कदापि उचित नहीं है। इसलिए मैं संशोधन पर बल देता हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक बात को कहकर अपने आपको सम्बद्ध करूंगा। यह जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस ऐक्ट 1976 है। इसकी विधिक शक्तियां है। इसका एक एन0जी0ओ0 है प्रोवाइडेड दैट व्हेयर एनी कोर्ट सबार्डिनेट टू द हाईकोर्ट हैज बिफोर द एप्वाइंटेड डेट पास्ड ए डिक्री इन रिस्पेक्ट आफ एनी मैटर मेंशन्ड इन सेक्शन 4, आर पास्ड एन आर्डर डिस्मिसिंग ए सूट आर एपियल फार नान प्रासीक्यूशन एण्ड दैट एग्रीव्ड बाई द डिसीजन आफ सज कोर्ट मे मेक ए रिफरेंश टू द ट्रिव्यूनल विदिन 60 डेज फ्राम द अप्वाइन्टेड डेट, एण्ड द ट्रिव्यूनल मे अफर्म, माडिफाई आर सेट असाइड सज डिक्री (बट मे नाट रिमाण्ड द केस टू एनी सच कोर्ट), एण्ड सच डिसीजन आफ द ट्रिव्यूनल शैल बी फाइनल। महोदय यह सामान्य संस्था नहीं है। हाईकोर्ट के नीचे की कोई भी न्यायिक संस्था, अगर उसने किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी आदेश दिया है तो प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वह व्यक्ति 07 दिनों के अन्दर एक आवेदन देता है तो यह प्राधिकरण माननीय न्यायालय की गतिविधियों पर हस्ताक्षेप करके, उनके निर्णय को रोक सकता है, बदल सकता है, समाप्त कर सकता है। इतना महत्वपूर्ण असंवैधानिक ट्रिबुनल है और इसमें इस प्रकार से राजनैतिक हस्ताक्षेप किया जाये तो कदापित अनुचित होगा और नैसर्गिक न्याय ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान की अवहेलना होगी। अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगा अपने माननीय नेता द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर बल देते हुए कि पुनः इस पर विचार करें।

श्री नदीम जावेद–

अध्यक्ष जी 02 मिनट का समय चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप जब संशोधन पर विचार किया जाये तब बोलियेगा अभी तो संशोधन दोनों सदस्यों ने रखे हैं। इनका संशोधन खत्म हो जाये। पहले इस पर मतदान हो जाये।

'श्री नदीम जावेद–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम 1976, 05 अप्रैल 1976 को स्वीकृत हुआ है और अध्यक्ष जी हमारे लोकतंत्र की और जनतंत्र की सबसे बड़ी जो कामयाबी है, वह यह है कि हमने इन्स्टीट्यूशन्स खड़े किये हैं। हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और अध्यक्ष जी इलेक्शन कमीशन जैसे इन्स्टीट्यूशन खड़े हुए जिसकी वजह से लोगो का विश्वास व्यवस्था के अन्दर है और इस व्यवस्था के अन्दर पूरा सिस्टम काम करता है। अध्यक्ष जी यह जो आज प्रस्ताव आया है बदलाव का यह राज्य सरकार ने 23 जुलाई 2013 को

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

अध्यादेश जारी किया और अध्यादेश विशेष परिस्थितियों में जारी किया जाता है राज्य सरकार द्वारा यानी कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जायेगी तो अध्यादेश के माध्यम से राज्य सरकार या केन्द्र की सरकार उस काम को करती है। अध्यक्ष जी इसमें जो डा0 साहब ने बात की उसी बात को जोड़ता हूं कि ऐज को बढ़ाया गया। कहां वह 67 वर्ष की जो आयु है चेयर मैन की वह 70 वर्ष कर दी जाये और दूसरा जो खन्ना साहब ने बात कही कि गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का जो एडीशनल सेकरेटरी लेवल का व्यक्ति है वह उसका वाइस चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा उसकी जगह पर सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि वाइस एडीशनल सेक्रेटरी गवर्नमेन्ट आफॅ इण्डिया की जगह ज्वाइन्ट सेक्रेटरी गवर्नमेन्ट आफॅ इण्डिया के स्तर का अधिकारी ही इसमें वाइस चेयरमैन बन सकता है। यानी क्वालिटी के साथ तजर्बे के साथ समझौता करने की बात कही। तीसरी बात अध्यक्ष जी बहुत महत्वपूर्ण है। यह बार–बार संशोधन आ रहे है। 2007 में नवें महीने में यह संशोधन आया और उसमें जो पहले उम्र थी, अधिनियमन मैं करता हूं उस अध्यादेश की मूल कापी का जो नियम है मैं नियम 03 पढ़ता हूं पांचवा उसमें लिखा हुआ है कोई व्यक्ति अधिकरण के सदस्य के रूप में न तो नियुक्त किया जायेगा और न उस पद पर बना रहेगा। एक भी उसमें उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश की स्थिति में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और किसी अन्य स्थिति में 61 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो यानी अगर 65 वर्ष न्यायाधीश के स्तर पर और अगर आई0ए0एस0 आफिसर है तो 61 वर्ष 2007 में संशोधन करके इसको 65 वर्ष 67 वर्ष कर दिया गया और अब एक और संशोधन आ रहा है कि इसको 70 वर्ष कर दिया जाये और क्वालिटी के साथ और तजुर्बे के साथ भी समझौता कर लिया जाये। क्या राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण देगी ? जो राधा मोहन अग्रवाल जी ने और खन्ना साहब ने प्रस्ताव रखा मैं उस पर बल देता हूं कि एक संयुक्त समिति बन जाये और उसमें यह तय हो कि आगे किस तरीके से संशोधन किये जायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप कुछ जवाब देंगे इस प्रश्न पर ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसमें कहीं सरकार की नियत में कोई खराबी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अधिकारियों की उपलब्धता हो, जिन्हे सदस्य नामित किया जाये या उपाध्यक्ष बनाया जाये क्योंकि उपलब्धता में परेशानी हो रही थी, इसके अलावा देखिये जिस बात को हम बार–बार कहते हैं कि यह संवैधानिक संकट पैदा हो जायेगा मान्यवर, इसमें आयु बढ़ा देने से कहां का संवैधानिक संकट पैदा हो जायेगा, बल्कि यह बात ज्यादा बेहतर है, आप हर जगह देख रहे हैं कि आयु बढ़ाई जा रही है तजुरबे के साथ उसका फायदा उठाया जा रहा है। तो आयु बढ़ाये जाने की भी मंशा सिर्फ उसके तजुरबे से फायदा उठाना है और मान्यवर, ज्वाइण्ट सेक्रेट्री या सेक्रेट्री होना है तो इसमें किसी तरह की नियमानुसार

कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा आपसे, क्योंकि उपलबधता में परेशानी आ रही थी, लिहाजा यह संशोधन करना आवश्यक था।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना संशोधन वापस लेंगे ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की बात से मैं सहमत हूं और जो इन्होंनें तजुरबे और आयु की बात कही उससे तो पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन ये तजुरबा और आयु सिर्फ इसी प्राधिकरण के लिए ही क्यों। पूरे प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है, सारे मेडिकल कालेज खाली पड़े हुए हैं, कहीं प्रोफेसरान नहीं हैं, सब रिटायर होते जा रहे हैं, सीटें रिक्त हैं, अनुसंधान नहीं हो पा रहे हैं। सरकार यही निर्णय ले ले कि हम तजुरबे और अनुभव के आधार पर मेडिकल कालेज के शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए उनकी आयु को बढ़ा कर 70 साल कर देंगे, मैं वापस ले लेता हूं अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष–

यानी आप वापस नहीं लेंगे। मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

''खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक''

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–17 सन् 1976 की धारा–3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–3 में उपधारा (4–क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(4–क) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि–

(क) उसने प्रशासकीय सदस्य का पद धारण न किया हो, या

(ख) उसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का पद या भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के समकक्ष पद धारण न किया हो और उसे राज्य सरकार की राय में न्याय करने का पर्याप्त अनुभव न हो।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ख1.15 बजे, वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)[4]

श्री काली चरन सुमन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 विपक्षी दल के नेता मा0 स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बी0जे0पी0, कांग्रेस, लोकदल आदि दल के नेताओं से अपने आप को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात पर बल देना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, बजट 2015–16 का मा0 मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, इस बजट की हम निन्दा करते हैं, घोर आलोचना करते हैं, मा0 अध्यक्ष जी हम क्यों न आलोचना करें, क्योंकि यह बजट भाषण दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है और रोजगार विरोधी है। मा0 अध्यक्ष जी, एक तरफ यह सरकार सर्वांगीण विकास की बात करती है, दूसरी तरफ यह बजट एकपक्षीय होकर के,

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने पहली बार इन तीन वर्षों में एक अच्छी बात कही है, उसके लिए आपका धन्यवाद। सारी बुराइयां एक तरफ, लेकिन इस बजट की

† fnukad 9 ekpZ] 2015 dh dkjZokbZ lsA

एक खूबी ऐसी है, देखिये बादशाह ने कहा था दो करोड़ नौजवानों को नौकरी दी जायेगी, नहीं दी। आपने अभी कहा है कार्रवाई दिखवा लीजिए कि यह बजट बेरोजगार विरोधी है, यानी रोजगार दिलायेगा, इसके लिए आपका धन्यवाद और नेता प्रतिपक्ष का भी धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम मा0 सदस्य को इस बात के लिए तैयार किया कि वह सही बात आज से कहना शुरू करें।

श्री काली चरन सुमन–

बेरोजगारों को रोजगार न दे पाना, इस सरकार की विफलता है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं...

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए)

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र से चुनकर के आता हूं। मेरी विधान सभा आगरा जनपद के चारों तरफ की सीमा से लगी हुई है। मा0 अधिष्ठाता जी, इस बजट भाषण में मा0 मुख्य मंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। जैसे कि ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस–वे आगरा से जो रोड बनी हुई है उसी तर्ज पर लखनऊ–आगरा एक्सप्रेस वे बनाने का काम चल रहा है। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे की शुरुआत मेरी विधान सभा से होती है और आगे चलकर के लखनऊ जाती है। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं बताना चाहता हूं और बड़े दावे से कहा जा रहा था कि इस लखनऊ–आगरा एक्सप्रेस–वे के बनने में कहीं, कोई, किसी प्रकार का जनाक्रोश नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि जहां से यह रोड शुरु होता है वहां पर महुआखेड़ा, कुआखेड़ा, एतमादपुर, मदरा, हिगोरखेडिया, मदौटा में मा0 अधिष्ठाता जी, वहां पर 70ः पिछड़े समाज के लोगों की जमीनें जबरन ली जा रही है। मा0 अधिष्ठाता जी, लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको शुद्ध पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा है। यह रोड जो निकल करके आ रहा है उस रोड के सहारे न तो अण्डर ग्राउण्ड पुल बनाये जा रहे हैं और न ही वहां किसी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो रोड निकल रहा है उन पर अण्डर पास, अण्डर बाई पास पुल का निर्माण किया जाये जिससे लोगों को असुविधा न हो। मा0 अधिष्ठाता जी, जो यह रोड बनाया जा रहा है उसमें सारे के सारे जितने भी सम्पर्क मार्ग हैं, उन पर मिट्टी लाने से या अन्य सामग्री लाने से जो लिंक रोड हैं वह खराब हो रही हैं। मा0 अध्यक्ष जी, लोगों का आवागमन बुरी तरह से प्रभावित है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह जो रोड बन रहा है उसके अन्तर्गत जितने भी सम्पर्क मार्ग आ रहे हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से ठीक कराया जाये। मा0 अधिष्ठाता जी, दूसरा मेरी विधान सभा के अन्तर्गत दक्षिण बाई पास और यमुना एक्सप्रेस–वे भी मेरी विधान सभा से निकलकर आ रहा है। ऐसी समस्या वहां भी देखने को मिलती है, रोडें जो सम्पर्क मार्ग से लिंक करती हैं वे खराब हो रही हैं। इसके अलावा, जितने भी किसान जमीन के कारण आंदोलन कर रहे हैं उनके लिये मैं आपके माध्यम से उचित मुआवजे की मांग करता हूं। मा0 अधिष्ठाता जी,

नगर विकास मंत्री जी बैठे हुये हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2009 में सीवर का काम हुआ था। सीवर का काम होने की वजह से वहां की सड़कें खराब हो चुकी हैं और सीवर लाइन भी चालू नहीं हो पाई है। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से नगर विकास मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगला कली से सेमरी और सेमरी ताल से एस0एस0 पब्लिक स्कूल और ग्वालियर देवरी रोड की जो सीवर लाइन है उसको तत्काल प्रभाव से चालू किया जाये जिससे जनहित में लोगों को समस्याओं से निजात मिल सकेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं इसमें आपको आश्वस्त कर दूं कि आप मुझे लिखकर दे दीजिये कि कौन–कौन सा एरिया रह गया है उसे कम्पलीट करायेंगे लेकिन एक शरीफाना वायदा आप भी हमसे कीजियेगा। हमारे यहां भी इसी तरह से सीवर का काम शुरू हुआ था जब हम मंत्री थे और जब आपकी सरकार आई थी तो पांच बरस जब भी हमारी पत्रावली कहीं जाती थी तो वह उठाकर फेंक दी जाती थी। अब अगर कभी गलती से या बदनसीबी से आपको सत्ता मिल जाये तो कॉटे मत बोना। हम तो आपका काम करा देंगे मगर वो काम न कीजियेगा जो आप लोगों ने किया है। हम करा देंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अधिष्ठाता जी, संसदीय कार्य मंत्री जी की पीड़ा पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया जायेगा और आपके मुंह में घी–लड्डू अगर हमारी सरकार आती है तो दोबारा यह शिकायत करने का मौका नहीं दिया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैंने पहले ही कहा कि वह बड़ा बदनसीब दिन होगा अगर कभी ऐसा हुआ।

श्री काली चरण सुमन–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं मा0 मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो सीवर की लाइनें खुदी थीं उनसे सड़कें भी ध्वस्त हो चुकी हैं जिससे लोगों का आवागमन बाधित है, आप यदि उसको भी ठीक कराने की कृपा करेंगे तो जनता को सुविधा होगी। मा0 अधिष्ठाता जी, लोक निर्माण विभाग की बजट चर्चा में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की तमाम सड़कें खराब हैं, उन सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है इसलिये मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हुये हैं। उनसे भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय मेरी विधान सभा के अन्तर्गत तीन–चार मूलभूत सड़कें खराब पड़ी हैं। मैंने उनको नियम–51, नियम–301 और याचिका में भी डाल रखा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि याचिका समिति की कमेटी भी वहां पर गई थी। मौके पर गई थी और वहां समिति ने निर्णय लिया था। वहां पर समिति ने आदेश भी दिया था परन्तु लोक निर्माण विभाग की जो सड़कें है, माननीय अधिष्ठाता जी वह

अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं जैसे जगनेर रोड अजीजपुर से टोंरट पावर बाया अजीजपुर परिक्रमा मार्ग, जगनेर रोड अजीजपुर से सौहल्ला फाटक तक मार्ग, नौ मील खाल खलूआ से गठसानी तक, कुन्डोल से कवीस बिल्हैनी तक, नगला कली से सैमरी तक एस0एस0प0 स्कूल, ग्वालियार रोड नगलाकोर परिक्रमा मार्ग, वरादा से नगला हट्टी तक ऐसी तमाम सड़कें हैं माननीय अधिष्ठाता जी। जब भी हम 301 और नियम–51 में प्रश्न लगाते हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि धन उपलब्धता के आधार पर यह काम किया जायेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि इन पर धन आवंटन किया जाये और इन सड़कों का निर्माण कराया जाए। माननीय अधिष्ठाता जी, किसान और मण्डी परिषद् के बारे में कि यह सरकार किसानों के प्रति सजग है। यह सरकार किसानों के प्रति सजग है और किसानों के प्रति जागरूक भी है। माननीय अधिष्ठाता जी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मण्डी परिषद् की जो सड़कें बनी हैं, किसान के प्रति सजग होने के बावजूद मण्डी परिषद् की जो सड़कें बनी हैं, आगरा ग्रामीण विधान सभा के क्षेत्र के अंतर्गत, तमाम मण्डी परिषद् की सड़कें बनी हैं, तमाम सड़कें खराब हैं, लोगों को निकलना दूभर हो रहा है। किसानों को आने–जाने में परेशानी हो रही है, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि मण्डी परिषद् की जितनी भी सड़कें हैं, उनको ठीक कराया जाए। माननीय अधिष्ठाता जी, ग्राम्य विकास की बात बड़े जोर–शोर से की गई है। मैं यहां अनुरोध करना चाहता हूं, इस प्रदेश की 70 प्रतिशत जनता गांव में रहती है और गांव की मूलभूत समस्या का समाधान न होना इस सरकार की विफलता है। यह सरकार गांव के प्रति उदासीन है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि गांवों के अन्तर्गत टी0टी0एस0पी0 की टंकियॉ, ओवर हैड की जो टंकियां हैं, जो बड़ी–बड़ी टंकियां हैं, बनने के पहले या बनने के बाद ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित हो जाती हैं, परन्तु ग्राम पंचायतों के पास धन उपलब्धता न होने, तकनीकी कार्य न होने के कारण, उन टंकियों टी0टी0एस0पी0 की टंकियों, ओवर हैड टंकियों का निर्माण नहीं हो पाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन्हें जल निगम को ही दिया जाए, जिन्होंने टंकियां लगायी है, जिससे उनका निर्माण कार्य ठीक से हो सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दो सड़कें दी गई थी, अभी तक उन सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। अकबरपुर से लेकर वुडैरा तक और ग्वालियर रोड बमरौली से लेकर सिरौली जगनेर रोड तक। माननीय अधिष्ठाता महोदय, विद्युत व्यवस्था के बारे में कहना है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री काली चरण सुमन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारा समय नहीं हुआ है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिजली के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि 33/11 का सब–स्टेशन हमारे यहां स्वीकृत हुआ था, परन्तु अब तक वह चालू नहीं हो पाया है। इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि वह 33/11 सब स्टेशन कोलक्खा को शामिल किया जाए। माननीय

अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में कहना चाहेंगे जैसा इस सरकार का दावा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय कहना चाहूंगा कि अस्पतालों में दवा नहीं है और नहरों में टेल तक पानी नहीं जाता है तो किस प्रकार की दवा, सिंचाई मुफ्त है। मैं कहना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं और अपने को माननीय मौर्या जी से सम्बद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

'श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट लगभग 3 लाख 2 हजार 687 करोड़ 33 लाख का पेश किया और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो राजकोषीय घाटा था वह भी जी0डी0पी0 के 3 प्रतिशत से कम था, लेकिन बधाई केवल इस बात के लिए नहीं है कि उन्होंने प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया, बल्कि मुबारकबाद के मुस्तहद वह इसलिए हैं क्योंकि बजट के केन्द्र में समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, वह व्यक्ति जो शायद बहुत सी सरकारों की सोच से बाहर था। मान्यवर, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूं। मान्यवर बजट सिर्फ और सिर्फ सरकारी दस्तावेज नहीं होता है, एक वित्तीय दस्तावेज नहीं होता है। आय–व्ययक का लेखा जोखा नहीं होता बल्कि बजट एक दर्पण होता है जिसके अन्दर किसी सरकार की नीतियां, विचार और प्रतिबद्धतायें प्रतिबिम्बित होती हैं। यह एक ऐसा आईना है जिसमें सरकार के ख्यालात नजर आते हैं। और हमें फख्र है कि एक ऐसा बजट पेश किया गया है जो समाजवादी सोच को परिलक्षित करता है। इसमें समाजवाद की वह अवधारणा नजर आती है जो गांधी जी की सोच थी, लोहिया जी की सोच थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सोच है। और साथ साथ में वह सोच बन गया है बजट जो अनाम शहीदों की सोच थी जो चाहते थे कि हिन्दुस्तान का हर व्यक्ति खुशहाल हो जो कह सके कि समाजवाद सबके लिये है। जो कह सके कि यह ऐसा सबेरा है जो सबके लिये है और यह वह लोग हैं कि इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल सरकेगा जब सुख के बादल पिघलेंगे जब सुख का सागर छलकेगा, जब अम्बर झूम के नाचेगा जब धरती नगमे गायेगी वह सुबह कभी तो आयेगी। वह सुबह कभी तो आयेगी। (मेजों की थपथपाहट) तो कोशिश हमारी सरकार ने की है नया सबेरा लाने की।

मान्यवर मैं मान सकती हूं कि सूरज की जो पहली किरण होती है वह इतनी प्रखर नहीं होती इतनी तेज नहीं होती लेकिन उसका महत्व इसलिए होता कि जो सुबह आने की नवेद दे रही है, नई सुबह का संदेशा ला रही है नवप्रभात ला रही है। इसलिए वह महत्वपूर्ण होती है। मैं बधाई देना चाहती हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

2015–2016 के वर्ष को किसान वर्ष के रुप में मनाने का फैसला किया है। यकीनन किसान वह व्यक्ति होता है जिसके बारे में इससे पूर्व कि सरकार ने चर्चा ही नहीं की और यह बजट, जो पूर्व सरकारों का बजट था जो पत्थरों के शहरों से लेकर के निकलकर के जहां पर बजट बेजान मूर्तियों से सर टकराता हुआ नजर आता था बेजान मुजरुमों से सर टकराता हुआ नजर आता था उससे बाहर निकलकर के प्रदेश के खजानों की तरफ बढ़ा है। किसानों की तरफ बढ़ा है गांवों की तरफ बढ़ा है। आम मजदूर मेहनतकश मजदूरों किसान का यह बजट है उसकी यह आवाज है और जब वह आवाज इस बजट में प्रतिध्वनित हुई तो उस गरीब मजदूर की तरक्की की आवाज इस बजट में प्रतिबिंबित हुई है और तब नेता प्रतिपक्ष परम सम्मानीय मौर्या जी ने जब इस बजट में कुछ भी शलाभह ही नहीं पाया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बजट में कुछ भी शलाभह ही नहीं कुछ भी प्रशंसनीय नहीं है। आखिर ऐसी क्या बात है सरकार में तो सभी रहे हैं उस समय किसान ऋण के मकड़जाल में फंसकर के आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ और जो हमारी समाजवादी सोच की सरकार है जिसमें पिछले वर्ष साढ़े सात लाख किसानों का 2789 करोड़ रुपये का ऋण माफ करके दिखा दिया। यह हमारी सरकार की किसानों के प्रति अच्छी नीयत है। (मेजों की थपथपापहट) (बहुजन समाज पार्टी के सदस्य श्री उमेश पाण्डेय द्वारा बोलने पर व्यवधान) देखिये आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते हैं। मैं सच कहूंगी मगर इसमें हार जाऊंगी वह झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांत रहें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

वह चिल्ला रहा है और मेरी आवाज को खामोश करना चाहता है। आप कितनी चीज पर हमें दबायेंगे। क्या यह एक हकीकत नहीं है कि प्रदेश के जो ढाई करोड़ खातेदार किसान थे उनके लिये जो कृषक बीमा योजना स्कीम थी आपके जमाने में एक लाख रुपये थी और यह मेरी समाजवादी पार्टी की सरकार है जिसने एक लाख रु0 से बढ़ाकर पांच लाख रु0 करने का काम किया है और इस बार बजट में 600 करोड़ रु0 की व्यवस्था करके दिखा दिया है। नेशनल क्राप इंश्योरेंस में 180 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है। क्या आप इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर देंगे। युवाओं को और किसानों को दोनों को लाभ देने के उद्देश्य से जिसे वन स्टॉप शॉप, एग्री जंक्शन नाम दिया गया है ताकि जो कृषि शिक्षा प्राप्त युवक हैं उनको भी रोजगार के अवसर मिल सकें और किसानों को एक ही जगह पर सब कुछ मिल सके। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2015–2016 में एक हजार एग्री जंक्शन खोलने की व्यवस्था की गयी है और उसके लिये धनराशि भी उपलब्ध करायी गयी है। क्या आप इन सारी चीजों को नजरन्दाज कर देंगे युवाओं को और किसानों को दोनो को लाभ देने के उद्देश्य से वन स्टाफ शेरोशेर उसका किया गया जिसको एग्रीजंक्शन नाम दिया गया ताकि जो कृषि शिक्षा प्राप्त युवा हैं उनको भी रोजगार के अवसर मिल सकें और किसानों को सब कुछ

एक ही जगह पर मिल सके। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में 1000 एग्रीजक्शन खोलने की व्यवस्था इस बजट में की गयी और उसके लिए धनराशि भी उपलब्ध कराई गयी क्या यह किसानों के हित के कार्य नहीं थे। जहां तक भूमि सेना का सवाल था बंजर भूमि को उपजाऊ बना करके किसानों को देने के लिए 114 करोड़ रुपये का वित्तीय प्राविधान इस बजट में किया गया है। फिर भी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को आपत्ति है शायद उन्होंने इन चीजों को देखा नहीं।

(लाल बत्ती जलने पर)

अब लाल बत्ती जल रही है मान्यवर, जब से बोलना शुरू किया तभी से लाल बत्ती जल रही है हम क्या कर सकते हैं इसमें।

मान्यवर, हम यह जरूर कहेंगे कि गांवों को ध्यान में रखा गया और ग्रामीण लोहिया आवास के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी। बिजली जलती है तो जलने दीजिए लेकिन मैं यह कहूंगी कि महिलाएं जो समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जो आधी आबादी है और जिनके प्रति अपराध हो रहे थे उनको सम्मान देने के लिए महिला सम्मान कोष का गठन करके जिसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी इस बजट में की गयी है ताकि उन्हें सम्मान दिया जा सके और पहली बार ऐसा हुआ कि प्रदेश में वीमेन हेल्प लाइन 1090 शुरू की गयी जिसे इस वर्ष पूरे जनपद में स्थापित करने का उद्देश्य सरकार का है और इसके साथ ही साथ जो सबसे अच्छी बात है वह यह थी कि जो महिलाएं बालिकाएं जिनके प्रति गम्भीर प्रकृति के आरोप कारित किये गये हैं उनमें क्षतिपूर्ति के लिए और साथ में चिकित्सकीय सुविधा के लिए 11 जनपदों के अन्दर आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना हेतु 11 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, लाल झण्डी और हरी झण्डी बारी बारी से आती है यहॉ लाल झण्डी है उधर हरी झण्डी है आखिर यह विषम परिस्थिति में कैसे मामला चलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

यही समाजवाद है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इसलिए मान्यवर, या तो लाल झण्डी रहे या हरी झण्डी रहे।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

सर, आप दो घन्टा बोले मुझे थोड़ा तो उस अनुपात में बोलने दीजिए। यह तो झूठ की बीमारी है जो उधर से आई और इधर लग गयी आप दो घन्टा बोले तो हमे 20 मिनट ही सुन लीजिए।

मान्यवर, देखिये, एक गम्भीर विषय को आपने मोड़ दिया। मैने कहा कि गम्भीर प्रवृत्ति के अपराध जिन महिलाओं और बालिकाओं के प्रति कारित किये गये हों उनके रोकने के लिए यह 11 करोड़ रुपये दिये गये। मैं यह नहीं कह रही हूं कि

कारू का खजाना लुट गया लेकिन यह कम से कम हमारी नीयत को दर्शाता है कि जो आशा ज्योति केन्द्र खोले गये वह इस पर नियंत्रण लगायेंगे। लेकिन मैं एक बात इस सदन में कहना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ कानून बनाकर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकना शायद सम्भव नहीं होगा इसलिए सम्भव नहीं होगा कि जरूरत है समाज के सोच को बदलने की। समाज के सोच को बदलने की इसलिए जरूरत है कि समाज आज भी उसी मानसिकता में जी रहा है कि स्त्री को कभी भी लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आना चाहिए। सवाल यह है कि हम उसे बाहर के अपराधों से बचा सकते हैं लेकिन जो अपराध उसके परिवार में उसके प्रति कारित किये जा रहे हैं जो अपराध किसी बालिका का पिता जो उसका रक्षक है जब वह भक्षक बन जाता है वह भाई जिसकी कलाई के ऊपर पवित्र राखी के बंधन होते हैं जब वह भाई अपनी बहन का चीर हरण करने लगता है यह खबरे हम अखबारों में पढ़ते हैं तो हिन्दोस्तान का कौन सा कानून उसको रोक पायेगा ? उसको रोक सकते हैं हम और आप, अगर हम लोग विद्याालयों में अपने परिवारों में बच्चों को इस बात की शिक्षा दे कि नारी है क्या ? विडम्बना यह रही है हमारे समाज की कि हम उसे या तो देवी के आसन पर देखना चाहते हैं या शायद वेश्यावृति के धन्धे में देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते हैं अगर हम उसे तो एक सम्मानजनक रिश्ते में, यही कहेंगें और उसके लिए तमाम रास्ता निकालेगे कि उसने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है इसलिए कि किसी रावण ने उस पर हमला करने का दुस्साहस किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह तमाम स्त्री जाति की वेदना है, इसे मैं दो पंक्ति में कहूंगी कि –

''मुझे वेदों में मत ढूढ़ो, मुझे कुरान में मत ढूढ़ो,
आसमानों में मत ढूढ़ों, मैं धरती की हकीकत हूं,
मुझे तसलीम करो, मुझे जीने का हक दे दो।''

हमें खुशी है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह किया है। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जितने भी प्रदेश के जिला मुख्यालय हैं उनको फोर लेन से जोड़ने के लिये एक हजार करोड़ रुपये का बजट में जो प्राविधान किया गया है उसके लिए मैं अपने माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं, धन्यवाद देना चाहती हूं। देश का किसान जो मर रहा था, सिंचाई के साधन नहीं थे, उसको मुफ्त सिंचाई की सुविधा के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके उस किसान को सूखे से निपटने का हौसला देने का काम किया है। मान्यवर, मैं स्वयं अल्पसंख्यक समुदाय से हूं, इसलिये एक बात मैं कहना चाहती हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय को जब भी कुछ मिलता है, तो कुछ लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं। मैं कहती हूं कि यह कैसा तुष्टीकरण है कि तुष्टीकरण के बावजूद कितने अल्पसंख्यक समूह के विधायक हैं, यह स्वयं देख लें कि कितनी सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं। आजादी के बाद से अगर 65 सालों से तुष्टीकरण होता रहा है, तो यह तस्वीर बदलनी चाहिये थी, मगर तस्वीर बदली नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हिन्दुस्तान का जो अल्पसंख्यक है जो मुसलमान है, वह सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है शैक्षिक रूप से,

आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वह दलितों से भी कहीं ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इसलिये हमारी सरकार ने उनके उत्थान के लिए जो किया है, कृपया उसे तुष्टीकरण का नाम न दे। जो कमजोर अंग था, यदि उसको आप शल्य चिकित्सा करके हटा दीजिये तो वह भी संभव नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है, उसे मजबूती प्रदान करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, इसीलिये मुख्य धारा में सम्मिलित करते हुए 2776 करोड़ रुपये अल्पसंख्यक योजनाओं को देने का कार्य किया। साथ ही यह सुनिश्चित किया कि हमारी जो भी सरकारी योजनायें और कार्यक्रम हैं उनका 20 प्रतिशत कम से कम लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिले। आदरणीय मौर्या जी ने एक बात कही थी कि कहां प्रदेश में निवेशक आ रहे हैं ? मैं यह कहना चाहती हॅ कि जो 14 जून, 2014 में निवेशक सम्मेलन हुआ था उसके बाद प्रदेश का माहौल बदला है। यह सत्य है कि पहले लोग नहीं आना चाहते थे, घबराते थे प्रदेश में आने से क्योंकि कहीं न कहीं इतनी ज्यादा वसूली हो रही थी। बहुत से लोग यहां पर विद्युत परियोजनायें लगाना चाहते थे, लेकिन संबंधित विभागों के लोगों ने उनसे बहुत ज्यादा धनराशि की मांग की। यह कहते रहे कि हम एक हजार मेगावाट बिजली खरीदेंगे, हम दो हजार मेगावाट बिजली खरीदेंगे, आप बिजली खरीदने पर इतना रिजीड क्यों थे ? यह सवाल है कि बिजली की खरीद में कहीं न कहीं भारी कमीशन लिया जा रहा था, इसीलिये मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आज माहौल बदला है। चाहे इन्फोसिस हो, चाहे एच.सी.एल. हो, चाहे रिलायन्स हो, चाहे अमूल हो, चाहे वह कोई और हो, वह सभी उद्योग प्रदेश में आना चाहते हैं ताकि प्रदेश को उन्नति के पथ पर ले जा सके। अंत में मैं एक बात अपने क्षेत्र की कहकर अपनी बात खत्म कर दूं कि हमारे क्षेत्र में चीनी मिल....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्या जी, आपको महिला होने के नाते बहुत अधिक समय दिया जा चुका है। कृपया अब आप समाप्त करें और डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी को बोलने दें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं भी एक अनुशासित सिपाही की तरह स्वयं को समय सीमा के अंतर्गत रखते हुए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं। जय हिन्द।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बहुत अच्छे वक्ता के बाद बोलना मुश्किल काम होता है। कुछ लोग उनकी अच्छी बातें सुनते हैं ख्ा ग ग, यह अपनी–अपनी नजर की बात हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा। इसके पहले की मैं इस बजट की आलोचना शुरू करूं मुझे लगता है कि एक बिन्दु ऐसा है कि जिस पर शायद इस सदन के हर सदस्य को

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

इस बजट की प्रशंसा करना चाहिये। बजट पुस्तिका के पेज नम्बर–46 स्कूल जाने वाले बच्चों में डिस्लेक्सिया व अटेंशन डेफीसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।

श्रीमती इन्द्राणी देवी–

डा0 साहब आपने अपने भाषण में कहा कि 'कुछ लोग तो बाते सुनते हैं ख्या ग ग, इसके लिये हम बहुत विरोध करते हैं और आपको इस सदन में माफी मांगना होगा।

(सत्तापक्ष एवं विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

यहां सारी महिलायें चुनकर आई हैं और आपको भी लोकतंत्र में जनता ने सदस्य बनाया हैं। आप लोग यह चीज बोलकर महिलाओं का विरोध करते हैं। आपको बोलने का अधिकार नहीं है। हम निन्दा करते हैं और माननीय अधिष्ठाता महोदय से मांग करते हैं कि डा0 साहब आप इस विधान सभा में माफी मांगिये कि हमने जो कहा गलत कहा है।

श्री अधिष्ठाता–

इसको देख लेते हैं यदि ऐसी कोई बात होगी तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्रीमती इन्द्राणी देवी–

इन्होंनें कहा कि कुछ लोग बातें सुन रहे हैं, ख्या ग ग, यह आपके कृत्य का विरोध है और आपका जो वचन है, यह हम महिलाओं का अपमान है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्या जी, आपने अपनी बात कह ली है, अगर इस तरह की कोई बात कही गयी है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्रीमती इन्द्राणी देवी–

हम मांग करते हैं कि डा0 साहब आप एम0एल0ए0 हैं और एम0एल0ए0 होने के नाते हमारी एक बहन बोल रही थी, आपको उनकी बातों को सुनना चाहिये, यही लोकतंत्र का विश्वास है। हमें लोकतंत्र में बोलने का मौका मिला है, आप उनकी बातों को सुनकर कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन साड़ी पर आप कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। इसके लिये हम अपने संसदीय कार्य मंत्री और माननीय लोक निर्माण मंत्री से मांग करते हैं कि हम सभी महिलायें इसका पूरा विरोध करते हैं। जब तक डा0 साहब माफी नहीं मांगेगे ..

श्री अधिष्ठाता–

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

माननीय सदस्य आप बैठें, अब आप उनको मौका दीजिये न, आप बैठ जायें और डा0 साहब आप इस संबंध में अपनी बात कहें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, एक बहुमान्य सिद्वान्त है, मैं तो शादाब जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और मैं इनकी बातों की ही प्रंशसा कर रहा था। मैनें अधिष्ठाता महोदय यह कहा कि एक अच्छे वक्ता के बाद बोलना बड़ा मुश्किल होता है, यह मैनें शादाब जी की प्रंशसा में कहा और मैनें यह कहा कि कुछ लोग अच्छी बातों को सुनते हैं और कुछ लोग साड़ियां देखते रह जाते हैं। अब इसमें शादाब जी के अपमान की बात या किसी महिला के अपमान की बात नहीं थी।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचा है तो उसे कार्यवाही से निकलवा दिया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, थोड़ा सा पता नहीं क्यों, हालांकि वह बहुत संजीदा हैं और चूंकि बहुत विद्वान सदस्य हैं, हम यही मानकर चलेंगे कि उनकी मंशा यकीनन गलत नहीं थी लेकिन हमारी बहन का जो विरोध है, वह भी बिल्कुल सही है और हमें उस विरोध का सम्मान इसलिये करना चाहिये कि हमारे अन्दर बातों को सोचने और समझने की खूबी पैदा हो गयी है। अब मैं तो बिल्कुल नीयत खराब नहीं मानता, क्योंकि डा0 साहब का पूरा जीवन चरित्र और यहां की शैली सब हमारे सामने है। कभी–कभी कोई बात ऐसी निकल जाती है जो कहने की मंशा नहीं होती है। मैं अपनी बहन से भी कहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल सही सवाल उठाया। आप कार्यवाही देख लेंगे और मैं चाहता हूं कि डा0 साहब भी बड़ेपन का सबूत देते हुये केवल इतना जरूर कह दें कि उनकी यह मंशा नहीं थी और यकीनन उनकी यह मंशा नहीं रही होगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हम लोगों की तरफ से कह दिया, वह हमारे नेता हैं और इनकी बातों में हम सब समाहित हैं। मैं फिर इस बात को कहता हूं कि शादाब जी एक बहुत अच्छी वक्ता हैं और एक अच्छे वक्ता के सामने या उसके बाद बोलना एक कठिन काम होता है। कुछ लोग या हम जैसे लोग उनकी बातों को सुनते हैं, अगर कोई उनके वस्त्र के ऊपर लाल या हरी बात करता है तो शायद उचित नहीं है। इसमें कहीं कोई गलत बात निकल गयी हो या इनको कुछ ऐसा लगा हो तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई विवाद की जरूरत है। प्रशंसा तो मैं शादाब जी की करूंगा ही।

श्री अधिष्ठाता–

चलिये इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

यह तो आपके ऊपर है, आप जैसा उचित समझे, वह करें। मा0 अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि इससे पहले कि मैं बजट का विरोध शुरू करूं एक बहुत अच्छी बात इस सरकार ने शुरू की है। मैं पूरे देश के आंकड़े देख रहा था केरल को छोड़ करके किसी भी प्रदेश के बजट में कहीं भी घोषित रूप से हमारे बीच के जो हतभागी बच्चे हैं जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं आज की इस प्रतियोगिता के दौर में पीछे छूट जाते हैं। हम उनके अनुरक्षण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके विशेष अनुसंधान के लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं करते हैं। मैं भी 2002 से इस सदन में आ रहा हूं मैं पहली बार यह व्यवस्था देख रहा हूं जब भारत के अन्दर केरल के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा ऐसा प्रान्त है जिसमें ऐसे मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। किसी भी मा0 सदस्य के द्वारा, मैं तो बच्चों का डॉक्टर हूं, अच्छे काम की प्रशंसा की जानी चाहिए। महोदय, अब मैं बजट की शेष बातों पर आता हूं मुझे नहीं मालूम है कि आप मुझे कितना समय देंगे क्योंकि नियम तो नियम हैं। यह बजट ऐसी परिस्थितियों में प्रस्तुत हो रहा है जब देश की आर्थिक राजनीति में आमूल–चूल परिवर्तन हो रहा है। यह दो कारणों से हो रहा है पहला, चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट और दूसरा प्लानिंग कमीशन की समाप्ति। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा लेकिन शायद इससे बड़ा कोई क्रान्तिकारी काम नहीं हो सकता है। 65 सालों की इस राजनीति में देश ने एक ऐसी परासंवैधानिक संस्था को जन्म दे दिया, जिसके कोई लोकतान्त्रिक अधिकार और मान्यताएं नहीं थीं, जिसका एक कार्यालय बना दिया गया, जिसके चेयरमैन को इतने अधिकार दे दिये गये कि पिछले 65 सालों से प्रदेश के मुख्य मंत्री उनसे मिलने के लिए अर्जियां देते थे, उनके यहां बैठते थे और अपने प्रदेश का विकास हम कैसे तय करेंगे यह तय करने का अधिकार प्रदेश के मुख्य मंत्री को नहीं होता था बल्कि वह सभापति तय करता था कि हमने यह पैजामा बना दिया, हर राज्य को यह पैजामा ही पहनना पड़ेगा, जितना हम तय करेंगे उतनी ही विकास की योजनाएं बनानी पड़ेंगी। पहली बार अध्यक्ष महोदय ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने राज्यों के इतने बड़े अपमान को मुद्दा बनाते हुए प्लानिंग कमीशन को ध्वस्त किया है और नीति आयोग की स्थापना की है। संघीय व्यवस्था में जिसे हम कहते हैं आमूलचूल परिवर्तन, यह कहना कि किसी हाईकमान के द्वारा किसी राज्य के विकास की योजनाएं नहीं बनाई जायेंगी बल्कि राज्य स्वयं मिल करके यह तय करेंगे कि उनके प्रदेश की वैकासिक आवश्यकताएं क्या हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय क्योंकि अभी दो महीने के अन्दर न्यू प्लानिंग की अनुसंशाएं आ जायेंगी। यह अनुसंशा किसी उप सभापति की नहीं हैं बल्कि यह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की अनुसंशाएं होंगी जो नीति आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में वापस आयेंगी। इतना क्रान्तिकारी परिवर्तन जो पहली बार इस देश के अन्दर हुआ है और हम उसके सहभागी हैं हम उसकी प्रशंसा करते हैं हम उसकी बैठकों में जाते हैं। हमारा काम होता था कि हम नीति आयोग की अनुसंशा का इन्तजार कर लेते और यह देख लेते कि 65 साल की आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को कितना धन मिलने जा रहा है। मैं सहमत हूं इस बात से कि

बजट सबसे बड़ा होगा, होना है, स्वाभाविक है, विकास का नियम है लेकिन अगर हमने नीति आयोग की रपटों का इन्तजार कर लिया होता तो शायद हम और भी बेहतर बजट ला पाते। दूसरी बात मा0 अध्यक्ष जी, मान्यवर, चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट 26 फरवरी को प्रस्तुत हुई, हम बजट प्रस्तुत कर रहे थे हमने जानने की कोशिश नहीं की कि यह चौदहवां वित्त आयोग हमारे सामने क्या–क्या ले करके आ रहा है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि विकास की लड़ाइयॉ दलीय आधार पर नहीं लड़ी जाती हैं, इस प्रदेश के हर नागरिक और इस प्रदेश के हर जन–प्रतिनिधि को मिल करके अपने विकास की योजनाओं के लिए सम्यक योजना बनानी चाहिए। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जो अन्याय हमारे साथ चौदहवें वित्त आयोग की रपट के द्वारा हुआ है अगर हम मिल करके इसमें लड़ाई लड़ पाते, अगर हम मिल करके इस रिपोर्ट के आने के पहले अपने अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश सरकार की मांगों को मजबूती के साथ वित्त आयोग के सामने रख पाते तो शायद आज हम प्रदेश के लिए इससे भी बहुत बड़ा बजट प्रस्तुत करने की स्थिति में होते। मैं क्यों कह रहा हूं ? चौदहवें वित्त आयोग ने हम लोगों को यह जो बजट हमने प्रस्तुत किया है इसके अतिरिक्त 28,406 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का निर्णय लिया है। अधिष्ठाता महोदय, यह कोई हमारे ऊपर अहसान नहीं है। हम अगर स्वतन्त्र होते तो दुनिया के 6वें बड़े देश होते, 22 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, हमारा अधिकार है, लेकिन मा0 अधिष्ठाता महोदय, अगर रिपोर्ट को आप तोड़कर देखिये उत्तर प्रदेश के एक नागरिक के ऊपर चौदहवें वित्त आयोग में सिर्फ 1232 रुपये की व्यवस्था की है। कहने को तो 28 हजार करोड़ रुपये है लेकिन वास्तव में अगर हम तोड़कर देखें तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति 1232 रुपया, गोवा के लिए, जो दिल्ली के बाद इस देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, गोवा के लिए जो वित्त आयोग ने व्यवस्था की है 7,591 रुपये, हमारे लिए 1,232, गोवा के लिए 7,591, हिमाचल प्रदेश के लिए प्रति व्यक्ति 12,430 रुपये, जम्मू और कश्मीर के लिए 11,140, अरूणाचल प्रदेश के लिए 40,000 रुपये, केरल जो इतना विकसित प्रांत है 2846 रुपये और हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को सिर्फ 1232 रुपये प्रति व्यक्ति अतिरिक्त दिया गया। क्योंकि जो देने का आधार था, बंटवारे का जो नियम था उस नियम में वित्त आयोग ने परिवर्तन कर दिया। तेरहवां वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए अधिष्ठाता महोदय, सुबह मैं इस सदन में कह रहा था हम लोगों ने एस0आर0बी0एम0 ऐक्ट को बहुत मजबूती से लागू किया है। हमने इस प्रदेश में एक वित्तीय अनुशासन लागू किया, यह फाइनेंस आयोग हमें इस प्रदेश में वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए दंडित कर रहा है। तेरहवें वित्त आयोग ने जो अपनी अनुशंसा दी थी तो वित्तीय अनुशासन के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की थी और चौदहवें वित्त आयोग ने हमारे वित्तीय अनुशासन के लिए जो हमको 15 प्रतिशत अतिरिक्त धन मिल सकता था वह समाप्त कर दिया।

श्री अधिष्ठाता–

डा0 साहब जब प्रश्न प्रहर चल रहा था तो आपने इस बात को बहुत ही विस्तार से सदन को बताया था, सदन आपकी और बातों से लाभान्वित होना चाहता है, ये बातें तो प्रश्न प्रहर में आ चुकी हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, सबसे बड़ी बात हमारे प्रदेश का बंटवारा हुआ, हमारे वन निकल करके उत्तराखण्ड में चले गये। अगर ये वन हमारे पास रहे होते तो यह वित्तीय आयोग जो रिपोर्ट ले करके आ रहा है इसके हिसाब से हमें बहुत धन मिला होता। आपने हमारे प्रदेश का बंटवारा भी कर दिया और यह भी कह दिया कि जिस प्रदेश में जितने अधिक जंगलात होंगे उसको उतना अधिक धन दिया जायेगा और हमने यह निर्णय ले लिया कि जिन प्रदेशों में जितने अधिक जंगलात होंगे उनको 7.5 प्रतिशत अतिरिक्त धन दे दिया जायेगा। मैं इन बिन्दुओं को इसलिए ला रहा हूं कि कहीं न कहीं जो हमारे अधिकारी थे जो वित्त आयोग की बैठकों में जाते थे, उनकी मीटिंगों में उपस्थित रहते थे, जो सारे बिन्दुओं को उठाया करते थे चाहे वह हमारे मुख्य सचिव रहे हों या चाहे हमारे प्रमुख सचिव, वित्त रहे हों उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब तुम उत्तर प्रदेश के बातों के लिए उत्तर प्रदेश के वकील बन करके उनकी मीटिंगों में जाया करते थे और तुम्हें इस बात का अहसास था कि वित्त आयोग इस प्रकार से उत्तर प्रदेश विरोधी रिपोर्टें ले करके आने वाला है तो तुमने क्या कार्रवाई की थी और प्रदेश सरकार को इन जानकारियों से अवगत कराया भी था या नहीं ? तीसरी चीज, अध्यक्ष महोदय, देश को दो हिस्सों में बॉट दिया गया स्पेशल कैटेगरी स्टेट और नॉर्मल स्टेट। हम आपको बतायें अधिष्ठाता महोदय, आज सुबह चर्चा हो रही थी कुपोषण की तो जम्मू कश्मीर में 15 प्रतिशत, उत्तराखण्ड में 17 प्रतिशत, हिमाचल में 10 प्रतिशत और हमारे यहां 42 प्रतिशत कुपोषण है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट की सुविधा अगर दी गयी तो इन 11 प्रांतों को, और हमें पीछे धकेल दिया गया। हम जो इस देश के सबसे पिछड़े हुए प्रांतों में शायद बिहार के अलावा सबसे पीछे हैं, हमें स्पेशल कैटेगरी में दर्जा नहीं दिया गया बल्कि इन प्रांतों को जो विकास के पायदान पर बहुत ऊंचे जा चुके हैं उन्हें यह दर्जा दिया गया। यह कमी किसकी है अधिष्ठाता महोदय ? यह कमी हमारे उन अधिकारियों की है जो फाइनेंस कमेटी की मीटिंगों में जाया करते थे। माननीय मुख्य मंत्री को रिपोर्ट किया करते थे। हमारे एक अच्छे वकील बनकर वित्त आयेाग की बैठकों में मजबूती के साथ रख नहीं पाते थे। अन्यथा अधिष्ठाता महोदय यह बजट हम लोगों के सामने इस फाइनेंस कमीशन के बाद आया होता तो शायद बहुत बढ़िया बजट आया होता। दूसरी सबसे बड़ी चीज है बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड जो हमारे उत्तर प्रदेश के पिछड़े जनपदों के लिए आता था मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के 80 जनपदों में जो 15 सबसे पिछड़े जनपद हैं वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद हैं। इनके विकास के लिए बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड इस्तेमाल होता था इस सरकार को यह मालूम ही नहीं है कि 14वें वित्त आयोग ने बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड और राष्ट्रीय श्रम विकास योजना यह दोनों योजनाएं ही समाप्त कर दीं। हम जो उत्तर प्रदेश के पिछड़े जनपद के आने वाले लोग थे हम जो इस बात

की कल्पना लेकर चलते थे कि शायद हमारे प्रदेश के विकास की योजनाएं बनाते समय सरकार पूर्वी उत्तर के विकास की योजनाएं बना सकेगी इन सारी योजनाओं को हटाकर हमारे विकास को और भी अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया। अधिष्ठाता महोदय चूंकि आप बार–बार इशारा कर रहे हैं और मैं नियमों को तोड़ने में विश्वास नहीं करता कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं।

'श्री सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे इस लोकोपकारी बजट पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट लोकलुभावन के साथ साथ अत्यंत लोकोपकारी और जनोपयोगी है। समान रूप से पिछले बजट में भी हमने देखा है कि अगर कहा गया कि हर खेत में पानी जाएगा नहर के अन्तिम टेल से अन्तिम खेत में पानी जाएगा हम लोग चूंकि गांव ग्राम के रहने वाले हैं हम खूब जानते हैं कि नहरों में पानी गया अगर देखा जाए तो तमाम पी0एच0सी0सी0एच0सी0 जो अवरुद्ध थे जो निर्माणाधीन थे बन्द कर दिए गए थे लेकिन इस बजट की वजह से वह निर्माणाधीन जितने भी प्रतिष्ठान थे वह शुरू किए गए अस्पतालों में दवाई मिली शिक्षालय में पढ़ाई शुरू हो गयी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को समानता की अनुभूत होने लगी। अगर नहर का पानी गया मुफ्त में गया तो हर वर्ग के लिए हर जाति के लिए हर सम्प्रदाय के लिए यह पानी की मुफ्त व्यवस्था की गई। अगर 108 और 102 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई केवल काल करिए तो यह नहीं पूछता कि कौन सी जाति है, कौन सा सम्प्रदाय है हर वर्ग के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। अगर किसी महिला का उत्पीड़न हुआ और 1090 पर उसने फोन किया तो तत्काल व्यवस्था की गई सड़क हो या स्कूल हों जो भी चीजें हैं वह मुहैया कराई गईं। क्षेत्र में उत्पादकता खाद की उपलब्धता, बीज की प्रचुरता इन सबों में हुआ है और आशातीत सफलता प्राप्त हो रही है पुराने बजट के अनुसार और इस साल का जो बजट है वह और भी जनोपयोगी और किसानोंपयोगी साबित होगा ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कीटनाशक दवाएं हों बीज हो इन सबों के लिए समुचित व्यवस्था इस बजट में की गई है। बिजली की व्यवस्था भी अच्छी चल रही है और मई तक इस बजट के माध्यम से 18 घंटे यह बिजली देंगें ऐसा मंत्री जी का कहना है और इस बजट के माध्यम से निश्चित रूप से, निश्चितम यह बजट अपने आप में सार्थक साबित होता है। कानून व्यवस्था की बात है, तो हम तो नहीं समझ पाते क्योंकि हम लोग गांव से आते हैं। हमारे थाने गांव में ज्यादा पड़ते हैं किसी प्रकार की अप्रिय घटना अगर हो जाती है तो उसकी प्राथमिकी दर्ज होती है और गुनहगार को सजा मिलती है, वह जेल जाता है। पता नहीं किस थाने में इस ढंग की वारदात हो जाती है, यह कपोल कल्पना के अलावा मैं और कुछ नहीं मानता हूं। अगर इसी ढंग का यह बजट कारगर सिद्ध हुआ तो निश्चितम किसानों की दशा सुधरेगी, नौजवानों की दशा सुधरेगी, विद्यार्थियों की दशा सुधरेगी। हर

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

मजलूम किस्म के उन गरीबों तक जरूर इसका लाभ मिलेगा जिन्हें कभी नहीं मिल पाता था। मैं इस बजट भाषण के बारे में कहना चाहता हूं कि इसमें जितनी भी उपयोगी चीजें हैं जिसकी उपादेयता सीधे के सीधे जन मानस में पहुंच रही है, मैं इसकी भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं। जहां फोर लेन को जोड़ने की बात है, हर क्षेत्र में यह कार्य शुरू हुआ है और जितने भी लेन बनना था वह इस बजट के माध्यम से बनना शुरू होंगें। यही सब चीजें बजट की सार्थकता साबित करती हैं और चूंकि इतना ज्यादा दिक्कत नहीं हुई कई बार थोड़ा सा हुआ लेकिन खाद जिस ढंग से प्रचुर मात्रा में मिल रहा है उससे उत्पादकता में वृद्धि होना स्वाभाविक है। यह सब इस बजट भाषण का परिणाम साबित हो रहा है और इस बजट भाषण की मैं भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं और बहुत ही ज्यादा समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रोशन लाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस बजट पुस्तिका को मैंने बहुत ही विस्तार से देखा। इसमें किसानों के लिये बहुत कुछ कहा गया है। केवल लिखा गया और कहा गया है इसके अलावा किसानों के लिये कुछ नहीं किया गया है। अभी हमारी माननीय सदस्या फातिमा जी कह रही थीं कि कृषि दुर्घटना बीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। यह केवल बजट पुस्तिका में किया गया है। (सत्ता पक्ष से माननीय सदस्यों के बोलने पर शोर) सुन लीजिये। आप तो ऐसे चौकन्ने हो जाते हैं जैसे नीलगाय हों। नीलगाय की तरह चौकन्ने हो जाते हैं। जैसे खेत में नीलगाय आ जाय और किसान उसको हंकाने के लिये चला जाय तो नीलगाय की तरह चौकन्ने हो गये। पूरी बात सुन लीजिये। मेरे यहां 4 किसानों की दुर्घटना में मौत हुई। मैंने इससे पहले भी विधान सभा में उठाया था। अभी नियम–51 में भी उठाया है। केवल, इसीलिये तो हम कह रहे हैं कि केवल इसमें लिखा गया है और कहा गया है। बैखापुर निवासी गंगाराम थाना निगोही दिनांक 5–5–14 को अपने गन्ने के खेत में पानी लगा रहे थे। इसी क्रम में परसोना खलीलपुर के निवासी थाना निगोही 23–9–14 को पिता पुत्र ओम प्रकाश पुत्र शिवराम, अनिल कुमार पुत्र ओम प्रकाश दोनों अपनी सिवाली पेरने गये थे जहरीली गैस से दोनों की मौत हो गई। उसमें बाकायदा पी0एम0 हुआ है इसी क्रम में थाना सिधौली निवासी अवनीश पुत्र तोताराम और कल 8 और 9 की रात्रि में महेश पुत्र बद्री डालमिया चीनी मिल में अपना गन्ना लेकर गए थे ट्राली पलट गई वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। इसी ढंग से चार किसानों के बारे में मैंने नियम–51 लगाया, आप पांच लाख की बात कर रहे हैं कि पांच लाख दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। इन किसानों की दुर्घटना के बारे में लगभग एक वर्ष मुझे लगातार इस हाउस में कहते हुए भी हो गया, नियमों में भी लगाते हो गया, लेकिन चारों किसानों को दुर्घटना बीमा नहीं दिया गया..

एक मा0 सदस्य–

दुर्घटना नहीं है।

श्री रोशन लाल वर्मा–

दुघर्टना है। नियम–51 में जवाब आया है कि एक–एक लाख रुपया बिजली विभाग द्वारा दो कृषकों को दे दिया गया है। दो कृषक जो पिता पुत्र बचे हैं परसौना खलीलपुर के, उनके लिए कहा गया कि बिजली विभाग में यह नहीं आता इसलिए इन्हें कृषि दुर्घटना बीमा नहीं दिया जा सकता है। जब आप पांच लाख की बात कर रहे हैं तो हमने तो कृषि दुर्घटना बीमा की बात कहीं है।तो एक लाख क्यों, नियम–51 का मेरे पास जवाब है। एक लाख देकर सरकार ने अपना पल्लू झाड़ लिया केवल यह पुस्तिका में कहा गया है कि हम किसानों के लिए कृषि दुर्घटना बीमा दे रहे हैं। खाद बीज दे रहे हैं। अभी गेहूं की बुआई में यूरिया डी0ए0पी0 खाद के लिए किसानों ने लाठियां खाई हैं बड़े पैमाने पर, चालीस पचास रुपये डी0ए0पी0 दो सौ ढाई सौ रुपये, ब्लैक में बेची गई है।

धरातल पर देखिए, जमीन देखिए। अब तो तीन साल हो गए हैं यही बात हो गई ना–

पन्नी पर पन्नी चली, हुए पंच सब टंच, जो ज्यादा टंची हुआ वही बना सरपंच और पनारा यहीं चुएगा, आपकी सरकार बने तीन साल हो गए, अब पूर्व सरकार पर सत्तापक्ष के लोग क्या आरोप लगाते हैं किसानों की यह घोर विरोधी सरकार है। अभी एक पंचम तल से शासनादेश जारी हुआ है, इसकी दिनांक है 30.10.2014, इसमें है कि समस्त सदस्य विधान परिषद्, सदस्य विधान सभा, अपने–अपने क्षेत्र के, यह लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने जारी किया है कि दस–दस मार्ग माननीय मुख्य मंत्री जी ने मांगे है यह शासनादेश है हमारे पास। हो सकता है कि सत्तापक्ष के दस मार्ग लिए गए हों। हम समझते हैं कि विपक्ष के तो कोई मार्ग लिए नहीं गए हैं। 2014 का पंचम तल का शासनादेश है इसमें भी बड़े पैमाने पर पक्षपात किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें। आठ मिनट हो गए हैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रोशन लाल वर्मा–

मान्यवर, हमें अपनी बात कहने दीजिये। हमारे जनपद शाहजहांपुर में गत वर्ष 2012–13, 2013–14 और 2014–15 में आवास निर्माण में वहां के विभागीय अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। चूंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और यह गरीब और निर्धन लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है। एक–एक गांव में बी0डी0ओ0 और ग्राम पंचायत अधिकारी की मिलीभगत से मैं उदाहरण के तौर पर कुछ गांव भी बताऊंगा तीन मंजिल पर आवास बने हैं। मैंने जिला स्तर पर शिकायत की और यहां पंचम तल पर भी शिकायत की। शिकायत पर जिन बी0डी0ओ0 सेक्रेट्री ने धांधली की उन्हीं को जांच अधिकारी बना दिया गया। मा0 अधिष्ठाता जी, उदाहरण के तौर पर ऊनकला, चकसकौरा, लोहरगवां और धुल्लिया इनमें चार–चार मंजिल पर आवास बनाये गये हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यहां से एक उच्च स्तरीय टीम गठित करा कर जिन लोगों

ने गरीब–निर्धन लोगों पर अन्याय किया है अगर मेरी बात सही हो तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाये। मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी चकबन्दी हुयी थी। चकबन्दी में किसानों की जमीनें ग्राम सभा में छोड़ी गई।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 जाहिद बेग साहब, आप बोलिये।

'श्री जाहिद बेग–

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे मा0 मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं हिन्दुस्तान में यह पहली सरकार है जिसने वर्ष 2015–16 को किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। यह हिन्दुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में पहली सरकार है जिसने वर्ष 2015–16 को किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। इस बात के लिये मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन बजट में किसानों को मुफ्त पानी, किसान दुर्घटना बीमा पांच लाख रुपये देने की व्यवस्था है। कम से कम हमारे विधान सभा क्षेत्र में बहुत से लोगों को किसान दुर्घटना बीमा मिला है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, किसानों के लिये खाद, बीज, बिजली, पानी तमाम व्यवस्थायें बजट में हैं। लैपटाप की बात हमारे नेता विरोधी दल बोल रहे थे कि नहीं है। असल में इन लोगों ने बजट को पढ़ा ही नहीं है। लैपटाप की व्यवस्था भी है। मैंने पहले भी बोला था कि लैपटाप एक घर में एक होता है घर के सभी लोगों के पास नहीं होता। अब उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया है कि जो बच्चे अच्छे नम्बर लायेंगे उनको लैपटाप दिया जायेगा। इस बजट पर जब नेता विरोधी दल और नेता भाजपा बोल रहे थे तो उस वक्त मैं देख रहा था कि इनके दल के लोग बजट को अच्छा कहना चाहते थे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बजट इस बात का प्रमाण है कि यह जो किसानों का बजट है, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बजट है। मा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी बजट के बारे में बोल रहे थे, केन्द्र सरकार के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें बतायीं, लेकिन उन्होंने यह बात नहीं बताई कि जो किसानों के लिए 1894 में कानून बनाया गया था, उसमें व्यवस्था थी कि 80 प्रतिशत किसानों के समर्थन के बिना उनकी जमीन नहीं ली जायेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस अधिकार को छीनने का काम किया है। अधिष्ठाता महोदय, यह इस बात का प्रमाण है कि केन्द्र में बैठी सरकार किसान विरोधी सरकार है, वह केवल उद्योगपतियों की सरकार है, वह लोग किसान की सहमति के बिना उसकी जमीन लेकर उन्हें समाप्त करने पर अमादा हैं। अधिष्ठाता जी, इन्होंने इस बात को नहीं बताया, मध्य प्रदेश के भोपाल में जो हादसा हुआ था, उसे याद करके आज भी रोम–रोम कांप उठता है। पहले यह प्राविधान था कि कोई विदेशी कम्पनी हिन्दुस्तान में आकर कम्पनी लगायेगी और उसके कारण कोई हानि होती है तो उस विदेशी कम्पनी को हानि का मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन अब उस कानून को हटा दिया

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

गया है। अब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि यदि कोई बाहरी कम्पनी आयेगी तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा, न उसे किसी हानि का मुआवजा देना होगा, ऐसी प्रधानमंत्री ने व्यवस्था की है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग कानून–व्यवस्था की बात करते हैं, आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यहां की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, आप अन्य प्रदेशों के आंकड़े देख लीजिए, मालूम हो जायेगा कि उत्तर प्रदेश की तुलना में वहां अधिक घटनाएँ हो रही हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में क्राइम बहुत कम है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह किसकी सरकार थी, जब गवर्नर हाउस के सामने एक विधायक की हत्या की जाती है, महाराष्ट्र के अन्दर एक वरिष्ठ नेता को गोली मार दी जाती है, वहां किसकी सरकार थी ? उसके बारे में यह लोग नहीं बोलते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी इनके एक नेता बोल रहे थे कि कांशीराम आवास योजना की बिजली काट दी गयी है। अधिष्ठाता महोदय, उनका कहना है कि बिल नहीं देने पर उनका कनेक्शन काट दिया गया होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने यह गलत इल्जाम लगाया है, उन्होंने सदन को गुमराह करने का काम किया है कि कांशीराम आवास योजना की सारी बिजली काट दी गयी है। मैं कहना चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय, मैं पहली बार चुन कर आया हूं, यदि ऐसा है तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा और यदि ऐसा नहीं है तो यह बात प्रदेश की जनता के सामने आनी चाहिए और इस प्रकार से उनको प्रदेश की जनता के सामने गलत बात नहीं करनी चाहिए और सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, पूर्वांचल की बात आ रही थी, हमारे यहां फोर लेन का बाबतपुर मार्ग 170 करोड़ की लागत से बनाया गया है, आप जाकर देख लीजिए। मुख्यालय से फोर लेन की व्यवस्था बजट में की गयी है। उस रोड पर आप जाकर देख लीजिए वह काम हो गया है। भदोही से गोपीगंज मार्ग रोड बन गई है। भदोही का बाईपास रोड बन गया है। भदोही में वो ओवरब्रिज जो चार घण्टे लगा करते थे, तीन किलोमीटर के एरिए में बनाने का काम किया गया है। साल भर के अन्दर पचास प्रतिशत काम हो गया है। साल भर के अन्दर उसका उद्घाटन होना है। माननीय अध्यक्ष महोदय कारपेट की बात बजट में भी आयी है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां कालीन का क्षेत्र है। साल में एक बार विदेशी मेला लगता है। हम लोग गलीचा लेकर दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में जब मेला लगता है दिल्ली में बैठे हुए पानीपत के लोग हमारा गलीचा खरीदकर वहां मेला लगाते हैं लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि कारपेट मेला एक्सपो मार्ट भदोही में देने का काम किया है। पचास करोड़ रूपया की व्यवस्था इस बजट में देने का काम किया है। इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इसके क्या फायदे हैं दो बातें इस पर भी कहना चाहता हूं। साल में एक महीना कारपेट मेला लगता है। सैंकड़ों विदेशी उसमें आते हैं भदोही में कारपेट एक्सपो मार्ट बनने से भदोही में मेला लगेगा दिल्ली में नहीं लगेगा और एक बार जो मेला लगता है वह मेला छः बार लगेगा।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 जाहिद साहब अब आपका समय समाप्त हो गया। अब आप अपने दूसरे विभागों के बजट पर कहिएगा।

(इस बीच श्री जाहिद बेग बोलते रहे लेकिन उनका माइक ऑफ हो गया)

श्री जाहिद बेग–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए बजट का समर्थन करते हुए मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि चाहे इनको वोट देने वाले लोग हों आज यह कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि दिल्ली के बजट से अच्छा उत्तर प्रदेश का बजट है। इसके लिए पूरे देश की जनता मा0 नेता जी की तरफ मा0 अखिलेश यादव की सरकार की तरफ देख रही है। विकास का दूसरा नाम है अखिलेश यादव। इस बात के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती सीमा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने वर्ष 2015–16 के बजट अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है आदरणीय हमारे नेता विपक्ष द्वारा संशोधित प्रस्ताव रखा गया है। हम अपने सुझाव और अपनी कुछ बातें बताने के लिए पांच मिनट हो सकता है दो मिनट से ज्यादा समय लग जाए अनुरोध है मान्यवर कि हमारी बात पूरी होने दीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

आपको दस मिनट का समय है लेकिन आपकी जो मुख्य बातें हैं वह आनी चाहिए।

श्रीमती सीमा–

मान्यवर आज से कुछ साल पहले जब हम लोग राजनीति में नहीं थे, हम लोग छोटे ही थे तब गांव में प्रचार की गाड़ियां आती थीं तो प्रचार हुआ करता था रोटी, कपड़ा और मकान। बहुत पहले की बात है। तब सरकार की पूरी शक्ति होती थी रोटी, कपड़ा और मकान पर लेकिन आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। प्रकृति बदली है, हम बदले हैं, समाज बदला है, बीमारियां नई–नई आयी हैं, परेशानियां नई–नई आयी हैं। युवाओं की समस्या अलग आयी है बेरोजगारी की समस्या अलग आयी है, नशाखोरी की समस्या अलग आयी है, जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि अलग आयी है, गरीबी अलग आयी है मतलब तरह–तरह की ऐसी चीजे आयी हैं जिनसे निपटने के लिए सरकार को बहुत कुछ करने की आवश्यकता होती है। कोई ऐसी सरकार नहीं जो अल्पमत की सरकार हो या मिली–जुली सरकार हो, एक ऐसी सरकार जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी उस सरकार का ये चौथा बजट था और हम सभी यह कहते हैं कि जब हम पहली बार कोई काम करते हैं तो गलती हो जाती है लेकिन अगली बार जब कोई काम करते हैं तो हम सुधार लेते हैं। मान्यवर जो पहली बार बजट रखा गया सरकार के द्वारा आज जब चौथी

बार बजट सरकार के द्वारा रखा गया है तो मान्यवर जो मैंने पढ़ा है जो मैंने देखा है। सॉरी तीसरा बजट है। माफी चाहेंगे।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

चौथा है।

श्री अधिष्ठाता–

चलिए कोई भी है बजट है।

श्रीमती सीमा–

तो मान्यवर जो बजट रखा गया है मैंने उसे बहुत अच्छे से देखा है, पढ़ा है, समझा–बूझा है। हम इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं कि हम शिकायत करें, बुराई करें। हम अच्छी बात कहना चाहते हैं। क्योंकि सरकार की मंशा होती है कि हम प्रदेश का अच्छा विकास करें। हम जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं हम सभी उत्तर प्रदेश से ही चुनकर आते हैं। जिले हमारे अलग–अलग हो सकते हैं। हम जो बातें कहते हैं हम जो सुझाव देते हैं वह इसी आशा और उम्मीद के साथ देते हैं कि अगर सरकार को यह लगता है कि हमसे यह गलती हो गयी या हमने बजट में यह छोड़ दिया है तो वह उसको संशोधित करके जोड़ लें। यह हम सबकी मंशा होती है। सरकार अभी एक बड़ी अच्छी योजना लायी है उसके लिए हम उसको बधाई देना चाहेंगे क्योंकि यह योजना मुझे बहुत अच्छी लगी। सरकार ने दिया है कि प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु डीजल, विद्युत के प्रयोग से बचाने के लिए लघु एवं सीमान्त किसानों को अनुदान पर 6 हजार सोलर फोटोवोल्टैइक पम्पों का वितरण किया जाएगा जिसके लिये 126 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गयी है। ताकि बिजली अगर न भी आये और डीजल न भी मिले तब भी उनकी व्यवस्था अच्छे से हो जाये। मान्यवर, हम सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट करना चाहेंगे कि जो योजना आप लाये हैं और जिसका प्राविधान आपने 6 हजार के लिए किया है। हमारे प्रदेश में 80 जिले हैं अगर हम इसको जिलेवाइज बाट देते हैं तो एक जिले का हिस्सा 75 का बनता है। इतनी महत्वपूर्ण चीज को इतनी कम संख्या में किया गया है और मुझे लगता है कि अभी इस संख्या में और भी कमी होगी क्योंकि हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर मा0 मंत्री जी की, मा0 मुख्य मंत्री जी की विशेष कृपा होती है वहां भी डायवर्जन हो जायेगी। तो मान्यवर, हम सरकार से कहना चाहेंगे कि किसानों के लिए सबसे अच्छी योजना है। आपने इस साल को अगर किसान वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है तो हम सुझाव देना चाहेंगे कि इसकी संख्या में वृद्धि करते हुए हमारा जनपद जौनपुर जो प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है इसमें किसी भी प्रकार की कटौती न की जाये। इस योजना को हमारे जिले में जरूर लागू किया जाये। यह हमारी आपसे अपील है। दूसरी बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि अभी मा0 लोक निर्माण मंत्री जी इस समय यहां पर नहीं हैं। आपने कहा कि 153 नये पुल बनवाये और 149 नये पुल की स्वीकृति की हुयी है। हमारे पड़ौसी जिले के आप रहने वाले हैं। भदोही भी हमारा पड़ोसी जिला है, प्रतापगढ़ भी हमारा पड़ोसी जिला है। भारत–नेपाल सीमा का जो बार्डर है जो गोरखपुर से निकलकर शाहगंज होते हुए बादशाहपुर होते हुए

जौनपुर होते हुए जो इलाहाबाद को जाता है। आपने कुम्भ देखा होगा। इलाहाबाद धार्मिक नगरी है। आपने देखा होगा कि जहां मेरी विधान सभा क्षेत्र खत्म होती है वहां के बाद की रोड इतनी खराब है कि उस पर चलना दूभर है। और मान्यवर, पुलों की बात करना चाहेंगे तो एक वरूणा नदी का पुल है। मा0 मंत्री जी बैठे हुए हैं। वरूणा नदी का पुल टूट जाने से जिले की सीमा नहीं खत्म हो रही है बल्कि नेपाल भारत की निकलने वाली एक मात्र रोड है। इलाहाबाद जाने के लिए कोई और रोड नहीं है। अगर आपने वरूणा नदी का पुल प्रस्तावित न किया हो तो हम आपको सुझाव देना चाहते हैं कि अगर आप इस पुल को प्रस्तावित कर देते हैं तो मैं समझती हूं कि जनता के लिए एक बहुत बड़ी राहत का काम होगा। मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि की बात करें। तमाम निधियां बनी हुयी हैं। पूर्वांचल बहुत पिछड़ा एरिया है। बहुत पिछड़े किसान हैं, बहुत पिछड़े यहां पर लोग हैं। अभी हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी जौनपुर में मेडिकल कालेज के शिलान्यास के अवसर पर गये थे। मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अगर अवसर पड़ेगा तो मैं पूर्वांचल विकास निधि को और दोगुना करूंगा। मा0 मुख्य मंत्री जी आपके द्वारा कही हुयी बातों पर कटौती होती है। आप जौनपुर में घोषणा करके आते हैं कि हम पूर्वांचल निधि को और बढ़ायेंगे और मान्यवर, आप आंकड़े निकालकर देख लीजिए इस बार की पूर्वांचल निधि आधे से भी कम हो गयी है। इससे भी सरकार के बारे में अच्छा संकेत नहीं जा रहा है। हम यह कहना चाहेंगे कि जो पूर्वांचल विकास निधि हम विधायकों को प्राप्त होती हैं। हम गांव के विधायक चुनकर आते हैं। हमने देखा है कि किसी गांव में अगर 200 मीटर खड़ंजा बनवाना है तो जो छोटी–छोटी कार्यदायी संस्थायें होती हैं। 200 मीटर खड़ंजा चाहे गन्ना विकास को दे दिया, जिला पंचायत किसी को दे दिया। लेकिन मान्यवर अभी यहां से एक ऐसा आदेश हो गया है जिसमें बहुत साफ–साफ लिख दिया गया है कि पूर्वान्चल विकास निधि का कार्य केवल लोक निर्माण विभाग और आर0ई0एस0 के अलावा किसी योजना से नहीं कराया जायेगा। आप भी पूर्वान्चल के रहने वाले हैं मान्यवर, हम गांव में रहते है। आर0ई0एस0 के काम कराने का अपना एक अलग मानक है, लोक निर्माण का काम कराने का अपना एक अलग मानक है। गांव के खड़न्जे अगर 03 मीटर में बनते हैं तो लोक निर्माण में 05 मीटर और 06 मीटर में बनती है। लोक निर्माण और आर0ई0एस0 विभाग दोनों खड़न्जे का निर्माण नहीं करते हैं। हम यह भी कहना चाहेंगे कि इस बजट में इसको अभी से जोड़ दिया जाये पूर्वान्चल विकास निधि में जैसे पहले किया जाता था इसको भी पहले की तरह लागू कर दें। ऐसा करने से भी गांव का विकास सम्भव है। मान्यवर, हम बिजली की बात करें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि शहरी क्षेत्र में 22 से 24 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में हम 16 घण्टे बिजली देते हैं। हम सभी लोग यहां पर गांव से जीत कर आये हैं। शहरो से भी आये होंगे। हम यह दावे के साथ कह सकते हैं अधिष्ठाता महोदय कि न 16 घण्टे मिलती है न 12 घण्टे मिलती है। कभी बिजली रात को आती है, कब आती है कब जाती है कुछ इसका एहसास नहीं होता। हम यह कहना चाहते है कि आप 16 घण्टे ही बिजली दीजिये लेकिन उसको समय–सीमा में बांध

दीजिये हमें सुबह 08.00 बजे लाइट दे दीजिये और दोपहर 03.00 बजे काट लीजिये शाम फिर 8.00 बजे दे दीजिये और फिर काट लीजिये, चलेगा लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है कि एक हफ्ता आयेगी 12 से 03 और दूसरे हफ्ते टाइम बदल जाता है। यह कहीं से भी न किसानों के लिए अच्छा है, न नौजवानों के लिए अच्छा है, न महिलाओं के लिए अच्छा है। 16 घण्टे ही बिजली दीजिये लेकिन वह एक मानक, एक निश्चित समय–सीमा के आधार पर मिले। दूसरी समस्या माननीय अधिष्टाता महोदय हम कहना चाहेंगे कि अभी सरकार ने कहा कि हमने किसान दुर्घटना बीमा 05 लाख किया है, आप बधाई के पात्र हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बधाई के पात्र हैं, आपने 05 लाख की राशि बढ़ाई है और 05 लाख, लोगों को मिला भी है। हम यह कहना चाहेंगे कि आपने बढ़ाई तो है 05 लाख रुपये लेकिन सच्चाई पर आईये। क्या पता एक महीने में 06 एक्सीडेन्ट हो जाये क्या पता 180 हो जाये कोई इसकी समय सीमा नहीं है। हमारी विधानसभा क्षेत्र में जनपद जौनपुर है, मेरी जानकारी में 08 ऐसे लोग हैं जो किसान दुर्घटना बीमा के पात्र है, मेडिकल भी हुआ है, परीक्षण हुआ है, उनके नाम पर जमीन है, सारी कार्रवाई होने के बाद भी उनको पैसा इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जिले में पैसा ही नहीं है। मान्यवर, अगर आपने इतना बड़ा दिल किया है कि हम 05 लाख रुपये देंगे तो इतना बड़ा दिल कर लीजिये कि चाहे रोज एक एक्सीडेन्ट हो हम सबको 05 लाख रुपये देंगे। इसको आप घोषणा कीजिये। मैं इमानदारी के साथ इस बात को कह सकती हूं कि सरकार ने योजना तो बनाई है लेकिन जिले में बजट का बहुत अभाव होता है। शादी अनुदान में गरीबो को 10–20 हजार रूपया मिल जाता है, शादी अनुदान के नाम पर इसको मान्यवर आपने बन्द कर दिया है। आपने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को 20 हजार से 30 हजार किया मान्यवर इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं लेकिन वहां भी यही दिक्कत आ रही है कि जितना जिले का टारगेट है पैसे का अगर उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है कि उनको पैसा नहीं मिल पाता है इसके लिए भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस पर विचार किया जाये। माननीय अधिष्ठाता जी अभी आपने लिखा है पी0एम0जी0एस0वाई0 ग्राम विभाग, आपने बजट बढ़ाया है। काफी अच्छी संख्या में आपने ग्राम विभाग का बजट बढ़ाया है पी0एम0जी0एस0वाई0 का। पी0एम0जी0एस0वाई0 की अगर बात आती है मान्यवर, तो हम आपको नजीर देना चाहते हैं और खास तौर पर कहना चाहते हैं कि जिनके पास भी ऐसी नजीरें होंगी हमारे जनपद में ग्रामसभा मगुराबादशाहपुर से नीभापुर होते हुए जंघई से एक रोड है पी0एम0जी0एस0वाई0 से और पी0एम0जी0एस0वाई0 का एक मानक है कि कोई भी रोड अगर पी0एम0जी0एस0वाई0 से बनती है तो 05 साल के अन्दर अगर उसमें कोई खराबी आती है तो विभाग ठीक करायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

बस आपका समय हो गया है। अब आप बैठ जायें।

श्रीमती सीमा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय बस दो मिनट और लेंगे। महिलायें वैसे भी कम बोलती है अगर बोले तो दो मिनट बढ़ा दीजिये। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिये। वह रोड अधिष्ठाता महोदय इतनी खराब हो गयी है। 03 लोगों की मौत हो गयी है और उस रोड को बने हुए अभी 04 साल ही हुए हैं। न तो ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है न विभाग के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि इसकी जांच करा लें और अगर उस रोड को बने अभी चार साल हुआ है तो उस पर तत्काल कार्य होना चाहिए यह हम जनता की तरफ से आपसे कहना चाहते हैं। मान्यवर, दो–तीन बातें और कहना चाहेंगे, मा0 अधिष्ठाता महोदय हमारे क्षेत्र में एक रोड है मुंगरा बादशाहपुर से भिखारीपुर सम्पर्क मार्ग, बिलवाड़ से मुंगरा बादशाहपुर सम्पर्क मार्ग, मुंगरा बादशाहपुर से तराची सम्पर्क मार्ग और तहसील को जोड़ने वाली रोड, मछली शहर से कुन्दहा को जो रोड जाती है मान्यवर वह बहुत खराब है, हमारे परिवहन मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, अभी आपने लोहिया बस योजना की शुरुआत की है, मान्यवर हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, हमारी विधान सभा क्षेत्र जनपद के आखिर छोर पर स्थित है।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा सदस्या का माइक ऑफ कर दिये जाने के कारण आगे का भाषण सुनाई नहीं दिया।)

श्री अधिष्ठाता–

बस अब आप बैठ जायं, मा0 सदस्य श्री राम चन्द्र चौधरी जी आप अपनी बात कहें।

'श्री राम चन्द्र चौधरी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, मान्यवर जो बजट मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है, उस बजट की पूरे प्रदेश के किसानों, नौजवानों और तमाम उद्योग धन्धे वाले भी प्रशन्सा कर रहे हैं और इस बात की चर्चा है पूरे प्रदेश में कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों में ऐसा बजट नहीं प्रस्तुत किया गया है, जितना अच्छा बजट उत्तर प्रदेश का प्रस्तुत किया गया है। किसानों को, गरीबों को, छात्रों को, अल्पसंख्यकों को सबको लाभ मिलेगा।

(मा0 मुख्य मंत्री जी के सदन में उपस्थित होने पर सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गईं।)

मान्यवर, यह बजट जो प्रस्तुत किया गया है, तमाम विचारकों ने और तमाम समाजवादी सोंच वालों ने भी इस बात की चर्चा की है कि उत्तर प्रदेश का बजट बहुत ही सराहनीय बजट है। उद्योग मण्डल के एसोचैम ने उत्तर प्रदेश विधान सभा में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह बहुत ही बेहतर बजट है और रोजगार बढ़ाने वाला, उद्योग बढ़ाने वाला है एसोचैम के महासचिव ने भी इस बात को कहा है, डी0एस0 रावत ने एक बयान में मा0 मुख्य मंत्री अखिलेश यादव द्वारा पेश किये गये बजट की सराहना

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

करते हुए कहा कि बजट प्रस्ताव के प्रभावी क्रियान्वयन की अति आवश्यकता है, इससे प्रदेश में विशेष निवेश का प्रवाह होगा, बजट को पूरी तरह लागू होने से सूबे में रोजगार ही नहीं बढ़ेगा बल्कि मूलभूत ढांचे का भी विकास होगा और प्रदेश की आर्थिक तरक्की भी होगी। एसोचैम के महासचिव ने वर्ष 2015–16 के बजट को किसान वर्ष घोषित करने के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि राज्य सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है और उसे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सुधार करने की जरूरत है। तो इस तरह से जो हमारा बजट प्रस्तुत है, इससे उद्योग बढ़ेगा, बाहरी कम्पनियां निवेश करेंगीं और हमारे मुख्य मंत्री जी जो बजट पेश किये हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रदेश कृषि रास्ते पर कैसे चलेगा, मैं एक उदाहरण बहुत पहले ही इस सदन में बता चुका हूं, मा0 अधिष्ठाता महोदय 1932 में जर्मनी में एक मैगनाटम बम गिरा था और उस मैगनाटम बम के गिरने से जर्मनी और जापान दोनो ध्वस्त हो गये थे, तो वहां पर जब नई सरकार बनी, उस सरकार ने वहां पर शिक्षा नीति में परिवर्तन किया और हाई स्कूल शिक्षा कम्प्लसरी किया और हाई स्कूल में फेल किसी को नहीं किया, 80 परसेण्ट लोगों को बैक किया और उनको टेक्निकल एजूकेशन दिया और उसके बाद 12 परसेण्ट बचे उनको इण्टरमीडिएट की शिक्षा दी और जो 15 परसेण्ट को बैक किया उनको सैनिक शिक्षा दिया और 05 परसेण्ट को हायर एजूकेशन दिया, जो राजनेता शिक्षाविद् बने, तो आज जर्मनी, जापान इतना विकसित हैं, वहां का पांच वर्ष का बच्चा भी खिलौना बनाकर हिन्दुस्तान भेज देता है, हम आप बड़े शौक से उसे खरीद कर घर के बच्चों को दे देते हैं। ठीक वही योजना हमारे मुख्य मंत्री की है, हमारे मुख्य मंत्री इंजीनियर हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी इंजीनियर हैं, टेक्निकल एजूकेशन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के अन्दर निवेश करके तमाम उद्योगपति, कल–कारखाने वाले कल कारखाना खोलना चाहते हैं और इससे प्रदेश का विकास होगा और निश्चित रूप से प्रदेश जर्मनी और जापान की तरह आगे बढ़ेगा। कुछ लोग, विरोधी लोग विरोध की भावना से भले ही विरोध करें लेकिन उनकी मंशा उनके अन्दर यही है कि आज जो काम कभी किसी ने नहीं किया उस काम से हमारे क्षेत्र में भी विकास होगा, वे इस बात को सोचते हैं लेकिन सदन में विरोध करते हैं लेकिन मैं यहां बताना चाहूंगा कि मेरा प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, बात कहने को और भी हैं लेकिन इसके साथ–साथ हम अपने क्षेत्र की भी कुछ मूलभूत समस्यायें रखना चाहेंगे। वह मूलभूत समस्या है कि हमारे क्षेत्र में प्रतापगढ़ से लेकर टाण्डा तक जोड़ने वाली गुजरा घाट पर गोमती नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता है। जो हुनमान का टीका एक विलक्षणाधाम मन्दिर है वहां पर हर शनिवार और मंगलवार को बहुत बड़ा मेला लगता है वहां पर एक पुल बनने की आवश्यकता है। इसके बाद इब्राहिमपुर जो प्रतापगढ़ से लेकर के टाण्डा तक सड़क है। इब्राहिमपुर से सूनागढ़ तक और दोसपुर तक चौड़ी होने की जरूरत है जिस पर आवागमन बहुत ज्यादा है, उसका भी होना जरूरी है। इसके अलावा, एक प्रमुख चीज और है कि हमारे सुल्तानपुर जिले के कादीपुर में पूर्वांचल विकास निधि से पूर्वांचल विकास द्वारा एक बार वहां पर पूर्वांचल निगम ने एक सहकारी चीनी मिल लगायी थी

और वह चीनी मिल 10 बरस तक चली उसके बाद वह ध्वस्त हो गयी है। उस मिल की जमीन कमिश्नर के माध्यम से पड़ी है और मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार उस पर कोई कल–कारखाना लगा करके या कोई उद्योग धंधा खोल करके क्षेत्र के विकास में योगदान करे, यह बहुत जरूरी है। इसी तरह से हमारे कादीपुर में बस डिपो नहीं है, वहां पर बस डिपो और स्टेशन होना बहुत जरूरी है। वह जब तक बस डिपो नहीं खुलेगा तो वह बलिया से लेकर लखनऊ तक का मार्ग है और जमीन है बस स्टैण्ड बना हुआ है बस डिपो का होना नितान्त आवश्यक है जिससे वह आगे बढ़े। इसी तरह से पूरे क्षेत्र के अन्दर बोकाब हमारे यहां ऐसा है वह भी ऐतिहासिक स्थल है। जेठुआ हनुमान मंदिर ऐतिहासिक स्थल है। मा0 अधिष्ठाता जी, यह जो बजट मा0 मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है उस बजट की हम सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं और दो लाइन मा0 मुख्य मंत्री जी के लिये यहां प्रस्तुत करते हैं कि

रूप सबको सुघढ़ नहीं मिलता,
प्यार सबको अमर नहीं मिलता,
भाग्य सबके अलग–अलग हैं,
हर भ्रमर को सुमन नहीं मिलता।

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री वीरपाल राठी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट के विरोध में बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, तीन बजट पार करके चौथे बजट को आज हम पास कर रहे हैं, उस पर हम बोल रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह बजट आज कोई नहीं बात नहीं है। पहले की सरकारों ने भी बजट दिया होगा, वह भी पास हुआ होगा, वह भी प्रदेश के अन्दर लगा होगा, उससे भी विकास हुआ होगा और कहीं विकास हुआ होगा, कहीं विकास नहीं भी हुआ होगा। मान्यवर, 3 लाख 2 हजार करोड़ का ये बजट है और तीसरा बजट जा चुका, चौथा बजट मैं कह चुका कि यह चौथा बजट है लेकिन आप देख लीजिये कि जो पिछले तीन बजट गये हैं और यह चौथा बजट भी है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं भी, एक भी पैसा लगा हो तो आप देख लीजिये। यहां पर मा0 मुख्य मंत्री जी भी हैं और इसमें कितनी घोर उपेक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है और पहले की सरकारों ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घोर उपेक्षा की है। मान्यवर, सड़क बनती है, टूटती है मैं इसे विकास नहीं मानता। अभी सहारनपुर से लेकर के दिल्ली की सड़क को देखिए। यह सड़क वर्ष 2010 में माननीय बहन जी के कार्यकाल में पास हुई थी लेकिन आज तक उस सड़क पर अगर आप सुबह से लेकर शाम तक सहारनपुर चले जाएं तो मैं मान लूं कि आपने कोई विकास किया। पहले की सरकार भी नहीं कर पाई और यह सरकार भी नहीं कर पायी। मान्यवर, विकास तो किया है लेकिन विकास इस ढंग का किया है, माननीय मुख्य मंत्री जी बड़े होनहार हैं, बड़े होशियार हैं, बहुत काबिल

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

हैं, एक नौजवान भी हैं और हमें इनसे उम्मीद थी कि वास्तव में प्रदेश में ऐसा वातावरण देंगे, प्रदेश का एक नया नक्शा बदलेंगे, प्रदेश के अन्दर व्यवस्था देंगे, लेकिन मान्यवर, हम निराश हैं। न कोई व्यवस्था दी गई, न तो नक्शा बदला गया, न बजट, जो बजट दे रहे हैं। अभी बिजली पर इन्होंने बहुत सारी परियोजनायें दी और मैं मानता हूं कि बिजली के सम्बन्ध में प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और जितना काम बिजली के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है, किसी सरकार ने नहीं किया, मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम बजट तो दे रहे हैं, वह बजट कहां जा रहा है? वह बजट किस जगह पर लग रहा है। आपका पूरा प्रदेश ओवर लोड है। बिजली के तार आप जो डाल रहे हैं, वह बहुत कम क्षमता के हैं। कागजों के हिसाब से जो लोड है, उस लोड के हिसाब से आप तार डालिये, आप बजट देंगे बिजली के तार पर, एक महीने के अन्दर वह बिजली का तार आपका टूट कर जमीन पर गिर जाता है। बजट तो आपने दिया, पैसा तो आपने खर्च किया, लेकिन वह चला कितने दिन, पहले से भी जर्जर हालत में वह तार आ गया, जिस तार की हम बात करते हैं। आपने एक और काम बहुत अच्छा किया है, मैं तारीफ करूंगा उसकी कि नगरों में जब ट्रान्सफार्मर फुंकता है, उसके सम्बन्ध में कभी चौधरी चरण सिंह ने यह व्यवस्था दी थी कि जो ट्रान्सफार्मर फुंकेगा, उसे सरकारी मशीनरी के लोग उठाकर लाएंगे और लगाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने यह व्यवस्था दी, लेकिन इसमें भी आपको यह देखना होगा कि जो ठेकेदार हैं, जिनको ठेके दिये गए हैं, वह ठेकेदार 8–8 दिनों तक ट्रान्सफार्मर नहीं लगाते हैं, गांव के लोग त्रस्त होकर के, गांव के लोग परेशान होकर के पैसा इकट्ठा करके उसी व्यवस्था पर कायम हैं, जो व्यवस्था पहले दी गई थी। जो बजट दिया जा रहा है ट्रान्सफार्मर के लिए वह बजट निरर्थक जा रहा है। मान्यवर, हमें इसके साथ जो बजट दे रहे हैं इस हेतु उस पर हमें यह भी अंकुश लगाना होगा कि हमारा पैसा कहां पर जा रहा है। मान्यवर, आपने हमें किसानों के लिए नलकूपों के लिए अभी कनेक्शन दिये हैं, कि पूरे प्रदेश में जो नलकूपों के कनेक्शन रूके पड़े थे, उन्हें दिया, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। सोलर पम्प भी आपने दिये हैं। बहुत अच्छी बात है सोलर पम्प के सम्बन्ध में यह योजना भी बहुत अच्छी है। मान्यवर, यह देख लेना चाहिए कि जो हमारा डार्क एरिया है, जहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। जहां पर न निजी ट्यूबवेल है, न सरकारी ट्यूबवेल है, जिन किसान को मौके पर सब नहीं मिल सकता, उस किसान का कैसे भला होगा। बजट अगर देना है तो उस किसान को भी दीजिए। हमारा निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि सोलर पम्प अगर दिया जाए तो डार्क एरिया में दिया जाए जहां पर सिचाईं का कोई साधन बन सके। इसी के साथ मान्यवर, मैं एक छोटी सी व्यवस्था की बात करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मैं यह बात कहना चाहूंगा क्योंकि बजट में मैंने कहा था कि भला होने वाला नहीं। विकास की यदि हम बात करें तो सड़क बनती रहती है, टूटती रहती है, लेकिन व्यवस्था कैसे बदले प्रदेश की इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। एक उदाहरण दूंगा रूस का, रूस के अन्दर जार नाम का प्रधानमंत्री था।

वहां पर क्रान्ति छा गई, भुखमरी फैल गई, लेनिन नाम का एक व्यक्ति आया। उसने लेनिनवाद चलाया, जार की हत्या की और जार की हत्या करने के बाद लेनिन ने एक व्यवस्था दी थी कि कोई भी इस देश के अन्दर जूता नहीं पहनेगा। सब की ड्रेस एक समान होगी। इस तरह रूस की व्यवस्था और रूस की आर्थिक स्थिति बदली थी। मैं अपने मुख्य मंत्री से, नौजवान मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अगर तस्वीर को बदलना है तो चौधरी चरण सिंह जी ने जिन गहराईयों को छू करके एक क्रांति पैदा की थी हमारे देश के अन्दर, उस क्रांति को पैदा करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। जय हिन्द, जय भारत, धन्यवाद।

'श्री उदय राज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा वर्ष 2015–2016 के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास की योजनाओं का, इस प्रदेश के किसानों, नौजवानों को तमाम लाभकारी योजनाओं का बजट 2015–16 को पेश करने का काम किया गया है। निश्चित रूप से हमारा देश किसान प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश में लगभग 85 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो किसानी पेशे से जुड़े हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा वर्ष 2015–2016 को किसान वर्ष के रूप में घोषित करने का काम किया गया इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से कल दो दिन पहले जब नेता विरोधी दल यहॉ पर बजट पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की जाती है उस घोषणा को अमलीजामा पहनाने का काम नहीं किया जाता और यह भी कहा था कि निश्चित रूप से जितनी भी घोषणाएं रही हैं उन घोषणाओं पर सरकार के द्वारा काम करने का काम नहीं किया गया है मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि तीन सवा तीन साल के इतिहास को उठाकर देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी के लोग जब सत्ता में रहे जो लगातार किसानों की बात करते हैं आज किसानों के बहुत बड़े हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं मैं तो केवल एक चीज जानना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी उस समय चाहे वह गेहूं की बोआई का समय रहा हो चाहे धान की रोपाई का समय रहा हो, शायद कही भी पूरे सूबे के अन्दर किसानों को खाद बिजली नहीं मिला करती थी। इतना ही नहीं हम लोग जब माननीय शिवपाल जी के नेतृत्व में विधान सभा के अन्दर किसानों की बात करते थे, उर्वरक की समस्या के बारे में बात करते थे तो आपकी सरकार के द्वारा किसानों को खाद तो मिलती नहीं थी बदले में किसानों पर लाठियां और गोलियां चलाकर उन किसानों की आवाज को दबाने का काम किया जाता था आज वह लोग बात करते है। मैं कह सकता हूं और बधाई देना चाहता हूं माननीय सिंचाई मंत्री जी को, निश्चित रूप से 2012 में जब चुनाव हुआ था माननीय सिंचाई मंत्री जी ने वायदा

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

इस प्रदेश के किसानों से किया था कि अगर इस प्रदेश में हमारी सरकार आयेगी माननीय नेता मुलायम सिंह जी ने इस प्रदेश के किसानों से वायदा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त सिंचाई देने का काम करेंगे। हमारे नेता ने उस वायदे को पूरा करने का काम किया। आप नौजवानों के हमदर्द बनने का काम करते हो, किसानों के हमदर्द बनने का काम करते हो, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं विपक्ष में बैठे अपने साथियों से 2007 के पहले जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमारे नेता जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे जिस समय नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी जिस समय उत्तर प्रदेश की कन्याओं को कन्या विद्या धन देने की बात कही थी आखिर कौन सा कारण रहा तब आपकी हमदर्दी वह कहां चली गयी थी 2007 में जब आपने इस प्रदेश की सत्ता सम्भाला तो आपने सबसे पहले यह काम किया`कि सारी योजनायें चाहे वह कन्या विद्या धन देने का काम रहा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने का काम रहा हो इन सारी योजनाओं को बन्द करने का काम किया। आपने कहा, नेता विरोधी दल ने कहा था तमाम योजनायें हमने चलाने का काम किया था जिन योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा था मैं तो एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं चाहे महामाया का जिक्र किया हो चाहे काशीराम शहरी विकास योजना का जिक्र किया हो मै तो एक चीज जानना चाहता हूं कि क्या उन योजनाओं में कहीं ऐसी सोच आपने रखी थी कि तमाम वह परिवार जो बी0पी0एल0 सूची में नहीं है तमाम गरीब तबके के लोग जो बी0पी0एल0 सूची में नहीं हैं शायद उन परिवारों को दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता रहा होगा आपने क्या किया था उन बी0पी0एल0 सूची के लोगों को उस योजना का लाभ पहुंचाने का किया था ? मैं बधाई दूंगा अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने उन गरीबों के बारे में सोचने का काम किया जिनके नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं थे जिनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता था और एक फैसला किया कि उत्तर प्रदेश के अन्दर हम 40 लाख परिवारों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनका बी0पी0एल0 सूची में नाम हो चाहे न हो, सर्वे कराकर ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लेकर उन लोगों को समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन देने का काम करेंगे। हमने केवल घोषणा करने का काम नहीं किया, बल्कि उन लोगों को पेंशन देने का काम किया है। कांशीराम शहरी योजना के अंतर्गत जो कालोनियां बनी थी पूर्ववर्ती सरकार ने उनकी बिजली कटवाने का काम किया था। आप लोग शहरों में कांसीराम कालोनी का निर्माण करने का काम करते थे, लेकिन इसका लाभ सारी नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं को कभी नहीं मिलता था, मैं इसके लिए माननीय नगर विकास मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने आसरा आवास योजना शुरू करके इस योजना को लागू करने का काम किया। आप लोगों ने मकान बनाकर केवल सब्सिडी देकर बेंचने का काम किया था, लेकिन आज नगर पंचायतों में मकान देने का काम किया जा रहा है, चार–साढ़े लाख का एक मकान पड़ रहा है, जिसे निःशुल्क गरीबों को देने का काम किया जा रहा है। हमने बेरोजगारी भत्ता शुरू करने का काम किया है। इस बार का बजट उठाकर आप देख लीजिये 300 करोड़ रुपये कन्या विद्या धन योजना के

अंतर्गत इस वर्ष देने का फैसला किया गया है। हमारे घोषणापत्र में जितने भी वायदे किये गये हैं उन वायदों से आगे बढ़कर हमने काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि कहीं पर यह वायदा समाजवादी पार्टी के लोगों ने नहीं किया था कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हम 108 एम्बुलेस सेवा चालू करने का काम करेंगे, कहीं यह वायदा नहीं किया था कि 102 सेवा चालू करने का काम करेंगे, लेकिन गरीबों के लिये हमने यह योजनायें लागू की हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री उदयराज–

माननीय अधिष्ठाता जी समाप्त कर रहा हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने महसूस किया उन गरीबों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो सड़क दुर्घटना में घायल होकर सड़क के किनारे पड़े रहते थे, हमने 108 एम्बुलेंस सेवा चालू करके उनको बचाने का काम किया है, उनको सुविधा दिलाने का काम किया गया है। हमारे तमाम साथी कह रहे थे, हालांकि सीमा द्विवेदी जी ने बड़ा अच्छा तर्क इसमें दिया था। लगातार यह बात उठ रही थी कि किसान बीमा दुर्घटना योजना के अंतर्गत लोगों को लाभ देने का काम नहीं किया जा रहा है। हमारे विधायक साथी बैठे हैं, शायद इनको जानकारी नहीं होगी, हो सकता है कि जिस व्यक्ति का इन्होंने जिक्र किया था उसके नाम जमीन न हो, इसलिये उसको किसान बीमा योजना का लाभ न मिल सका। हमारे मुख्य मंत्री जी ने उन किसानों के परिवारों के बारे में सोचने का काम किया, जो कहीं खेत जाते समय या रास्ते में दुर्घटना में मर जाते थे, जिनका किसान बीमा योजना का शुभारम्भ करने का काम भी हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था और उस समय निर्णय लिया था कि उस बीमा राशि को एक लाख रुपये मृतक के परिवार को देने का काम करेंगे और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का काम किया है। मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और मैं अपने आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष से सम्बद्ध करता हूं। हमने इस बजट भाषण को पृष्ठ संख्या–1 से लेकर 67 तक पूरा अध्ययन करने का काम किया, बहुत से हमारे साथियों ने इसमें जो कमियां थी, उनके बारे में बताया और जो अच्छाईयां थी, उनके लिए धन्यवाद भी दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इधर–उधर की न कहते हुये कहना चाहता हूं कि इस बजट भाषण में हमारे झांसी जनपद तथा बुन्देलखण्ड की उपेक्षा की गई है। खासकर झांसी जनपद में बबीना विधान सभा की बात करता हूं। पर्यटन विभाग के माध्यम से गढ़मऊ झील, बरूआसागर झील, आतिया तालाब, बौद्ध विहार और पारीक्षा को शामिल किया गया था, लेकिन इनके सौन्दर्यीकरण के लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, झांसी मेडिकल कालेज में डाक्टरों की बहुत कमी है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेडिकल कालेज में डाक्टरों की कमी को दूर किया जाये।

पारीक्षा में जो ऐसडैम बनाया गया है और जो पारीक्षा थर्मल प्लाण्ट की राख/डस्ट निकलती है, वो डस्ट बेतवा नदी में पहुंच रही है और बेतवा नदी का जो भराव क्षेत्र है जो बांध का भराव क्षेत्र है, वह कम होता जा रहा है और बेतवा नदी प्रदूषित हो रही है, उसकी व्यवस्था की जाये। सिमरधा बांध का जो उच्चीकरण हुआ है, उसमें जो किसानों की जमीन डूब गई है, उन किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। ...

(इस समय 3 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

वह किसान आये दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय से अपनी खेती का उचित मुआवजा लेने की मांग करते रहते हैं, मैं आपसे मांग करता हूं कि उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पलीदा पाली पेयजल योजना, जो चार साल से लगातार चल रही है लेकिन आज तक उसका काम पूर्ण नहीं हो पाया जिससे 20 गांव बुरी तरह पानी के संकट में रहते हैं, अगर वह पेयजल योजना पूरी हो जाय तो जो 20–25 गांव की पानी की समस्या है, वह दूर हो सकती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे बबीना क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें बाल मजदूरों और बंधुवा मजदूरों पर पाबन्दी लगाने का काम किया जाय। मेरी विधान सभा के चिरगांव ब्लाक, बड़ागांव ब्लाक और बबीना ब्लाक में एक भी राजकीय बालिका इंटर कालेज नहीं है, एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है और न बजट में इसकी कोई व्यवस्था की गयी है, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इन स्थानों पर राजकीय बालिका इंटर कालेज और राजकीय महाविद्यालय खोलने की व्यवस्था की जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सुकवां–डुकवां बांध पर पहले भी बजट में इस बात की चर्चा की गयी थी कि वहां जो बांध है उस पर टरबाइन लगा दी जाय तो उससे बिजली उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन मुझे पता चला है कि वहां टरबाइन लगाने की व्यवस्था की जा रही है लेकिन इस बजट में उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे झांसी जनपद के बबीना विधान सभा क्षेत्र के लिये माननीय पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी ने कहा था कि वहां की सभी सड़कों को गढ्ढामुक्त कर दिया जायेगा लेकिन हमारे बबीना विधान सभा क्षेत्र के बबीना (खाड़ी) से बुढपुरा–हीरापुर मार्ग, डेली से पलीदा मार्ग, करगुंवा से रामनगर मार्ग, पारीछा फोरलेन से बझोरा मार्ग, पालर से पारीछा मार्ग, गुलारा से मुराय सम्पर्क मार्ग, बल्लमपुर से सारवां सम्पर्क मार्ग, मड़ोरा से हाजीपुरा सम्पर्क मार्ग, यह सब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, इनमें अभी तक कोई भी मरम्मत नहीं की गयी है, मैं मांग करता हूं कि इनके मरम्मत की बजट में व्यवस्था की जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, टहरौली तहसील में कोई भी ब्लाक नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि मानक के अनुसार टहरौली तहसील में टहरौली और टोड़ी फतेहपुर को ब्लाक बनाया जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे ग्राम बेदौरा में बड़ी डुबकी, छोटी डुबकी और छर्रा भड़रा जो इलाके हैं वहां आजादी से आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है, इनमें विद्युतीकरण कराया जाय। जैसे खैरा का ढिमरपुरा पड़ती मुहल्ला, पाल मुहल्ला, परिहार मुहल्ला इनमें भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है रक्सा का जनकपुर, पतनियां बांध मुहल्ला, कोडरा मुहल्ला आदि में भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है, बरूआसागर फुहेरा का गिरार मुहल्ला, खदरी मुहल्ला और सिमरावारी का चौका कोंडरा मुहल्ला, मखरऊ मोहल्ला, बादली मोहल्ला, डुबकी मोहल्ला और खजुराहा बुजुर्ग

का दयानगर, पथरवारा, पनिहारी, चंदनगर, टौरिया इनमें आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि ब्लाक स्तर पर फायरबिग्रेड स्टेशन की स्थापना की जाय जिससे किसानों की फसल में जब आग लग जाती है और जिला स्तर पर फायर बिग्रेड बुलाये जाने पर किसानों की फसल स्वाहा हो जाती है, इसलिये आपसे अनुरोध है कि ब्लाक स्तर पर फायर बिग्रेड स्टेशन की स्थापना की जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, झांसी की विडम्बना है कि केवल मेडिकल कालेज में पोस्टमार्टम हाउस है और जिले के 100 किमी0 दूर से लोगों को आना पड़ता है और 3 बजे के बाद ही पोस्टमार्टम होते हैं, इसलिये मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि ब्लाक स्तर पर जो पी0एस0सी0, सी0एच0सी0 हैं, उन पर भी पोस्टमार्टम की व्यवस्था कराई जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि झांसी में सिटी बसें चलाई जायें झांसी से बबीना, झांसी से बरूआसागर, झांसी से चिरगांव, झांसी से अंबाबाद तक। माननीय अधिष्ठाता महोदय, झांसी में आज तक एक भी बस अड्डा नहीं हैं मेरा आपसे अनुरोध है कि झांसी में शीघ्र ही एक बस अड्डा बनवाने की व्यवस्था की जाये। झांसी में ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है इससे वहां पर आये दिन जाम की स्थिति बनी रहती है इसलिये वहां पर ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना कराई जाये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, झांसी के अन्दर बहुत सारी ऐसी नहरें हैं जिनकी पटरियां बहुत ही खराब हो चुकी हैं, मेरा आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध है कि पारीछा से पचर तक, डायमंड से दोन होते हुये दुनारा तक, बकुंवा से पुलिया तक और ईसागढ़ से मवई तक नहर की जो पटरियॉ खराब हैं, उनका दुरूस्तीकरण कराकर उन पर पुनः सड़क बनवाई जाये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि जो लोहिया गांव संतृप्त किये जा रहे हैं, उनमें कुछ मोहल्ले छोड़े जा रहे हैं, जो खासकर दलित बस्तियां हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन मोहल्लों को भी लिया जाए, कम से कम अगर वह संतृप्त हो रहा है तो उनको लगे कि हमारे गांव के साथ हमारा मोहल्ला भी संतृप्त हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इनको लिया जाए और जैसे उदाहरण के तौर पर भरतपुरा है, सैयर है, टांकोरी है और अमरपुर व रसीना है इन गॉवों को लोहिया गांव बनाया गया है लेकिन जो यहां दलित बस्तियां हैं वह विकास से वंचित हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी जो बिन मौसम के बारिश हुई है उसमें बुन्देलखण्ड के किसानों को जो बारिश से नुकसान हुआ है। इस नुकसान का जो आंकलन लेखपालों के द्वारा किया गया है उसमें 25 से 30 प्रतिशत ऑकलन ही शासन को भेजा गया है जिससे किसानों का कोई लाभ होने वाला नहीं है। मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि बबीना विधान सभा में एक भी तहसील नहीं है इसलिए बबीना विधान सभा में एक नई तहसील सिमरावारी में बनाई जाए। मेरा मा0 मुख्य मंत्री जी से यह भी अनुरोध है कि मऊरानीपुर को नया जिला बनाया जाए, मैं मांग करता हूं और अनुरोध करता हूं कि मऊरानीपुर को नया जिला बनाया जाए। मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री आरिफ अनवर हाशिमी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट वर्ष 2015–16 के समर्थन में बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का इसलिए भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए जो बजट पेश किया है उसमें गरीब, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक सभी के लिए यह बजट है, यह बजट विकास का बजट है। मुझे यह कहने में गर्व है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब से इस प्रदेश में आई है तब से प्रदेश विकास के पथ पर चल रहा है। इस सरकार द्वारा ऐसे–ऐसे कार्यक्रम चलाये गये हैं जिसका सीधा लाभ प्रदेश के कमजोर वर्गों, किसानों, ग्रामीण मजदूरों, महिलाओं, श्रमिकों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े और अनुसूचित जातियों को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि विकास का लाभ सीधे गरीबों, किसानों, मजदूरों और उत्तर प्रदेश में रहने वाले कामगारों को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर जा रहा है। इसलिए मैं बार–बार इस सरकार की तारीफ इस सदन में करता हूं कि इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद, कम संसाधनों के बावजूद श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता के ऊपर कोई कर नहीं लगाया है। इसके लिए यह सरकार और मा0 मुख्य मंत्री जी तारीफ के काबिल हैं और मैं इनकी भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं। बजट में किसानों को राहत, सहकारिता क्षेत्र में खाद की कमी नहीं, बिजली की कमी नहीं है। पिछली सरकार में नेता विरोधी दल का मैं भाषण सुन रहा था, बड़ा लम्बा–चौड़ा भाषण सुनते–सुनते, लेकिन मान्यवर, मैं पिछली बार की बात करता हूं कि किसान एक–एक बोरी यूरिया के लिए तरस रहा था। गरीबों के लिए खाद, बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ यही बात थी कि उत्तर प्रदेश के राजकोष का, गरीबों का पैसा हाथियों को लगाओ, पार्कों को बनाओ, मान्यवर, यही हुआ उत्तर प्रदेश सूबे में। इसी के साथ–साथ आज इस सरकार ने जनसंख्या की बढ़ोत्तरी के साथ–साथ दूध का भी इन्तजाम करने का काम किया है यह बड़ा ही ऐतिहासिक काम किया है। अमूल जैसी संस्थायें उत्तर प्रदेश में आकरके दूध के उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ा रही हैं। मत्स्य पालन में, ग्राम्य विकास के मामले में गरीबों का आवास जो लोहिया समग्र गांव में बनाया जा रहा है, जिन गरीबों ने हिन्दुस्तान की आजादी के बाद कभी सपना नहीं देखा था कि हमारी फूस की कभी झोपड़ी छत में तब्दील होगी। आज लोहिया आवास योजना को लाकर, उसका लाभ दिला करके हमारी सरकार ने जो काम किया है वह बहुत ऐतिहासिक है। आज और प्रदेशों का बजट प्रस्तुत हो रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान का बजट प्रस्तुत हुआ है भारी कर जनता की जेब पर लगाया गया है। आज इस बात का संदेश पूरे देश में गया है कि समाजवादी सरकार जो गरीब, किसान, मजदूर के लिए है वह हर वर्ग का काम कर रही है। मान्यवर, महिलाओं के लिए डॉयल 1090 की व्यवस्था करके इस सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। बिजली के क्षेत्र में, पिछली सरकार में हम लोग सवाल लगाते थे, इधर से जवाब आता था तो हमने कहा था ऊर्जा मंत्री जी से कि –

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

''जो उलझकर रह गयी है फाइलों के जाल में,
गांवों को तो रोशनी आयेगी कितने साल में।
बूढ़ा बरगद साक्षी है कि किस कदर से खो गयी,
रमसुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में।''

मान्यवर, जो परिवर्तक लगाये जा रहे थे वह डुप्लीकेट लगाये जा रहे थे, उनमें डुप्लीकेट तेल डाले जा रहे थे, वह लगते थे और फटते थे। यह सरकार आयी और माननीय मुख्य मंत्री जी का जो विजन है श्रीमन्, उसमें ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद 24 घण्टे में उत्तर प्रदेश के ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं, करीब 300 सब स्टेशन बना दिये गये हैं। गांव के गरीब लोग जिनका सपना था कि हमारे गांव में भी बिजली का बल्व जलेगा, जिनका सपना था कि हिन्दुस्तान की इस आजादी में हम लोगों का भी हक है, हमारा भी हिस्सा है, उन गरीबों के घर में आज बिजली पहुंचाने का काम, ट्रांसफार्मर बदलने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो इस सरकार ने किया है जिसके अगुवा माननीय अखिलेश यादव जी हैं। श्रीमन्, यह सरकार सीधे–सीधे जनता का काम कर रही है। इसी के साथ–साथ लघु सिंचाई के क्षेत्र में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह के नाम पर जो गांवों में ट्यूबवेल लगाने का काम किया है, नहरों से पानी देने का काम किया है उसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, मालगुजारी माफ कर दिया गया है। सीधे–सीधे किसान सिंचाईं करता है उसका कोई पैसा सिंचाई के रूप में, मालगुजारी के रूप में नहीं लिया जा रहा है, इसके लिए भी सरकार को बहुत बधाई देता हूं। मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में आजमगढ़ में, टाइगर रिजर्व, पीलीभीत में, सैफई में अनेकों प्रकार के काम किये गये हैं। न्याय के क्षेत्र में अधिवक्ता लोग लगे हुए थे उनकी बहुत पुरानी मांग थी, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए इस सरकार ने जितना पैसा दे करके उनका सम्मान बढ़ाया है उसके लिए जितनी शुक्रिया अदा किया जाए वह कम है। विपक्ष के लोग कह रहे थे कि दवाई नहीं। हमारे नेता जी ने जो काम शुरू किया था उसे माननीय मुख्य मंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। मान्यवर, अस्पतालों में दवाई है। न जाने कितने मेडिकल कालेज, अगर मैं उसकी चर्चा करूंगा तो बहुत लम्बा हो जायेगा, श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में नये मेड़िकल कॉलेज खोल करके उत्तर प्रदेश की बहादुर जनता को माननीय मुख्य मंत्री जी ने संदेश दिया है कि हम सीधे–सीधे गरीबों का दर्द रखते हैं। गरीबों की मुफ्त चिकित्सा के लिए, पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा कदम उठाये गये हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल स्कूलों की स्थापना की जा रही है। मान्यवर, नेता विरोधी दल कह रहे थे, पिछली सरकार में शिक्षा के क्षेत्र के लोग जानते हैं कि इण्टरमीडिएट की किसी मान्यता में बगैर सुविधा शुल्क दिये कोई मान्यता उत्तर प्रदेश में नहीं रिलीज होती थी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी पत्रावली अगर मान्यता की आती थी तो बगैर भारी रकम चुकता किये, बगैर पैसा दिये एन0ओ0सी0 की फाइल वगैर पैसा दिए प्राइमरी से लेकर हायर एजूकेशन तक मान्यवर वगैर पैसा दिए किसी पत्रावली की मान्यता नहीं मिलती थी। आज हम इस सरकार को बधाई देंगे कि उत्तर प्रदेश के लिए जितने भी लोग स्कूल खोल रहे हैं वह

शान से कहते हैं कि हमारा कोई सुविधा शुल्क नहीं लगता है। समाजवादी सरकार में उनको मान्यता दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मान्यवर, थोड़ा और आ जाने दीजिए। राजकीय महाविद्यालय के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 134 करोड़ की व्यवस्था करके 72 महाविद्यालय खोले जा रहे हैं यह समाजवादी पार्टी की सरकार का ऐतिहासिक कदम है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा समाजवादी पार्टी की सरकार गरीबों का काम नहीं करना चाहती है मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं कि 73 एम0पी0 जीतने वाली और उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री भी दिल्ली गए हैं उत्तर प्रदेश से जीतकर गए हैं मैं मांग करता हूं कि इनके सारे लोग इनके विधान मण्डल दल के नेता प्रधानमंत्री के पास सारे सदस्य जाएं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की चिकित्सा के लिए सीमित संसाधन में जितनी सड़कें बनाई गई हैं राजमार्ग बनाए गए हैं तहसील से जिला मुख्यालय मार्ग बनाए गए हैं और सड़कों का जाल बिछ रहा है यह लोग स्पेशल पैकेज भारत सरकार से लाएं यहां की जनता ने 73 एम0पी0 दिया है उत्तर प्रदेश का विकास हो प्रधानमंत्री भी यहीं के हैं उत्तर प्रदेश के हैं इसलिए मैं मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

यह लोग जाएं और पैकेज लाएं और उत्तर प्रदेश का विकास हो हम एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करेंगे। हमारे नेता जी ने पहले विधान सभा में बजट पेश किया था तो एक शेर कहा था। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने इक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ इसी तरह से हम विपक्षी दलों से कहना चाहते हैं कि हमारे नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी की तारीफ करिए जो उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ।

ख्3.20 बजे, कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10 मार्च, 2015 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 11 मार्च, 2015 से 27 मार्च, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 12 मार्च, 2015 को वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा हो।

2–दिनांक 12 मार्च, 2015 के लिये निर्धारित वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या–14, 07,

08, 33, 34, 47, 11 एवं 03 की मदें दिनांक 13 मार्च, 2015 को विधायी कार्य हेतु निर्धारित (आधा दिन) के स्थान पर ली जायं।

3–दिनांक 18 मार्च, 2015 के लिये निर्धारित वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या–94, 95, 50, 51, 52, 02 व 24 की मदें दिनांक 19 मार्च, 2015 को ली जायं।

4–दिनांक 19 मार्च, 2015 के लिये निर्धारित वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या–43, 21, 25, 45, 22, 06, 76, 77 व 04 की मदें दिनांक 18 मार्च, 2015 को ली जायं।

5–तद्नुसार दिनांक 11 मार्च, 2015 से 27 मार्च, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :–

मार्च, 2015

11 बुधवार

1–वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा।

2–नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी कु0 ललिता बोस द्वारा दायर रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2013 को पारित आदेशों के अनुपालन में फैजाबाद निवासी रहे गुमनामी बाबा उर्फ भगवन जी के सम्बन्ध में आयोग का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मुख्तार अंसारी, श्री अखिलेश सिंह, कुं0 कौशल सिंह, श्री राधेश्याम सिंह व अन्य सदस्यगण, द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं चर्चाधीन सूचना पर अग्रतर एक घण्टे की चर्चा।

12 गुरुवार

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा (अन्तिम दिन)।

13 शुक्रवार

1–असरकारी दिवस (आधा दिन)।

2–वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

3–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा एक घण्टे की चर्चा हेतु ग्राह्य निम्नलिखित सूचना पर अग्रतर चर्चा :–

''पूर्वांचल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी बुखार न फैले इसकी आवश्यक व्यवस्था तथा रोगग्रस्त हो जाने पर बच्चों को तत्काल प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से जीवन रक्षा करने के सम्बन्ध में।''

14 शनिवार } बैठक नहीं होगी।

15 रविवार

16 सोमवार
17 मंगलवार
18 बुधवार
19 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

मार्च, 2015

20 शुक्रवार — 1–असरकारी दिवस (आधा दिन)।
2–विधायी कार्य (आधा दिन)।

21 शनिवार
22 रविवार — बैठक नहीं होगी।

23 सोमवार
24 मंगलवार
25 बुधवार
26 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

27 शुक्रवार — 1–वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2–3.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकत हुआ)

ख3.25, वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

'श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष द्वारा, नेता भाजपा और नेता कॉग्रेस द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, इसके समर्थन में बोलने का अवसर

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

दिया, मैं आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विकास का मांडल इस बजट पुस्तिका में अंकित किया है। उन्होंने हर क्षेत्र में कार्य करने का एक प्रयास किया है, लेकिन कुछ क्षेत्र जो शायद इनके संज्ञान में न हों, या अधिकारियों दवारा इनको सूचना न मिल पाई हो जिसके कारण से कुछ अधूरे पड़े हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा कि जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय की सड़क को जोड़ने के लिये हमने फोर लेन के लिये बजट प्रस्तावित किया है लेकिन अभी कई ऐसे जिले हैं जहां जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय जोड़ने वाली सड़क में अब तक स्टेट हाई–वे के कार्य पूरे नहीं हो पाये हैं। वर्ष 2012 से लेकर लगातार मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को हमने जिला कुशीनगर से तहसील तमकुही राज जोड़ने के लिये डी0एम0 सिटी मार्ग के अधूरे निर्माण चैनेज 150.3 से लेकर 174.1 जो 2012 से कार्य रूका है और अब तक वह स्टेट हाई–वे पूरा नहीं हो पाया है जो गुडरिया से तमकुही राज तक आती है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय से फोर लेन करने की योजना तो अच्छी है लेकिन कम से कम जिन जनपदों में अब तक स्टेट हाई–वे की पूर्ति नहीं हो पाई है किन्हीं कारणोंवश, आप बजट में धन आवंटन करके जिला मुख्यालय से कुशीनगर से मुख्यालय तमकुहीराज तहसील मुख्यालय तक बजट आवंटन करके उसे जोड़ने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम करें। बिजली के क्षेत्र में जो पहले से ट्रांसफार्मर जिसकी क्षमतावृद्धि होनी चाहिए। तमाम पोल और तार जो जर्जर अवस्था में है जिनको बदलना चाहिए ऐसे तमाम जनपदों में पूरे प्रदेश के जो बहुत 1985–86 से विद्युतीकरण हुआ है मात्र उस समय लोहे के तार से बिजली का सप्लाई दे दिया गया और आज जहां तक उन तारों को बदल कर नये संसाधनयुक्त करके उसे व्यवस्था करने के लिये इसके बारे में भी कोई सकारात्मक प्रयास होना चाहिए और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बात की मांग करूंगा कि कम से कम बिजली आपका विभाग है, और आप उस विभाग के माननीय मंत्री भी हैं। उस विभाग को देखते हुए जितने पुराने तार और जितने आज तक बॉस के खम्भों पर तार चल रही है उन बॉस के खम्भों को बदलवाकर, उन लोहे के तार को बदलवाकर, नये रूप से और जिनकी क्षमतावृद्धि ट्रांसफार्मर की होनी है वह विभागीय अधिकारियों से मांग कर उसको व्यवस्थित करने का काम करें। जहां तक पूरे प्रदेश में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिजली के स्टेशनों पर लाइनमैनों की भारी कमी है। लाइनमैंन न हो पाने के कारण तमाम जगहों पर बिजली जो हाईडिल है, वहां पर तमाम प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं। और प्राइवेट कर्मचारियों के नाते जो गांव के लोग हैं अगर कहीं तार फाल्ट हो जाय या ट्रांसफार्मर जल जाय वह लोग गांव के लोग उनसे सम्पर्क करते है और थोड़ी धनराशि व्यय करनी पड़ती है तब जाकर बिजली की सप्लाई चालू हो पाती है। एक्स0सी0एन0 क्या करेगा, एस0डी0ओ0 क्या करेगा, जे0 ई0 क्या करेगा जब लाइन मैन ही बिजली विभाग के कार्यालयों पर नहीं रहेंगे तो लाइन व्यवस्थित चला पाने में पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त होगी, इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि जिन हाइडिलों पर, मैं दाबे के साथ कह सकता हूं, कुशीनगर जनपद की अगर मैं बात करूं तो हमारे तमकुहीराज

रोड हाइडिल, तरया हाइडिल हो या दुदही हाइडिल हो, एक भी सरकारी लाइनमैन नहीं है और पिछले पांच–छः सालों से नहीं है तो इस पर विचार किया जाए और तमाम जगह जो खाली है लाइन मैन की वजह से जो बिजली की व्यवस्था नहीं चल पा रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, राशनकार्ड एक बड़ा अहम मुद्दा है और मैं पहले दिन से देख रहा हूं सदन में, राशन कार्ड पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो पाई है। आज राशन कार्ड करीब सात बार राशन कार्ड का फार्म नये सिरे से लोगों ने एप्लाई किया है रोज फोटो लगता है, सर्वे होता है, रोज फीडिंग की व्यवस्था होती है, हर गांव का छोटा–बड़ा हर व्यक्ति उससे पीड़ित है। राशनकार्ड सबके लिए बहुत जरूरी है। चाहे वह आइडेन्टिफिकेशन का मामला हो, पासपोर्ट बनवाना हो, या उसे खाद्यान उठाना हो, 2002 में राशन कार्ड बना और अब तक नये राशन कार्ड का आवंटन नहीं हो पाया। लगातार फार्म भरवाने से आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, पूरी तरह से परेशान है। रोज नया एक शासनादेश होता है आप इस पर फोटो लगाइए। ग्रामीण से बीस पच्चीस रुपया में फोटो खिंचवा कर जाते हैं। फोटो खिंचवाते हैं और राशनकार्ड नहीं बन पाता है। मा0अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस राशन कार्ड की व्यवस्था को कम से कम जो इस संबंध में अब जो शासनादेश हो वह अन्तिम शासनादेश हो और जो राशनकार्ड बनवाने हैं ए0पी0एल0 के, बी0पी0एल0 के, अन्त्योदय के, वह मानक के अनुसार राशन कार्ड जॉच कराकर बनवाने की व्यवस्था सुनिश्चत की जाए। ताकि कम से कम गरीब मजदूर और मजलूम लोगों को राशन कार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाए। जहां तक समाज कल्याण का का मामला है। बहुत पहले समाज कल्याण द्वारा तमाम विद्यालयों का निर्माण हुआ। सरकारी भवन बने। सरकारी अध्यापक हैं और भवनों की स्थिति यह है कि जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। तमाम जगहों पर हमारे क्षेत्र में तो कम से कम छः समाज कल्याण के विद्यालय हैं, सरकारी अध्यापक हैं। विद्यालय में विद्यार्थी हैं लेकिन छत नहीं हैं। टूटा फूटा है उस समय जो विधायक लोग अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल करके वहां की बिल्डिंगों को बनाने का काम किए थे। लेकिन आज मजबूरी यह है कि टूटे फूटे भवनों को विधायक निधि से नहीं बनवाया जा सकता है। ऐसी गाइडलाइन नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जो भी निर्मित विद्यालय हैं उन भवनों के लिए कहीं न कहीं से एक अलग कोष की व्यवस्था करते हुए उन समाज कल्याण के भवनों को सुचारू रूप से बनवाकर उन विद्यालय के बच्चों को भी छत देकर अच्छी शिक्षा व्यवस्था कराने का काम करें। बाढ़ की स्थिति यह है कि 15 जून आ रहा है सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं। हमारे यहां हर बार ए0पी0 तटबंध की स्थिति संवेदनशील रहती है। माननीय मंत्री जी दो–दो बार वहां मौके पर गए हैं। उन्होंने वहां की संवेदनशीलता को देखा है। स्थिति यह है कि पिछले साल भी बंधा कटने की स्थिति थी प्रदेश की तमाम जगहों पर, अन्त में पैसा आया काम हुआ, स्थिति यह होती है अगर दिसम्बर महीने में ही या जनवरी महीने में ही,अगर फंड रिलीज हो जाए तो शायद 15 जून के पहले ही काम पूरे हो जाएंगे और तटबंधों का मरम्मत ठीक तरह से हो जाएगा। जो गंगा फ्लड कमेटी संचालित करती है,मौके पर निरीक्षण करती है और देखकर जो भी प्रोजेक्ट बनाती है

स्थायी समिति में, आपके द्वारा उसका प्रस्ताव होता है स्वीकृत करके धन की व्यवस्था की जाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा हमारे यहां ए0पी0 तटबंध है नरवाजोत में भंगीटोला के पास टोकलटोला के पास तमाम ऐसी जगह हैं कि पिछली बार तीन–चार गांव कटकर पानी में विलीन हो गए थे और इस बार भी नदी सटकर बह रही है। मैंने पिछली बार भी मांग किया था लेकिन धन आवंटन न होने के कारण वहां कोई स्पर स्टड नहीं बन पाए। मैं मांग करूंगा कि इस पर धन आवंटित करें। चयनित किलोमीटर 7.320 से लेकर 8.500 यह भी अत्यन्त संवेदनशल स्थिति में है। अगर वह बंधा टूटा तो कम से कम बिहार, गोपालगंज तक के पूरे गांव उस नदी के पानी में विलीन हो जायेंगे तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि बाढ़ के लिये 15 जून से पहले उन कार्यों को स्पर–स्टड या रिबेटमेंट का काम कराकर उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित कराने का काम किया जाये। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि हमारा जिला अस्पताल कुशीनगर इस समय बड़े दुर्दिन की स्थिति में है। वहां पर डाक्टरों की भारी कमी है। आप जानते हैं कि कुशीनगर जनपद इन्सेफेलाईटिस, जेई, एई0एस0 और काला ज्वर नामक बुखार से बुरी तरह पीड़ित है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा। मा0 मुख्य मंत्री जी का हृदय अत्यंत विशाल है। तमाम जगहों पर इन्होंने मेडिकल कालेज खोले हैं। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जिला पडरौना जनपद कुशीनगर में ट्रॉमा सेन्टर की स्थापना की जाये जिससे कम से कम जिले के मरीजों का इलाज ठीक ढंग से हो सके। अन्त में मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 नगर विकास मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि बहुत दिनों से दुदही और तमकुही को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग चल रही है। चूंकि डी0एम0 की रिपोर्ट भी आ चुकी है इसलिये यदि आपकी थोड़ी सी कृपा हो जायेगी तो दोनों जगहों को नगर पंचायत का दर्जा मिल जायेगा। मान्यवर, आपने मुझे इस बजट सत्र में बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री मो0 इरफान–

बहुत काबिल–ए–एहतराम। मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया उसका मैं शुक्रगुजार हूं। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2012 में 2012–13 का जो बजट पेश किया था वह 2.01 लाख करोड़ जो अब बढ़ाकर तीन लाख दो हजार छह सौ सत्तासी करोड़ किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट आपने पेश किया है मैं उसकी भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं। पिछले साल से यह 10.2 परसेन्ट अधिक है जिसमें नौ हजार तीन सौ अठ्ठासी करोड़ उन्नासी लाख की नयी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिसके लिये मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। कोई नया कर जनता पर न लगाकर मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक ऐसा कार्य किया है जिसके लिये मैं उन्हें बार–बार बधाई देना चाहता हूं मण्डल मुख्यालयों पर मेडिकल कालेज तथा जहां पर मेडिकल कालेज नहीं हैं वहां पर 300 शैय्याओं का अस्पताल खोला जा रहा है। मुरादाबाद में भी कार्य प्रगति पर है। मैं इस पर भी मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। गरीबों को जो दवाइयॉ पहले तीन दिन के लिये दी जाती थीं अब बजट में पांच दिन की व्यवस्था की गई है और विशेष मामले में 15 दिन की दवा देने की

व्यवस्था की गई है। यह सराहनीय कार्य है। बहुत काबिल–ए–एहतराम मा0 मुख्य मंत्री जी। मान्यवर, मैं विशेष तौर पर एक छोटी सी बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में फीस प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति को लेकर जो बाईफर्केट किया गया है कि अनुसूचित जाति के बच्चों के लिये 2100 करोड़, सामान्य वर्ग के लिये 723 करोड़, पिछड़े वर्ग के लिये 1092 करोड़ और माईनॉरिटी के लिये 977 करोड़। मेरा इसमें एक सुझाव यह है कि जितने बच्चे पात्र हों, जिनके मां–बाप गरीब हैं उनमें जाति के आधार पर, बिरादरी के आधार पर और वर्ग के आधार पर वर्गीकरण न करके उनकी गरीबी के आधार पर सारे बच्चों को छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति की जाये, क्योंकि जब कक्षा में दो को छात्रवृत्ति मिल जाती है और दो को नहीं मिलती तो बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होती है। इसलिये मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से विशेष तौर पर चाहूंगा कि जितने गरीब बच्चे हैं उनमें सारे लोगों को चाहे वह किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो इस आधार पर न बांटा जाये। चालीस लाख लोगों की जो पेंशन स्वीकृत की गई है यह बहुत बड़ा काम है । अगर हमारी सरकार की योजना 20 परसेन्ट अल्पसंख्यकों के बारे में है तो उसकी मॉनीटरिंग करायी जाये। इसमें जिला स्तर पर काफी दिक्कते आई हैं, इसमें काफी खामियां आई हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग वंचित रह गये हैं उनका दोबारा सर्वेक्षण कराकर उस कोटे को पूरा किया जाये ताकि गरीब उससे वंचित न रहे। पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में जो तैनाती है वह बहुत कम है जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में काफी नुकसान हो रहा है और उससे मरीज वंचित रह जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जहां–जहां छोटे–छोटे पर्यटन केन्द्र हैं, जैसे मेरी विधान सभा, जिला सम्भल में बेरनी शिव मन्दिर है, उसके लिए माननीय नेता जी ने अपने समय में पैसा दिया था, मैं पिछले तीन साल से प्रयास कर रहा हूं कि उसके पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, उसको पैसा दिया जाए, वहां लाखों जायरीन आते हैं और इसी तरह से तिसावा दरगाह मुरादाबाद जिले में है, उन दोनों को समान रूप से पैसा दिया जाए। मुरादाबाद शहर के भीतर जो जेलखाना है, उसको वहां से हटाकर शहर से बाहर किया जाए, तहसील सदर भी वहां से बाहर की जाय। बिलारी तहसील की बिल्डिंग 40 साल पुरानी हो गयी है और कोतवाली 120 साल पुरानी है, उसको नए बनवाये जाने की मैं मांग करता हूं। अध्यक्ष जी, आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जनेश्वर मिश्र योजना में जो गांव चयनित किए गए हैं, वह हालात के तहत् कुछ कम हैं, उन गांवों की संख्या बढ़ायी जाए और सारे विधायकों को बराबर–बराबर दिये जांए। लोहिया गांव में जो दिक्कत आ रही है, सड़कें आबादी के हिसाब से किसी गांव को 20 लाख, किसी गांव को 30 लाख, किसी गांव को 40 लाख दिया गया है, उस पैसे में वह पूरा गांव सेचुरेट नहीं हो पाता है, उसका सर्वे करा कर जहां जरूरी हो, धनराशि बढ़ायी जाए और अन्त में मैं बजट के समर्थन में माननीय मुख्य मंत्री जी को बार–बार बधाई देते हुए यह कहना चाहूंगा कि इस तरह का अनूठा बजट जो आपने पेश किया है, एक मिसाल है और अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

श्री राजीव गुम्बर–

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मा0 मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह बताना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि किसी भी देश और प्रदेश का बेहतरीन विकास औद्योगिक अवस्थापना के बिना तेजी से नहीं हो सकता है। इसी के तहत् मैं आपका ध्यान सहारनपुर की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। सहारनपुर हमारा मण्डल मुख्यालय है, माननीय मुख्य मंत्री जी, मण्डल मुख्यालय होने के बावजूद वहां पर सुविधाओं के नाम पर सहारनपुर पिछड़ता जा रहा है। हमारा मण्डल मुख्यालय में जिस प्रकार से प्रदेश में बिजली की स्थिति है, हमारा सहारनपुर एक व्यापारिक और औद्योगिक हब था और पिछले दिनों उत्तरांचल बनने से हमारी व्यापारिक गतिविधियों में वहां बहुत ज्यादा रोकथाम लगी है क्योंकि उत्तरांचल बनने से सहारनपुर जो एक व्यापारिक मण्डी थी, जहां से पूरी आपूर्ति पूरे उत्तराखण्ड में होती थी, वह कहीं न कहीं थम गयी है और उसके साथ–साथ सहारनपुर एक टापू की तरह बन गया, एक तरफ उत्तराखण्ड, एक तरफ हिमाचल, एक तरफ हरियाणा और जिस प्रकार से हमारे सहारनपुर के अन्दर तीनों प्रदेशों के अलग–अलग बार्डर बन गए जिससे कहीं न कहीं सहारनपुर में औद्योगिक गतिविधियों में रोकथाम लग गई है और सहारनपुर के व्यापारी जो अन्य प्रदेशों और शहरों में माल भेजते थे, उन पर रोकथाम लग गयी। मेरा आपसे अनुरोध है कि सहारनपुर से जो उद्योगों का पलायन होता जा रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए एक विशेष औद्योगिक पैकेज की आवश्यकता है, जिससे सहारनपुर के उद्योगों को 24 घण्टे बिजली मिल पाए और इसके साथ–साथ उस औद्योगिक पैकेज के अन्दर सहारनपुर से उद्योगों का पलायन रोकने के लिए सेल्सटैक्स में छूट का पैकेज कुछ समय के लिए दे दिया जाए क्योंकि पड़ोस में उत्तराखण्ड बनने से सहारनपुर के समस्त उद्योग कहीं न कहीं उधर शिफ्ट होते जा रहे हैं। अगर सहारनपुर के प्रशासन से वास्तविक संख्या मॅगायेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बढ़ने के बजाय वहां कितने उद्योग कम हुए हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि सहारनपुर के अन्दर एक औद्योगिक हब बने क्योंकि सहारनपुर वुड क्राफ्टिंग की एक बहुत बड़ी मण्डी है। वुड क्राफ्टिंग का पूरा सामान पूरे देश ही नहीं, विदेशों तक जाता था, परन्तु विद्युत आपूर्ति की कटौती के कारण और अन्य कारणों से यह उद्योग कहीं न कहीं पिछड़ गया है। इसलिए सहारनपुर में एक कलस्टर हब बनाया जाये क्योंकि वहां पर जूता उद्योग व वुडकार्पिंग भी एक प्रमुख उद्योग है। माननीय नगर विकास मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनका भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, सहारनपुर नगर निगम बने हुए पांच साल हो गए। पांच साल पहले नगर पालिका भंग कर के सहारनपुर में नगर निगम का गठन किया गया। परन्तु नगर निगम के गठन के बावजूद वहां पर नगर निगम की कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि सहारनपुर में कोई चुना हुआ नगर निगम नहीं है अभी तक वहां पर चुनाव नहीं

कराए गए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि सहारनपुर के नगर निगम चुनाव अतिशीघ्र कराए जाएँ और सहारनपुर नगर निगम क्योंकि एक नया नगर निगम है इसके लिए एक विशेष पैकेज की आवश्यकता थी जो अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नगर निगम के गठन पश्चात् भी वहां पर नहीं दिया गया। आज सहारनपुर की स्थिति इतनी खराब है कि वहां की 80 प्रतिशत जो सीवर लाइन अभी बनी हुई है वो 80 प्रतिशत सीवर लाइन बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। मान्यवर वह 80 प्रतिशत सीवर लाइन जो पूरे नगर के अन्दर डली हुई है। पूरे शहर की जितनी बसावट है उसके मात्र 33 प्रतिशत क्षेत्र में सीवर लाइन है 65 से 70 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है जहां पर सीवर लाइन अभी तक नहीं है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सहारनपुर में सीवर लाइन डलवाने के लिए एक बहुत बड़ी कोई योजना चाहे जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से उसको बनवाने की एक मांग आपके समक्ष रखना चाहूंगा। महोदय यदि आप नगर निगम को जिंदा रखना चाहते हैं वहां पर कोई न कोई ऐसा पैकेज दें जिससे वहां पर विकास हो सके। किसी भी नगर का विकास तभी संभव है जब वहां पर सड़कें हों, बिजली हों। इसी प्रकार से आपसे अनुरोध है कि आप कृपया एक पैकेज नगर निगम को आवश्यक रूप से दें और सफाई कर्मचारियों की भर्ती का आलम तो इतना बुरा है कि पिछले दस से पन्द्रह साल से नगर पालिका के अन्दर कोई भर्ती नहीं की गई है जो अब नगर निगम बन गया है। आज से पंद्रह साल पहले की आबादी देखें तो आज आबादी तिगुनी हो चुकी होगी। परन्तु सफाई कर्मचारियों की संख्या आधी से भी कम हो चुकी है उन्हीं कर्मचारियों के भरोसे पूरा नगर निगम चल रहा है। मैं इस ओर मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर सहारनपुर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर रहा है। सहारनपुर जब जिला था तो हरिद्वार हमारे जिले का हिस्सा हुआ करता था। सहारनपुर में एक महत्वपूर्ण सिद्धपीठ मां शाकुम्भरी देवी का मंदिर भी है और इसी प्रकार से विश्व प्रसिद्ध दारूलउलूम भी सहारनपुर में स्थित हैं, परन्तु सहारनपुर में आवागमन का माध्यम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, सड़कें बाधित पड़ी हुई हैं। मां शाकुम्भरी देवी के दर्शन करने के लिऐ जो दर्शनार्थी जाते हैं वो चार–चार फुट गहरे गड्ढे में उतर कर जाते हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी यदि उस सड़क का पुनर्निर्माण करा दिया जाए तो जो लोग धार्मिक भावनाओं से आते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। यमुनोत्री हाईवे की बात पहले भी मैंने आपके माध्यम से रखी थी कि यमुनोत्री–दिल्ली हाई–वे का मार्ग पिछले तीन साल से ठप पड़ा है। उसका कार्य भी अतिशीघ्र प्रारम्भ कराकर वहां आने–जाने वाले लोगों को तो दिक्कत रहती है परन्तु जो लोग वहां पर रह–रहे हैं, वह कहीं न कहीं बीमार होते जा रहे हैं और बीमारी का धूल–मिट्टी–गर्दे से उनके बच्चों पर इतना गहरा असर हो रहा है कि जो सड़क किनारे बसे हुए गांव हैं उन गांवों से पलायन कर रहे हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि आपने जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन जो कि वास्तविकता में एक जरूरत की चीज है जिसमें लोगों को आवश्यकता होती है, इस योजना का पात्र वह व्यक्ति होता है जिसे कोई सहारा नहीं होता है चाहे वह विधवा पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन, उन लोगों को भी

साल–साल भर अगर पेंशन न मिले तो वह खाने तक के मोहताज हो जाते हैं। ऐसी पेंशन लगभग एक साल नौ महीने से हमारे सहारनपुर के लोगों को नहीं मिली है। वह बेसहारा लोग सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाकर थक गए हैं। एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी योजना के तहत यदि वास्तविक पात्र को उसका लाभ मिलता है तभी उस योजना को चलाने का महत्व रहता है। आज मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग वास्तविकता में पात्र हैं कि उन्हें उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। आज हमारे सहारनपुर में जो दलित बस्ती हैं, मलिन बस्ती हैं उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन बस्तियों की स्थिति बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें हो गया, दस मिनट से ज्यादा हो गया है।

श्री राजीव गुम्बर–

मान्यवर, मैं मात्र दो मिनट आपसे और चाहूंगा। पहली बार मुझे बोलने का अवसर आपके संरक्षण में प्राप्त हुआ है। मात्र दो–तीन मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मान्यवर, सहारनपुर के अन्दर मुख्य मार्ग है जो उत्तराखण्ड से होते हुए पंजाब और हरियाणा को जाता है। और उस मार्ग की स्थिति नगर के बीचोबीच होकर निकलती है जिस पर प्रत्येक दिन कई–कई घण्टे जाम रहता है। तो आपसे अनुरोध है कि सहारनपुर में इस पर एक बाईपास रिंग रोड बनाने का कष्ट करें जिससे पंजाब, हरियाणा और उत्तराखण्ड में जाने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसे ही रोडवेज बस स्टैण्ड हमारे यहां नगर के बीचोबीच स्थित है यदि उसे नगर से बाहर कर दिय जाये तो नगर को अत्यधिक जाम से मुक्ति मिलेगी।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका समय खत्म हुआ। हो गया अब आप बैठिये।

(इस बीच श्री राजीव गुम्बर जी बोलते रहे लेकिन उनका माइक ऑफ होने के कारण उनका भाषण सुना नहीं जा सका।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री राजीव गुम्बर जी आप बारह मिनट से भी ज्यादा बोल चुके हैं अब आप बैठ जायें।

श्री राजीव गुम्बर–

मान्यवर, सहारनपुर में एक महाविद्यालय बनाया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी आपका बहुत–बहुत आभार और पूरे सदन का बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री रामलाल अकेला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि मा0 मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश के विकास के लिए शानदार बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पूरा सदन, पूरा उत्तर प्रदेश गवाह है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने लगातार

उत्तर प्रदेश के किसानों, नौजवानों और विशेषकर गांवों की तरफ जो विकास की किरण ले जाने का काम किया है। किसी भी सरकार ने गांव के किसानों और गरीबों को देखने का काम नहीं किया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष हमारे ही जनपद से हैं बोल रहे थे। मैं उनका भाषण पूरा दो–ढाई घण्टे सुनता रहा। मैं सोच रहा था कि एक बात तो सच बोलेंगे। लेकिन दो घण्टे के भाषण में नेता प्रतिपक्ष एक शब्द भी सही नहीं बोले। पूरे बजट को उन्होंने कहा कि कोई दवाई नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई सिंचाई नहीं, शब्दों का जाल है। जाने क्या–क्या उन्होंने कहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और हमारे साथी बैठे हैं कि आप जानते हैं कि जब कोई किसान दुर्घटना का शिकार होता है तो उसका पूरा परिवार निराश्रित हो जाता है। हमारे राष्ट्रीय नेता जो प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, हमारे माननीय नेता जी ने एक लाख रुपया देने का काम किया। और उसके बाद सत्ता संभालते ही हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एक लाख कम है उसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये देने का ऐतिहासिक काम किया है। यह काम आप भी कर सकते थे। लेकिन आपको किसानों की चिंता नही थी। आपने कहा कि बजट में कुछ नहीं है। आपको याद होगा कि प्रदेश में जब अमीन खेत की मेढ़ पर जाकर किसान की सिंचाई लिखकर आता था। सारे किसान चिल्लाते थे कि अमीन हमारे खेत पर नहीं गया घर में बैठकर सिंचाई लिखने का काम किया। हमारी सिंचाई रोक दी जाये, माफ कर दी जाये। एक तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसा शानदार मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, मा0 सिंचाई मंत्री मा0 शिवपाल सिंह जी ने एक तरफ से आदेश कर दिया कि ऐ उत्तर प्रदेश के किसानों तुम्हें घबराने की जरूरत नही है। नहर से सींचो, चाहे सरकारी नलकूप से सींचो, सिंचाई के नाम पर एक नया पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। आपकी भी मुख्य मंत्री थीं। सूची मंगा लीजिए। आज रिकार्ड है उत्तर प्रदेश में। चाहे भयंकर बीमारी कैंसर हो और कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो। हमारे मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में अगर किसी साथी ने दिया है तो जितना पैसा संभव हुआ उसके इलाज के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक सहायता देने का काम किया है। इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता मा0 मुख्य मंत्री जी की आभारी है। आपने एक नया पैसा दिया हो तो बताओ। आप बिजली की बात करते हो। अभी होली बीती है। जिस तरह होली के अवसर पर शानदार विद्युत आपूर्ति, ईद के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर हमारी सरकार ने करने का काम किया है। आप यहां न कहो प्रदेश की जनता श्री अखिलेश यादव की जय जयकार कर रही है। और आने वाले वक्त में जिस तरह से 2012 में प्रदेश की जनता ने हमारे संघर्ष, हमारे आदर्शों के बल पर हमें जनादेश दिया है। वर्ष 2017 में इससे बड़े बहुमत के साथ अपने कार्यों के आधार पर अपनी नीतियों के आधार पर हमारे नेता इससे बड़े बहुमत के बल पर 2017 में भी जनादेश लेकर हम यहीं बैठेंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। हमारे मुख्य मंत्री जी ने बिजली के क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की बात करते है, जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में पुरानी लाइनों को बदलने का काम किया। 133 के0वी0ए0, 132 के0वी0ए0, 220 के0वी0ए0 बिजली के क्षेत्र में जो बुनियादी काम हमारे मुख्य मंत्री जी ने किया है वह आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ट्रान्सफार्मर आपके सारे कामों के उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था आपने नकली ट्रान्सफार्मर जला हुआ तेल ट्रान्सफार्मर में। आपने पूरी बिजली व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया

था। लेकिन प्रदेश की जनता आभारी है मुख्य मंत्री जी की सत्ता संभालने के बाद उन्होंने इसके महत्व को समझा और फीडर अलग करने का जो क्रान्तिकारी कदम चल रहा है इसकी भी जानकारी आपको होगी तो आपको कोई सच्चाई पता ही नहीं है। हमारी सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ हमारे मुख्यमंत्री जी ने कन्या विद्या धन, बेरोजगारी का भत्ता, लैपटाप हम जब दे रहे थे तो आपने कहा झुनझुना है। अब कन्या विद्या धन की आपको चिन्ता हो गयी बेरोजगारी भत्ते की चिन्ता हो गयी। हमारी पूर्ववर्ती सरकार नेता जी के नेतृत्व में जब हम कन्या विद्या धन दे रहे थे, बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे। अगर आपको बड़ी चिन्ता थी कन्या विद्या धन, बेरोजगारी भत्ते की तो आपने सरकार में आने के बाद उसे बन्द करने का काम क्यों किया ? आपने सब बन्द कर दिया। पैसा कहां गया ? वह सारा का सारा प्रदेश का पैसा कहां गया ? आप सड़कों की बात करते हैं लोक निर्माण मंत्री जी के सामने हमारी सरकार के सामने चिन्ता है, आपने पूरे 05 वर्ष में सड़क क्षेत्र में पुल के क्षेत्र एक नये पैसे का काम नहीं किया। आपके लोगों ने ठेका लिया और पूरा का पूरा पैसा जेबों में गया। एक भी सड़क पूरे प्रदेश में आपने बनाने का काम नहीं किया। एक भी पुल का निर्माण करने का काम नहीं किया और सरकार गठन के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमारी सरकार ने पूरे शहरो को 04 लेन से जोड़ने का काम हो, पुरानी सड़कों को ठीक करने का काम हो, नई सड़कों का निर्माण हो, बड़े–बड़े पुलों का निर्माण हो, छोटे पुलों का निर्माण हो, इतने थोड़े से समय में जितना शानदार काम हमारी सरकार ने किया है, कभी आप सोच नहीं सकते। इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी से अपने क्षेत्र के बारे में एक अनुरोध करना चाहता हूं। यह आपने ही सत्यानाश किया है, आपके जमाने का है, मान्यवर आपके जमाने का है इसीलिए कह रहा हूं। इधर बैठे हमारे कांग्रेस के मित्रों के जमाने का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं। हमारे जमाने का नहीं है। हमारे बछरावां में यह जो पुल हमारे कांग्रेस के मित्रों ने बनवाया पता नहीं किस नशे में थे कौन सी डिजाइन बनाई। जब यह लखनऊ से हमारे मुख्य मंत्री जी जायेंगे तो कोई रास्ता नहीं कि अगर बछरावां से फतेहपुर जाना है तो उस पुल पर कहां चढ़ेंगे कोई डिजाइन नहीं इलाहाबाद से आयेंगे, बाराबंकी जाना होगा किधर से उस पुल पर चढ़ेंगे, कोई डिजाइन नहीं है। उस पुल को बनवाकर बुरा न मानियेगा माथुर साहब, सोनिया जी को जिताया। सारी जिन्दगी कांगेस को रायबरेली में जिताया लेकिन हमारे बछरावां से पता नहीं क्या दुश्मनी थी। पूरे बछरावां का आपने सत्यानाश कर दिया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बछरावां में एक बाईपास सड़क का निर्माण जब तक माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं होगा तब तक इन्होंने जो कोढ़ बोया है हमारे क्षेत्र में उससे निजात मिलने वाली नहीं है। हम जानते है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में बाईपास सड़क बनाने का काम जरूर करेंगें। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी वह शानदार बजट, उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का बजट जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है उसका मैं पुरजोर समर्थन करते हुए और आपका आभार व्यक्त करते हुए कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। आप चिन्ता मत करिये हमारी सरकार घबराने वाली नहीं है। हमारा हौसला सुन लीजिये समाजवादियों का –:

''वक्त की धूप कड़ी है तो कोई बात नहीं,

और मायूस घड़ी है तो कोई बात नहीं,
मन्जिलें मकसूद को पहुचेंगे जरूर,
राह में मौत खड़ी है तो कोई बात नहीं।''

यह हौसला है समाजवादियों का। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

'श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा पर नेता प्रतिपक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो चर्चा शुरू की थी उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं और कुछ बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, हमारा जनपद लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और वहां की दो–तीन नदियां शारदा, घाघरा, सरयू हमारे जनपद से ही निकल कर के जाती हैं, हमारे काबिल मित्र जो बता रहे थे अभी सिंचाई के लिए शारदा सहायक नहर हमारे यहां से जब लखीमपुर से पानी निकल कर जाता है, तो इनके रायबरेली में सिंचाई के काम में उसको उपयोग करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं, हमारे काबिल सदस्य कह रहे थे कि खेती किसानी के बारे में मुझे भी रायबरेली जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, हमें तो रायबरेली की खेती किसानी के बारे में उतना ज्यादा नहीं मालूम लेकिन आपके ज्ञान पर मुझे जरूर शक होता है। दो शब्द कह कर के कि ''निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय'' चाटुकारिता और चापलूसी की बातें करने से झूठी, आन, बान, शान की बातें करने से, झूठी बड़ाई करने से, सच को नहीं दबाया जा सकता। हमारे काबिल दोस्त, इनको यह नहीं पता है कि 2007 में, किसानों की जो बात कर रहे थे, किसानों के लिए इस पार्टी ने कुछ नहीं किया, वर्ष 2007 में गन्ने का मूल्य 110 रुपये हुआ करता था,

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

सत्यानाश के बारे में क्या राय है आपकी ?

'श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

धन्यवाद, 2007 में हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने जब उत्तर प्रदेश की सत्ता सम्भाली तो मैं कहता हूं कि 110 रुपये गन्ने का रेट था और वर्ष 2012 में जब हमारी नेता सत्ता से हटी थीं तो उस वक्त गन्ने का रेट 280 रुपये 290 रुपये था। इस गन्ने के रेट को बढ़ाने का काम किसने किया? 2012 से आज 2015 चल रहा है, एक रुपये गन्ने का रेट अगर इस सरकार ने बढ़ाया होता, एक रूपया गन्ने के किसान को दिया होता, तो मान्यवर मैं धन्यवाद देता, लेकिन हमारे काबिल दोस्त इनको यह नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में पहली बार गन्ना किसानों के बकाये पर ब्याज देने का काम हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। आज गन्ने का बकाया दूर, गन्ने का पैसा उनको नहीं मिल रहा है, लखीमपुर खीरी जनपद में बाढ़ आने के बाद में गरीब और किसान के हजारों घर बेघर हो जाते हैं, पूर्व राजस्व मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनसे मिला था और आपने उस वक्त मदद भी की थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने हजारों लोगों

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

को उनका गृह अनुदान मिला, उनके घर कट जाने पर, नदी में समा जाने पर उनको धन मिला, लेकिन आज उन हजार दो हजार लोगों को बसने के लिए जमीन नहीं दी, आपने कहा था कि शासन में पैसा मौजूद है यहां पर वहां से प्रस्ताव बनवा कर भेजो, मैं यहां एलाट करा कर उनको बसाऊँगा, लेकिन उन अधिकारियों ने कोई प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजा आज भी वहां पांच हजार से ज्यादा लोग बेघर होकर सड़कों पर पड़े हुए हैं, इसमें दोष उन अधिकारियों का है जो अधिकारी हमको–आपको आपस में लड़ाते हैं। अधिकारियों की दशा और नेताओं की दशा मा0 अध्यक्ष जी आप बखूबी जानते हैं, आप भी जब विपक्ष में रहे हैं, आप भी जब एक विधायक की हैसियत से रहे हैं, आपने उनकी पीड़ा को झेला है, किस तरीके से झूठी बातों को सच बनाना, किस तरह से सच बात को झूठ बनाना, यहां पर बैठ कर हम लोगों का मजाक उड़ाना और वहां पर जब बैठें तो यहां के लोगों का मजाक उड़ाना, आज के एक विधायक की स्थिति, आज के एक ब्लाक प्रमुख की स्थिति, आज के एक ग्राम प्रधान की स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी है कि उत्तर प्रदेश के एक कान्स्टेबिल, एक लेखपाल, एक बहुउद्देश्यीय कर्मी, एक इन्जीनियर, एक डाक्टर, एक नायब तहसीलदार, एक बीडियो इनकी हैसियत के बराबर नहीं है। अपने बच्चे को वह बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। मुझे यह कहते हुए बहुत ही फख्र होता है और गर्व होता है कि मैं अपने बेटे और बेटियों को डोनेशन कराकर कभी उनको डाक्टर और इन्जीनियर नहीं बना पाया, मेरे अन्दर यह वेदना है, मैं किसान का बेटा हूं, मेरे पास इतनी पूँजी नहीं होती, जबकि गन्ना किसान था, आज केले की खेती करने पर मजबूर हुआ हूं क्योंकि केला आज लाभ की खेती है, लेकिन एक सिपाही का बेटा, एक दरोगा का बेटा, एक लेखपाल का बेटा, एक बीडियो का बेटा, नेपाल, चाइना, इंग्लैण्ड वहां पर वह एम0बी0बी0एस0 कर रहे हैं, वहां से वह इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हैं, वहां से वह एम0बी0ए0 कर रहे हैं, यह कैसी सामाजिक विसंगता है। उसके बाद भी हम बेइमान हैं, उसके बाद भी हम भ्रष्ट हैं, हमें इस तरह की दृष्टि से देखा जाता है। अगर हम गलत करते हैं, हम अपने घरों में बैठे होते हैं, एक गरीब आदमी अगर मिलने आता है, हमारी यह हिम्मत नहीं है कि हम उसको मना कर दें। और मना करने के बाद उनसे मिलते नहीं है लेकिन वे फल–फूल रहे हैं, वे ईमानदार बने बैठे हैं। यहां पर बैठे सारे नेता भ्रष्ट हैं, सारे नेता बेईमान हैं, सारे नेता करोड़पति हैं, ऐसा मैसेज ये जनता के अन्दर भेजना चाहते हैं। बन्द होनी चाहिये ये बात, प्रैक्टिकल होना चाहिये। हम लोग अगर अपनी 5 डिसमिल जमीन भी नामांकन पत्र भरते टाइम छोड़ दें तो हम पर मुकदमा लिखा जायेगा, हम जेल जाने के लिये तैयार रहें अगर हम ऐसी गलती करें लेकिन उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को, उनको भी अपनी पारिवारिक स्थिति, अपनी हैसियत, अपनी पत्नी की स्थिति को भी दर्शाना चाहिये। ऐसा कानून होना चाहिये जिससे समरूपता हो, ऐसा कानून बनना चाहिये कि जिससे यह परीक्षा हो सके कि क्या हम जो अपनी सजा भुगतते हैं, जो जनता की सेवा करते हैं, जो जनता के बीच जाते हैं, जो जनता के सुख–दुःख में सम्मिलित होते हैं और हम ही अपना मजाक उड़ाते हैं। आज डी0एम0 बदल जाता है, दूसरा डी0एम0 बैठता है वह उस डी0एम0 की कारगुजारियों पर

पर्दा डालने की कोशिश करता है। हमारी गलत बातों को कतई संज्ञान न लिया जाये। अध्यक्ष जी, मैं बहुत भावनात्मक बात कह रहा हूं, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दी जाये। मुझे अपनी बात कह लेने दीजिये। मैं इस पर अंकुश लगाने की बात बराबर विधान सभा में उठाता रहा हूं। गांव से बेघर हुये लोग बसाये नहीं गये। खाद्यान्न में गरीबों को कोटे से राशन नहीं मिल रहा है, वह उद्वेलित हो रहा है। मैं यहां पर सवाल लगाया जवाब में 100–100, 150–150 कोटे एक–एक तहसील में सस्पेण्ड और बहाल किये गये। क्यों और कौन लोग उसमें लिप्त हैं? हम लोगों को तो यह अधिकार नहीं है कि हम कोटे को सस्पेण्ड कर पावें या बहाल कर पावें। हमारा मकसद यह है कि गरीबों को मिलने वाला राशन उस गरीब तक पहुंचे। अगर हम गरीब को राशन नहीं दिलवा सकते, अगर हम अपनी तरफ से उसकी सहायता नहीं कर सकते, उसको अस्पताल में दवाई नहीं दिलवा सकते तो फिर क्या फायदा। मा0 अध्यक्ष जी, इसके अलावा, राजस्व वाद, आज राजस्व वादों की भरमार है। तहसीलों में मुकदमे बहुत ज्यादा लम्बित हैं, उसकी एक मोटी–मोटी वजह है कि जो इंतखाब होता है उसमें 12–13 कॉलम हैं, उसमें अगर 9–10 सम्मिलित हैं तो किसका कितना भाग है, वह उस इंतखाब में अंकित नहीं होता है और यह अंकित न होने की वजह से आदमी बैनामा ज्यादा का करा लेता है, वास्तविकता उसकी कम की होती है। मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से यह कहना है कि उस इंतखाब पर उसका भाग अंकित हो जिससे जो रजिस्ट्री या बैनामा हो उससे ज्यादा न हो। साथ ही राजस्व वादों का निस्तारण किया जाये। मान्यवर, इसके अलावा, हमारे जो पार्क–स्मारक बनाये गये हैं, कल मैं गया था वहां पर बिजली कटी हुई है, वहां पर अँधेरा छाया हुआ है। आस–पड़ोस में दूसरे पार्क हैं हम नहीं कहते कि उनमें बिजली न हो लेकिन जितनी सुरक्षा आवश्यक हो, जितनी बिजली आवश्यक हो, उतनी बिजली वहां पर दी जाये। मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस चर्चा पर बोलने का मौका दिया, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

यह परम्परा रही है कि बजट के समर्थन में मंत्रीगण भी बोलते हैं और दो दिन हो गया, कोई मंत्री बजट के समर्थन में नहीं बोला है तो क्या कोई आप लोगों में से बोलेगा।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मान्यवर, कल बोलेंगे।

श्री अभय सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं। हम बहुत देर से, बहुत दिनों से लगातार जब से बजट भाषण चल रहा है तब से मैं सबकी बातों को सुन रहा हूं। आज वे लोग भी यहां पर बोल रहे हैं, जिनकी जब सरकार थी वर्ष 2012 से पहले, वे अधिकारियों के पास जाते थे, पैर छूते थे और डाट के भगा दिये जाते थे। ऐसी स्थितियां थीं उस समय। हम आपसे बताना चाहते हैं कि वे लोग आज नैतिकता की बात कर रहे हैं। डी0एम0 और एस0पी0 की बात

कर रहे हैं, वे अपने मुख्यमंत्री के दर्शन नहीं पाते थे। उस तरीके से दर्शन करते थे जैसे जब 6–6 महीने लोग तपस्या करने के बाद कहीं मन्दिर पहुंचते थे उस तरीके से दर्शन करते थे, ऐसी स्थिति थी इन लोगों की। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा इतना शानदार मुख्यमंत्री है। अभी हमने देखा कि विपक्ष के विधायक हैं, वे भी उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमारा काम है। कार्यालय में पहुंचिये तो वहां भी बैठे रहते हैं। ऐसा शानदार मुख्य मंत्री हम आप लोगों से इस सदन के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोगों ने पिछली सरकार में देखा था। एक इलाज का मामला बताना चाहते हैं। हम आपसे एक और चीज बताना चाहते हैं। इस सदन के इतिहास की बात करते हैं। जब यह देश आजाद हुआ, विधान सभा बनी है। अभी हमारे क्षेत्र की एक लड़की की तबीयत खराब थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक आवेदन दिया उसमें उन्होंने पैसा स्वीकृत किया। इलाज का पैसा बढ़ गया, हमसे वह व्यक्ति मिलने आया, हमसे उसकी मुलाकात नहीं हो पाई उसके बाद उसने सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में फैक्स किया और 60 हजार रुपया बेबी चिंकी को सीधे फैक्स होने के बाद उसके अस्पताल में खाते में चला गया। (मेजों की थपथपाहट) हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस पूरे विधान सभा के इतिहास में, 1952 से लेकर आज तक कोई फैक्स करके पैसा पाया है तो बता दें। फैक्स कर दिया गया और उसके खाते में पैसा पहुंच गया, इतना शानदार काम किया गया। इस तरह की हमारी सरकार की संवेदनशीलता है। टी0वी0 में आप देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा आता है कि हम मदद करेंगे फलां लड़के की तबीयत खराब है, इसके इलाज का मामला है। क्या इसके पहले आप लोगों ने कभी देखा था कि टी0वी0 की खबर देखकर आदमी पैसा दे दे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

अब ज्यादा शर्मिन्दा न करो।

श्री अभय सिंह–

हम आपसे कहना चाहते हैं। आप लोग सुनिये मेरी बात को, अध्यक्ष जी हम आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहते हैं कि रोज यहां पर धरना करते हैं, प्रर्दशन करते हैं, वेल में आ जाया करते हैं। ये कहते हैं कि गौ हत्या बन्द करो, पिछली बार इनका बजट आया। आप लोगों ने देखा होगा। हमारे यहां पर बहुत साथी बैठे हुए हैं, श्वेत क्रान्ति हुई, हरित क्रान्ति हुई लेकिन इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केन्द्र में बनी तब इस बार पिंक क्रांति हुई। गुलाबी क्रान्ति हुई। मॉस के निर्यात पर पहले 38 परसेन्ट टैक्स हुआ करता था, जो इन्होंने घटाकर 26 परसेन्ट कर दिया। अभी आप लोगों ने बजट देखा होगा, चमड़ा कारोबार में 12 परसेन्ट टैक्स था, उसको घटाकर 6 परसेन्ट कर दिया। जिस तरीके से आप लोगों को काम चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके के माध्यम से इन लोगों को बताना चाहते हैं कि ये लोग जो टिप्पणियॉ करते हैं, ये लोग कोई टिप्पणी करने के काबिल नहीं हैं। सरकार ने जिस शानदार तरीके से अपना काम किया है। अच्छे–अच्छे तरीके से गांव में समाजवादी पेंशन की योजना

पहुंची है। ऐसे बहुत से लोग हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के लोग हों, जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है लेकिन आज हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार उनको समाजवादी पेंशन दे रही है। (मेजों की थपथपाहट) गरीब से गरीब लोग हैं। केन्द्र सरकार की योजना है, आवास के बारे में कहते हैं, ये देते हैं 70 हजार रूपया और हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार लोहिया आवास के लिए 3 लाख रूपया दे रही है। (मेजों की थपथपाहट) 25 हजार रुपये वह अलग से दे रही है, सोलर लाइट दे रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके के हमारे शानदार मुख्यमंत्री, शानदार लोक निर्माण मंत्री, नगर विकास मंत्री जी बैठे हुए हैं कोई नगर पालिका, नगर पंचायत, सत्तापक्ष का ही नहीं, विपक्ष का भी कोई सदस्य हो हम लोग जाते हैं, काम करते हैं, जहां नगर विकास मंत्री की आवश्यकता पड़ी, लोक निर्माण मंत्री की आवश्यकता पड़ी, सबका काम इन्होंने किया। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने कभी हमारे समाजवादी पार्टी के विधायकों को कभी देखा था कि आपके मंत्रियों के यहां जाते थे, काम करने के लिए। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी इन लोगों को यह भी बताना चाहते हैं कि हम फैजाबाद के निवासी हैं। लगातार देख रहे हैं, वहीं पैदा हुए, पले, बढ़े, जब–जब अयोध्या का विकास हुआ है, जब भी घाट बना है। कम से कम अरबों रुपये का घाट माननीय सिंचाई मंत्री जी ने फैजाबाद में बनाया है। (मेजों की थपथपाहट) पिछली बार की सरकार में रहकर और इस बार सरकार में रहकर। 20 करोड़ रूपया माननीय मुख्य मंत्री जी ने अयोध्या में जो गंदी नालियां बजबजाती रहती थीं, जहां पर लोग चल नहीं पाते थे, पूजा करने के लिए जाते थे, तो मेन सड़क थी वह तो चमकती रहती थी, लेकिन उसके बगल में ही वहां पर गंदगी बहती रहती थी। जहां आजादी के बाद से आज तक कोई काम नहीं हुआ था, उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसका विकास करने के लिए 20 करोड़ रूपया दिया। सरयू नदी के किनारे लोग शौच के लिए जाया करते थे, उसके लिए हमारे शानदार मुख्यमंत्री जी ने पैसा अलग से दिया, वहां पर ए0सी0 टायलेट बन रहा है। हम इस सदन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहुत सी चीजें होती हैं, लोग लगातार बताया करते हैं अभी जैसे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, हमारे यहां एम0पी0 थियेटर के लिए, जहां पर लगातार राम नाम का भजन होता रहेगा। वहां पर भगवान राम की पूजा करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी जाने वाले हैं वहां पर उसका 20 करोड़ रुपये की लागत से वहां पर उसका शिलान्यास करने वाले हैं। मान्यवर, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम बेचते हैं, उन्होंने आज तक भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए कुछ भी नहीं किया है। मान्यवर, हम आपसे बताना चाहते हैं कि किसानों के लिए हमारी समाजवादी की सरकार ने जिस तरह से अपने पास से पैसा देकर के गन्ना किसानों का भुगतान किया। गन्ना किसानों को पर्चिया दिलाई। लगातार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से सम्पर्क करते थे किसानों की पर्ची की समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएम को निर्देश दिया कि कोई भी गन्ना किसान ऐसा न बचे जिसको पर्ची न मिले उसको पर्ची

दी जाय। इस सदन के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं आज जो गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या है वह केन्द्र की सरकार को लेकर के है जिसने 2003 में डब्लू0टी0ओ0 के साथ एग्रीमेन्ट किया था कि बाहर की जो खाद्यान्न वस्तुयें होगी या खाने की चीजें होगी हिन्दोस्तान में उसको आयात करने के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जायेगा जबकि मान्यवर, उसके पहले जो केन्द्र सरकार थी नरसिम्हाराव की सरकार थी उसने यह एग्रीमेन्ट किया था कि बाहर से जो सामान यहां आयात होगा उसमें इतना टैक्स लगा दिया जायेगा कि हिन्दोस्तान में बने सामान के मूल्य के बराबर होगा तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बाहर से जब चीनी सस्ती आने लगी हिन्दोस्तान में जो चीनी आयात करने वाले वह चन्द लोग थे मुश्किल से 15–20 इम्पोर्टर रहे होगें जिन्होंने इम्पोर्ट किया चीनी को जिसका दुष्परिणाम आज देश की करोड़ों जनता को, लाखों मजदूरों को और सैकड़ो मिल मालिको को भोगना पड़ रहा है, जिसका दुष्परिणाम आज उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है कि हमारा किसान, हमारे मिलमालिक, हमारे मजदूर त्राहि–त्राहि कर रहे हैं, परेशान हैं इसी के साथ मान्यवर, आपने बोलने का अवसर प्रदान किया आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

(श्री अखिलेश सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अखिलेश सिंह–

मान्यवर, मुझे कल बोलना है।

कुंवर कौशल सिंह–

मान्यवर, आपने मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 2015–16 के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मेरे कुछ सुझाव हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कुछ अपनी बाते रखना चाहता हूं निश्चित रूप से जनता के बीच में अभी जो केन्द्र सरकार का बजट आया उससे सराहनीय बजट हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का रहा कच्ची चीनी मंगाकर जहॉ किसानों की कमर को तोड़ने का काम किया गया ऐसी परिस्थिति में हम चाहेंगे कि मुख्य मंत्री महोदय हमारे किसानों को उसी तरह से सहयोग करें जैसे किसी बुजुर्ग को एक लाठी सहारा बनती है उसी तरह से हम चाहेंगे कि गन्ना किसानों को सहारा देने का काम किया जाय। बजट आया, बजट में आपने सहयोग किया लेकिन यह सहयोग ऊंट के मुेह में जीरा के बराबर है। हम पूर्वान्चल के रहने वाले लोग है जब इसी सदन के अन्दर माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री हुआ करते थे उन्होंने पूर्वान्चल विकास निधि का हर साल बजट बढ़ाने की बात की थी हर बजट सत्र में उनके कार्यकाल में पूर्वान्चल के लिए बजट बढ़ता था आज हमारे हालात यह है कि पूर्वान्चल विकास निधि से एक–एक विधायक को 30–30 लाख रुपया मात्र मिल रहा है 30 लाख रुपये में कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि पूर्वान्चल विकास निधि का कुछ बजट बढ़ाया जाय ओर आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री से कहना चाहूंगा कि हमारा महाराजगंज जिला जो नैपाल की सरहद पर है जहॉ से नरायनी नहर निकली है एक बड़ी शाखा है वहां पर कोई भी काम

किया जाय तो हम चाहेंगे कि यह काम अप्रैल के महिने से स्टार्ट हो और बरसात के पहले खत्म हो जाय। मान्यवर, स्थिति यह है कि वहां पर बरसात के महिने में अधिकारी काम करते हैं और बरसात के महिने में ही काम को समाप्त कर देते हैं जिसके लिए कई बार नैपाल के लोग रास्ता जाम करते हैं बार्डर पर आकर हमको उल्टासीधा नारा देकर जाने का काम करते हैं लेकिन बधाई भी देते हैं कि अगले बजट सत्र में हमने इस बात को रखा था कन्या विद्या धन के ऊपर। कन्या विद्या धन बढ़ाकर मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की बच्चियों के साथ सराहनीय कार्य करने का काम किया है। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने भी उन बातों पर अंकुश लगाते हुए माओवादियों के मुंह को बन्द करने का काम किया जिससे सुचारु रूप में व्यवस्था चली और इसी तरह से यह व्यवस्था चलती रहे हम ऐसी आशा करते हैं। जहां तक किसान हितैषी होने की बात की जा रही थी, यहां गन्ना किसानों की बात की जाती है, उत्तर प्रदेश में 26 मिलों को बेंचने वाले लोग, रामकोला से लेकर मुण्डेरवा तक गोली चलाने वाले लोग भी आज किसानों के हितैषी बने हुये हैं। हालात यह है रामकोला में गोली चलती है तो वहां भी किसान मरता है, मुण्डेरवा में गोली चलती है तो वहां भी किसान मरता है और सदन के अन्दर आकर यह किसान हितैषी बनते हैं। आपने अधिवक्ताओं को पैसा देने का काम किया है। हमारा एक सुझाव है कि अगर अधिवक्ता आपके हैं तो आप अधिवक्ता को पैसा देते हैं इसमें कोई आपित्त या दो राय नहीं है, लेकिन जरा उन किसानों के बारे में सोचे जो तहसीलों के अन्दर मुकदमा देखने जाते हैं और जैसे ही तहसील के अन्दर पहुंचते हैं तो अधिवक्ता कहते हैं कि आज जी0डी0 पड़ गई है। बिना कार्य के ही वह अधिवक्ता हमारे लोगों से फीस लेने का काम करते हैं और हालात यह है कि 1600–1600 मुकदमें पेडिंग पड़े हैं। अगर हम किसी को सहयोग करने का काम कर रहे हैं और हम अपने बजट भाषण से अगर किसी व्यवस्था को सिंचित करने का काम कर रहे हैं तो इसकी एक मीटिंग होनी चाहिये कि हमारे किसानों के साथ ऐसी व्यवस्था लागू न हो। अगर जिस दिन जी.डी. पड़ती है, तो उस दिन हमारे किसानों से फीस न ली जाये। वकीलों की बात है, लेकिन वकीलों को हम पैसा देते हैं और वकीलों को अगर हम देते हैं तो उनसे भी सहयोग की आशा करते हैं। जहां तक बेसिक शिक्षा का सवाल है, हमने कम से कम पचास स्कूलों में जाकर मिड डे खाना चेक करने का काम किया है, अखबारों में भी छपा, हमने अध्यापकों से कहा कि आप अच्छे पढ़े–लिखे हो और सरकार हर साल बजट बढ़ा रही है, तो फिर बच्चों की संख्या क्यों घटती जा रही है ? इसमें आपका भी दायित्व बनता है। ग्राम प्रधानों को भी मैंने बुलाया और कहा कि आप लोगों को प्रेरित करें और उन्हें बताये कि हमारी सरकार आपके बच्चे को खाना देती है, कपड़ा देती है, किताब देती है इसके बावजूद बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। हालात यह है कि विगत पिछली सरकार में अध्यापकों को ठेकेदार बना दिया गया, परिणाम यह रहा कि एक–एक अध्यापक आठ–आठ स्कूलों के भवन प्रभारी बना दिये गये और वर्ष 2010–11 से लेकर आज तक जितना भी पैसा दिया गया है मेरा दावा है कि मेरे जिले के अन्दर जितने भी प्राइमरी स्कूल, जू0 हाई स्कूल एक कक्षीय व दो कक्षीय भवन एवं बाउण्ड्रीवाल के लिये

धन दिये गये उसमें बहुत से कार्य आज तक कार्य पूरे नहीं हुये हैं। सम्पूर्ण धन पूर्व में ही निकाल लिये। मैं अभी कल इस पर बात करने वाला था, आज ही अधिकारियों के फोन आना शुरू हो गये कि इसको रोक दीजिये। मैं पूछता हूं कि सरकार के पैसे को कोई अध्यापक किन परिस्थितियों में निकाल कर अपने घरों में रख रहा है ? कितने अध्यापक भवन प्रभारी रिटायर हो गये और रिटायर होने के बाद स्कूल भवन का पैसा लेकर चले गये। ऐसी व्यवस्था पर भी सरकार को अंकुश लगाना होगा। मेरा यह कहना है कि किसी भी घर को चलाने के लिये घर के अगुआ के साथ छोटे भाई का भी बड़े भाई के साथ सहयोग होना चाहिये। बड़े भाई का पिता के साथ सहयोग होना चाहिये। तब घर चलता है, केवल सरकार ही नहीं हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आपके हमारे बगल का विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा है, जहां चुनाव होना है, वहां पर सड़के टूटी हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बजट तो आया, पैसा भी सरकार ने दिया है तो जो हमारी पुरानी सड़के हैं जैसे प्रधानमंत्री सड़क विश्व बैंक की सड़के और पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क को ही रिपेयरिंग करा दी जाये, तब भी कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। कामधेनु योजना चलाई गई, यह बड़ी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जब हमारा किसान जाता है बैंक में लोन लेने के लिये तो बैंक मैनेजर हमारे काश्तकार को दरकिनार कर देता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि जो भी बैंक सरकारी योजनाओं में किसानों का सहयोग नहीं कर रहा है। जिनके यहां सरकार के खाते हैं, जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक आदि बैंको को हम नोटिस दें कि अगर आप किसानों का लोन नहीं करते हो तो हम आपके बैंक से अपने खाते का संचालन बन्द कर देंगे, ऐसी दशा में वह बैंक मजबूर होकर हमारे किसानों के कामधेनू योजना एवं अन्य सरकारी योजना को चलाने में सहयोग करेंगी।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका समय समाप्त।

श्री कुंवर कौशल सिंह–

धन्यवाद।

विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री मनोज कुमार पाण्डेय)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश के वर्ष 2015–2016 के बजट पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश के लिये बजट रखा है, हम पूरे प्रदेश की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि भूतो न भविष्यतो, यानि ऐसा बजट उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आया, जैसा इस बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने समाजवादी पेंशन योजना शुरू की और इसके पीछे जो उनकी सोच रही है। माननीय अध्यक्ष जी, बात बहुत बड़ी–बड़ी हो सकती है, कमियां भी निकाली जा सकती हैं लेकिन यह सोच, कि प्रदेश के गांव में और सुदूर अंचलों में रहने वाला वह गरीब, जिसने आजादी के इतने लम्बे वर्ष

तक इस आस में अपना समय बिता दिया कि काश हमको भी कोई पूछेगा, कभी हमको भी कोई देखेगा। मान्यवर, पेंशनें बहुत बंटी, पेंशनें बनी भी और हम कह सकते हैं कि पेंशने मिली भी कुछ लोगों को। लेकिन जिस भावना से जिस मानक को, मापदंड को बनाकर इन पेंशनों को दिया गया, उससे समाज टूटे हैं और लोगों में विकृतियां आई हैं। लेकिन हम बधाई देंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो मानक बना करके उन गरीबों के भी ऑसू पोछने का काम किया और उन्हें भी जीने का सहारा दिया कि निष्पक्ष ढंग से पूरे प्रदेश में थोड़ी संख्या में नहीं, बल्कि 40 लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया, इसके लिये आज उत्तर प्रदेश का वह गरीब व्यक्ति माननीय मुख्य मंत्री और समाजवादी पार्टी की सराहना कर रहा है। मान्यवर, हम इसकी भी सराहना करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने इस योजना को शुरू किया है और जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ायेंगे और इस बजट में उन्होंने इसको बढ़ाने का काम भी किया है। बात जहां तक मेट्रो की की जाय, उत्तर प्रदेश के लोग यह स्वप्न देखा करते थे और यह कल्पना करते थे कि काश उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल सिटी राजधानी लखनऊ है, जिसे पूरे विश्व में जाना जाता है, हम यहां मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। यह बॉतें बहुत हुयीं, लोगों ने बड़ी–बड़ी बातें की, चर्चायें भी हुयीं लेकिन मेट्रो पर किसी ने काम करने की हिम्मत नहीं जुटाई, केवल चर्चा भर रह गयी, आज हम यह कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो की योजना लागू ही नहीं हुयी बल्कि उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता जो लखनऊ आती है, आज वह यह देख रही है कि मेट्रो पर बहुत तेजी से काम चल पड़ा है और काम बहुत तेजी की ओर बढ़ रहा है। हम इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे। मान्यवर, कहा जाता है कि देश के कई ऐसे बड़े राज्य हैं, जहां पर मेट्रो की बात हुयी, उसके लिये उन्होंने योजनायें भी बनाई, सरकारें चली गयी लेकिन वह योजनायें अमल नहीं हुयीं। जबकि हमारे केवल लखनऊ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के चार बड़े जनपदों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेट्रो को चलाना प्रस्तावित ही नहीं किया बल्कि कई जगहों पर इस योजना को स्वीकृति का रूप भी दे दिया।

जहां तक इस बजट में स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य शिक्षा की बात हम लोग करते हैं, जिस दल और जिस विचारधारा से हम लोग आते हैं, रोटी कपड़ा और मकान के नारे भी लगते रहे लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, उस गांव के उस गरीब जो एक ग्रामीण अंचल में रहता है, जहां रास्ता नहीं था, जिसके पास जीप भी नहीं थी, कार भी नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, उस गरीब के परिवार के उस बूढ़े पिता की इलाज न मिलने के कारण तड़प–तड़प कर उसकी जान चली जाती थी। वह अस्पताल नहीं पहुंच पाता था, बड़े लोग तो पहुंच जाते थे, क्योंकि उनके पास गाड़ियां थी, अन्य साधन थे लेकिन उस गरीब को भी अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ देने का काम 108 और 102 एम्बुलेंस के माध्यम से अगर किसी ने किया है तो हम समझते हैं कि इस देश में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और यह इस देश के लिये एक मिसाल होगी और आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि आज यह योजनायें

अन्य राज्यों में भी लागू हों, इसके लिये तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी है कि कैसे हम इस योजना का लाभ अपने राज्य में दे सकें किसान दुर्घटना बीमा योजना, मा0 नेता प्रतिपक्ष कहते हैं रेत की दीवाल, कागज की नाव और भी तमाम चीजें मा0 नेता प्रतिपक्ष जी ने कही हैं लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि क्यों नहीं नजर गई। किसान दुर्घटना बीमा योजना मा0 अध्यक्ष जी, एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी, सर्विस के समय में मृत्यु हो जाती थी तो परिवार में किसी को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी दी जाती थी। तमाम एरियर, पेंशन, फण्ड उसे दिया जाता था लेकिन जब किसान के परिवार का मुखिया मर जाता था तो पूरा परिवार मा0 अध्यक्ष जी यतीम हो जाता था, पूरा परिवार टूट जाता था। मान्यवर, जब हम बात करते हैं कि कृषक बाहुल्य राज्य, कृषक बाहुल्य देश तो किसी अन्य पार्टी की नजर इस ओर क्यों नहीं गई। अगर यह नजर किसी ने डाली तो मा0 नेता जी ने डाली और एक लाख रुपए का किसान दुर्घटना बीमा दिया, जिसे मा0 मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दिया और ऐसा करके मा0 मुख्यमंत्री जी ने किसानों के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया है और कम से कम इस बात की गारंटी दिया है कि उसके परिवार को हम यतीम नहीं होने देंगे, उसके परिवार को हम बरबाद नहीं होने देंगे। यह चीज नहीं दिखाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश के उन तमाम राजनीतिक दलों को। मा0 अध्यक्ष जी, इस देश का यह इतिहास रहा है कि इस देश में कभी बड़ी बात करने वाले लोग बड़े नहीं हुए हैं बल्कि जिन्होंने बड़ा काम किया है वह बड़े हुए हैं चाहे वह गांधी रहे हों, चाहे नेहरू रहे हों, चाहे लोहिया रहे हों और चाहे नेता जी रहे हों और चाहे उस पदचिह्न पर चलने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव जी रहे हों। इतिहास इस बात का गवाह होगा, हम लोग बड़े गर्व से कहते थे विपक्ष में कि जब हमारी सरकार रहती है तो नहरों में हेड से टेल तक पानी आता है। सरकारें रहीं बजट भी रहा लेकिन क्यों नहीं नहरों में पानी आया, अभी कुछ साथियों ने कहा कि खाद की किल्लत हुई, कौन लोगों ने कहा और किस मुंह से कहा, एक बोरी यूरिया और एक बोरी डी0ए0पी0 मांगने वाले किसानों के सिर पर पड़ती लाठियों का गवाह यह पूरा सदन है और पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है कि पांच साल तक एक बोरी यूरिया और एक बोरी डी0ए0पी0 के लिए किसान के सिर से किस तरह से लहू बह रहा था। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी किसानों को खाद के लिए लाठी नहीं खानी पड़ी। स्थिति यह भी रही कि एक बोरी मांगने पर दो बोरी देने का काम किया गया है हम इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देंगे। जहां तक सिंचाई का सवाल है मैं मा0 सिंचाई मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जितनी निष्पक्षता से और जितने कम बजट में भी आपने उत्तर प्रदेश की नहरों की सफाई करके उनमें पानी देने का काम किया है इस बजट में इसका प्रावधान भी किया गया है इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये इस ऐतिहासिक बजट का समर्थन करते हुए विपक्ष के साथियों से यह उम्मीद करता

हूं कि अच्छे को अच्छा कहना हम सब शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश विकास की राह पर और मजबूती से आगे बढ़ेगा। आज उम्मीद की एक भावना मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश में ले करके आये और आज हम यह कह सकते हैं कि आम जनता उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी की सराहना कर रही है उसको बल दे रही है। मैं पुनः बजट 2015–16 का समर्थन करते हुए मा0 मुख्य मंत्री जी की सराहना करता हूं और प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें बहुत बधाई देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2015–16 के बजट के अवसर पर बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

(कई सदस्यों के टीका–टिप्पणी करने पर)

मैं सीधा खड़ा हो जाऊंगा तो आप लोग बैठ जाओगे क्योंकि अभी सरकार कह रही थी बहुत काम कर रहे हैं और बहुत काम चल रहा है। कृपया बोल लेने दीजिए। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने कानपुर के टेनरी उद्योग के लिए, ग्रीन पार्क क्रीड़ास्थल के लिए और मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए जो काम किया है वह सराहनीय है लेकिन।

(कई सदस्यों के टीका–टिप्पणी करने पर)

मान्यवर, जो हमारा समय कम कर रहे हैं तो मैं यह समय ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने विषय पर बोलें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मा0 अध्यक्ष जी, कानपुर के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। अब इन्होंने जो दिया है इतनी बड़ी टेनरी 2000 करोड़ रुपये से क्या होगा। यहां से हटाकर दूसरी जगह बसायी जा रही है, जहां व्यवस्थित है वहीं रह सकती है अगर मुख्य मंत्री जी की कृपा हो जाए तो दो–चार हजार करोड़ और दे दें, पैसे की कमी नहीं है, बजट तो आपके हाथ में है जो चाहो दे डालिये। ग्रीन पार्क को भी दे सकते हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां देखो फोर लेन, जहां देखो सिक्स लेन माननीय मुख्य मंत्री जी ने दे दिया है। बहुत कुछ दे दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि कबीर दास जी ने कहा था कि–''दुनिया ऐसी बाबरी पाथर पूजन जाय, घर की चाकी कोई न पूजै जाकी पीसो खाय।'' केवल फोर लेन से काम नहीं चलेगा, शहरों में लोग रहते हैं, किसान बच्चे पढ़ाने आये हैं, शहर में किसानों ने सोसाइटी के क्षेत्र में जमीन ली है, मकान बनाया है, एक–आध कमरा बनाकर रह रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य है उनका कि ऐसे रह रहे हैं कि जिन गांवों से आये थे वहां बिजली है, सड़क है, नाली है लेकिन सोसाइटी के क्षेत्र में कुछ नहीं है, न नाली है, न सड़क है, गांव में तो सब कुछ है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं) अगर मेरा घर अच्छा है तो लखनऊ में आपको

घर नहीं मिलना चाहिए, बड़ी–बड़ी गाड़ियों से आपको घूमना नहीं चाहिए। कहीं न कहीं आपको यह सोचना पड़ेगा कि सोसाइटी के क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने बच्चों को पढ़ाने आये हैं। (सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आयी कि भू–माफियाओं की तरफ से बोल रहे हो।) जी हां, लेकिन उसका भी पैसा कौन रख रहा है यह मैं आपको बताऊंगा। माननीय नगर विकास मंत्री जी ने, नगर विकास मंत्री होते हुए प्रशंसनीय कार्य किया है नगर में काफी काम हो रहा है और आपका बजट जा रहा है लेकिन (हंसी) यह सोसाइटी के क्षेत्र जहां किसान के बच्चे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहां न बिजली है, न पानी है, न नाली है, न खड़न्जा है और न कोई व्यवस्था है। ये अगर भू–माफियाओं के लोग हैं तो इनसे वोट मत लीजिए, इनसे सपोर्ट मत लीजिए, इनको काला पानी भेज दीजिए। वोट लेने के लिए हम सब दौड़ेंगे कि ऐ मेरे भाई वोट दीजिए, अरे भू–माफियाओं को जेल में डालो, कौन रोकता है। भू–माफियाओं की बात कर रहे हैं तो आप समीक्षा कर लीजिए, 90 प्रतिशत आपके लोग होंगे और आपके लोगों ने यह सब किया है। आप हटाइये इनको लेकिन भू–माफिया ही, भू–माफिया की बात कर रहे हैं आपने चिन्हित किया, एक बेईमान होगा सब बेईमान नहीं होते हैं। सोसाइटी क्षेत्र आपका है, आपके पास पैसा भी है, कहीं अवस्थापना के नाम से, कहीं वित्त कमेटी के नाम से आप कहीं न कहीं वहां पीने का पानी, रहने के लिए बिजली, सड़क की व्यवस्था कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि वहां हमारे–आपके परिवार के ही बच्चे रहते हैं लेकिन जिद है, जिद पर अड़े हैं, वह माल कैसे पैदा करेंगे इसके लिए खड़े हैं, खूब पैदा कराइये, कोई दिक्कत नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर में अस्पताल है, कानपुर के अस्पताल को क्या दिया ? वहां कार्डियोलॉजी है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा अस्पताल बताया जाता है लेकिन वहां बेडों की कमी है, लोग जाते हैं लेकिन वापस कर दिये जाते हैं क्या कानुपर कार्डियोलॉजी के लिए 100–50 करोड़ रुपये की अलग से व्यवस्था नहीं की जा सकती है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि हार्ट–अटैक ऐसी बीमारी है, भगवान न करे कि किसी के घर में हो, लोग जान नहीं पाते हैं। मैं अध्यक्ष जी, बताना चाहता हूं कि मैं अपने यहां एक मरीज को भर्ती कराकर लौटा, वह बोल रहा था और घर पहुंचे, वह भगवान को प्यारा हो गया। अरे उन मरीजों के लिए व्यवस्था थी नहीं बेड था नहीं बाहर एक स्ट्रेचर में रखा गया था। बड़े दुख की बात होती है कि माननीय मुख्य मंत्री जी कन्नौज में आप कैंसर अस्पताल दिए जा रहे हैं लेकिन कानपुर के कैंसर को झुनझुना दे रहे हैं विद्युतीकरण कन्नौज में 24 घण्टा माल दें हम माल दें कानपुर वाले कन्नौज से निकलेंगे तो कानपुर इटावा से निकलेंगे तो कानपुर तो उसको भी मालामाल कर दें आप जब निकलें तो लोग कहें कि मुख्य मंत्री जी जा रहे हैं लेकिन धोखा इतना बड़ा धोखा हर चीज कन्नौज में चली जाय, सैफई में चली जाए मैं जाने के लिए नहीं रोकता लेकिन कम से कम कानपुर को भी तो कुछ मिलना चाहिए। कानपुर रेवेन्यू देता है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग आपस में बात न करें। बोलने दीजिए नहीं तो वह और बोलेंगे। आपके दो मिनट और बचे हैं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मान्यवर, मैं बैठा जा रहा हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं जनता की बात बोल रहा हूं। कानपुर में जो गांव हैं माननीय नगर विकास मंत्री जी मैंने कई बार लिखकर दिया है। मरीज की आप बात कर रहे हैं अगर मरीज मरेगा तो हम कह देंगे कि सरकार वाले नहीं कर रहे हैं हमको लाभ मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है हम आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं कि जो कानपुर के गांव हैं उनमें सड़क नहीं है, पानी नहीं है, सीवर नहीं है, गांव बजबजा रहे हैं, वह कौन गांव हैं, उनमें हमारे आपके परिवार रह रहे हैं। चाहे सिंघा टठिया, खटिकाना, गज्जूपुरवा, नेवरा गांव टठिया हो भल्ला टठिया हो, चन्द्र नगर हो, कलवा हो, गदियाना हो, भगवन टठिया, कई ऐसी मुस्लिम और मलिन बस्तियॉ हैं अन्य मुस्लिम मलिन बस्तियों के लिए आप अगर कुछ कर रहे हैं तो इनके लिए भी आप कुछ देखें। जो कानपुर में लगे हुए हैं। आप लोग कह रहे हैं कि गांव में यह सुविधाएं नहीं होती हैं तो क्या इन गांवों के लोग अब लोटा लेकर थोड़ा जाएंगे जमीन तो भू–माफियाओं ने ले ली जो आपके साथी हैं यह लोग क्या लोटा लेकर क्या सड़क पर बैठेंगे। आप वहां फोटोग्राफी करने जाएंगे यह सुविधाएं गांवों में दीजिए हमें शर्म आनी चाहिए हम यहां पर चिल्लाते हैं गांवों में सीवर नहीं है गांवों में नाली नहीं है गांवों में सड़क नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय अब समाप्त।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मैं कहना चाहता हूं कि हमारा छावनी क्षेत्र आता है छावनी क्षेत्र में भी कभी सूडा से काम कराए गए थे वहां से हम वोट लेते हैं हमारे यहां मलिन और मुस्लिम बस्तियां बहुत हैं सरकार कहीं न कहीं उनके लिए भी कोई योजना बनाए क्योंकि कन्टोनमेन्ट बोर्ड का मतलब नहीं कि वह सेन्ट्रल की योजना हो गई। आप सबको देते हैं उनको भी दें देना भी चाहिए अधिकार है उनका लेना भी चाहिए। कहीं न कहीं यह निर्णय आपका होना चाहिए। नगर विकास मंत्री जी चूंकि आप सबके लिए सोचते हैं इसके लिए मैं आपको बार–बार बधाई भी देता रहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा अब खत्म करिए।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हैण्डपम्प के बारे में अब आपका निर्णय आया है। अब 15–16 के लिए भी तैयारी कर दें। विधायक निधि आप डेढ़ करोड़ देते हैं विधायक निधि ईमानदारी निष्ठा से वहीं लगती है जहां सरकार के लोग और सरकारी विभाग काम नहीं करते हैं। उनके आंसू पोंछने के लिए हर विधायक अपने आप से कहता है कि यह मेरा पैसा है इसे ले जाओ और देते हैं। इसको क्या पांच करोड़ नहीं दिया जा सकता है। इतना भारी बजट है क्या होगा अखबार चिल्लाएंगे लोग

लिखेंगे चिल्लाने दो पांच करोड़ मिलेगा तो आपका प्रदेश संभलेगा हम सुधरेंगे। मान्यवर, आपने मुझे अवसर दिया मैं समझता हूं कि आज बड़ा आपका प्यार मिला है।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया। सभी माननीय सदस्य बोलेंगे। अब समाप्त करें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

केवल एक मिनट और दे दें। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब हमारे माध्यम से मत कहें बैठ जाएं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मान्यवर, इतनी देर में बात हो जाएगी। हमारे यहां राशन कार्ड जो बन रहा है सरकारी विभाग के लोग बना रहे हैं वह इतने बेईमान हैं कि काम ही नहीं करना चाहते हैं गरीबों को राशन कार्ड नहीं है जो पैसा दे दे उसके लिए खाता न बही जो पैसा दे उसी का सही । इस पर विचार करने की जरूरत है। आपने वर्ष 2015–16 के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं बधाई देता हूं बजट की लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मनोज जी ने कहा कि ऐसा बजट न भूतो न भविष्यो। भूतो न भविष्यो। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी भविष्य में बजट भाषण नहीं करेंगे। इसलिये और अच्छा हो, हम सबका अच्छा हो यह कहना चाहिए। धोखे से अगर आपके मुँह से कुछ निकल गया है तो अलग बात है। मैं सदस्य हूं मैं बधाई देना चाहता हूं लेकिन आप 5 करोड़ निधि जरूर करा दीजिये, यह मेरी भावना है।

बाल विकास पुष्टाहार एवं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट वर्ष 2015–2016 का पेश किया है, इसके समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं, आपका मशकूर हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो बजट आया है यह किसानों, मजदूरों, माइनॉरिटीज, नौजवानों का बजट है जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश करने का काम किया। मैं कहां से शुरू करूं माननीय अध्यक्ष जी। मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं और माननीय मौर्य जी से चाहूंगा कि इधर देखने का काम करें। जब इनकी सरकार हुआ करती थी मुख्य मंत्री ने बैठकर कभी आप सारे लोगों की बात सुनने का काम किया हो। वो मुख्य मंत्री हुआ करती थीं और आप उसमें मंत्री हुआ करते थे। कभी बैठ कर सुनने का काम किया आपकी परेशानियों को ? आपकी रोड्स को, आपकी सारी परेशानियों को देखने का सुनने का काम किया क्या कभी ? लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी आपके सारे सवालों को सुनने का काम करते हैं और उनका समाधान करने के लिये कहने का काम करते हैं और करते हैं। हम इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। माननीय मौर्या जी, और जो हमारे विपक्ष में बैठे हुए सदस्य हैं। बगल में संसदीय कार्य मंत्री बैठा करते थे मुख्य मंत्री जी के। आपके राज में चाहे भाई बहिन की सरकार रही हो या उसके बाद आपकी पांच साल की सरकार रही हो।

माननीय नगर विकास मंत्री जी बैठे है, आपके संसदीय कार्य मंत्री वर्मा जी बैठते थे। क्या हिम्मत होती थी उठ करके, खड़े होकर के आपके मुख्य मंत्री जी के सामने कि विपक्ष वालों, आप क्या बात कर रहे हो, लिख करके दे दो हम उसको पूरा कराने का काम करेंगे। यह हमारी सरकार है, यह हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो मुख्य मंत्री हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जो हमारे इस सदन को चलाने का काम करते हैं, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो सड़कों और पुलों का जाल बिछवाने का काम करते हैं। इन लोगों ने कभी भेदभाव बरतने का काम नहीं किया। आपने अपने समय में कभी विपक्ष को सुनने का काम नहीं किया। मैं बहिन भाई की सरकार के जमाने में जाना चाहता हूं। हम जैसे लोग विधायक थे, आप बता दें हमारे अम्बिका भाई जी मौजूद हैं, एक–एक बजे तक हम लोगों ने हाउस में बैठकर हाउस चलाने का काम किया था। लेकिन आज जो बजट पेश हुआ है कहते हैं कि दवाई हमको नहीं मिल रही है। आपकी बहिन, आपकी सरकार थी। अस्पताल की पर्ची कितने की थी, आप बता दो ? आठ रुपये की पर्ची थी। दवायें तो दूर, जो रिक्शा चलाने वाला किसी तरह से अपना पेट पालने के लिये किसी तरह से कमाई करने का काम करता था उससे आठ रुपया आप पर्ची का ले लेते थे, दवाई का कोई मतलब नहीं था लेकिन हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री हुए उसे समाप्त कर दिया और फिर उन्होनें एक रुपये का पर्चा कर देने का काम किया। हमारे मुख्य मंत्री जी ने, आप कहते हो आपके जमाने में बेड का चार्ज लिया जाता था 35 रुपये से 40 रुपये लेकिन आप बता दो आज बेड का चार्ज जिला अस्पतालों में है ? क्या एक नया पैसा भी बेड का चार्ज लिया जाता है ? आप बता दो। आप हिमायती हो मजदूरों के, किसानों के। गरीबों के बड़े हिमायती हो, मुसलमानों के बड़े हिमायती हो। (माननीय संसदीय कार्य मंत्री के यह कहने पर कि एक शब्द नहीं कहा) मैं वही कह रहा हूं। उस दिन हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि आपने एक शब्द नहीं किया। आप वोट लेना चाहते हो। आपने कहा हमने उर्दू, अरबी यूनीवर्सिटी बनाई। आपने कोई बनाया ? और नाम क्या दिया आपने ? हमसे नफरत है आपको। वह नाम नहीं दे सकते थे, उसको क्या नाम दे दिया आप जानते हो। अकबरपुर को बदल दिया क्योंकि वह नाम पसन्द नहीं है आपको। वोट पसन्द है, नाम पसन्द नहीं है आपको। संसदीय कार्य मंत्री जी के सामने कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं, पूरा सदन मौजूद है। एक यूनीवर्सिटी नहीं दो दो माइनॉरिटीज यूनीवर्सिटी देने का हमारे नेता ने किया चाहे इन्टीग्रल यूनीवर्सिटी हो। (मेजें थपथपाई गईं) इंटीग्रल यूनीवर्सिटी जब मुख्य मंत्री हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने माइनॉरिटीज यूनीवर्सिटी देने का काम किया था। उसके बाद उसी के साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनीवर्सिटी क्या है ? आप बता दो, माइनारिटीज नहीं है, तो बता दो आप। आपने कभी कब्रिस्तानों को घिरवाने की बात सोची, आपने कभी शमशान घाट को बनवाने की बात सोची, आपने कभी इस बात को सोचने का काम नहीं किया। अग्रवाल जी चले गए, सुबह बात चली थी हमारे बेसिक शिक्षा विभाग की, भर्तियों की बात चली, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम बधाई देना चाहते हैं अपने मुख्य मंत्री जी को, और अपने मंत्री रामगोविन्द चौधरी जी को, कि तीन लाख से ज्यादा भर्तियां 2015 तक कर देने का काम

करेंगे जो हमारा विभाग है उसमें, माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर। मान्यवर, पारदर्शिता की बात बार–बार उठाई जाती है कि पारदर्शी हमारी सरकार नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं उन्होंने कहा 42000 टीचर्स के ट्रांसफर, लेकिन 60000 से ज्यादा टीचर्स के ट्रांसफर हम लोगों ने किये है। हमारे मंत्री मा0 रामगोविन्द चौधरी ने किये है अगर कहीं एक पैसे का घूस लिया गया हो तो हम यहीं से इस्तीफा देकर चले जाएंगे लेकिन यह पारदर्शिता हमारी सरकार में है एन0आर0एच0एम0 में कितना बड़ा घोटाला हुआ, कांग्रेस वाले कहते हैं कि यह हमारा पैसा था पिछली सरकार में कितने लोग जेल में हैं। 102 और 108 यह भी चला सकते थे क्यों नहीं चलाने का काम किया। मा0 अध्यक्ष जी हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं हम पूरे सदन से कहना चाहते हैं गरीबों के इलाज के लिए, मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपना दिल बड़ा करने के बाद, आपको जो निधि मिलती है उसमें से 25 लाख जिन मरीजों को देना चाहते हो उसको दे सकते हो आज तक किसी सरकार ने करने का काम नहीं किया। (मेजें थपथपाई गईं) इसके अलावा भी मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को, जो लोग कहते हैं इलाज के लिए बड़ी बीमारी के लिए पैसा नहीं मिलता, मैंने सत्तर लोगों के लिए लिखा उसमें से 57 लोगों को पैसा मा0 मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से मिलने का काम किया है। यह हमारे मुख्य मंत्री का कारनामा है हम आपसे कहना चाहते हैं। पेंशन के लिए बार–बार कहा जाता है, हमारी पेंशन, इस बार जब हम चुनाव में गए तो हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने पेंशन देने का काम किया था आप जानते हैं इस बार जब हम चुनाव में गए तो उस पेंशन को काट दिया गया जब हम गांव में वोट मांगने के लिए जाते थे तो गरीब महिलायें गरीब बुजुर्ग किस तरह से कहते थे। बाबू हमारी पेंशनिया कब चालू होई, बाबू हमका पेंशनिया दे देवा, बाबू हमका पेंशनिया चाही, माननीय मुख्य मंत्री जी मायावती जी थीं तो उनके खिलाफ किस तरह के अलफाज वह यूज करती थी, उसको हम कहना नहीं चाहते हैं लेकिन हम माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं।.

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, इस पेंशन को, मा0 मुख्य मंत्री जी ने चालीस लाख समाजवादी पेंशन देने का काम किया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

और इसी तरह से मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बनाए हुए पुल पुलिया पर इनके नाम का पत्थर लग जाया करता था। हमारे यहां दो जगह की पुलिया पर कटया जमालपुर और बरहढुहीह पर पुल तैयार हो गया। हमारी सरकार चली गई। इन्होंने क्या किया बड़ा सा एक बोर्ड....

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री वसीम अहमद–

मा0 मायावती जी के नाम का लगा दिया। इसी तरह से 33 के0बी0ए0 का विद्युत सब– स्टेशन मा0 नेता जी ने जो देने का काम किया था, जो सब–स्टेशन देने का काम किया, परशुराम पुर और कप्सा .....

श्री अध्यक्ष–

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री वसीम अहमद–

एक मिनट का समय और दे दें। मान्यवर, हमारी सरकार में पोल और तार बनकर तैयार हुए और जब इनकी सरकार आई तो पूरा का पूरा 18 किलोमीटर का तार कट गया और उसी तरह से पड़ा है लेकिन हमारी सरकार जब आई मा0 अखिलेश यादव जी जो हमारे मुख्य मंत्री हैं उन्होंने इसकी व्यवस्था कर दी...

(मेजें थपथपाई गईं)

उन्होंने उस पर एफ0आई0आर0 नहीं की। उस एफ0आई0आर0 को करके उसको बनवाने का काम आजमगढ़ में चल रहा है। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि किसानों, मजदूरों की हितैषी सरकार है और आज तक 28 सालों में कोई सरकारी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में नहीं लगी उसको मा0 अखिलेश यादव जी ने जो हमारे मुख्य मंत्री हैं सबकी तरफ जिनकी निगाहें हैं। आप सठियॉव चीनी मिल को बन्द करा रहे थे, आप बेच रहे थे सठियांव चीनी मिल को, लेकिन ढाई सौ करोड़ रुपये देकर उस चीनी मिल को बनवाने का काम किया है। मा0 अध्यक्ष महोदय, हम आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

पांच बजने वाला है। अब नियम–51 लेंगे। चर्चा कल होगी।

ख्4.54 बजे, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10–03–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 51 सूचनायें प्राप्त हुईं–

पहली सूचना श्री प्रदीप माथुर की– मथुरा शहर के जनरलगंज स्थित वृन्दावन प्रकाशवती राजकीय इन्टर कालेज की भूमि को अवैध रूप से बेचे जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना श्री अखिलेश प्रताप सिंह की– जनपद देवरिया सहित प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों को मानक के अनुरूप बनाये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तीसरी सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की– जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र पंचायत को पुनर्गठित करते हुये भवानीगंज को क्षेत्र पंचायत समिति (ब्लाक) सृजित किये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना श्री राधे लाल रावत की है। श्री राधेलाल रावत जी हैं ? नहीं हैं।

पांचवीं सूचना श्री सलित विश्नोई की– कानपुर महानगर स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज में एम्स के स्तर की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

छठी सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूज की, झांसी महानगर में राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा निर्मित ओवर ब्रिजों के निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सातवीं सूचना श्री ओम कुमार की–जनपद बिजनौर की है। श्री ओम कुमार जी हैं ? यह भी नहीं हैं।

आठवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की जनपद कासगंज के विकास खण्ड सहावर में ग्राम तारापुर से ग्राम सियारपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क हेतु धन अवमुक्त कराकर मरम्मत कराये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

नवीं सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की है। डा0 धर्मपाल जी हैं ? यह भी नहीं हैं।

दसवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की है। यह भी नहीं हैं।

ग्यारहवीं सूचना श्री सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी की है। यह भी नहीं हैं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :–

1–श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय,

2–श्री रामचन्द्र यादव,

3–श्री मनीष असीजा,

4–श्री दलवीर सिंह,

5–श्री सन्तराम कुशवाहा,

6–श्री जियाउद्दीन रिजवी,

7–डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,

8–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी,

9–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

10–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया,

11–श्री रोशन लाल वर्मा,

12–श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना',

13–श्री दीपक पटेल,

14–श्री आशीष कुमार यादव,

15–श्री भगवती प्रसाद,
16–श्री पूरन प्रकाश,
17–श्री दिलनवाज खां,
18–श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
19–श्री राजीव गुम्बर,
20–श्री विजय बहादुर यादव,
21–श्री अनुग्रह नारायण सिंह,
22–श्री रविदास मेहरोत्रा,
23–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य,
24–श्री सुरेश बंसल,
25–श्री अजय कुमार लल्लू,
26–श्री कालीचरन सुमन,
27–श्री सुरेश कुमार खन्ना,
28–श्री पंकज गुप्ता,
29–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,
30–श्रीमती सीमा,
31–श्रीमती कृष्णा पासवान,
32–श्री अगयश रामसरन वर्मा,
33–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया,
34–श्री अलगू प्रसाद चौहान,
35–श्री भीम प्रसाद सोनकर,
36–श्री राजबली जैसल,
37–श्री प्रदीप चौधरी,
38–श्री जय प्रकाश अंचल,
39–श्री जगन प्रसाद गर्ग तथा
40–श्री धर्मपाल सिंह।

जनपद चित्रकूट में भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं से किसानों की फसलों को हुई क्षति का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान सिंह पटेल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद चित्रकूट...

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के अन्तर्गत 27 फरवरी, 2015 को सायं 7–8 बजे के मध्य अत्यधिक तेज आंधी–तूफान के साथ ओलावृष्टि से जनपद में लगभग 80 राजस्व ग्रामों में किसानों की 100 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है। तथा क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के राजस्व ग्राम घुरेहटा में आंधी– तूफान आने से कु0 रेनू उम्र 13 वर्ष पुत्र छितानीराम व अन्तिम उम्र 8 पुत्र छितानीराम के ऊपर पेड़ गिर जाने तथा ग्राम गढचपा से आकाशीय बिजली से नन्हीं सिंह पुत्र सरवर सिंह की मृत्यु हो गई। इसके अलावा ग्राम भखरवार, रामनगर आदि ग्राम में दैवीय आपदा के शिकार हुए ग्रामों में रामनगर, लोधौरा, बरेठ, इटहादेवीपुर, जोरवारा, करही, बरिया, उफरौली, मोहनी, पियरिया, पिपरौंड, ततवार, सेंगर, हटवा, सुरौधा, मऊ, अहिरी, डउवार, पूरबपताई, गढवा, छिवलहा, कपुरी, अमरपुर, घुरेहटा, रमटेकवा, खजुरिहा, खुर्द, चहरा, नामई, भखरवार, पटोरी, मनकुंवार, तिलौली, शेषा, सुबकरा, ताडी, दुबारी, बरहट, नीबीं, त्रिवार, बिहटापुरा, सिकरौं, ओबरी, चमरौहा, सकरौंहा, ऊंचाडीह, कोटा, कदैंला, कढवा, चौर, मऊ, गुरदरी, टेढवा, बन्ना गढवारा रैपुरा, कंठीपुर, सपहा, रगौली, सीतापुर, ग्रामीण सेमरिया, जगन्नाथवासी, गनीवा, अमिलिहा, करारी, धौरहीमाफी आदि प्रमुख रूप से हैं। भारी वारिश, ओलावृष्टि तथा तेज हवायें ओलावृष्टि हवायें चलने के कारण अरहर, मसूर, चना, मटर, अलसी, राई जैसे दलहनी तिलहनी फसलों के अलावा गेहूं आदि फसलों को भी व्यापाक नुकसान पहुंचा है। मैंने स्वयं क्षेत्र का भ्रमण कर देखा है कि फसलों को 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा है लेकिन प्रशासन सम्पूर्ण घटनाओं से काफी उदासीन है राजस्व कर्मी तथा लेखपाल आदि किसानों की फसलों की क्षति का सही आंकलन नहीं कर रहे हैं। जिससे क्षेत्रीय किसानों में काफी जनाक्रोश व्याप्त है।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट में दिनांक 27–02–2015 को सायंकाल 7–8 बजे के मध्य अत्यधिक तेज आंधी एवं तूफान के साथ–साथ ओलावृष्टि के कारण जनपद के 111 ग्रामों में किसानों की फसल को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। इसके पश्चात् दिनांक 01 व 02 मार्च, 2015 को असामयिक अतिवृष्टि के कारण भी फसलों को नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि वाले ग्रामों में अपर जिलाधिकारी तथा जनपद की चारों तहसीलों के उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों के द्वारा भ्रमण किया गया। लेखपाल/भूलेख निरीक्षकों के माध्यम से नियमित रूप से सर्वे कार्य किया जा रहा है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

3–जनपद चित्रकूट के तहसील मऊ के ग्राम घुरेहटा में तेज आंधी तूफान के कारण मकान पर पेड़ गिरने से कु0 रेनू पुत्री छितानी उम्र लगभग 13 वर्ष व अन्तिम पुत्र छितानी उम्र लगभग 07 वर्ष की मकान में दब कर मृत्यु हो गई है तथा इसी तहसील में 01 भैंस व बछिया की मृत्यु हुई है। शासनादेशों के अन्तर्गत मृतकों के परिवार वालों को अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत 1,50,000/– की दर से प्रभावित परिवार को उपलब्ध करा दी गई है। एक भैंस की मृत्यु पर रु0 16,400 तथा बछिया की मृत्यु पर 10,000/– की धनराशि प्रभावित परिवार को उपलब्ध करा दी गई है। इसी प्रकार तहसील मानिकपुर के ग्राम गढ़चपा में दिनांक 27–02–2015 को आकाशीय बिजली गिरने से नन्हीं पुत्र सरदार उम्र लगभग 55 वर्ष की मृत्यु हुई है, एवं 01 भैंस व 01 गाय की भी मृत्यु हुई है। मृतक के परिवार को शासनादेशों में दिये गये प्राविधान के अनुसार 1,50,000/– रु0 की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। 01 भैंस व 01 गाय हेतु प्रभावित परिवार को 16,400/– रु0 की दर से भुगतान कर दिया गया है।

4–यह भी अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट की चारों तहसीलों में फसलों को हुई क्षति एवं जनहानि तथा पशुहानि के कारण दी जाने वाली सहायता राशि लगभग 6,20,00,000/– की धनराशि का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके परीक्षणोपरान्त धनराशि स्वीकृत किये जाने की कार्रवाई की जायेगी।,

जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय कालोनियों में पक्के नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्री अमरपाल शर्मा जी हैं ? नहीं हैं।

प्रदेश में मा0 उच्च न्यायालय की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी हैं ? यह भी नहीं हैं।

जनपद भदोही के औराई चीनी मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती मधुबाला द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्रीमती मधुबाल पासी जी हैं ? यह भी नहीं हैं।

जनपद अलीगढ़ की तहसील खैर की ग्राम घरबरा में गाटा संख्या–1/20 के अतिरिक्त में अवैध बालू खनन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–21 स्थगित है।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा एवं अयाह शाह में मौरंग एवं बालू के अवैध खनन एवं ट्रकों की ओवरलोडिंग से हो रही क्षतिग्रस्त सड़कों के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्रीमती कृष्णा पासवान, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 3 मार्च, 2015 को दी गई सूचना की जनपद फतेहपुर...

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र–खागा एवं अयाह शाह में मौरंग एवं बालू का खनन क्षेत्र है। जहां पर बालू के अवैध खनन एवं ट्रकों एवं ट्रैक्टरों के ओवरलोडिंग से नव–निर्मित रोडें टूटकर ध्वस्त होकर विलुप्त हो रही हैं। इससे जहां जनमानस को आवागमन में अति कठिनाई हो रही है वहीं मौरंग खनन से प्राप्त राजस्व आय से कई गुना कीमती सड़कें ध्वस्त होकर सरकार को हानि पहुंचा रही हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग की गई है।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 से प्राप्त आख्या के अनुसार यह अवगत कराना है कि जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र खागा एवं अयाह शाह में वर्तमान में बालू/मौरंग के दो खनन पट्टे ग्राम गुरुवल में कार्यरत हैं। वाहनों की भार क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए पट्टाधारकों के पक्ष में अभिवहन पास प्रपत्र एम0एम0–11 जारी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त बालू/मौरंग के वाहनों की ओवरलोडिंग/अवैध परिवहन की जांच, समय–समय पर खनिज विभाग द्वारा की जाती है। वाहनों की जांच एवं प्रवर्तन कार्य के दौरान वर्ष 2014–15 में माह फरवरी तक 144 वाहनों की जांच पर कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरूप प्रवर्तन मद में रु0 34,21,700.00 का राजस्व जमा कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त वाहनों के ओवर लोडिंग की जांच परिवहन विभाग द्वारा भी की जाती है। मार्गों के क्षतिग्रस्त होने का एक मात्र कारण खनिजों के वाहन

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

नहीं हैं, इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के वाहनों का इन मार्गों से आवागमन रहता है। मार्ग पुराने होने के कारण भी क्षतिग्रस्त होते रहते हैं।,

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के दिनांक 26 फरवरी, 2015 को हुई भयंकर ओलावृष्टि से किसानों की रबी की फसल नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र रूदौली, जनपद फैजाबाद...

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्उत्तर प्रदेश में दिनांक 26–02–2015 को भयंकर ओलावृष्टि हुई है जिसके कारण किसानों की रबी की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इस दैवीय आपदा से पीड़ित किसानों के सामाने जीवन–यापन का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। जानवरों के चारे का भी संकट है। रुदौली तहसील क्षेत्र के बहोरिकापुर, दफियापुर, दुपहरियापुर, जुनेदपुर, अमरौती, गिरौंडा, सराय अहमद, खण्डपिपरा, मीनापुर फगौली, सीवन, वाजिदपुर, परसऊ, शाहपुर, कोंपेपुर, कोटरा, सराय नासिर, खैरी, ऐथर, बरई, पालपुर सहित कई गांवों में 80 प्रतिशत फसलों का नुकसान हुआ है वहीं दूसरी तरफ दिनांक 28–02–2015 से बेमौसम बारिश व आंधी–तूफान से तहसील क्षेत्र के किसानों की खड़ी फसल–आलू, गंहू, दलहन, तिलहन गिर गई जिसके कारण तहसील क्षेत्र के किसानों का भारी नुकसान हुआ है। परन्तु अभी तक प्रभावित किसानों की क्षति का मूल्यांकन स्थानीय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार की राहत राशि का वितरण किया गया है। स्थानीय प्रशासन द्वारा किसानों के इस संकट की घड़ी में मदद न करने से पूरे क्षेत्र के किसानों में आक्रोश है।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसील रूदौली दिनांक 26–02–2015 को हुई ओलावृष्टि से राजस्व ग्राम क्रमशः बहोरिकपुर, दफियापुर, दुपहरियापुर, जुनेदपुर, अमरौती, गिरौंडा, सराय अहमद, खण्डपिपरा, मीनापुर, फगौली, सीवन, वाजिदपुर, परसऊ, शाहपुर, कोंपेपुर, कोटरा, सराय नासिर, खैरी, ऐथर, बरई, पालपुर, अहरौली, संगौली, मोहम्मदपुर, तराई, हसनामऊ, मुरादाबाद में रबी की फसलों का नुकसान हुआ है, जिसका

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

आंकलन कराया गया है। आंकलन के अनुसार फसलों की अनुमानित क्षति 60 प्रतिशत तक हुई है। दिनांक 28–02–2015 को बेमौसम वर्षा तथा आंधी–तूफान से तहसील रूदौली में रबी की प्रमुख फसलों आलू, गेहूं, तिलहन व दलहन में 18 प्रतिशत अनुमानित क्षति हुई है।

3–जिन ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक फसलों की क्षति हुई है वहां के कृषकों की फसलों का प्रति गाटावार सर्वेक्षण व आंकलन के उपरान्त कृषि निवेश अनुदान देय होगा।,

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन अन्तर्गत ग्राम निघासन के कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–24 स्थगित है।

जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ अन्तर्गत जी0टी0 रोड से इकबालपुर माड़ी होते हुए ग्राम जिरौली तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्री रामवीर उपाध्याय जी हैं ? यह भी नहीं हैं।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 58 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 10 मार्च, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 55 विधान सभा (91)–09–07–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।